राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08]   चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का नवां दिवस   [संख्या: 06

शुक्रवार,

03 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री रामलाल शर्मा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तेडा (जयपुर) का क्रमोन्नयन

111. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तेड़ा (जयपुर) सबसे प्राचीन केन्द्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम इटावा, भोपजी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गोविन्दगढ़ ब्लॉक के सबसे अधिक मरीज आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्री जी। अच्छा, बाजिया साहब देंगे जवाब।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री बंशीधर): (1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तेड़ा पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में सबसे प्राचीन है, जो दिनांक 27.01.1987 को स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदंड से अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) जी हां। वर्ष 2016 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटावा भोपजी में गोविन्दगढ़ ब्लॉक के मरीज सबसे अधिक आए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदंड से अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा और उन्होंने यह स्वीकार भी किया है कि 27.01.1987, लगभग 30 साल पुराना यह स्वास्थ्य केन्द्र है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आसपास रेनवाल दूसरी सीएचसी है, उसकी दूरी करीबन 30 किलोमीटर है। अगर दांई तरफ जाएंगे तो रींगस है, जिसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि यह सबसे पुराना स्वास्थ्य केन्द्र है। इसका 40 हजार के आसपास आउटडोर प्रतिवर्ष है। इसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आप इसकी घोषणा करें कि इसको सीएचसी में क्रमोन्नत करेंगे, ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। कई बार नियमों में जन भावना को देखते हुए शिथिलता बरती जाती है। आप पहली बार जवाब दे रहे हैं। आप पहली बार में ही ऐसी घोषणा कीजिए कि निश्चित रूप से हस्तेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सीएचसी में क्रमोन्नत करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बैठो, क्या हुआ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिला रहे हैं राज्य मंत्री से और अब केबीनेट मंत्री खड़े हो गए। क्या हमारे राज्य मंत्री सक्षम नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पूरक प्रश्नों का जवाब मैं ही दूंगा।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्री हैं, दे रहे हैं जवाब। बैठिए आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब उन्होंने दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह फालतू चीजें मत बोला करो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिए, मापदंडों के हिसाब से वहां जो संभव था, वह हमने कर दिया। इसके अलावा यदि वहां कोई डॉक्टर्स की कमी होगी और आप यदि उसे बताएंगे तो डॉक्टर्स और लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट मंत्री महोदय ने कहा कि चिकित्सकों की व्यवस्था अगर करनी होगी तो और कर देंगे। मंत्री महोदय, आपका कद और आपकी दबंगता इस बात को प्रमाणित करती है कि आपका तो यह उत्तर हो ही नहीं सकता। विचाराधीन है, और यह तो हो ही नहीं सकता। आपकी दबंगता के आधार पर आप तो घोषणा करो कि हां, सीएचसी में क्रमोन्नत करेंगे। जयपुर के अंदर आपकी पहचान ही यही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जैसा आपने उत्तर में भी माना है इस बात को कि इटावा भोपजी के स्वास्थ्य केन्द्र के अंदर सबसे अधिक मरीज आते हैं। राजस्थान के अंदर कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं कि जहां 1 चिकित्सक की जगह मरीजों को देखने हेतु 2 चिकित्सक लगाए गए हैं। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि कम से कम इटावा भोपजी और हस्तेड़ा इन दोनों जगह एक-एक चिकित्सक और लगा दें, अगर आप सीएचसी में क्रमोन्नत ना कर पाएं तो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने आपको बताया कि आप बता दीजिएगा, यदि मरीजों की संख्या को देखते हुए कहीं पर चिकित्सक और लगाने पड़े तो लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री फूलचन्द भिंडा।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, अभी माननीय मंत्रीजी ने यह दुहाई दी कि 1 लाख की ग्रामीण आबादी पर 1 सीएचसी होगी। मेरे यहां 4 लाख की आबादी है और 2 पंचायत समितियां हैं, लेकिन 2 ही सीएचसी हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल हस्तेड़ा और गोविन्दगढ़ ब्लॉक का है। इसके इर्द-गिर्द में ही आप पूरा कर दें।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, क्या चौमूं की भांति विराटनगर में भी इस प्रकार के रुल्स लागू करेंगे ? 1 लाख की आबादी पर 1 सीएचसी खोलेंगे ? यह मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी यह प्रश्न हस्तेड़ा का है, फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से मिल लेना। बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो। श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से केवल 2 ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने अभी आश्वस्त किया है कि ओपीडी के आधार पर पीएचसीज में भीड़ ज्यादा होती है, वहां अतिरिक्त डॉक्टर लगाने की आप मंशा रखते हैं, तो यह केवल चौमू, हस्तेड़ा तक ही नहीं रखें। उसके आसपास के क्षेत्र में भी जहां माननीय सदस्यों का निवेदन आए, वहां करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: अच्छा सुझाव है। मंत्री महोदय। आप जवाब देंगे क्या इसका?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): जवाब दो मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने दे दिया है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्षजी, जवाब दिलाओ मेरी बात का।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह जवाब जो मैंने उनको दिया। आप भी बता दीजिएगा। कहीं पर अगर आवश्यकता होगी तो कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आउटडोर जहां-जहां हैं, इसकी स्टडी करके कर दें। एक-एक का क्या तो आपके माध्यम से जवाब दिलवा रहे हैं। पूरे राजस्थान की सीएचसीज और पीएचसीज की स्टडी कर लें। ऐसी-ऐसी सीएचसीज पड़ी हैं जिसके अंदर 17 डॉक्टर्स हैं और 17 आउटडोर नहीं हैं और 1 इन-पेशेंट नहीं है। ऐसी-ऐसी पीएचसीज पड़ी हुई हैं, जैसे मुरलीपुरा में है, 650 का डेली का आउटडोर है, वहां 1 टेम्परेरी डॉक्टर लगा रखा है। इस आधार पर यह व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने वाला मामला है।

श्री अध्यक्ष: जनरल सवाल नहीं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह चौमूं का ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप भी चौमूं पर आ गए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैंने कल चौमूं के बेर खाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जैसे इटावा भोपजी में संचालित पीएचसी, आपने कहा कि 1 लाख की आबादी होनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि इस पीएचसी के और अन्य भी पीएचसी के अंदर में जितने गांव आते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी उसमें जोड़कर फिर उसको सीएचसी में संचालित कर सकते हैं तो करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय, कुछ कहेंगे ?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा है, यह जो मापदंड हैं और जो मैंने जवाब दिया है, उसमें वह जनसंख्या जोड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मानिक चन्द सुराना।

बीकानेर नगर विकास न्यास, द्वारा गिद्ध संरक्षित क्षेत्र में बनाई गई कॉलोनी

112. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा 9 वर्ष पूर्व बीकानेर में देश के एकमात्र गिद्ध संरक्षित क्षेत्र (वन क्षेत्र) जोहड़ बीड़ की एक हजार बीघा वन भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटी गई थी ? यदि हां, तो उक्त कॉलोनी में कितने भूखण्ड काटे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा आवासीय कॉलोनी काटने के विरुध्द उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गयी और उच्च न्यायालय ने सरकार को इस संबंध में प्रकरण विचारणार्थ रिमांड किया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके बाद प्रकरण पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की है ?

(3) उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् सरकार द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मुख्यपीठ द्वारा रिट याचिका पर दिये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कॉलोनी में कितने भूखण्ड बिक गये और अब तक कितने मकान वहां बन चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर काटी गई आवासीय कॉलोनी में विक्रय किये गये प्लॉटों की राशि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा प्लॉट होल्डर्स को अब तक भी लौटाई नहीं गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) जी नहीं। नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जोहड बीड की 586.33 हैक्टेयर भूमि जो न्यास की खातेदारी में दर्ज है, को अपनी मानते हुए, में आवासीय कॉलोनी काटी गई है। उक्त कॉलोनी में कुल 5619 भूखण्ड काटे गये है। उक्त 5619 भूखण्डों में EWS व LIG के 250-250 आवास गृह शामिल हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा आवासीय कॉलोनी काटने एवं भू-उपयोग परिवर्तन के विरूद्ध डी.बी. सिविल रिट पीटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4880/2008 में निर्णय दिनांक 15.11.2016 से भूमि के स्वामित्व निर्धारण के बिन्दु पर प्रकरण के निस्तारण हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था, तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया।

(3) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 03.11.2016 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। तत्पश्चात् पांच अधिकारियों की समिति का, डी-नोटिफिकेशन की फिजिबिलिटी एवं आवश्यकता के बिन्दु पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट पर निर्णय होना शेष है।

(4) खण्डपीठ जनहित याचिका संख्या 4880/08 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 की प्रति, न्यास की ओर से दायर रिव्यू याचिका संख्या 126/2012 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2016 व पुन: सुनवाई हेतु बहाल खण्डपीठ जनहित याचिका संख्या 4880/08 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2016 की छाया प्रति परिशिष्ट 1 से 3 पर संलग्न है।

(5) उक्त कॉलोनी में कुल 2726 भूखण्ड विक्रय किये जा चुके है तथा विक्रय किये गये भूखण्डों में से किसी भूखण्ड पर मकान निर्माण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा कुल 500 आवास गृहों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था, जिसमें से 250 EWS केटेगरी के आवास गृहों का निर्माण पूर्ण कर आवंटित किये जा चुके है तथा शेष 250 LIG केटेगरी के आवासगृहों का Plinth Level तक का निर्माण हो चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश दिनांक 27.04.2012 के कारण शेष निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

(6) जी नहीं। नगर विकास न्यास द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों की राशि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश दिनांक 27.04.2012, आदेश दिनांक 27.05.2016 व आदेश दिनांक 15.11.2016 के क्रम में भूमि स्वामित्व के निर्धारण की कार्यवाही शेष होने एवं दिनांक 13.01.2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये यथास्थिति के आदेश

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
होने से नहीं लौटाई गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी, सबसे पहले तो यह बताएं कि 2726 भूखंड जो यूआईटी द्वारा विक्रय किए गए उनकी तारीख कहां से कहां के बीच में है ? उनमें से आपने स्वीकार किया है कि एक भी भूखंड पर मकान का निर्माण नहीं हुआ है। यह प्रकरण पीआईएल में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में 2012 में तो इसमें स्टे हो गया था हाई कोर्ट का, 27.4.12 को, उसके बाद उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन लगाई। उसमें आदेश हुआ कि इस रिव्यू पिटीशन को मंजूर करके वापस रिट याचिका को बहाल किया जाता है और उसके बाद 15.11.16 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार इसमें 2 विभागों के बीच में फोरेस्ट डिपार्टमेंट और नगरीय विकास के बीच में जो विवाद है, फोरेस्ट का साफ कहना है, हाई कोर्ट ने जो पहला आदेश जारी किया उसमें साफ लिखा है कि फोरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि यह जमीन जंगल की है। यह गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है जो बाकायदा नोटिफाई किया गया है।

मेरा निवेदन है कि 2008 से लगाकर 2017 आ गया, 2752 मकानों में एक भी निर्माण नहीं हुआ, आप उनकी राशि क्यों नहीं लौटा रहे ? मेरा निवेदन है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आपने वर्णित किया है उसकी कॉपी आपने मुझे नहीं दी है लेकिन जुबानी बातचीत में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इसका निर्णय न हो, तब तक यथा स्थिति रखी जाए, यथा स्थिति का मतलब है कि निर्माण न किया जाए। तो वह भूखंड वाले जिन्होंने 2008 में भूखंड खरीद लिया, 2017 आ गया, मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से कि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यह बताएं कि आप इनको वापस भूखंड कब तक दे देंगे ?

भूखंड शिव बाड़ी में आपने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का एक्विजीशन किया है वह भी 550 हैक्टेयर है और यह जमीन 568 हैक्टेयर है तो 550 की दूसरी भूमि को तो आप लटका रहे हैं, उस एक्विजीशन को आप कम्पलीट नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसको भी यूआईटी को ट्रांसफर करें। यह 2756 भूखंड जो आपने विक्रय किए हैं उनके एक्सचेंज में उनको दूसरी शिव बाड़ी का हाउसिंग बोर्ड का जो एक्विजीशन है उसको वापस यूआईटी को ट्रांसफर करके उन लोगों को वहां बसाने का काम करें।

यह काम राज्य सरकार कब तक कर देगी और यह कौनसे पीरियड से कौनसे पीरियड में आपने भूखंड बेचे, कितना रुपया आया, इन बातों पर जरा सदन को अवगत कराएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने तारीख पूछी, 2008 और 2012 के बीच में यह अलोटमेंट हुआ था। जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा जोहड़ बीड़, स्थित भूमि जो 586.37 हैक्टेयर है, का आवंटन पशु पालन विभाग के स्थान पर नगर विकास न्यास, बीकानेर को करने का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया गया था। यह 7.2.2008 में हुआ था। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2008 में लिए गए निर्णय अनुसार इस भूमि को नगर विकास न्यास, बीकानेर को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके बदले पशु पालन विभाग को ग्राम जयमलसर, बीकानेर में 693.4 बीघा भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार जिला कलेक्टर, बीकानेर ने 1.4.2008 को ग्राम जोहड़ बीड़ की 500 हैक्टेयर भूमि नगर विकास न्यास, बीकानेर को कब्जा हस्तांतरित करके कब्जा सुपुर्द कर दिया। नगर विकास न्यास, बीकानेर ने उक्त भूमि की कीमत 5 करोड़ 95 लाख 20 हजार रुपए एक मुश्त जमा उन्होंने कराया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 5 करोड़ ही ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उस समय, जमा कराए उस भूमि के। राज्य सरकार की भू उपयोग समिति ने उस भूमि का दिनांक 17.6.2008 को इसको आवासीय किया गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा नगर विकास न्यास, बीकानेर को आवंटित कर 586.33 हैक्टेयर भूमि का नामांतरण दिनांक 3.9.2008 को नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम दर्ज किया गया तब से भूमि न्यास के खाते में चली आ रही है।

अभी आपने जो कहा कि कितनी राशि प्राप्त हुई है, इसमें 74 करोड़ रुपये यूआईटी को प्राप्त हुए हैं जिसमें 250 तो मकान भी हैं जो बन रहे हैं और 250 मकान और जिनका प्लिंथ लेवल का काम हुआ है। 250 मकान तो बन चुके हैं और 2700 के आसपास प्लाट वहां आवंटित हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि यह मामला ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जैसे गंगानगर में 10 करोड़ का 11.50 करोड़ दिया है, आप भी ब्याज सहित वापस दे दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)
यह चाहते हैं कि उस भूमि को चूंकि वह गिद्ध अभयारण्य का मैटर चल रहा है, चूंकि यूआईटी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और 74 करोड़ रुपये यूआईटी जिनको प्लाट उन्होंने आवंटित किए, मकान आवंटित किए, उनसे वह ले चुकी है। अभी पिछले दिनों ही हमने यूआईटी को 10 करोड़ रुपए तो लोन दिया है। यह स्थिति यूआईटी की है।

लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने यह निर्णय भी किया, स्टे दे रखा है इस पर, स्टे इस बात का दिया है कि यह भूमि वन विभाग की है या यूआईटी की है, इसका फैसला राज्य सरकार तय करे कि कौनसी भूमि वन विभाग की है और कौनसी भूमि यूआईटी की है। हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और बहुत जल्दी ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसका निर्णय हो जाएगा कि उसके बाद आप जो कह रहे हैं निर्णय लेने का, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि 2008 में आपने यूआईटी को कलेक्टर ने भूमि अलोट की। मैं पूछता हूं कि कलेक्टर कौन होता है भूमि को अलोट करने वाला ? राज्य सरकार का नोटिफिकेशन है, यदि कोई भूमि सिवाय चक है तो वह अपने आप यूआईटी में वेस्ट होगी। चूंकि वेस्ट नहीं हो रही थी, जंगलात वहां पर था, जंगल का जंगलात ने क्लेम किया है कि हमारी यह भूमि है, यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में जिसके आधार पर आपको स्टे दिया गया, उसमें लिखा है, “Mr. Harial Singh, D.F.O. (working plan), Jodhpur is present as a person and has explained the documents. He has clearly stated that the area in question falls within the protected forest.”

अब Once a forest is always forest. माननीय गजेन्द्र सिंहजी खुद इस विभाग के मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है Once a forest is always forest. खरा है, खोटा है, मैं कुछ नहीं कहता, आपको प्रशासनिक दृष्टि से सूट करता है या नहीं करता है There is a land is a forest. माननीय मंत्री महोदय, और जब आपके पास यूआईटी एक आर्म है दूसरा आर्म हाउसिंग बोर्ड है।

आप इधर तो कलेक्टर का अलोटमेंट ही इललीगल है, यदि वाकई में सिवाय चक होती तो अपने आप ही माननीय राजपालसिंह जी वह अपने आप ही वेस्ट हो जाती, Who is Collector ? कलेक्टर कौन होता है जमीन अलोट करने वाला यूआईटी को, यह जो एबीसी है यूआईटी एक्ट की वह मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी के खूब

(श्री मानिक चन्द सुराना)
ध्यान में है, कलेक्टर के अलोटमेंट पर न जाए और उसके आधार पर रिकार्ड में जो एंट्री हुई है उस पर न जाएं जिस जमीन को सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आपने जो रिकार्ड दिया है उसमें 13.1.17 को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार निर्णय करे।

मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह फोरेस्ट है इस यूआईटी को आपने जो जमीन है शिव बाड़ी की जो हाउसिंग बोर्ड एक्वायर कर रहा है 550 हैक्टेयर यह उसको ट्रांसफर करें।

आपने कहा कि 74 करोड़ रुपये की वसूली हुई, 74 करोड़ रुपये वापस देने की स्थिति नहीं है, तो भूमि के बदले भूमि तो दो, आखिर नागरिकों को गुड गवर्नेंस देनी है तो आपको आठ के बाद अब सत्रह आ गया, मकान बनाने की स्थिति में नहीं है वह। माननीय मंत्रीजी, आप इसको इस एंगल से देखें कि एक एंगल आपका हाउसिंग बोर्ड, एक आर्म यूआईटी तो जो जमीन आप हाउसिंग बोर्ड उसमें डिले कर रहा है, आपसे यह भी निवेदन है कि उस 550 हैक्टेयर के एक्विजीशन को एक्पीडाइट करें।
तो मेरा निवेदन है कि आप इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए जिनको आपने जमीन बेची उन सबको शिवबाड़ी के एक्वीजिशन में ट्रांसफर करें और शिवबाड़ी की पूरी भूमि 550 हैक्टेयर यूआईटी, बीकानेर को ट्रांसफर करें ताकि वह 74 करोड़ का बर्डन आप पर नहीं पड़े और लोगों को अपने मकान बनाने की छूट हो।

मैं समझता हूं कि इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि यह राज्य सरकार का निर्णय कब तक हो जाएगा? कौन-कौन लोग उसमें आएंगे, आपकी अध्यक्षता में किन-किन को बुलाया जाएगा और यह निर्णय कब तक हो जाएगा ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं बहुत शीघ्र ही, ज्यादा नहीं, एक महीने के अंदर-अंदर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हो जाएगी जिसमें फोरेस्ट व यूडीएच के हमारे अधिकारी बैठेंगे और इसका स्वामित्व तय कर लिया जाएगा। स्वामित्व तय होने के अगर यूडीएच के पक्ष में फैसला नहीं होता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 74 करोड़ रुपया जिनको हमने आवंटित किया है उनको रिफण्ड कर देंगे और हाउसिंग बोर्ड का जो प्रपोजल आपने रखा है उस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक मिनट अध्यक्ष जी। यह मीटिंग आपकी अध्यक्षता में हो तो क्या दिक्कत है ? Why Chief Secretary only ?

(श्री मानिक चन्द सुराना)
आपकी अध्यक्षता में हो तो कहां दिक्कत है ? प्रशासन को, लालफीताशाही को जो मजबूत कर रहे हैं, आपकी अध्यक्षता में मीटिंग करवाइये, मेरा सुझाव है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य, कोर्ट के डाइरेक्शन है और मैं समझता हूं आपको अगर कुछ लगता है तो मैं स्वयं आपके साथ बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री नंदकिशोर महरिया, पूरक प्रश्न है। यह बीकानेर है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): जनता के करोड़ो रुपये इस योजना में बीकानेर यूआईटी ने ले लिये, उसके बावजूद बीकानेर यूआईटी कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही। इसके क्या कारण हुए ? इसके सुधार के लिए क्या योजना है ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि बीकानेर यूआईटी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और 74 करोड़ रुपये इन्होंने अभी नहीं लिये हैं। यह तो 2008 से उस समय का मैटर चल रहा हैं। बीकानेर यूआईटी की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो, मंगलाराम। श्री मंगलाराम।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मेरा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर यूआईटी में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं है, मंगलाराम का है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): बीकानेर यूआईटी में जो गोचर जमीनें पड़ी हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। अगला पूरक प्रश्न श्री गोपाल कृष्ण जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने चित्तौड़ की यूआईटी इसीलिए छोड़ी, त्याग किया कि यूआईटी की आर्थिक हालत हमेशा खराब रहती है। त्याग किया तो उसका फल मिल गया और मंत्रीजी बन गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अब स्थिति ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यूआईटी की हालत इस तरह से खराब है तो इनको कुछ न कुछ जमीन जब तक

(श्री गोपाल कृष्ण)

नहीं देंगे तब तक बीकानेर का विकास नहीं होगा। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग होकर जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें 250 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को यह अलॉट किया गया है। उसमें कुछ बना भी दिया गया है तो अब ये लोग कहां जाएंगे? जिनका बनाया है उनका भी खर्च लगा है। जो बनाया है उसका वापस खर्चा जितना बनाया है उतना खर्चा आप देंगे क्या ? यह 73.73 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। न तो वे देंगे, कब देंगे, कब नहीं यह पता नहीं ? लगातार घाटे में चल रही इस यूआईटी को उबारने का एकमात्र तरीका यही है कि आप इसको किसी भी तरीके से जमीन अलॉटमेंट कर दें तो इसका विकास हो सकता है। नहीं तो इसमें विकास होने की कोई संभावना नहीं है। 2726 भूखण्ड विभिन्न वर्गों को आवंटित किया गया, जिसमें 250 तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को दिया गया है और कुछ बना भी लिये हैं। इन्होंने इस जमीन को डीएलसी रेट के हिसाब 6 करोड़ रुपये जमा किये हैं यह मेरे पास सूचना है। 6 करोड़ तो इन्होंने जमा करा दिये हैं और 73.73 करोड़ रुपये इनके पास वापस आये हैं। ये इस स्थिति में हैं, न इधर, न उधर, यूआईटी बिखरी हुई है। यूआईटी का विकास नहीं हो रहा है। आप इसको किसी भी तरीके से कोई भी जमीन, यह नहीं तो दूसरी, वरना यह जमीन दी जा सकती है, यह गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यूआईटी, बीकानेर को विकास के लिए जमीन किसी भी तरीके से अलॉट करें तो यूआईटी फंक्शन करेगी। अभी आपने चेयरमैन बनाया, अभी चेयरमैन बनाया और काम भी नहीं कर सकता है तो चेयरमैन की बदनामी, आपकी भी बदनामी, सरकार की बदनामी। इन सबको टालने के लिए आपको यूआईटी को जमीन किसी भी हालत में आवंटित करनी चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है इसमें ईडब्ल्यूएस के जो मकान बने हैं वे 250 मकान तो पूर्ण हो चुके हैं और 250 मकानों का प्लिंथ लेवल पर काम हुआ है। यह पैसा जिसने आवंटन कराया उसने खर्च नहीं किया। पूरा पैसा सरकार ने खर्च किया है।

मैं इतना कह सकता हूं, मैं अभी इसमें कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि कोर्ट ने जो निर्णय किया है कि जब तक इस बात का निर्धारण नहीं हो कि भूमि किसके पास रहेगी, फोरेस्ट के पास रहेगी या यूआईटी के पास, तब तक हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस जमीन के लिए राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि फोरेस्ट के पास ही रहेगी तो हम आवंटियों को वापस पैसा दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अगला सवाल श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना के विद्यालयों में रमसा योजना के तहत कक्षा कक्षों का निर्माण

113. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाकक्ष निर्माण के लिए रमसा योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष में सिवाना विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे विद्यालयों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कौन-कौनसे विद्यालयों में कक्षा कक्ष निर्माण कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है? यदि हां, तो कौन-कौनसे विद्यालयों के प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रमसा योजना के तहत राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) जी हां। प्रदेश में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए रमसा योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत की जाती है। गत वित्तीय वर्ष में सिवाना विधान सभा क्षेत्र के 10 विद्यालयों में 614.020 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिनमें 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है। ऐसे विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है, जिनके प्रस्ताव विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं

(3) प्रति वर्ष यू-डाइस गेप के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं और उनसे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्त स्वीकृति अनुसार कार्य करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा परिशिष्ट-ब में अंकित विद्यालयों की जो सूची है, जो कमरे की मांग की गयी है वह अपर्याप्त है। मेरे क्षेत्र में कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर छात्रों के बैठने की जगह भी नहीं है जिनमें राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल सिनेर, मेड़ी, कुण्डल, इन्द्राणा,

(श्री हमीरसिंह भायल)

सुमेर सिंहजी की ढाणी, काठाड़ी देवंदी, धीरा, गोलिया, लालाणा, पातो का वाडा, मालियो का बेरा, भीमगोडा, जेठंतरी, फूलन, सेवाली, भूका भगतसिंह, जूना मीठाखेड़ा, करना, क्या सरकार उक्त मांग वाले विद्यालयों में भवन स्वीकृत कराने का विचार रखती है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो चर्चा की है, वास्तव में कक्षा कक्षों में कमी है। लेकिन यह सब कुछ हमको विरासत में मिला है। गत 5 वर्षों के अंदर केवल राजस्थान के अंदर 95.90 करोड़ के काम हुए जबकि गत तीन वर्षों में 892.84 करोड़ के काम हमने रमसा के माध्यम से कराये हैं। मैं माननीय विधायक महोदय को भी जानकारी देना चाहूंगा, यह तो राजस्थान की है। इनके बाड़मेर जिले के अंदर पिछले 5 वर्षों में केवल 7 करोड़ के काम हुए और हमने पिछले तीन वर्षों में 38 करोड़ के काम, केवल बाड़मेर जिले के कक्षा कक्षों का निर्माण कराया है। जहां तक माननीय विधायक महोदय के विधान सभा क्षेत्र का मामला है, इसमें भी 5 वर्षों में केवल 1.12 करोड़ के काम हुए जबकि तीन वर्षों के अंदर 7.05 करोड़ के काम इस सरकार ने कराये हैं।

जो इन्होंने मांग रखी वास्तव में इसमें भारत सरकार के द्वारा यू-डाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और NUEPA के द्वारा एक विकसित प्रणाली है। जिसके आधार पर हम लोग इसका आकलन करते हैं कि किस विद्यालय में कितने कमरे खाली हैं और UDISE सभी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीय, गैर राजकीय, समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित कर उसका कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस हम तैयार करते हैं और यह संस्था प्रधान द्वारा तैयार करवाते हैं। उसके बाद फीडिंग ब्लॉकवार होती है फिर इसको डाइस प्रभारी देखते हैं और फिर डाइस के अन्तर्गत किये जाने वाले विद्यालयों को हम भारत सरकार के पास ले जाते हैं। वहां से जितनी राशि मिलती है वहां हम करते हैं। कोशिश करते हैं, जैसे मैंने तुलनात्मक बताया कि गत 5 वर्षों की तुलना में इन 3 वर्षों में कई गुना ज्यादा राशि हम लाकर कमरों का निर्माण करवाया है। आगे और भी आवश्यकता है।

तो मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें सबका सहयोग अपेक्षित है इसलिए इसमें माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय, अन्य जन-सहभागिता से हम शिक्षा के अन्दर सहयोग करें ताकि हम सारे स्कूलों की जो कमियां हैं उनको दूर करके आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बताया उससे मैं संतुष्ट हूं। बाड़मेर जिले में विधान सभावार रमसा में कितने-कितने भवन बने वो उपलब्ध करवायें। उसके अलावा कमी वाले विद्यालयों का आवंटन जो UDISE में बाड़मेर से भेजा गया है वो सही नहीं भेजा गया है इस वजह से जहां भवन रहित है, वहां बिल्कुल भवन नहीं हैं इसलिए वो लिस्ट दुबारा मंगवाकर करवाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, UDISE के बारे में माननीय विधायक महोदय ने अपनी समस्या बताई और यह कुछ और जगहों से भी शिकायत आई है UDISE की। हालांकि हमारा वहां का संस्था प्रधान भरता है फिर भी आगामी सत्र से हम इसको जी-मैपिंग करवायेंगे ताकि किसी प्रकार का कहीं कोई बीच में गैप न रहे और सही स्थिति विद्यालय की जी-मैपिंग में हमारे सामने आ जाए कि किसमें कितने कमरे हैं। इसमें गड़बड़ कहां होती है वो भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कई बार पूछते हैं कि टोटल कितने कमरे हैं और चाहे वो 10X12 का कमरा है तो भी हमारा प्रधानाध्यापक नम्बर ऑफ कमरे में भर देता है पर वास्तव में वो स्टोर होता है या कुछ और होता है तो भारत सरकार फिर उसको अस्वीकृत कर देती है। इसलिए जब जी-मैपिंग हो जाएगी तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी।

मैं आश्वस्त करता हूं कि धीरे-धीरे आगामी दो वर्षों में हम इस गैप को पूरा करके शिक्षा को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा था.....

श्री अध्यक्ष: विस्तार से आ गया, जवाब विस्तार से आ गया इसलिए अब आप उनसे मिल लेना। श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रमसा के तहत जो कमरों का निर्माण करवाया जाता है इसमें क्या मंत्री महोदय ने या डिपार्टमेंट ने कोई नीति निर्धारित कर रखी है ? कोई छात्र अनुपात में करवाते हैं या विद्यालय कितने वर्षों से चल रहा है उस हिसाब से करवाते हैं? मेरी एक ही मांग है कि इसमें इस तरह की कोई नीति तय हो और उस नीति के तहत जो विद्यालय इसमें शामिल हो उसमें कमरों का निर्माण हो। यह मनमाने ढंग से कमरों का निर्माण जो करवाते हैं वो एक अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मनमाने ढंग से तो यहां नहीं होते लेकिन UDISE में जो डिटेल्स आते हैं वो हम भारत सरकार के पास ले जाते हैं और उसमें से जिनकी स्वीकृति मिलती है उनका निर्माण काम कराते हैं। लेकिन जहां भी कोई कमी है, जैसा मैंने पहले कहा कि अपन सब लोग भी मिलकर इस कमरे निर्माण में आहूति दे दें। मैं तो शिक्षा मंत्री होने के नाते कई बार कहता हूं कि भिक्षां देहि, आइये सरकार को जन-सहयोग से स्कूलों के कमरों के लिए पैसे दीजिये ताकि हम नई पीढ़ी को आगे तैयार करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने आने के बाद में एकीकरण किया, स्कूलों में दूसरी स्कूलों से मर्ज करके बच्चों को भेजा, उसके बाद में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रदेश में अब तक कितने कमरों की कमी है और जब से केन्द्र ने 90:10 के बजाय 60:40 का रेशो किया है, स्टेट का 40 परसेंट अंश दिया है रमसा के अन्दर तो उसके बाद में राज्य सरकार की ओर से, आपके विभाग की ओर से कितना पैसा 40 परसेंट के रूप में इन विद्यालयों पर स्वीकृति निकाली है, कितना पैसा खर्च किया है ? भामाशाह का नहीं, भामाशाह से 40 परसेंट ले रहे हो न आप, वो नहीं, राज्य सरकार ने अपने बजट से कितना पैसा खर्च किया और अब तक प्रदेश में कितने कमरों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आज की तारीख में कमी है ? यह बताने का कष्ट करें1

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वैसे तो अलग से प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अलग नहीं है, यही है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): केवल रमसा का है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें जोर आएगा जवाब देने में। (व्यवधान) आपके पास जवाब नहीं है, जोर आएगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरे पास आपसे 10 गुना है और आपकी सरकार की तो पोल खोल दी मैंने और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल केवल 'रमसा' का ही है। श्रीमती शकुंतला रावत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो दिलाइये अध्यक्ष महोदय। कितने कक्षा कक्षों की कमी है और 40 परसेंट का मोदी जी ने नियम किया उसके बाद में आपने एक रुपया भी नहीं दिया। (व्यवधान) आज सारे के सारे विद्यालयों में कमरे नहीं हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह रमसा से अलग प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब यह क्वेश्चन सदन की प्रोपर्टी हो गई तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत महान हैं, बच्चों का सवाल है, बच्चों के ऊपर आप दया कीजिये और शिक्षा मंत्री जी जो जोर-जोर से बोल रहे थे न, यह सारा माल बाहर आ जाएगा, पूरा माल आ जाएगा। एक रुपया नहीं दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने 40 परसेंट के बाद में। (व्यवधान) आज भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बच्चे एकीकरण करने के बाद में पेड़ों के नीचे बैठ रहे हैं और आपने एक कमरा नहीं बनाया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, 2010-11 के अन्दर.... (व्यवधान) सुनो तो सही, सुनाता हूं बैठो।

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, आप बैठिये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2010-11 के अन्दर केन्द्र सरकार से 740 करोड़ रुपये आप लाये और आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। 2013-14 में एक पैसा खर्च नहीं किया। हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 244 करोड़ रुपये दिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राज्य सरकार ने 40 परसेंट के रूप में कितना पैसा दिया ? एक बात का जवाब दिलवा दीजिये माननीय अध्यक्ष महोदय। कृपा कीजिये।

श्री अध्यक्ष: लिखना नहीं। विराजो आप। जवाब दे दिया। श्रीमती शकुंतला रावत।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 25 करोड़ रुपये दिये हैं। (व्यवधान) आपने एक प्रस्ताव दिया क्या? (व्यवधान) अपने क्षेत्र के प्रस्ताव तो लायें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं-नहीं, आप बैठिये, जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्रीमती शकुंतला रावत। नो-नो। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। यह सवाल का जवाब इस तरह से आता है ? आप बोलिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि रमसा का आपने विवरण तो दे दिया लेकिन जो सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी बोले जो एक शब्द अंकित मत करना। शकुंतलाजी, क्या सवाल है आपका ?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि जो बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में कमरों

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
की कमी है और जैसा आपने कहा कि आप सब जन-प्रतिनिधि दें तो हम लोग तो दे ही रहे हैं लेकिन फिर भी कक्षा कक्षों की पूर्ति नहीं हो रही है तो सरकार की तरफ से जिन विद्यालयों में कमरों की कमी है, शौचालय की कमी है उसको आप पूरी करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे ? मैंने रमसा में होलास का, प्रोपर बानसूर का, रामपुर का, हरसोरा का, चूला का प्रपोजल भेजा हुआ है और तीन साल से इन विद्यालयों में एक भी कमरा या एक भी पैसा नहीं लगाया तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि आगे लगायेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष: इनका निवेदन मान लो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनका जवाब दो लाइन में दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि पिछले दिनों जो नामांकन बढ़ा है उसके कारण से लोगों में जागृति आई है और सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वसनीयता जगी है इसीलिए आप कमरों की डिमाण्ड कर पा रहे हैं। फिर भी कमरे हम लगातार बना रहे हैं और आगे भी जहां कमी होगी उसे पूरी करने का हरदम वित्तीय संसाधनों के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बालिकाओं में आप जरूर बनाने का करें। अभी तक तीन वर्ष में एक भी कमरा नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। मानिकजी, तीन सवाल हो चुके हैं। ऐसे ओपन नहीं करूंगा मैं, तीन पूरक सवाल हो चुके हैं। श्रीमती द्रोपती। श्रीमती द्रोपती, आप बोलिये। तीन पूरक सवाल हो गये हैं, हमेशा की व्यवस्था है।

प्रदेश में के.सी.सी. की ऋण सीमा बढ़ाने की योजना

114. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर वर्तमान में 3 लाख रुपये तक 7 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है?

(2) क्या सरकार किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उक्त ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) जी हां।

(2) भारत सरकार की कृषि ऋण नीति के अनुसार 7 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर ऋण की अधिकतम सीमा 3.00 लाख निर्धारित होने के परिप्रेक्ष्य में रियायती ब्याज दर पर ऋण की सीमा बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया है कि भारत सरकार की ऋण नीति के अनुसार 7 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर ऋण की अधिकतम सीमा 3.00 लाख से अधिक बढ़ाना सम्भव नहीं है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकार किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए रियायती दर पर ऋण की सीमा 3.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये तक का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी रही है। ब्याज मुक्त फसली ऋण हर सरकार में बंटता रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने पांच वर्षों में ब्याज मुक्त फसली ऋण 40,704.28 करोड़ रुपये बांटे और हमने केवल तीन वर्षों में 44,370.26 करोड़ रुपये अपने किसानों को दिये हैं और हम हमारे किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर जिस गति से हम बांट रहे हैं तो निश्चित रूप से दो साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपये के नजदीक हमारा आंकड़ा पहुंच जायेगा।

माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि जो किसान क्रेडिट योजना है, यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को कृषि ऋण एवं उससे संबंधित आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त एवं आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा तीन लाख की जो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा है, जिस पर 7 प्रतिशत ब्याज दर तय है। 2011-12 के अंदर भारत सरकार ने इसमें दिशा-निर्देश जारी करके तीन प्रतिशत ब्याज दर पर अनुदान दिया है। वर्तमान में यदि कोई लेता है तो उस पर चार प्रतिशत ब्याज दर लागू है। हमने यह प्रयास किया है सत्ता में आने के बाद में, कि जो हमारी सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, देश की आजादी के बाद में लगातार किसानों से इन बैंकों द्वारा 13 प्रतिशत, 14 प्रतिशत ब्याज दर वसूल की जाती रही है। अप्रैल, 2014 में ब्याज दर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा करके पांच प्रतिशत अनुदान दिया। इसका फल यह हुआ कि आज भूमि विकास बैंक के द्वारा किसानों को केवल 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर हम कृषि ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, जोकि राजस्थान में कोई भी बैंक इस दर से कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं कराता है।

(श्री अजय सिंह)

इसके अलावा हमारे जो सीसीबीज. हैं, हमारे जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, उसमें भी हम एक योजना लेकर आये हैं सहकार किसान कल्याण योजना। जिसके तहत दो प्रतिशत का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसमें भी अनुदान दिया है। जहां पर कृषि कार्यों के लिए किसानों से पहले 11.5 प्रतिशत ब्याज दर वसूल की जाती थी, उसको हमने 9.5 प्रतिशत किया है। आज प्रदेश का कोई भी बैंक, जो दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इस दर से किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। और यही नहीं, अभी वर्तमान में अप्रैल तक हमारी ओटीएस स्कीम भी, वन टाइम सैटलमेंट स्कीम भी लागू है, जिसके अंदर ब्याज में, दण्डनीय ब्याज में, शास्तियों में हमने बहुत अच्छी छूट किसानों को दी है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री नरपत सिंह राजवी। हां, आपका दूसरा पूरक प्रश्न है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि हमारे राजस्थान की जनता है, वह कांग्रेसियों से तो उम्मीद ही नहीं करती, वह हमसे ही उम्मीद करती है, हमारी पार्टी से ही उम्मीद करती है कि किसानों के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी, किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए... (व्यवधान) किसानों के लिए रियायती ब्याज दर पर अलग से कोई कृषि ऋण नीति बनाकर किसानों की दयनीय स्थिति में सुधारने का विचार रखती है और क्या सरकार किसानों के ब्याज को माफ करने का भी विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: इसके बाद आपका है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): इसी के अंदर ही मैं यह पूछना चाहूंगी कि क्या सहकारी समितियों के द्वारा बिना ब्याज पर अल्पकालीन फसली ऋण की सीमा 1.50 लाख रुपये तक का ऋण पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के किसानों को दिया गया ? क्या सरकार किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए अल्पकालीन फसली ऋण की सीमा 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक का करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 196.77 करोड़ रुपये फसली ऋण के रूप में बांटे गये हैं, 24,123 किसानों को हमने यह दिये हैं और औसतन 81,000 रुपये प्रति व्यक्ति को यह दिये गये हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तीन लाख रुपये का ऋण केसीसी के द्वारा दिया जाता है, उसमें वर्तमान में 1.50 लाख रुपये तक के ऋण पर जीरो प्रतिशत ब्याज दर है, यानी कि 1.50 लाख रुपये तक किसी प्रकार का ब्याज किसानों

(श्री अजय सिंह)

से नहीं लिया जाता है और 1.50 लाख रुपये के बाद में चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

आपने पूछा है ब्याज माफ के लिए, ऋण के लिए, मैंने आपको बताया कि ओटीएस स्कीम अभी हमने शुरू की है, जो अप्रैल तक चल रही है और उसके बाद में भी हमारा प्रयास रहेगा। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूमि विकास बैंक, बातें किसानों की की जाती है लेकिन देश की आजादी के बाद में हम भी रहे लेकिन बहुत कम समय तक रहे, कांग्रेस ज्यादा समय तक रही। अगर उस समय, जो ब्याज दर हम अभी ले रहे हैं 7.1 प्रतिशत, वह ले लेते तो शायद आज हमारी भूमि विकास बैंकों की दयनीय स्थिति, जो दुर्दशा हो रही है, वह नहीं होती। हमने इसको कम कर दिया है और समय-समय पर ओटीएस स्कीम के द्वारा हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, केसीसी बहुत अच्छी स्कीम है, यह तो बात सही है। आपके माध्यम से एक चीज मंत्रीजी को पूछना चाहता हूं। केसीसी की पोस्टिंग जब आप उसको इंट्रेस्ट का दे रहे हैं कम्पोनेंट बैंक को, वह छह महीने का और फिर आने वाले छह महीने तक, वह पूरा 10.2 परसेंट ब्याज लेते हैं और आपकी सब्सिडी लेट पहुंचती है तो जो लाभ आप किसान को देना चाह रहे हो, वह नहीं पहुंच रहा है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यह दूसरी बैंकों के लिए हो सकता है केसीसी का, सहकारी बैंक हैं तो हमारा जो सबवेंशन है उसको, वह उससे पूरा ब्याज उस समय लेते ही नहीं है और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह हमारा जो पैसा है, पूरा नाबार्ड से आता है और आधा पैसा, अभी हमें 55 प्रतिशत पुनर्वित्त नाबार्ड से मिल रहा है और बाकी जो 45 प्रतिशत है, वह हमारी सीसीबी सब मिलकर अपने स्रोतों से बांट रही हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री सुखराम।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह लिबर्टी इंडिविजुअल की नहीं है, लीड बैंक सिस्टम गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने किया और आप लोगों ने फोलो किया है। अगर दूसरा व्यक्ति जिसकी दूसरी लीड बैंक है, उस भूमि विकास बैंक में नहीं जाएगा। सिस्टम है केसीसी के गवर्नेंस का और उस केसीसी के गवर्नेंस में यह डिफाल्ट है। किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हो तो इस चीज को आपको दुरस्त करना पड़ेगा।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि केसीसी का जो भी वितरण होता है, वह लगभग 80 प्रतिशत अन्य बैंकों के, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनसे होता है। हमारे से ज्यादातर जो फसली ब्याज जीरो परसेंट वाला है, उसी को लेते हैं और उसका पूरा पैसा ज्यादा से ज्यादा अभी तक राजस्थान के 22 लाख किसानों को हमने दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न, श्री सुखराम। इसके बाद मानिकजी, आपका है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, जितनी भी राजस्थान में बैंक हैं, उनमें 2002-2003 के पहले केसीसी बनी। पिछले 14 सालों में सिर्फ पाँच-दस परसेंट ही केसीसी बन पाई हैं। क्या मंत्रीजी जवाब देंगे इसका? 2002 से पहले-पहले केसीसी बनी, पिछले 14 सालों में सिर्फ दो-तीन परसेंट ही केसीसी कार्ड बने हैं, बाकी बने नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूं कि यह जो मैंने फसली ऋण की बात बताई है, यह केसीसी ही है। यह किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही दिया जाता है और 1.50 लाख रुपये तक जीरो प्रतिशत पर है और मैं आपको बता रहा हूं...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं केसीसी की बात कर रहा हूं, ऋण की बात अलग है। वह अलग है। ओनली फोर केसीसी। केसीसी 2002 के पहले-पहले बनी और पिछले 14 सालों में सिर्फ पूरे राजस्थान में दस परसेंट ही बन पाई केसीसी। यह बात सही है। आप लोन की बात मत करो, केसीसी की बात करो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं कह रहा हूं कि केसीसी, माननीय अध्यक्षजी, ये केसीसी की बात कर रहे हैं, साख सीमा किसानों की तय की जाती है। एक तकनीकी समिति जिला स्तरीय समिति है और उसके बाद में तय करके यह जो ऋण दिया जा रहा है, केसीसी के तहत ही दिया जा रहा है। यह भारत सरकार के नोर्म्स है।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिकचन्द सुराणा, अगला सवाल। पूरक प्रश्न, श्री मानिकचन्द सुराना। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, ये जो जवाब दे रहे हैं, सही नहीं है साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने यह आंकड़ें पेश किये कि कांग्रेस ने 40,000 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण पांच

(श्री मानिक चन्द सुराना)
साल में दिया है और हमने 44,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपके ऋण का आंकड़ा इस राज्यपाल के अभिभाषण में बोलते हैं तो साथ में यह क्यों नहीं कहते कि इतना ऋण चुका दिया गया है ? अन्यथा ऐसा लगता है जैसे कि आप हजारों करोड़ रुपये बांट रहे हैं। वह वापस आपके पास आ रहा है। वापस जो रुपया आपके पास आ रहा है, वह तो आप बताना नहीं चाहते। न कांग्रेस ने कभी बताया, न आप बताना चाहते हैं। (व्यवधान) एक मिनट, मैं अर्ज यह करना चाहता हूं। यह आंकड़ा वापस राज्यपाल के अभिभाषण में डालने की प्रक्रिया शुरू करें ताकि विधायक यह जान सके कि जब इतना ऋण स्पीड से आ रहा है तो जो अपन अल्पकालीन ऋण देते हैं, उसकी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है तो इस दृष्टि से आप क्या कह सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात को डाला जायेगा कि कितना ऋण लोगों ने चुका दिया है ? अल्पकालीन ऋण कितना चुका दिया ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो आप बता रहे हैं कि ज्यादा लोगों को ऋण दिया जा सके इसको डलवाया जाए, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो ऋण हम देते हैं किसानों को यह हमारे को नाबार्ड के द्वारा रिफाइनेंस किया जाता है और नाबार्ड कभी ज्यादा रिफाइनेंस करता है कभी कम करता है। बीच में नाबार्ड ने केवल चालीस प्रतिशत रिफाइनेंस किया हमें और वर्तमान में हमने पूरा प्रयास किया अभी उन्होंने पचपन परसेंट हमें रिफाइनेंस किया। ज्यों ही रिफाइनेंस बढ़ता है हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा हम फसली ऋण उपलब्ध करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी में बालिका छात्रावास की स्थापना

115. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बालिका छात्रावास नहीं होने के कारण निम्न स्तर की छात्राओं को उच्च दर पर किराया देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढा़वा देने हेतु जनहित में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या प्रदेश में बालिका छात्रावास खोलने के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बालिका छात्रावास संचालित नही होने के कारण निम्न स्तर की छात्रायें उच्च दर पर किराया देने को मजबूर होने संबधी कोई सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा नवीन राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 4 में नवीन छात्रावास खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। जिसकी प्रति परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न - 1 ।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो विभाग के जवाब का नमूना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह था कि उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में एससी/एसटी की बालिकाओं के लिए, निम्न स्तर पर रहने वाली बालिकाओं के लिए मजबूरी में ऊँचा किराया देकर शहर में पढ़ने के लिए उनको आना पड़ता है और इस प्रकार का सरकार कोई विचार रखती है या नहीं रखती है। मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। मात्र यह है कि सूचना उपलब्ध नहीं है। क्या यह संतोषजनक जवाब है ? मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि वो पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र जहां 18 परसेंट एससी/एसटी रहते है जहां 62 परसेंट लोग खाद्य सुरक्षा के पात्र हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं आने-जाने के साधन नहीं हैं वहां उस शहर में उस नगरपालिका में उदयपुरवाटी पंचायत समिति में एक बालिका छात्रावास खोले जाने के क्या प्रावधान होने चाहिए। जवाब मुझे यह मिला है कि यह विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन नहीं है तो विचार आप रख लें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में उपखंड स्तर पर एक बालिका छात्रावास खोला जाना चाहिए जहां पात्रता के आपने जो नियम लिखे हैं उन नियमों के अनुसार वो विधान सभा क्षेत्र में पात्र हैं 62 प्रतिशत लोग वहां खाद्य सुरक्षा में पात्र हैं। 18 प्रतिशत लोग एससी के रहते हैं। आने-जाने के साधन नहीं है। सड़कें जीर्ण-शीर्ण हैं। पशुओं का कोई आवागमन नहीं है। वहां यह एक छात्रावास खोला जाना चाहिए। आपने लिखा है कि बीस हजार बच्चियां होनी चाहिए वहां छात्रावास खोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो आपके नियमों में हैं उनके अनुसार वह विधान सभा क्षेत्र पात्र है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप एक उदार हृदय का परिचय दें और आप इस बात की घोषणा करें कि वहां जो पात्रता रखते हैं तो उदयपुरवाटी में एक एससी/एसटी की छात्राओं को पढ़ने के लिए सरकार की मंशा है सरकार दृढ़संकल्पित है

(श्री शुभकरण चौधरी)

बेटियों को पढ़ाने के लिए तो आप इस बात की घोषणा करें कि एक बालिका छात्रावास उन बेटियों के लिए वहां खोला जाए। धन्यवाद, मैं आपसे मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने मूल प्रश्न में यह कहा कि वहां उदयपुरवाटी में निम्न स्तर की छात्राओं को उच्च दर पर किराया कितना देना पड़ता है छात्रावास नहीं होने के कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार के वर्ग इसके अन्दर है अनुसूचित जाति वर्ग भी है, जनजाति वर्ग भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, स्वच्छकार वर्ग भी है। इन सबका आकलन उदयपुरवाटी में किस प्रकार किया जाए कि ये छात्राएं किराये पर रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं। इस सवाल का जवाब तो जो विभाग ने दिया वो ही आना था।

दूसरा मैं निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ये जो राजस्थान अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 बने हैं इसके नियम-4 में वो सारे मापदंड तय किये हुए हैं जिनमें छात्रावास खोले जाने चाहिए। उसके अन्दर निश्चित तौर पर आपने यह कहा कि तहसील पंचायत समिति मुख्यालय से नीचे स्तर पर कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा उसके पश्चात बीस हजार की जनसंख्या तथा ऐसे मुख्यालय जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हो पर छात्रावास स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी में वर्तमान में एक छात्रावास संचालित है वो छात्रावास अभी ओ.बी.सी वर्ग का है जिसके अन्दर अलग-अलग श्रेणी तय की हुई है। पहले छात्रावास जिस वर्ग के लिए हुआ करते थे मात्र उसी वर्ग के विद्यार्थी उसमें प्रवेश लिया करते थे। अब सरकार ने सामाजिक समरसता को देखते हुए सभी वर्गों का प्रतिशत तय कर दिया। मूल रूप से जिस वर्ग का छात्रावास है उसका प्रतिनिधित्व 60 और 70 के बीच में बाकी दस-पांच करके सबका तय कर दिया तो एक छात्रावास इनके यहां पूर्व से संचालित है और गुणावगुण के आधार पर और जो नियम बने हुए हैं राजस्थान अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम-4 में पात्रता का परीक्षण करवा लेंगे। अगर पात्रता उदयपुरवाटी की होगी तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। लंबा-चौड़ा पहले ही कर चुके आप।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरा जवाब इन्होंने दिया वो इस प्रकार का था। मैं यह कह रहा हूं कि मैंने पूछा

(श्री शुभकरण चौधरी)

यह था कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनहित में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब मुझे नहीं मिला।

मेरा निवेदन सुनें माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बीस हजार की पात्रता रखी है। वहां 29 हजार की जनसंख्या तो मात्र उदयपुरवाटी नगरपालिका की है। उसके आस-पास की सराउंडिंग ग्राम पंचायतों को मिला कर सवा लाख की जनसंख्या है। बीस हजार की अगर पात्रता है तो सवा लाख में से 18 परसेंट भी करूं तो 35 हजार के आस-पास एससी की बालिकाएं वहां रहती हैं तो जब पात्रता वहां है तो फिर क्यों नहीं खोला जाना चाहिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी एक सैकेण्डरी स्कूल राजकीय क्षेत्र में संचालित है सिर्फ एक और उसके पश्चात भी मैंने कहा कि जो इसमें मापदंड बने हुए हैं उन मापदंडों का परीक्षण करवा कर माननीय विधायक महोदय का जो मूल प्रश्न है कि खोला जाना चाहिए, तो मैंने आपसे निवेदन किया कि पहले आपा-धापी में छात्रावास खुला करते थे। 2012 में नियम बन गये। नियमों में तय कर दिया तो नियमों के अन्दर अगर यह आएगा तो निश्चित तौर पर उदयपुरवाटी में छात्रावास खोलने पर सरकार विचार करेगी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि नियमों में अगर पात्रता है तो खोलिये न।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, विराजिए। शकुंतलाजी, यह तो उदयपुरवाटी का है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नीचे प्रदेश का लिखा हुआ है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है प्रदेश में। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसके बारे में नहीं। अगला प्रश्न श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर जिले के जाजीया ग्राम के संस्कृत विद्यालय को पुन: चालू करने की योजना

116. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर जिले में किस-किस श्रेणी के कितने संस्कृत विद्यालय, किन-किन गांवों में संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत मुख्यालय पर संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को

(श्री छोटू सिंह)

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो जैसलमेर जिले के ग्राम पंचायत अमरसागर स्थित विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले के जाजीया ग्राम के एकमात्र संस्कृत प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को पुन: चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जवाब देने को ही तैयार नहीं हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): बोल रही हूं न मैं।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जैसलमेर जिले में संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालयों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) संस्थाओं को क्रमोन्नत करने हेतु जारी नीति के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने/बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(3) जी नहीं। राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय जाजीया दिनांक 25.06.2016 से संचालित है तथा इसमें 25 छात्र अध्ययनरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन बीस स्कूलों में से 11 स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, 7 स्कूल प्राथमिक विद्यालय है। इन स्कूलों में कितने-कितने अध्यापक लगाये गये हैं ?

नंबर-2 पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत अमरसागर जिसका पुनर्गठन हो गया दो ग्राम पंचायतें हो गयी। नयी पंचायत की स्कूल का क्रमोन्नयन हो गया लेकिन ग्राम पंचायत अमरसागर कई वर्षों से बहुत पुरानी पंचायत होने के नाते भी आज तक उस स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। क्यों नहीं हआ ? क्योंकि वह एक संस्कृत विद्यालय था।

मैं माननीय निवेदन यही करना चाहता हूं कि उक्त ग्राम पंचायत की स्कूल को कब क्रमोन्नत किया जाएगा और जहां-जहां एक-एक अध्यापक है उस स्कूल में दूसरी

(श्री छोटू सिंह)
वैकल्पिक व्यवस्था आपने वर्तमान समय में क्या कर रखी है वे स्कूलें बंद क्यों ? आज कितनी स्कूलें बंद है ? उनकी हालत जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगी कि जो उन्होंने अमरसागर उच्च प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में बात कही कि उसे क्रमोन्नत करवाना चाहते हैं, कक्षा-8 के उसमें मात्र 16 छात्र हैं और नोर्म्स के अनुसार कम से कम बीस से पच्चीस छात्र होना अनिवार्य है। यह एक नीति है जिसके तहत अगर हमें क्रमोन्नत करना है उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय से प्रवेशिका में तो एट लीस्ट बीस से पच्चीस छात्र होना जरूरी है लेकिन इसमें मात्र 16 है।

फिर भी मैं चूंकि यह क्षेत्र इस तरीके का है जैसलमेर का क्षेत्र है वो बहुत ही बिखरी हुई आबादी है वहां पर और जिस तरीके की आवश्यकता है उसको देखते हुए मैं निश्चित रूप से चाहूंगी कि ये अमरसागर जो उच्च प्राथमिक है उसको हम लोग क्रमोन्नत करने पर अपने जो उपलब्ध संसाधन हैं और जिस तरीके से हमारी नीति में उसको फिट बैठते हुए करके हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे कि क्या हो सकेगा, तो जरूर करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: छोटू सिंह जी, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने इन्हें यह भी पूछा है कि कौनसी स्कूलें वर्तमान समय में बंद हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा के अरिहंत नगर, हलेड में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से सांचौर शहर में गन्दे पानी की निकासी हेतु व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

(3) श्री नंदकिशोर महरिया, सदस्य की और से प्रदेश में संविदा तथा नियमित भर्तियों में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में शीघ्रातिशीघ्र रिफाइनरी शुरू करवाने के संबंध में।

(5) डॉ. किरोड़ीलाल, सदस्य की ओर से जिला सवाईमाधोपुर की ग्राम पंचायत रेडावद के ग्राम कचनारी में दबंगों द्वारा दलितों के गांव पर हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से मासलपुर तहसील के डांडा, ताली, वरडपुरा, खूबनगर व सीमनपुर में एक माह से बिजली नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में लिफ्ट केनाल परियोजना का कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न गंभीर पेयजल संकट के संबंध में।

(8) श्री रमेश, सदस्य की ओर से भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों को न मानकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अस्पताल का संचालन करने के संबंध में।

(9) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर विधान सभा घेराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह, श्री मेवाराम जैन, श्री रमेश एवं श्री मनोज कुमार को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में क्षतिग्रस्त सडकों की स्थिति सही करने के संबंध में।

(2) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से जिला प्रतापगढ़ की तहसील पीपलखूंट के गांव पंथोल में आदिवासी किसानों को अपनी कब्जा काश्त भूमि पर वन विभाग द्वारा खेती करने से रोकने के संबंध में।

(3) श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में गोगामेड़ी से ददरेवा, चूरू तक सीधी सड़क बनाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राणावास गांव के पास नदी पर पुलिया एवं रपट निर्माण के संबंध में।

(5) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में सड़कें व नालों का निर्माण कराने के संबंध में।

(6) श्री बाबूसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बालेसर में सहायक निदेशक, कृषि कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

(7) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की सड़कों का डामरीकरण करने के संबंध में।

(8) श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत कराने के संबंध में।

(9) श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से जनजाति उप योजना (अनुसूचित) क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों एवं प्रावधानों की क्रियान्विति कराने के संबंध में।

(10) श्री नाना लाल अहारी, सदस्य की ओर से खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

(11) श्री मनोहर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में विद्युत विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने के संबंध में।

(12) श्री हबीबुर्रहमान आशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही चोरियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 3 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 53 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं :-

(1) श्री जयनारायण पूनिया, विधान सभा क्षेत्र तारानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट के संबंध में।

(2) श्रीमती शिमला बावरी, अनूपगढ को जिला बनाने के संबंध में।

(3) श्री कृष्णा कड़वा, संगरिया विधान सभा क्षेत्र के टिब्बी ब्लाक में 30 ग्राम पंचायतों की आवासीय पट्टे की समस्या के संबंध में।

(4) श्री भवानी सिंह राजावत, कोटा शहर में बांरा व कैथून क्षेत्र में बसी हुई 200 कालोनियों में गंभीर पेयजल संकट के संबंध में।

श्री दर्शन सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन के तहत एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट विराजिए, आप क्या कह रहे हो ?

सूचना

विद्यार्थी परिषद् के प्रदेश सह मंत्री का आमरण अनशन

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री रजनीश जैमन पिछले चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका विषय यह है कि विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पर थानागाजी के अंदर मारपीट हुई और जब एफआईआर दर्ज कराने गये तो उसको ही उठाकर एसएचओ, थानागाजी ने बंद कर दिया और आज तक मुलजिम बंद नहीं किये। दो मांग है एक तो मुलजिम को गिरफ्तार करे और थानेदार को सस्पैंड करें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्यवाही कराई जाए, यह हम लोग भी मांग करते हैं। एसएचओ को तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने की कार्यवाही करावें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान)... आप बैठ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी का एक शब्द भी रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिये। हर समय खड़े हो जाते हैं बोलने के लिये, एक माननीय सदस्य की मर्यादा होती है, बैठिए आप। मैं कह रहा हूं एक शब्द भी अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... बैठिए, एक शब्द भी अंकित नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, मैं रूलिंग दे दूंगा, बैठ जाइए। हर समय खड़े हो जाते हो जैसे आप ही इस विधान सभा में हो और कोई है ही नहीं। ...(व्यवधान)...

शासकीय वक्तव्य थानागाजी में दर्ज प्रकरणों में कानून के आधार पर कार्यवाही

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, थानागाजी की घटना मेरे ध्यान में थी, मैंने एसपी से बात की है। कानून विद्यार्थी परिषद तोड़े या सामने वाला तोड़े, कानून तोड़ने वाले के लिये कोई भी जात बिरादरी नहीं होती है। जिसने अपराध किया है उसे निश्चित रूप से पकड़ेंगे और उसके खिलाफ निश्चित रूप से केस दर्ज है, उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे, यह मैं आश्वस्त करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी का एक शब्द भी अंकित नहीं होना चाहिये। ...(व्यवधान)... गोविन्द सिंह डोटसरा का एक शब्द भी रिकार्ड में नहीं जाना चाहिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कानून किसने तोड़ा यह काम मेरे जिम्मे नहीं है, पुलिस के जिम्मे है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह डोटासरा का एक शब्द रिकार्ड में नहीं जाना चाहिये। मिस्टर डोटासरा, मैं हमेशा के लिये रूलिंग दे दूंगा। आप हर समय बिना इजाजत के बोल देते हैं। यह विधान सभा है, इसमें आपकी भी गरिमा है, मेरी भी गरिमा, विधान सभा की भी गरिमा है। कोई स्प्रिंग अगर नीचे लगा रखी है तो उसे उठाकर फेंक दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पुलिस के सामने नामजद मुल्जिम है, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, यह मैं सदन में आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री दर्शन सिंह।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक बात आप सुन लीजिए, कुछ लोग यहां रोज स्थगन प्रस्ताव दे देते हैं, उसके बारे में बोलना चाहते हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता। इस सदन में 199 सदस्य हैं, मैंने दर्शन सिंहजी को अनुमति दी है, आप विराज जाइए, मैंने आपका स्वीकार नहीं किया है।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: उन्होंने पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन बोला था, बोल दिया, मुझे एड्रेस करके बोले। आप बैठ जाइए, मैं आपकी नहीं सुनूंगा।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। किरोड़ी लालजी का एक शब्द रिकार्ड पर नहीं जाए। रोज दे देते हैं, और नहीं हैं क्या? मैंने आज तीन प्रतिपक्ष के सदस्यों के नाम लिये हैं और वे बोलेंगे। निर्दलीयों को हमेशा देने का अधिकार नहीं है। आपके हिसाब से समय लीजिए, 7 आदमी हैं आप। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, आप बैठिए। कुछ लोग रोज ही लिख देते हैं, यह नहीं होगा। विधान सभा के सारे सदस्यों को देखते हुए चार पर्चियां हमेशा प्रतिपक्ष की निकालता हूं, तीन कांग्रेस की, एक निर्दलीय की, यह व्यवस्था तय है। ऐसी स्थिति में मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करुंगा, मिस्टर दर्शन सिंह।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं हो, किरोड़ीलालजी मीणा का एक शब्द भी नोट नहीं हो।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं हो, एक शब्द नोट नहीं हो।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं हो।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: हर विषय इस विधान सभा के लिए इम्पोर्टेंट है और यह जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति कहे वही इम्पोर्टेंट हो। एक माननीय सदस्य को यहां तक कह दिया। (व्यवधान) मैं नहीं दूंगा।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं हो। मैंने कहा आप बैठ जाइए।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: मैं दलित हूं तो आप क्या हैं ? ये यहां नहीं है।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: मैं दलित हूं या आप क्या है, यह मुझे नहीं सुनना है। आप बैठ जाइए।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द भी नोट नहीं हो।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं हो।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं हो । विधान सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं। एक शब्द नोट नहीं होगा। कोई हावी होकर मेरे से इजाजत नहीं ले सकता । एक शब्द नोट नहीं हो, ये विधान सभा का समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। इनकी आदत में आ गया है। विधान सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं होगा।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं होगा। अगला सवाल करूं तब कलम चलाना। अगले सवाल से पहले कुछ नहीं।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: अभी बैठिए आप। अभी गर्मा-गर्मी में नहीं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: मैं देता हूं, आपको थोड़ा शांत हो जाने दीजिए। बेकार में वातावरण गर्म कर दिया। आप भी बैठ जाइए। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। सिफारिश करने खड़े हो जाते हैं। यह क्या मतलब है ? जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं। विधान सभा में क्या कुछ लोगों की मोनोपोली है ? दर्शन सिंहजी आप बोलिए।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 000

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को मासलपुर तहसील के ....

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: केवल दर्शन सिंह जी का अंकित होगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मासलपुर तहसील के गांवों में विद्युत समस्या

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि मासलपुर के आस-पास के कई गांव डांडा, ताली, बरडपुरा, खूबनगर, सिगनपुर, भोजपुर में डेढ़ महीने के करीब से बिजली नहीं आ रही है। कई बार अधिकारियों से निवेदन करने के बाद भी यह पोजिशन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक घंटे भी लाइट नहीं दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि सिंगल फेस लाइट बिलकुल ही नहीं देते हैं। मुश्किल से एक घंटे लाइट आती है। सारे किसान परेशान हैं। फसल का टाइम है, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि लाइट की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। जय हिन्द, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवालाल जैन। आप बोलिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नोट नहीं होगा। नोट नहीं होगा। मैं आपकी यह राय नहीं मानूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नोट नहीं हो। यह क्या तरीका है ? (व्यवधान) सदन नियमों व प्रक्रियाओं से चलता है। नियमों व प्रक्रियाओं के बगैर अगर कोई आएगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: मुझे सारी विधान सभा का संचालन करना है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नोट नहीं किया जाए।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि नियमों और प्रक्रियाओं की आप पालना करें। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप बैठ जाइए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: प्रक्रियाओं और नियमों में जो आएगा, यह उसका अधिकार है। (व्यवधान) विधान सभा में नियम बने हुए हैं, प्रक्रिया बनी हुई है, इन नियमों के अंतर्गत कोई आएगा, उसका अधिकार है। किसी को खड़ा करने का मेरा अधिकार है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: गुलाब जी नहीं देंगे जवाब। हम जवाब चाह रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: केवल दर्शन सिंह जी का वक्तव्य अंकित होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: बिना मेरी इजाजत के इस विधान सभा में कोई नहीं बोल सकता । यह इस पोथी में लिखा है। इसका आदर करना हर विधायक का कर्तव्य है। चाहे किसी पद पर हो। मेरी बिना इजाजत के नहीं बोल सकते। आप भी विराजिए एक बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: मेवाराम जी बोलेंगे। मेवाराम जी। (व्यवधान)।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: मेवाराम जी आप बोलिए ना। आपका वक्तव्य क्या है ?

बाड़मेर में गम्भीर पेयजल संकट

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से नियम 50 के तहत बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना के बारे में चर्चा करना चाह रहा था कि वर्ष 2013 में इन्दिरा गांधी नहर से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल की 700 करोड़ रुपए की 286 गांवों के लिए वित्तीय स्वीकृति हुई और टेंडर लग गए। उसके बाद हमारी सरकार चेंज हो गई और दुबारा टेंडर फरवरी, 2014 में लगे और फिर भी काफी समय लंबा करके उस टेंडर को निरस्त कर दिया। उसके बाद मैंने विधान सभा में हर सैशन में प्रश्न लगाया और उसके जवाब में मुझे यही कहा कि स्वीकृति हो चुकी है, टेंडर लगा हुआ है, 2016 में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है

(श्री मेवाराम जैन)

कि वह टेंडर निरस्त करके वापस दुबारा टेंडर अप्रैल, 2015 में लगाया।

फिर माननीय उच्च न्यायालय में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया और यह लंबा होता गया और सुप्रीम कोर्ट में भी यह निर्णय आया और हाई कोर्ट में यह निर्णय आया कि इस टेंडर को खोला जाए। आपने खोला और वर्क आर्डर दे दिया परन्तु उसका एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया। आप बाड़मेर पधारे उस समय भी मीटिंग में मुझे आश्वस्त किया था कि आपका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, हमने वर्क आर्डर दे दिया है और काम शुरू करा देंगे। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड रहा है कि अभी भी आपने उसका एग्रीमेंट नहीं किया है इसलिए हमें संदेह है।

मुख्यमंत्री जी ने कल ही धन्यवाद के अभिभाषण में कहा था कि हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, सबके विकास के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस कार्य को तुरंत शुरू कराए। इसमें बाड़मेर, शिव, रामसर,बायतू के 286 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। बाड़मेर में पानी आ चुका है, पानी है और लोग प्यासे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी ही एग्रीमेंट कराकर यह कार्य जल्दी शुरू कराए।

दूसरा, निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर तक पानी आ चुका है। बाड़मेर शहर का आधा भाग पानी से बिलकुल वंचित है, बाड़मेर की आधी बस्ती बसी हुई, दानजीगीरोद,तिलक नगर, रामनगर, रामदेव नगर, मेगवाना घटाका,रीको एरिया, मावा रोड़, शिव नगर, गड़ा रोड, चौहटन रोड छात्रावास, गेऊ रोड आधा शहर पानी से वंचित है। उस नहर का पानी बाड़मेर में खूब आया हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन बस्तियों को और जो मेन प्रोजेक्ट है पार्टस का, इसको कब तक शुरू कराएंगे। कृपया मंत्री जी इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पैकेज सी के बारे में जो 286 गांवों के लिए बताया है मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि मेरे मंत्री बनने के बाद इसका कार्यादेश जारी हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष: कार्यादेश जारी हो चुका है, बस विराजिए आप।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं हुआ, वह रोका हुआ है। बात एग्रीमेंट की है, मंत्री जी जवाब दें एग्रीमेंट होकर काम कब शुरू होगा। यह आप बता दें।

श्री अध्यक्ष: फ्लोर पर कहा है, कार्यादेश जारी कर दिया।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक ठेकेदार की तरफ से दे दिया। निवेदन यही तो है। कार्यादेश तो कभी का हो चुका इनका, आप एग्रीमेंट करके काम शुरू करेंगे, यही तो बात है।

श्री अध्यक्ष: जवाब अच्छा आ गया आपके।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): काम शुरू कब होगा, यह जवाब दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष: बाड़मेर के हित में जवाब है। आप मिल लेना।

भगवान महावीर कैंसर अस्पताल द्वारा भूमि आवटन की शर्तों का उल्लंघन

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जयपुर के द्वारा, स्थापना के बाद से निरंतर भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया। राज्य सरकार द्वारा 22 अक्टूबर, 1992 से 21.11.2000 तक 26278.14 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया, शहरी जमाबंदी में भी इसको छूट दी गई। सरकार की भावना थी कि हम जिस हास्पिटल को भूमि दे रहे हैं, राजस्थान जयपुर में जेएलएन मार्ग पर बहुत महंगी जमीन पर इसका आवंटन हुआ।

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं करें। मंत्री महोदय राजपाल सिंह जी, आपसी बातचीत नहीं करें। उधर भी कहना चाहता हूं आपसी बातचीत नहीं करें,दोनों को।...(व्यवधान)... नहीं मानते तो दूर भेज दो। माननीय रमेश जी।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय,सरकार की भावना थी, 26278.14 वर्गमीटर भूमि का आवंटन सरकार ने एक रूपये टोकन मनी पर किया था कि गरीब आदमी का, बी.पी.एल श्रेणी के लोगों का इलाज हो सके। राजस्थान में कैंसर हास्पिटल नहीं है तो सरकार की अच्छी भावना के साथ जिस प्रकार भूमि का आवंटन किया गया, आवंटन में जो शर्तें थी उनका खुले आम इस अस्पताल ने खुला उल्लंघन, अवहेलना थी। शर्ते थी, यह अस्पताल चलेगा, न लाभ न हानि के आधार पर इस हास्पिटल में लोगों का इलाज होगा। इसमें शर्तें रखी गई थी कि राज्य सरकार की तरफ से दो नोमीनेट, बोर्ड की मीटिंग में हैल्थ सेक्रेटरी रहेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल कालेज रहेगा। किसी प्रकार का व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। लेकिन इस हास्पिटल ने पूरी तरह भूमि आबंटन की शर्तों का उल्लंघन किया और पूर्ण तरह व्यावसायिक उपयोग किया। जो शर्तें सरकार ने रखी थी, जैसे 25 परसेंट बी.पी.एल के लोगों का नि:शुल्क इलाज होना चाहिए लेकिन इसने कोई इलाज नहीं किया। एक काम और जोरदार किया कि राज्य सरकार से बी.पी.एल के इलाज का जो पैसा मिलता था वह भी उसने उठा लिया, 10 करोड़ 52 लाख रुपये उठा लिए। न कोई रिकार्ड संधारित

(श्री रमेश)

किया गया, न बेलेंस शीट में दिखाया गया कि कहीं गरीबों का इलाज किया गया है। इसके अलावा 60 हजार, जिनकी वार्षिक आय कम है वह गरीबी रेखा में आते हैं उनका इलाज भी इसको करना था उसके भी करोड़ों रुपये सरकार से इसने उठा लिए। पूरी जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन होता रहा। इसके बाद इन्होंने वहां पर चिकित्सालय और धर्मशाला के लिए भूमि सरकार से आवंटित करवाई उसमें नर्सिंग कालेज, हास्टल बना दिये। यहां तक कि उसके परिसर में एक कैंसर की यूनिट, जो चैरिटेबल ट्रस्ट अलग था उसको भी वहां भूमि आवंटित कर दी। राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली। राज्य सरकार से भगवान महावीर हास्पिटल ने चार मंजील के लिए एक परमिशन ली, उसके एवज में इन्होंने छह मंजिला अवैध निर्माण कर दिया।

जिस प्रकार इन्होंने गरीब लोगों का इलाज नहीं करके, सरकार से पैसा ले लिया, दोहरी मार की। सरकार ने एक जांच कमेटी बिठाई जिसके स्वास्थ्य विभाग के, 2012 से 2015 तक गंभीर अनियमितताएं पाई गई लेकिन सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक नोटिस दिया गया, कारण बताओ, उसके अलावा इतिश्री कर ली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने गंभीर किस्म की, भगवान महावीर कैंसर इस तरह की अनियमितता कर रहा है, ऐसा नहीं हो कि यह अधिकारियों की जिम्मेदारी हो। जो अधिकारी है उन्हीं की अनियमितता हो। इस तरह उसको आश्रय मिल रहा है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री, हैल्थ मिनिस्टर, हैल्थ सैक्रेटरी को पत्र लिखा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा हास्पिटल जो गरीबों का इलाज नहीं कर रहा, जिसको टोकन मनी पर भूमि आबंटित की है, वह भूमि आवंटन की शर्तों का खुला उल्लंघन कर रहा है, तो सरकार ऐसे हास्पिटल को अपने कब्जे में लेकर भूमि आवंटन को निरस्त करे। इस पूरे प्रकरण की जांच हो, यह मेरा आपसे निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष: नहीं, बीच में नहीं बैठिए, यह जवाब दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब आदरणीय भैरोसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदेश के लोगों को मिले इसके लिए कंसेशनल रेट

(श्री कालीचरण सराफ)

पर महावीर कैंसर हास्पिटल को जमीन आवंटित की थी। इसकी पूर्व में भी शिकायत आई थी कि जिन शर्तों पर भूमि आवंटित की गई, उन शर्तों की पालना नहीं हो रही। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक जांच कमेटी का गठन किया और जांच कमेटी की जो भी रिपोर्ट आई उसको हमने यूडीएच विभाग को भेज दिया कि यह अनियमितताएं,शर्तो का उल्लंघन महावीर कैंसर हास्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। अब आगे के कार्य की कार्यवाही यूडीएच डिपार्टमेंट करेगा, तो उसके बारे में आदरणीय कृपलानी जी आपको बताएंगे।

श्री अध्यक्ष: बोल रहे हैं आप ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा जांच रिपोर्ट थी वह जांच रिपोर्ट यूडीएच डिपार्टमेंट के पास आ चुकी है। यह बात सही है कि जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। इस तरह का माननीय सदस्य भी कह रहे थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस जांच रिपोर्ट के मद्दे नजर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो लीज शर्तों की अवहेलना हुई है, उसका हमने नोटिस भी जारी कर दिया है। इस प्रकरण में सुनवाई करके लीज डीड की शर्तों की अवहेलना अगर पाई गई तो उपयुक्त निर्णय बहुत जल्दी ले लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री रमेश (सपोटरा): पाई गई है, उसके बाद में 2012 से 2015 तक ...(व्यवधान)... जांच कमेटी ने खुला उल्लंघन किया है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री रमेश (सपोटरा): जांच कमेटी ने खुला उल्लंघन किया है। आप इसके लिये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया। ...(व्यवधान)... आप मिल लेना। कार्यवाही हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर किस्म का, गरीबों से जुड़ा हुआ राजस्थान प्रदेश के गरीब लोगों, कैंसर से पीड़ित लोगों का मामला है। ...(व्यवधान)... आप सरकार से कार्यवाही करवाने के लिये कहें।

श्री अध्यक्ष: कह दिया, कह दिया उन्होंने कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): अब ऐसे ही पहले भी नोटिस देने की बात हो रही है। साहब, नोटिस से काम नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष: कह दिया, दोनों ने। दोनों ने कह दिया, कार्यवाही चल रही है। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है, आज भी अख़बार के मुख्य पृष्ठ पर आया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया, आप बैठिये। नहीं, कोई गम्भीर नहीं है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हमारे प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री को धमकी भरा पत्र मिला है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हर मसला गम्भीर है, नहीं। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। हर मसला गम्भीर है और इस तरह हर बार उठ कर हर कोई मसला रख देगा। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नहीं, यह मसला गम्भीर नहीं है क्या? शिक्षा मंत्री को धमकी भरा पत्र मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: मैं इजाजत नहीं देता। ...(व्यवधान)... बैठिये, बैठिये। आप अलग से मिल लीजिये। सत्ताधारी पार्टी के हैं, आप सब मंत्रियों को मिल सकते हैं। बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 50 के तहत राजस्थान के एक गम्भीर विषय पर आज ...(व्यवधान)...

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी को धमकी मिले और आप इसको गम्भीरता से नहीं लो ......

श्री अध्यक्ष: केवल न्यांगली का वक्तव्य जाएगा। ...(व्यवधान)... केवल न्यांगली का वक्तव्य जाएगा।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: यह भी रिकार्ड नहीं होगा। बेनीवाल का एक भी शब्द रिकार्ड नहीं होगा। कुछ लोगों की आदत है। ...(व्यवधान)...

प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर अनारक्षित लोगों के द्वारा इस राजस्थान प्रदेश के अनारक्षित पीड़ित लोगों के द्वारा आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान की विधान सभा के घेराव के अल्टीमेटम के माध्यम से आज राजस्थान की विधान सभा का घेराव करने के लिये इस राजस्थान

(श्री मनोज कुमार)

प्रदेश से प्रत्येक वह नागरिक जो अनारक्षित है, अपने-आप में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वह व्यक्ति इस राजस्थान की विधान सभा में आज घेराव कर सरकार को यह बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से सरकार, राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण के नाम से 2008 में भी एक बिल लेकर आई, जिसको राजस्थान हाई-कोर्ट ने रद्द किया और राजस्थान हाई-कोर्ट ने इनको दिशा-निर्देश जारी किये, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट उन कमियों की पूर्ति किये बिना 2014-15 में एक नया बिल और लेकर आई और इस राजस्थान की विधान सभा में माननीय सदस्यों के द्वारा उस बिल को सर्वसम्मति से पास करवाने के बाद आज दिन तक इस राजस्थान की उस प्रजा को, उस जनता को यह जानकारी नहीं है कि इस राजस्थान की सरकार उस बिल पर किस स्थान पर खड़ी है। राजस्थान की सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के बिल के लिये, जो आप 14 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को, पूरे भारत देश को अपने एक निर्णय के माध्यम से आर्टिकल 15(4) या आर्टिकल 16(4) के अधीन आरक्षण दिया जाना असम्भव है, यह सर्वविदित तथ्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ यह निर्धारित कर चुकी है कि अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अधीन आरक्षण का लाभ केवल आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित कर चुका है कि आरक्षण का प्रतिशत कम से कम रखा जाये, किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जाये। ये दोनों निर्णय पूरी तरह से संविधान सम्मत हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार उन अनारक्षित लोगों को बिल लाकर भ्रमित कर रही है, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 15(4), 16(4) के अधीन आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है। अत: आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 15(4), 16(4) का आरक्षण दिलवाना चाहता है तो आपसे निवेदन है कि आपकी केन्द्र में भी गवर्नमेंट है और केन्द्र में सरकार आपकी होते हुए संविधान में संशोधन कराने की शक्ति आपके पास है। अगर आप इस आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देना चाहते हैं तो आप इस संविधान में संशोधन कराए। संशोधन करा कर हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ दिलाने का काम करें। सरकार अगर अपने आप में असक्षम है, सरकार आरक्षण दे नहीं सकती तो सरकार बिल ला करके हमारे इन 200 माननीय सदस्यों से एक ऐसा प्रस्ताव क्यों पास करवा रही है, जब स्वयं जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका

(श्री मनोज कुमार)

है, तो फिर दूसरा कौनसा विकल्प सरकार के पास हो सकता है। उस विकल्प पर विचार करे। सरकार को, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने भी आपके सामने, अभिभाषण पर यह प्रस्ताव रखा था कि सरकार स्वयं निर्णय ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किस आधार पर दिया जा सकता है। सभी आरक्षणों का विभाजन करते हुए आप सबको आरक्षण दे सकते हैं। ऐसा विकल्प सरकार तय करे। नहीं तो सरकार हमारे आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की जहां बात कर रही है, मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अनुसार आरक्षण के अलावा जो सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं, जिनमें शामिल है, फीस में छूट, आयु में छूट, अवसरों की संख्या में छूट, न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट, कोचिंग की सुविधा में छूट, होस्टल की सुविधा में छूट और अनुदान और स्कॉलरशिप की सुविधा, ब्याजमुक्त अथवा न्यून ब्याज दर पर ऋण की सुविधा, गैस एजेंसी, पैट्रोल पम्प, दुकान, प्लाट, मकान, ठेले की ट्रोली लगाने वाले व्यक्तियों को आर्थिक आधार पर उनका सर्वे करवा कर इस पैकेज को घोषित करे सरकार। जब तक आप कानूनी बाधाएं दूर नहीं कर लेते, जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं कर लेते, आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को इस पैकेज की घोषणा सरकार इसी समय करे। नहीं तो सरकार बार बार किसी न किसी कानून के नाम से यह तय कर लेती है कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, यह हाई कोर्ट का निर्णय आ गया। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि यह सवर्ण कास्ट के लोगों के साथ, अनारक्षित लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और राजस्थान की जनता देख रही है कि आप किस तरीके से निर्णय करने जा रहे हैं।

इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के सामने अपनी यह बात रखकर यह कहना चाहता हूं कि इन अनारक्षित लोगों को आप किस तरीके से लाभ दे सकते हैं, उसका ही जवाब चाहिये। न कि आप किसी कानून और संविधान का कोई सहारा लेकर, यह तो सरकार को पहले से जानकारी है, तो कानून और संविधान की बात न करें, हमें यह बतायें कि हम इस आधार पर आपको आरक्षण देंगे, यह पैकेज हम आपको देंगे। नहीं तो जनता आज सड़कों पर खड़ी है। लाखों लोग इस राजस्थान की राजधानी में पहुंच चुके हैं। इस राजस्थान की सरकार को इस विधान सभा से बाहर नहीं निकलने देंगे। और, सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो सरकार को इसका परिणाम 2018 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: शांत। अब विराजिये, कह चुके, बहुत कह चुके आप। बहस कर चुके।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कांग्रेस और भा.ज.पा., ये दोनों पार्टियां यह सोचती

(श्री मनोज कुमार)

हैं कि हमें इस आरक्षण की चर्चा करने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)... तो 2018 में मैं आपको बता दूं कि ये सारे अनारक्षित लोग थर्ड फ्रण्ट और हमारे साथ आएंगे। इसलिये सरकार इसका जवाब दे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही। अध्यक्ष महोदय, यह सदन दो बार इस बात का साक्षी रहा है, जब माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में, सदन की नेता ने दो बार प्रस्ताव रखा इस विधान सभा में, जुलाई 2008 के अन्दर और 2015 के अन्दर कि आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत उन लोगों को, जो वंचित हैं, पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत बार बहुत पहले से यह चर्चा चली। सबसे पहले 25 मई, 2003 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग की और एक पत्र लिख दिया प्रधान मंत्रीजी को, और लोगों को गुमराह किया कि हम आरक्षण दे रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय कि 2008 के अन्दर जो एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के पश्चात सवा साल तक तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय उस पर विराजे रहे। उसके बाद एक रिट पिटीशन हुई, कैप्टन गुरविंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और जी. शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, उसके अन्दर 22.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय ने उस एक्ट को यह कह कर रद्द किया कि इसमें पूरे क्वांटिफिएबल डाटा नहीं हैं, इसके अन्दर पूरा अध्ययन नहीं है। उसके आधार पर ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप मेरे को बता देना, मैं पूरी बात कह दूं। आप मेरे को करैक्ट कर देना, मैं पूरी बात कह दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक गलत तथ्य आप बता रहे हैं। उस समय फिर गहलोत साहब ने इसके दो टुकड़े कर दिये। दो टुकड़े करके केवल जो विशेष ओ.बी.सी. का आरक्षण गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यस।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह जो 14 प्रतिशत वंचित वर्ग के गरीब लोगों का था, वह आरक्षण नहीं गया वहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उस समय जब इस पर 22.12.2010 को इस एक्ट को रोका, उसके पश्चात् 2013 के अन्दर आर्थिक पिछड़ा आयोग बना।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब 2015 के अंदर फिर यह मांग उठी कि इन दोनों को अलग-अलग किया जाए। इसी सदन में अलग-अलग एक्ट पास किया गया और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक पिछड़ा आयोग श्री अनूप चंद गोयल की अध्यक्षता में बना और इसके पीछे मंतव्य यही है कि पूरा अध्ययन करके वास्तविक रूप से ऐसा एक्ट जो पारित हुआ है, उसमें किस प्रकार रूल्स बनें, आगे कार्यवाही हो और उसमें किस प्रकार के क्वांटिटेटिव डेटाज के माध्यम से अलग-अलग वर्ग के लोगों को किस प्रकार की सुविधा की आवश्ययकता है, वह सुनिश्चित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अनूप चंद गोयल की अध्यक्षता में बना आर्थिक पिछड़ा आयोग ने काम चालू कर दिया और अब इसके लिए एक मंत्री मंडलीय उप समिति भी बनी हुई है जो लगातार सम्पर्क में है। राजस्थान की सरकार कटिबद्ध है। मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि पहले भी दो बार सरकार से वार्ता कर चुके हैं, सरकार अब भी वार्ता के लिए तैयार है। तमाम कानूनी वैधानिकताएं दूर करके सरकार ने जो एक्ट पास किया 2015, उस एक्ट के अनुसार अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए सरकार तत्पर भी है और कार्यवाही भी कर रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट देंगे?

श्री अध्यक्ष: हां, देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो तथ्य रखे हैं, वह बिलकुल ठीक है, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करता हूं।

पहली बात तो यह है कि यह जो हमने रखा है वह सवर्ण आरक्षण नहीं। सवर्ण तो अधिकांश जातियों का आरक्षण हो चुका। यह वंचित वर्ग जो है आरक्षण से, यह सब साफ है, वंचित वर्ग के लोग जो- राजपूत, ब्राहमण, वैश्य, कायस्थ और ओ.बी.सी. में न आने वाले मुस्लिम और सिंधी इन लोगों का जो आरक्षण से वंचित वर्ग है, इसको इकोनोमिकली बैक-वर्ड मानकर श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी ने एक दिल्ली में आयोग बनाया था, उस आयोग के आधार पर उनको आरक्षण देने की बात है।

जहां तक दो बातों का विरोध होता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा तो हमारे संविधान में यह लिखा है- Justice Politically, Socially and Economically. तो हमको पोलिटिकल जस्टिस मिल गयी, जब आप जैसे महापुरुषों को आरक्षण मिला, लोक सभा और विधान सभा में लड़ने का। हमको आर्थिक न्याय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सामाजिक न्याय मिल गया, जब शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. को हमने रिजर्वेशन में शामिल किया। अब आखिरी जो इकोनोमिकल जस्टिस है, वह उन गरीब आदमियों को जो आरक्षण से वंचित रह गये हैं, उन गरीब आदमियों को मिल जाए इसके लिए यह बिल लाये थे हम यहां पर।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर इस देश में आरक्षण हो चुका है। यह बी.पी.एल. परिवारों का जो आरक्षण हुआ है, उसमें कोई कास्ट नहीं है। कोई समाज नहीं है, केवल आर्थिक आधार पर है इसलिए यह कहना कि आर्थिक आधार पर कोई भी आरक्षण संविधान के खिलाफ है, वह गलत है।

दूसरा, यह कहना कि केवल हम ही सवर्ण है, यह जाट, गुर्जर, राजपूत, माली, कुमावत, सब लोग जो अन-टचेबल नहीं थे, मीणा भी, वह सब सवर्ण कास्ट में ही आते हैं। केवल जिन से छुआछूत थी उनको छोड़ कर सब सवर्ण है इसलिए सवर्ण कास्टों को भी आरक्षण मिल गया और आर्थिक आधार पर भी मिल गया।

मेरा सिर्फ माननीय मंत्री महोदय से ऐसा एक निवेदन करना है, कल मैंने आग्रह किया था कि रामदास अठावले ने दो बातें कही है जो हमारे केन्द्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि दो प्रकार से आरक्षण मिल सकता है। नम्बर एक, राज्य अपनी आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करे और उसको नाइंथ शिड्यूल में डाल दिया जाए। और दूसरा यह है कि भारत सरकार एक संशोधन करे संविधान में और संविधान में संशोधन करके राज्यों पर अपनी अधिकतम सीमा तय करने का छोड़ दे, यह दो काम। लेकिन, हमारा यह कानून जो हमने पास किया है, जो अब यह कानून बन चुका है, राज्यपाल के दस्तखत हो चुके हैं, उसको हम लागू करें और लागू करके हम भारत सरकार को नाइंथ शिड्यूल के लिए कहें और जब तक नौकरियों में 14 परसेंट और 5 परसेंट, 5 परसेंट गुर्जर, रेबारियों के लिए, जो विशेष ओ.बी.सी. हैं, उनके लिए और 14 परसेंट जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वह हम सीट खाली रख लें अगर इतना काम सरकार कर लेगी तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की मांगों की पूर्ति होगी जो आंदोलनरत हैं। धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा ताकि रिकार्ड पर बात चली जाए।

यह जो नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात माननीय सदस्य ने कही है, यह माननीय अध्यक्ष महोदय, नौवीं अनुसूची में 1994 में तमिलनाडु के आरक्षण के बाद में कोई नई एंट्री नहीं हुई। हालांकि, राजस्थान सरकार ने नौवीं शिड्यूल में शामिल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
करने के लिए 19 अक्टूबर को, 11 दिसम्बर को, 22 जनवरी को और 3 मई 2016 को, हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं। वहां मंत्रालय से जो इस पर आक्षेप आ रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जो बिल पारित हुआ था, राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीट और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण, इसमें जो उद्देश्य और कारण थे, उसमें स्पष्ट वह ही बात लिखी थी जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसमें आप भी भागीदार हैं और अब यह संदेश सब समाजों में जाए कि सरकार तमाम वैधानिकताओं को दूर करके जो कमीशन में रुकावटें आ रही हैं, सरकार आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती शकुन्तला रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बानसूर में क्षतिग्रस्त सड़कें

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहती हूं कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह बहुत पुरानी टूटी हुई पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की सड़क है।

अत: आलनपुर से बानसूर तक पंचायत माजरा अहीर, हरसोरा, भगुकाबास, देवसन, बबेड़ी गुंता, शाहपुर, बानसूर, गिरूडी, लेकड़ी, होलावास, चतरपुरा, कराणा, ज्ञानपुरा, नीमूचाना, नारायणपुर, मुंडावरा, बामनवास कांकड, खरकडी गढ़ी, कोल्याडा, चांदपुरी, विजयपुरा आदि बड़ी पंचायतें हैं, सैकड़ों गांव पड़ते हैं। कई गांवों में तो 5 से 9 फीट गहरे रास्ते हैं।

कृपया उन्हें मनरेगा में ग्रेवल सड़कें बनाने का कष्ट करें जो ग्रेवल बने पड़े हैं। उन पर डामरीकरण करवाने का कष्ट करें। जैसे आडीगैली से गढ़ी, गढ़ी से लादूवास सामोता स्टेंड से खारिया की ढाणी होता हुआ नारायणपुर रोड तक मुंडावरा से लोज डोईवाली तक, रघुनाथपुरा से चूला तक भग्गू का बास से ग्राम बाडाली होता हुआ बावरिया रोड तक मोठूका से मुंगलपुर तक रामपुर से नाथूसर लोज तक, मंगवला से सबलपुरा होता हुआ कल्याणपुरा बलवा का बास से मंशापुर तक, हाजीपुर से पापडदा, जेटवाली बुजी की ढाणी से आमला का बास तक, मौची पुलिया, खारी का बास, मालेटा का पुल बिसालू आदि जगह छोटे पुल बनाये जाने चाहिए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आलनपुर से बानसूर होता हुआ नारायणपुर से कुशालगढ़ तक सड़क का नवीनीकरण करवाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेन रोड है, जो एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ती है ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: जो लिखा है, वही पढ़ लो आप। इधर-उधर नहीं। ....(व्यवधान)....

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, वह ही लिखा हुआ ही है, माननीय अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान).... आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा, 'अ' अनार ज्यादा आता है तो आप पढ़कर सुना दें लेकिन नम्बर मेरा है, नियमों के तहत तो मैं ही बोल सकती हूं इसमें आपको परमिशन नहीं मिल सकती। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। आपने पढ़ लिया। श्री नवनीत लाल नीनामा।

पीपलखूंट, प्रतापगढ़ में वन विभाग की जमीन पर काबिज किसानों को पट्टे

श्री नवनीत लाल (घाटोल): हाजिर। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि प्रतापगढ़ जिले की तहसील पीपलखूंट तहसील में आदिवासी किसानों का वन विभाग के द्वारा खेती करने से रोक लगायी गयी है। मान्यवर, निवेदन यह है कि केन्द्र सरकार के द्वारा 2005 तक की जमीन, वन विभाग की जो है, वहां नाजायज कब्जे से जो खेती कर रहे हैं, उन्हें पट्टे दे दिये जाए लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया है, इस संबंध में यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: आपने जो लिखा है, वह पढ़िये। भाषण नहीं।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये दक्षिणी राजस्थान जिला प्रतापगढ़ की तहसील पीपलखूंट में गांव पंथोल में आदिवासी किसानों की कब्जा काश्त की भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा खेती करने से रोक लगाने के लोक महत्व विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, तहसील पीपलखूंट के सम्बन्धित पटवार मण्डल छरी गांव पंथोल में खतौनी संख्या 149 के खसरा नम्बर दो में 52.39 हैक्टेयर व खसरा संख्या 245 में 35.90 हैक्टेयर भूमि पर गांव पंथोल के आदिवासी किसान परम्परा से रीति-रिवाज से कई वर्षों से खेती कर 60 आदिवासी परिवार अपना जीवन जी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, उक्त विवरण भूमि पर खेती करने वाले किसानों के पास दूसरी जमीन नहीं है व जिस जमीन पर आदिवासी खेती करते हैं वह जमीन सरकार के

(श्री नवनीत लाल)

अधिकारियों की भूल से वन विभाग के नाम दर्ज हो गयी है, क्योंकि वन खण्ड पूना पठार की सर्वे नहीं हुई थी। इससे पहले कई वर्षों से उक्त भूमि पर किसान खेती करते आ रहे हैं। साथ ही राजस्व अभियान में किसानों द्वारा प्रार्थना पत्र व जमीन अपने नाम दर्ज कराने को फार्म भी भरे गये हैं, मगर आदिवासी गरीब किसानों की सुनवाई व न्याय नहीं किया जा रहा है।

अत: मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत कर गांव छरी के आदिवासियों के साथ न्याय करने की प्रार्थना करता हूँ।

(12.51 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

गोगामेड़ी से चूरू सड़क निर्माण

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ से ददरेवा जिला चूरू तक सीधी सड़क स्वीकृत करवाने बाबत् नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि भादरा विधान सभा क्षेत्र में गोगामेड़ी में लोक देवता गोगाजी का प्रसिद्ध मंदिर एवं समाधि स्थल है। यहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश दिल्ली आदि से आते हैं। गोगाजी के मंदिर पर सभी धर्मों के लोग श्रद्धास्वरूप प्रतिवर्ष आते रहते हैं। ये श्रद्धालु गोगामेड़ी के साथ-साथ ददरेवा जिला चूरू भी जाते हैं, क्योंकि ददरेवा गोगाजी पीर की जन्मस्थली है। ददरेवा से गोगामेड़ी जाते समय श्रद्धालुओं को बहुत लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है तथा भादरा शहर भी पार करना पड़ता है। इसकी वजह से इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी असुविधा होती है। प्रतिवर्ष मेले के समय भारी भीड़ की वजह से भादरा शहर के लोगों व श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि इसी वर्ष गोगामेड़ी में प्राचीन गोगाजी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं गोगामेड़ी मेला विस्तार एवं सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार करके जनवरी, 2016 में सरकार द्वारा इस कार्य योजना का शिलान्यास करके गोगाजी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये राजस्थान सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक पहल भी की जा चुकी है।

अत: मेरा निवेदन है कि गोगामेड़ी से ददरेवा जाने हेतु श्रद्धालुओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ से ददरेवा जिला चूरू तक सीधी सड़क बनवाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राणावास में पुलिया एवं रपट निर्माण

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, राणावास नदी पर पुलिया व रपट निर्माण करने के लिये राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राणावास स्टेशन विद्या नगरी के नाम से विख्यात है। इस क्षेत्र के एक महाविद्यालय, तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा व्यापारिक क्षेत्र मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं, किन्तु राणावास गांव क पास नदी पर पुलिया एवं रपट का निर्माण नहीं होने से वर्षा ऋतु में नदी में पानी आ जाता है जो लम्बे समय तक बहता रहता है जिससे गांवों से पढ़ने आने वाले विद्यार्थीयों एवं उस रास्ते से आने वाले ग्राम पंचायत जावुंदा गुड़ा मोखम सिंह, केसर सिंह, गुड़ा रामसिंह राडावास गांवों के लोगों का आवागमन पूर्णतया बन्द हो जाता है। ये राणावास ग्राम मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम भी है।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना की नदी पर पुल व रपट निर्माण करने के लिये सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा अतिशीघ्र नदी पर पुलिया एवं रपट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

अलवर ग्रामीण में सड़कें व नालों का निर्माण

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, अलवर जिला एन.सी.आर. का जिला है। अलवर जिले के विकास हेतु एन.सी.आर. द्वारा सड़कें व पीने के पानी की व्यवस्था हेतु लगभग 800 करोड़ रुपये अलवर जिले में स्वीकृत हुए हैं। राशि की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है या हो गयी है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के 84 गांवों की भूमि नगर विकास न्यास ने अवाप्त कर ली। इन गांवों की जमीन किसान बेच नहीं सकते हैं। मकान बनाने हेतु नगर विकास न्यास द्वारा एन.ओ.सी. चाहिये वरना मकान भी नहीं बना सकते। अलवर शहर का गंदा पानी अलवर ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में बह रहा है और उस गंदे पानी से क्षेत्र में पोल्यूशन फैल रहा है। गांवों के लोगों के मकानों में वर्षा के दिनों में गंदा पानी भर जाता है। गांव में गंदे पानी से गांवों में कई तरह की बीमारी फैलती है। जब एन.सी.आर. की योजनाओं की स्कीम में विकास हेतु सड़कें व पीने के पानी की व्यवस्था जा रही है, एन.सी.आर.

(श्री जयराम जाटव)

का सारा बजट शहर में लग रहा है। जिन 84 गांवों में सारी सड़कें टूट गयीं, पानी के लिये कोई एन.सी.आर. की स्कीम की राशि नगर विकास न्यास अलवर ग्रामीणों को नहीं देना चाहते हैं, जो गलत है। गांवों के किसानों की जमीन अवाप्त कर ली गयी है। गंदे पानी को ग्रामीण क्षेत्र में गांव में छोड़ देना, सड़कें नहीं बनाना, यह न्यायसंगत नीति के तहत व्यवस्था नहीं है। यह गांव के किसानों का दुर्भाग्य है। माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि अब तक का भेदभाव और सौतेले व्यवहार को बदलकर ग्रामीणों की सड़कें बनें एवं गंदे पानी के नालों की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में किसानों में भारी रोष है। गंदे पानी को ग्रामीण गांव में नहीं आने देंगे व शहर में पीने के पानी हेतु ग्रामीण क्षेत्र से बड़े-बड़े बोरिंग खोदकर पानी अलवर शहर को देना चाहते हैं, यह नाइंसाफी होगा।

अत: मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के निम्न गांवों में सड़कें एवं नालों का निर्माण कराने हेतु एन.सी.आर. की राशि में से 84 गांवों का सर्वे करवाकर सड़कों का निर्माण करवाया जाये एवं शहर के गंदे पानी के नाले बनाकर अन्यत्र स्थान पर डाल दिया जाये:-

1. ग्राम तूलहेड़ा से ग्राम कंकराली होकर सड़क निर्माण एवं नाला निर्माण
2. ग्राम मन्नाका से ग्राम लुहरवाड़ी की ओर सड़क निर्माण
3. ग्राम तूलहेड़ा से ग्राम लुहरवाड़ी की ओर सड़क निर्माण
4. जयपुर रोड से भाखेड़ा की ओर सड़क निर्माण
5. हाइवे तिजारा रोड से ग्राम रूपनगर होता हुआ ग्राम जाटियाना की ओर सड़क निर्माण
6. ग्राम नंगला समावधी से ग्राम जाहरखेड़ा की ओर सड़क निर्माण
7. बहरोड़ रोड से ग्राम टोडियार की ओर सड़क निर्माण
8. स्टेट हाइवे नम्बर 55 ग्राम बुर्जा से ग्राम बलाना की ओर सड़क निर्माण
9. स्टेट हाइवे नम्बर 55 से ग्राम बुर्जा मदनपुरी की ओर सड़क निर्माण
10. बहरोड़ रोड से ग्राम कस्बा डहेरा से ग्राम नंगलीमुंशी की ओर सड़क निर्माण
11. बहरोड़ रोड नाली से ग्राम नौरंगाबाद की ओर सड़क निर्माण
12. तिजारा रोड कारौली बाग़ से ग्राम मुडिया खेड़ा ग्राम पीलवा की ओर सड़क निर्माण
13. तिजारा रोड से ग्राम सथेली होता हुआ ग्राम बजेड़ा की ओर सड़क निर्माण
14. तिजारा रोड से ग्राम कारौली की ओर सड़क निर्माण
15. तिजारा रोड से ग्राम सिरमोली की ओर सड़क निर्माण
16. अलवर-देहली रोड ग्राम घेघोली की ओर सड़क निर्माण

(श्री जयराम जाटव)

17. अलवर-देहली रोड ग्राम केमाला की ओर सड़क निर्माण
18. बहरोड़ रोउ से ग्राम कढ़ूकी की ओर सड़क निर्माण
19. जयपुर रोड से ग्राम लिवारी की ओर सड़क निर्माण
20. बहरोड़ रोड से ग्राम दिलवारपुर होता हुआ ग्राम सहापुर की ओर सड़क निर्माण
21. बहरोड़ रोड से ग्राम धोलीदूब की ओर सड़क निर्माण
22. बहरोड रोड से ग्राम ठेकड़ा की ओर सड़क निर्माण
23. स्टेट हाइवे नम्बर 44 से ग्राम बुरझा की ओर सड़क निर्माण
24. तिजारा रोड ग्राम चिकानी से ग्राम बहादरपुर की ओर नाला एवं सड़क निर्माण
25. तिजारा रोड हाइवे से ग्राम चान्दूकी की ओर सड़क निर्माण
26. तिजारा रोड हाइवे से ग्राम गाजूका की ओर सड़क निर्माण
27. तिजारा रोड हाइवे से ग्राम गाजूकी की ओर सड़क निर्माण। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे आदरणीय सदस्यों को यह निवेदन करना है कि 295 के नियम के तहत अधिकतम 250 शब्दों का आप उपयोग कर सकते हैं।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): बढ़ा दिया है इसमें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: हजार-हजार शब्दों के अगर 295 आएगे, इसलिये आपसे यह आग्रह है कि आइन्दा इस प्रकार का आप कोई उल्लेख करें 295 में, तो अपने शब्दों को 250 शब्दों के भीतर-भीतर रखने का श्रम करें।

श्री बाबू सिंह जी राठौड़।

(13.00 बजे)

बालेसर में सहायक निदेशक, कृषि कार्यालय की स्थापना

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) के नवीन पद सृजित करने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोधपुर जिला विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है, जिले के अंतिम राजस्व ग्राम की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 280 किलोमीटर है एवं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से कृषि योग्य भूमि 17,29,928 हैक्टेयर है जिसमें से 5,05,959 हैक्टेयर सिंचित एवं 12,23,969 हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र है। जिले में कुल 16 पंचायत समितियां एवं 466 ग्राम पंचायतें हैं। विस्तृत भू-भाग में फैले जिले में किसानों की सुविधाओं के लिए कृषि विभाग के अधीन केवल मात्र एक सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थित है जिस

(श्री बाबू सिंह)
कारण विभागीय कार्यों हेतु दूर-दराज से आने वाले किसानों को समय की बरबादी के साथ-साथ आर्थिक हानि व परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बालेसर, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर स्थित है, में कृषि विभाग के अधीन नवीन सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय एवं दूसरा मुख्यालय फलौदी में भी स्थापित करने से ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कृषि आदान विक्रेताओं का प्रभावी निरीक्षण भी संभव हो सकेगा तथा किसानों को गुणवत्ता पूर्वक आदान मिलेगा एवं साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा।

अत: किसानों की समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए बालेसर में कृषि विभाग के अधीन नवीन सहायक निदेशक कार्यालय एवं दूसरा मुख्यालय फलौदी में स्थापित करावें ताकि किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसी राम जी।

रेवदर की सड़कों का डामरीकरण

श्री जगसी राम (रेवदर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर की अति महत्वपूर्ण सड़कों की बेहद क्षतिग्रस्तता की ओर लोक महत्व में सरकार से विशेष आग्रह है कि रेवदर क्षेत्र की अन्दरुनी लाइफ लाइन का काम करने वाली एवं रेवदर क्षेत्र की नहीं अपितु समूचे सिरोही एवं जालौर जिले एवं आस-पास के अन्य जिलों सहित प्रदेश को पड़ौसी राज्य गुजरात से जोड़ने वाली सड़कें क्रमश: 1- सम्पर्क सड़क आबूरोड़-भट्टाणा बोर्डर से बूटड़ी वाया मकावल, भट्टाणा मुनिजी की कुटिया, गुजरात सीमा तक 2- आबूरोड़ सम्पर्क सड़क से क्यारिया-धवली तक 3- आबूरोड़ अम्बाजी 4- भट्टाणा से सिबराखेड़ा 5- भट्टाणा से कम्बोइ़या खेड़ा एवं 6- भैरूगढ़ से कम्बोइ़या खेड़ा आदि महत्वपूर्ण सड़के पिछले कई वर्षों से बेहत क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हैं।

इन सड़कों पर प्रति दिन बड़ी संख्या में सभी प्रकार के आवागमन साधनों की लाइन सी लगी रहती है। जगह-जगह पर गड्ढों से, यहां तक की सड़कों का ग्रेवल भाग भी उखड़ चुका है, ऐसे में वाहनों को रेंग-रेंग कर चलना पड़ रहा है। इमरजेंसी वाहन तेज गति से निकलते हैं तो प्राय दोहरी दुर्घटनाएं आये दिन घट रही हैं।

किसान वर्ग, व्यापारी, व्यवसायी, गम्भीर रोगियों एवं प्रसव पीड़ा झेलने वाली

(श्री जगसी राम)
माता-बहनों को लाने ले जाने वाले एम्बुलेंस वाहनों एवं निजी व रोड़वेज वाहनों से यात्रा करने वाले यात्री गण, यहां तक कि दुपहिया वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: लोक महत्व में रेवदर क्षेत्र की उक्त अति महत्वपूर्ण सड़कों पर पुन: डामरीकरण किये जाने की कार्यवाही करायी जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप लाल।

गोगुन्दा में क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को दुरुस्त करने बाबत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्ष एवं इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण पंचायत समिति कोटड़ा के सिंचाई विभाग के कालीबोर बांध के ओवरफ्लो से नदी के बहाव क्षेत्र में परिवर्तन हो गया जिससे विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों- कालीबोर, पीपला, टेपुर, मेरपुर, तिलोई, मालवीय आदि में भारी नुकसान हुआ। जिला मुख्यालय उदयपुर से उपखण्ड कोटड़ा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क व पुलियाएं टूट गईं। साथ ही बिजली के खम्भे उखड़ गये हैं व फसलों को भारी नुकसान हुआ।

साथ ही इसी तरह क्षेत्र के गोगुन्दा से ओगणा सड़क के 19 किलोमीटर के दायरे में स्थित वाकल क्षेत्र की आदिवासी जनजाति बाहुल्य सात ग्राम पंचायतें, क्रमश: वीरपुरा, समीजा, वास, पडावली कला, पडावली खुर्द, अम्बावा, मादड़ा में भी भारी बारिश से जगह-जगह से सड़क व पुलियाएं टूट गईं जो आज दिन तक दुरुस्त नहीं हुईं।

अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं को दुरुस्त/ठीक कराने की स्वीकृति कराने का श्रम करावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों व प्रावधानों की क्रियान्विति

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जनजाति उप-योजना (अनुसूचित) क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों एवं प्रावधानों की क्रियान्विति कराने हेतु नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति उप-योजना क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के

(श्री देवेन्द्र कटारा)

साथ-साथ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों का भी आंशिक क्षेत्र आता है। जनजाति उप-योजना क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी, 1981 जी.एस.आर. 61(अ) महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी कर घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा दो में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पांचवीं अनुसूची के उपबन्धों के अधीन होगा। परन्तु आज तक इस क्षेत्र में कार्यपालिका पांचवीं अनुसूची के उपबन्धों के अधीन काम नहीं कर रही है जिससे क्षेत्र की जनता अपने प्रावधानों के होते हुए भी दुःखी है। पांचवीं अनुसूची के पैरा पांच में संसद या विधान मण्डल का कोई भी विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होगा, यदि लागू होगा तो अपवादों या उपान्तरणों के अधीन लागू होगा। अपवाद या उपान्तरण जनजाति सलाहकार परिषद से विचार-विमर्श कर ही तय किये जायेंगे।

परन्तु आज बिना विचार-विमर्श किये इस क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता, आबकारी अधिनियम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम सहित कई ऐसे अधिनियम लागू कर दिये हैं जो संविधान के अनुच्छेद 13(3) (क) एवं (ख) अनुच्छेद 16(4) (क) एवं (ख) अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 243 (जेड) (सी) अनुच्छेद 244(1), पांचवीं अनुसूची सहित कई अनुच्छेद ही भावनाओं के विपरीत है जिससे इस क्षेत्र की जनता के भूमि, जल एवं जंगल से सम्बन्धित सारे हक प्रभावित हो रहे हैं तथा अनावश्यक अपराधों में प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। शांति व्यवस्था के नाम पर प्रकरण दर्ज हो रहे हैं जबकि ग्राम सभा एवं क्षेत्र की प्रथा में मीटिंग का प्रावधान होने के बावजूद भी जबरन प्रकरण दर्ज हो रहे हैं।

अभी पंचायती राज में पंचायत सहायक भर्ती की गई, इसमें भी पूरा उल्लंघन हुआ है। अभी पूरे क्षेत्र में अनुच्छेद (16)4) क व ख के तहत यदि समीक्षा की जाए तो काफी विसंगतियां इस क्षेत्र में नियोजन में हुई है। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग में प्रमोशनों में जनजाति को लाभ नहीं मिला है। इसी तरह सभी विभागों में अनुसूचित क्षेत्र का लाभ नहीं मिला है जिससे अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों में कुल संख्या में अल्प संख्या में आ गया है। 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आपने सदन के पटल पर जो चीज रखी है उस पर यह उल्लेख है क्या?

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): हां, है न, यह सारे दिये हैं, रिपोर्ट तैयार कर के ही दी है मैंने तो।

श्री उपाध्यक्ष: आपके इसमें नहीं है।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): नहीं, यह भूमि वाला ? ...(व्यवधान)... भूमि वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपके, 'संख्या में आ गया है', के बाद में सीधा, 'अत: मेरा अनुरोध है', आप या तो वहां से चालू करिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): अत: मेरा अनुरोध है कि संविधान की भावनानुसार अनुच्छेद 244(1), पांचवीं अनुसूची, अनुच्छेद 13(3) क व ख, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 243 जेड सी सहित सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय की पालना करायी जाने की व्यवस्था करावे जिससे कि क्षेत्र की जनता को आजाद भारत में अपने क्षेत्र के कानूनों का लाभ मिल सके तथा अपने कानूनों के विपरीत कानून हैं, उनसे निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: यह भी आपका इसमें नहीं लिखा हुआ है।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): इसमें है न, निजात मिले, वह है।

श्री उपाध्यक्ष: यह जो आपकी आखिरी दो लाइन हैं, इसमें कहीं बीच-बीच में आप ऐसे शब्द बोल जाते हैं, जो आपके इसमें उल्लेखित नहीं हैं। जो आपने दिया है वही यहां रिकार्ड पर होगा।

वैसे संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह 295 का जो इनका उल्लेख है, उसमें संविधान की जो धारा है 243 ZC, इसको जरूर गंभीरता से देखें। इनका विषय काफी गंभीर है।

श्री नाना लाल अहारी।

ऋषभदेव में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव प्राचीन तीर्थ स्थली है। ऋषभदेव, केशरियाजी में आजादी के 68 साल के बाद आज भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने खैरवाड़ा में सत्र 2004-05 में राजकीय महाविद्यालय खोला। जिसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान तीनों संकाय खुलवाये गये।

उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव के अधीन 28 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 24 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय स्थित है।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें माध्यमिक कहां लिखा हुआ है ? इसमें सिर्फ उच्च माध्यमिक है।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): प्रत्येक विद्यालय में औसत कक्षा 12वीं में 150-200 छात्र पढ़ाई करते हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 4-5 हजार विद्यार्थी कॉलेज में अध्ययन करते हैं। ग्रामीण जनजाति बाहुल्य पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थी कॉलेज के अभाव में उदयपुर, डूंगरपुर एवं खैरवाड़ा की शरण लेते हैं। ऋषभदेव में धार्मिक नगरी के साथ-साथ पगल्याजी मठ, उपखण्ड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, पुलिस उप अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मयूर धागा मिल एवं पंचायत समिति मुख्यालय जैसे कई कार्यालय भी स्थित हैं। ऋषभदेव, सेमारी दोनों तहसीलों का केन्द्रीय बिन्दु भी ऋषभदेव माना गया है। उक्त जनजाति क्षेत्र का देवस्थान विभाग एवं खनन माइनिंग क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रहा है। उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव से सागवाड़ा की दूरी 30 किलोमीटर एवं ऋषभदेव से पंडयावाड़ा की दूरी 25 किलोमीटर स्थित है। जिससे आवागमन में काफी विकराल समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ऋषभदेव उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खुलने से छात्र-छात्रा अनुपात में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित ऋषभदेव में सभी जाति, बिरादरी के लोग निवास करते हैं। धार्मिक नगरी ऋषभदेव में बिखरी आबादी के गरीब, आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी काफी राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं सरकार के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगी।

अत: अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऋषभदेव उपखण्ड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालयों स्वीकृत कराकर ग्रामीण जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन करने में राहत प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोहर सिंह।

लाडनूं में अधिशासी अभियंता के खंड कार्यालय की स्थापना

श्री मनोहर सिंह (लाडनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडनूं (नागौर) में विद्युत उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के समाधान हेतु लाडनूं शहर में अधिशासी अभियंता का खंड कार्यालय खोला जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में 2 सहायक अभियंता कार्यालय कार्यरत हैं एवं करीब 10 हजार से अधिक कृषि, औद्योगिक व घरेलू कनेक्शन हैं।

लाडनूं शहर व इसके आसपास विभिन्न प्रकार के सैकड़ों की संख्या में उद्योग लगे हुए हैं। बिजली की समस्या के समाधान के लिए मेरे क्षेत्र की जनसंख्या को

(श्री मनोहर सिंह)
डीडवाना अधिशासी अभियंता कार्यालय बार-बार जाना पड़ता है। जिससे आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी लाडनूं में विद्युत विभाग का खंड कार्यालय खुलवाने हेतु जनता द्वारा मांग रखी गई थी। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि लाडनूं शहर में विद्युत विभाग का अधिशासी अभियंता खंड कार्यालय खुलवाने का श्रम करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा।

नागौर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर के नागौर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में हो रही चोरियां, अनैतिक कार्य व युवतियों को अगवा कर भगा ले जाने की तरफ नियम 295 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि गत 1 वर्ष से मेरे क्षेत्र के नागौर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2 से 4 चोरियां हो रही हैं। जिसमें जनता का लाखों का माल चोर चुराकर ले गए। पुलिस प्रशासन 1 साल व्यतीत होने के बाद भी इन चोरियों का खुलासा करने और चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है।

इसी प्रकार गत 1 वर्ष में 10-12 युवतियों को अगवाकर भगाकर ले गये। जिसमें विभिन्न समाज की शादी शुदा औरते भी हैं। इसमें ऐसा अंदेशा है कि क्षेत्र में ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है जो युवतियों को अगवा करके ले जाता हैं और उन्हें कहीं बेच देते हैं अथवा अनैतिक कार्य करवाते हैं। अगवा की गई युवतियों का आज तक पुलिस कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई, जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करवाने, चोरों को पकड़ने व गुमशुदा महिलाओं को बरामदगी करने हेतु पुलिस को पाबंद कर अतिशीघ्र कार्यवाही करवाने के आदेश जारी करवाने का श्रम करावें जिससे जनता में उत्पन्न रोष को शांत किया जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय। एक मिनट।

शासकीय वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री को मिले धमकी भरे पत्र पर कार्यवाही

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दो विषय यहां पर मेरे विभाग से संबंधित थे। एक तो शिक्षा मंत्री जी को कोई धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ। वैसे वह एस.पी. और आई.जी. के पास पहले से ही है। उसकी जांच कर रहे हैं कि वह कहां से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आया। जांच होने के बाद जो भी उचित व्यवस्था हमको करनी होगी, वह करेंगे।

खण्डार की गुमशुदा लड़की के प्रकरण में पुलिस कार्यवाही

दूसरा विषय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोर-शोर से उठाया और ऐसा लगा था कि कोई भूचाल आ गया हो। यह बात सही है कि कुड़ी बाई जो गुर्जर की लड़की थी, वह अपने घर से निकल गई थी, पीहर पक्ष से ही। 26 तारीख को उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में 1/17 जरूर दर्ज हुई। पुलिस ने छानबीन की और उसके बाद वह कोटा में मिली। उसको एस.डी.ओ. खंडार के यहां पेश किया। उसने घर जाने की इच्छा जाहिर की। 27 तारीख को ही वह आ गई थी और 28 तारीख को उसको, उसके मां-बाप को सुपुर्द कर दिया। मैं सोचता हूं कि पुलिस को जो कार्यवाही करनी थी, घटना के दर्ज होते ही, वह कार्यवाही उन्होंने की है। ऐसी कोई बात नहीं थी और जिस प्रकार से वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि पुलिस जैसे सो रही हो।

यह बात जरूर है कि पहले दिन, क्योंकि जिस पर संदेह था, वह उसी गुर्जर के ड्राइवर था। उसके कारण से बैरवा समाज में एक भय व्याप्त हुआ था कि इसके कारण से हमें दिक्कत होगी। वह थोड़ा सा था, लेकिन पुलिस फोर्स लगा दी गई। उनकी खेती बाड़ी और स्कूल में बच्चों का सब काम हुआ। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वह सब गांव छोड़कर के चले गए हैं। अभी तक वह सब लोग अपनी-अपनी जगह पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयनारायण पूनिया।

सूचना

नागौर से अगवा युवतियां

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नागौर में भी पिछले महीने 5 युवतियों को ले गए हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मंत्री महोदय, रोज चोरियां हो रही हैं। परसों हुई, उससे दो दिन पहले हुई। 2-2 लाख का माल सिटी में से ले गए। अभी तक पुलिस ने उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। बहुत ही सीरियस मामला है नागौर का भी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे लिए असंभव है कि मैं हर चोरी का हिसाब, हर समय ध्यान में रखूं और उसका जवाब दे दूं।

अगर आप मुझे लिखकर देंगे ...(व्यवधान)... तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं। अचानक मैं सब चीजों की जानकारी बताने में ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आपका 295 था आज का माननीय सदस्य का वह वैसे भी आपके पास आएगा। उसमें भी यह उल्लेख है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह हमारे पास आएगा, उसे हम देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयनारायणजी पूनिया।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

तारानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर विधान सभा क्षेत्र में आपणी योजना के जरिये पानी सप्लाई होता है और उसकी सीमा सन् 2012 तक की थी, पुरानी हो गई है यह, मशीनरी भी जर्जर हो गई है, पाइप लाइन भी जर्जरित है, पाइप पुराने हो चुके हैं। पाइप डालने के दौरान जो गलतियां करके गए थे इंजीनियर उस वक्त के उसके कारण से कई गांव तो वंचित ही रह जाते हैं। एक पाइप लाइन के जरिये टंकी से जो चलती है वह पहला गांव जोड़ा, उसी पाइप लाइन से अगले गांव को जोड़ दिया, उसके अगले गांव बढ़ा दिया, उसको तीसरे गांव बढ़ा दिया, उसी को चौथे गांव में बढ़ा दिया। पहले गांव में तो पानी पहुंचता है बाकी गांवों में पानी ही नहीं पहुंचने देते। पानी की कमी पड़ती है तो इस तरह से कई गांव तो टेल पर है पाइप लाइन के उनमें तो आज तक भी पानी नहीं पहुंचा, कोशिश बहुत की, तीन साल हो गए, विधान सभा में मुझे यह मुद्दा उठाते हुए, मैंने कहा भी है, मंत्रियों से भी मैंने बहुत बात की है, जलदाय मंत्रीजी से भी की है लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब तक सर्दी थी उसकी वजह से तो काम चल गया अब गर्मी आ गई है, सबने कहा है कि पानी की व्यवस्था करो नहीं तो मुश्किल बहुत हो जाएगी। कारण यह है कि अगर पानी नहीं पहुंचता है तो लोगों को मोल लेना पड़ता है और मोल लेने में जितने भी गरीब आदमी हैं उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी होती है। आए दिन वहां अकाल होता है और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। पानी भी मोल लेकर पीना पड़े उस गरीब जनता को तो इससे ज्यादा और क्या संकट हो सकता है। मैं आपके जरिये उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि सारी स्कीमों के ऊपर मैंने वहां लोकल स्टाफ तथा एक्सईएन और एसई इनसे मिलकर बात की, उनको बताया, उनको सारा मौका दिखाया, सब लोगों ने हर प्रकार से एक ही बात वहां पर की कि इसके लिए अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। उनकी स्कीम भेजी हुई है यहां पर, बना-बनाकर भेजी लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी मिला था, मैं कहकर आया हूं कि यह स्कीमें बड़ी जरूरी है, आपको जल्दी करनी है। उनमें यह गांव हैं, बहुत ही सीरियस कंडीशन में इस वक्त में, गांव सारायण, बास

(श्री जय नारायण पूनियां)

सारायण, कोहीना, मदावास, पून्दरास तथा थेलाना, यह छह गांव हैं एक जगह ही है, जहां पर पानी आज तक सही ढंग से नहीं पहुंचा है और ठीक प्रकार से इनको बजट भी नहीं मिला है। गांव ढ़ींगी, लाम्बा की ढाणी, ढाणा पट्टा राजपुरा, ये तीन गांव एक जगह है। कुछ ऐसे भी हैं गांव जो पाइप लाइन के एंड पर है, उनमें सोमसीतर है, चाहरों का बास है, अभयपुरा है, ये अलग से गांव वंचित हैं पानी न पहुंचने के कारण से। दूसरा शहरी क्षेत्र में भी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। वहां पर भी पानी की सही ढंग से सप्लाई करने के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा हुआ है। बहुत अरसे से भेजा हुआ है और एक ददरेवा गांव हैं, जहां पर पीने के पानी के लिए घर-घर पर नल की व्यवस्था है, बहुत पुरानी व्यवस्था है, आबादी बहुत बढ़ गई, मेले के अंदर बहुत भारी जन समूह आता है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है हर प्रकार से तो उस गांव के अंदर भी एक करोड़ रुपए की जलदाय योजना बनाकर भेजी हुई है, आपके यहां पर पेंडिंग है, चीफ इंजीनियर के पास, यह पास करना बहुत जरुरी है। शिमला, महरासर, उपाधियान, देवासर, रायपुरा, तहसील सरदारशहर के गांव हैं, इन गांवों में भी पानी नहीं पहुंचता है, इनकी पूर्ति करवाना बहुत जरूरी है। कोशिश बहुत कर ली लेकिन यह किसी भी प्रकार से कुछ समझ में नहीं आता इसलिए इन पर खर्चा करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को और सारी योजना बनाकर आपके कार्यालय में यहां पर उच्च स्तर पर भेजी हुई है और सारायण गांव जैसे छह गांव है। इसी प्रकार से गांव शिमला, महरासर, उपाधियान, देवासर, रायपुरा, तहसील सरदारशहर के गांव हैं इनका भी एक जगह पर ही है जहां पर पानी नहीं पहुंचता है तो इन गांवों का, बारह गांव हैं टोटल, ददरेवा और शहर करके ये चौदह स्थान ऐसे हैं जो बहुत ही खतरे में है, इनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितना ही जोर मार लो प्रेशर नहीं बनता है। प्रेशर न बनने से जो घर ऊँचाई पर बसे हुए हैं और जो निचाई में बसे हुए हैं उनमें फर्क रह जाता है पानी में, ऊंचे घरों में पानी नहीं पहुंचता है, नीचे वाले घरों में पानी बह-बहकर चला जाता है। कितना ही पानी दो, नीचे वाले तो फायदे में हैं पानी आवश्यकतानुसार आ जाता है लेकिन ऊँचाई के ऊपर पानी नहीं चढ़ता है, प्रेशर नहीं बनता है। यही हाल शहर के अंदर है। वहां पर भी पांच करोड़ की एक स्कीम बनाकर भेजी हुई है, वह अगर पूरा नहीं करेंगे तो शहर को भी सप्लाई पानी पूरा नहीं हो सकता।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विभाग को यह कहना चाहता हूं कि यह गर्मी के मौसम में बहुत भारी परेशानी आएगी, इसको देखते हुए इसके बारे में कुछ न कुछ इन योजनाओं के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है और इन योजनाओं पर अमल करने के बाद में पानी की कुछ समस्याएं हल होंगी और ये स्कीम पुरानी होने

(श्री जय नारायण पूनियां)
के कारण इनकी स्थिति खराब है, पाइप लाइन भी कहीं-कहीं बदलनी पड़ेगी, और भी खराबी हैं, जोड़ वगैरह आए हुए हैं, तो इसलिए इनमें पुनर्गठन की जरूरत है, यह दुबारा देखनी पड़ेगी इसलिए मैं तो आपसे रिक्वैस्ट करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हिदायत दी जाए डिपार्टमेंट को कि पुन: इनका पुनर्गठन करने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पर पूरा ध्यान देकर नए ढंग से इसको संचालित करने के लिए व्यवस्था की जाए। इसलिए पानी का तारानगर क्षेत्र के जो गांव हैं ये बहुत दु:खी हैं और तीन साल से तो मैं देख रहा हूं और कितनी बार उनको आश्वासन दिया है और देते-देते हुए भी हमारा कहना नहीं मानते ये लोग कि क्या कर रहे हो, हम प्यासे मर रहे हैं, हमारी पोजीशन बहुत खराब है, इसलिए इस हालत को देखते हुए यह बहुत ही गरीब इलाका है, इसमें पानी मोल लाकर नहीं पी सकेगी, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर प्रकार के रोग फैल सकते हैं इसलिए इसकी व्यवस्था करने के लिए इसमें विभाग किसी न किसी प्रकार से कोशिश करके इस संकट को दूर करने की कोशिश करे, इतना ही मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग से हो जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से भी आपके माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि यह अब ज्यादा दिन स्थिति चलाई नहीं जा सकेगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने तारानगर पेयजल के बारे में जिक्र किया है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि तारानगर विधान सभा क्षेत्र के 177 गांव हैं जिनमें 110 तारानगर के हैं, 48 राजगढ़ के हैं और 19 सरदारशहर के हैं। राजगढ़ के 48 हैं उनमें से 38 में बुंगी राजगढ़ से योजना बनाकर पानी पहुंचाया जा रहा है और बाकी गांवों में आपणी योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो योजना बनी उसमें पचास लीटर और पचपन लीटर के करीब पानी रोज प्रति व्यक्ति सार्वजनिक नल से दिया जा रहा है। इन्होंने जो अभी गांवों के नाम बताएं हैं और मेरा आपसे निवेदन यही है कि तारागनर बाहर के विभिन्न वार्ड हैं जो ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं, तारानगर बाहर वाले, उनमें अभी हमने दिसम्बर के पहले-पहले 98 लाख स्वीकृत किए थे वह काम करवा दिए हैं। गर्मियों में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दूसरे जो आपने गांव बताएं हैं जैसे चलकोई, खीचदान, बह्मनगर, जिगसानाताल, कुंड की ढाणी, साहवा, धीर वास छोटा, ददरेवा, बूचावास, केलास, आणंदसिंह पुरा, इनके लिए 1 करोड़ 74 लाख रुपए की पाइप लाइन संवर्द्धन का कार्य स्वीकृत कर दिया है और वह भी काम हो जाएगा और गर्मियों के टाइम में आप के यहां पानी की प्रोब्लम नहीं आएगी। तो मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि जो इसके

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अलावा जो स्कीम आपकी हैं ...(व्यवधान)... आप सुनो तो सही पूरी बात, जो आपने दूसरी पांच करोड़ की स्कीम के बारे में जिक्र किया है तो आप मेरे पास आना, वह कौनसी स्कीम है, कहां है, एफसी में होने लायक है या पीपीसी में होने लायक है,

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): तारागनर सिटी की है यह।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो भी है, आप पधार जाना, इस बारे में अपन चर्चा करके किस प्रकार करवा सकते हैं, करवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ को जिला बनाने के सम्बन्ध में सरकार को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारे अनूपगढ़ में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और हमारा जो अनूपगढ़ हैं और अनूपगढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं वह जिले से बहुत दूर हैं। हमारा अनूपगढ़ जिले से 130 किलोमीटर है। और घड़साना 150 किलोमीटर है। उससे आगे चलकर रावला 250 किलोमीटर है, 365 हैड इससे भी ज्यादा दूर है और यहां के लोग जिले तक नहीं पहुंच पाते। ज्यादातर जो हमारे गरीब लोग हैं वे समस्या से इतने ज्यादा पीड़ित है कि जो भी सरकार की कोई योजना है वह उन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो हमारे वहां के लोग हैं वे लम्बे समय से जिले की मांग कर रहे हैं और जिले के लिए वहां 5 साल से धरना भी चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि से हमारे वहां का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे अनूपगढ़ के आसपास की मण्डियां हैं, रायसिंहनगर अनूपगढ़ के बिलकुल पास है, विजयनगर मण्डी भी इसके पास है, रामसिंहपुर मण्डी व घड़साना मण्डी, रावला मण्डी, छत्रगढ़ मण्डी, खाजूवाला, 365 हैड, यह सारा क्षेत्र इसके आसपास की मण्डियां हैं तथा बहुत बड़ी मण्डियां हैं। हमारे यहां अनूपगढ़ में तहसील भी है, पंचायत समिति भी है, पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, पीएचईडी का ऑफिस है, सिंचाई विभाग का भी ऑफिस है, राजकीय महाविद्यालय भी है, न्यायालय भी है, रेलवे लाइन भी है। सभी तरह से हमारे अनूपगढ़ के अंदर बड़े-बड़े ऑफिस बने हुए हैं, लेकिन वहां पर जो भी समस्या हमारे गरीब लोगों की रहती है, उस जिले की हमारी सरकार की जो भी कोई योजना है वह जनता तक नहीं पहुंच पाती। अनूपगढ़ जिला बनने के लायक है इसलिए अनूपगढ़ को जिला जरूर बनाया जाय ताकि हमारे वहां की समस्या का समाधान हो सके। मैं यही

(श्रीमती शिमला बावरी)

कहना चाहती हूं कि अनूपगढ़ के लोग 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, 2012 के अंदर उन्होंने अपना संघर्ष शुरु किया, धरना शुरु किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में उन्होंने एक साल पूरा होने पर वहां बहुत बड़े संतों को बुलाकर, सब किसानों को बुलाकर यज्ञ किया। उसके बाद दो साल पूरे हुए तो वहां के सभी लोग पैदल चलकर जयपुर आये और गहलोत जी के दर्शन किये यह सोचकर कि शायद हमारी बात मान लें, हमारी बात सुन लें। उसके बाद तीन साल पूरे होने पर हमारी सरकार बनी। तीन साल पूरे होने पर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और आसपास की पूरी मण्डियों की सफाई की। चार साल पूरे होने पर उन्होंने बहुत बड़ा रक्तदान शिविर लगाया। 5 साल पूरे होने पर उन्होंने सभी मण्डियां बंद करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अनूपगढ़ को जिला बनाकर जिले को नई सौगातें प्रदान करें और सुराज शासन का सपना पूरा हो। इससे जनता को अनेक समस्याओं से निजात मिलेगी। धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अति सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो अनूपगढ़ को जिला बनाने की बात रखी है इसके लिए मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि 20.01.2014 को एक हाईपावर कमेटी का निर्माण किया गया था, कमेटी गठित की गयी थी। जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त डॉ. परमेशचन्द्र जी को बनाया गया। उनके साथ में कमेटी के अंदर 5 अन्य आईएएस अधिकारियों को सदस्य बनाया गया। हाईपावर कमेटी बनाने का मकसद यही था कि नये जिले, नये उपखण्ड, पुलिस के नये उपखण्ड के लिए नोर्म्स के अनुसार और जनता की राय के अनुसार जो भी गठित हो सकते हैं उसके बारे में यह कमेटी बनी। अब यह हाईपावर कमेटी ने नोर्म्स के अनुसार सरकार को रिपोर्ट देगी। उसी के अनुसार ही गुणावगुण के आधार पर जहां भी नये जिले बनाने हैं, उपखण्ड बनाने हैं उस पर सरकार विचार करेगी। आपकी भावनाओं को मैं भी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगी, सरकार के बाद घोषणा करने का माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है। आपको यह तो मालूम ही है कि तत्कालीन सम्माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह जी थे, उनके समय गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला बनाया गया। अब पूरे राजस्थान के अंदर आपके जिले में सूरतगढ़ भी मांग कर रहा है, घड़साना भी मांग कर रहा है।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): उन्होंने समर्थन कर दिया है भादूजी ने आज। उन्होंने कहा है हम नहीं बनाना चाहते हैं, अनूपगढ़ ही बना लो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): इसलिए 50 ऐसे स्थान है जहां जिले के लिए जनता की मांग है और हमारे माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं। इसके गुणावगुण को देखते हुए हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्रीजी निर्णय करेगी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कृष्ण कड़वा।

टिब्बी (संगरिया) की 30 ग्राम पंचायतों में आवासीय पट्टों की समस्या

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंग्रेजों के शासनकाल में अधिकांश भाग रियासतों में बंटा हुआ था। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह को ब्रिटिश सरकार दबा नहीं पायी थी। बीकानेर के तत्कालीन शासक सरदार सिंहजी से सहायता मांगी गयी। सरदार सिंहजी ने अपनी वीरता व कुशल नेतृत्व के बल पर इस विद्रोह को शांत किया। महारानी विक्टोरिया ने सरदार सिंहजी को इसी वीरता से प्रसन्न होकर 1861 में विधान सभा क्षेत्र संगरिया के टीबी ब्लॉक के 41 गांव भेंट किये थे। इन गांवों को पैंतालीसा का नाम दिया गया था। संगरिया विधान सभा क्षेत्र के टीबी ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतों, पैंतालीसा को ग्रामीणों को अपने आवासीय भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं होने से मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, इससे लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। खास बात यह है पंचायत समिति ने गत 3 वर्षों में महज 32 पट्टे ही जारी किये हैं जो गांवों में केवल सरकारी निर्माण कार्यों के लिए ही जारी किये जाते हैं। इससे पहले ग्राम पंचायतों के सरपंचों के कार्यकाल में पट्टे जारी किये, लेकिन पंचायत समिति के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे इनकी कानूनी वैधता समाप्त हो जाती है। एक तरफ ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि में सरकारी निर्माण कार्यों के लिए पट्टे जारी हो रहे हैं तो दूसरी ओर नक्शा नहीं होने का हवाला देकर ग्रामीणों को पंचायत के अधिकारी पट्टे जारी करने से इंकार कर रहे हैं। पंचायत राज के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा सर्वे कराकर इस पैंतालीसा की भूमि का नक्शा बने तो समस्या का हल हो सकता है।

उससे पूर्व आबादी भूमि व उसके आस-पास की कृषि भूमि में बसे काबिज लोगों के भूखण्डों को भी आबादी भूमि विस्तार मानते हुए सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए जिसके तहत काबिज लोगों को ही मालिकाना अधिकार मिले। इस सम्बन्ध में जिला परिषद के अधिकारियों ने भी काबिज होने के आधार पर पैंतालीसा में एक अभियान के तहत पट्टे जारी करने की राय दी है। इस समस्या के हल होने पर क्षेत्र का समुचित

(श्री कृष्णा कड़वा)

विकास होगा वहीं ग्राम पंचायतों की निजी आय में भी वृद्धि होगी। टीबी ब्लॉक में आवासीय भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं होने से मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही आवासीय योजनाओं, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले आवास व मरम्मत के लिए ऋण सुविधा, विकास कार्यों की योजनाओं जैसे पशुओं के लिए कैटल शेड निर्माण, डिग्गी निर्माण आदि योजनाओं से लोग वंचित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि उक्त समस्या की ओर ध्यान देकर इसका निवारण करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो सवाल उठाया, निश्चित तौर पर टीबी ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतें हैं जिनके आवासीय पट्टों के बारे में जो आपने कहा वह सही है कि यह गंभीर समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे कॉलोनाइजेशन के माध्यम पहले जमीन भाखड़ा कैनाल के अलांगविथ थी, उसके कारण से कॉलोनाइजेशन आया। ये जो पैंतालीसा का जिक्र कर रहे हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र में पट्टे इसलिए जारी नहीं हो सके कि अधिकांश ग्राम पंचायत में इनके आबादी भूमि के नक्शे नहीं हैं और जो नक्शे हैं वो नक्शे और कॉलोनाइजेशन के नक्शे, दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने तय किया है कि हम 14 अपैल से पूरे राजस्थान में जहां आवासों के पट्टे नहीं हैं उसका एक अभियान चलायेंगे और यह जो पैंतालीस की पुरानी समस्या है इसके लिए विशेष अभियान चलाकर इनमें पट्टे मुहैया हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भवानी सिंहजी।

कोटा शहर की बारां व कैथून क्षेत्र की कालोनियों में पेयजल संकट

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोटा के पेयजल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आम धारणा है कि कोटा में चम्बल का वरदान है लेकिन दुर्भाग्य है कि कोटा में चम्बल होते हुए पेयजल की कुप्रबन्ध वितरण व्यवस्था के कारण आज भी लगभग 2-3 लाख लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा की जनसंख्या वर्तमान में 13 लाख है और बाहर से कोचिंग के लिए आने वाले बच्चों को मिला दें, लगभग 2 लाख बच्चे, तो 15 लाख आबादी होती है। 15 लाख के अनुपात में पानी का वितरण अभी तक सुचारू नहीं है। यह भी सच है कि हम तो, लाखों लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लेकिन चम्बल

(श्री भवानी सिंह राजावत)

का पानी 250 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा भेजा जा रहा है और यहां दीया तले अँधेरा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कृषि भूमि की लगभग 200 कॉलोनियां है और उन कॉलोनियों का निर्माण हुए लगभग 15-20 साल हो गये और 15-20 साल में अभी तक 200 कॉलोनियों में पाइप लाइन भी नहीं बिछ पाई। उन 200 कॉलोनियों में लगभग 10 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है लेकिन 10 लाख लीटर की जगह हम एक लीटर पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने निजी बोरिंग करवाये हैं और उन कॉलोनियों में नालियां नहीं होने के कारण गंदा पानी भूजल में जाकर मिलता है और वो बोरिंग से बाहर आता है जिसके कारण से वो जहरीला पानी पीने के लिए कोटा के लोग मजबूर हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन कॉलोनियां में आवश्यकता है कि कैसे भी मिनी अकेलगढ़ का पानी इन कॉलोनियों में भेजा जाए लेकिन अभी तक वर्षों से कांग्रेस के राज में भी 5 साल तक यह योजना रुकी रही। पिछले वाले भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब वसुंधरा जी मुख्य मंत्री थीं तो पाइप लाइन के लिए 48 करोड़ रुपये दिये थे। कुछ कॉलोनियों को छोड़कर, कहीं बजरंग नगर, गोपाल विहार, कृष्णा नगर, आदित्य आवास में पाइप लाइन बिछ गईं लेकिन पूरी जो दूसरी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में अभी तक जल प्रवाह और पानी की वितरण व्यवस्था प्रारम्भ नहीं हुई। मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इन 200 कॉलोनियों में जो बारां रोड की है, जो कैथून रोड की है, जो स्टेशन के पास की हैं, लगभग 150 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता है और यह मिनी अकेलगढ़ से पाइप लाइन आएगी। इसका लगातार प्रस्ताव विभाग ने सरकार के पास भेजा है लेकिन सरकार अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इसमें दो उच्च जलाशय बनने की और 200 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च होने की आवश्यकता है। 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे तो कहीं न कहीं पेयजल संकट का समाधान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में रानपुर की विभिन्न योजनाओं, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, भामाशाह कृषि उपज मण्डी, राजीव गांधी नगर, नगर निगम की सीमा के वार्ड नं. 5 के गांवों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रीको, नगर विकास न्यास, नगर निगम, कृषि उपज मण्डी द्वारा संयुक्त पेयजल योजना की स्वीकृत राशि 78 करोड़ 20 लाख की डिपोजिट मद में स्वीकृति जारी कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जाना निश्चित किया गया। इसके अन्तर्गत योजना की कुल पेयजल उत्पादन क्षमता 750 लाख लीटर है। योजना का कार्यादेश 2012 में मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, हैदराबाद को दिया गया और 18 महीने में काम पूरा करने के लिए कहा गया। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री भवानी सिंह राजावत)

महोदय, आज 5 साल हो गये, 5 साल में अभी तक भी काम पूरा नहीं हुआ। सरकार सोती रही, सरकार देखती रही। ऐसी कम्पनियों को, जिनको काम दिया जाता है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या उनके ऊपर पैनल्टी लगाई ? क्या उनको ब्लैकलिस्टेड किया ? लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यह पेयजल योजना अगर चालू हो जाती तो मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रेम नगर, गोविन्द नगर, कंसुआ, इंदिरा गांधी नगर, सूर्य नगर, ये जो बस्तियां हैं इन बस्तियों में आज भी आपको आश्चर्य होगा कि चम्बल है लेकिन इन बस्तियों में लोग पाइप लाइन के नीचे खड्डा खोदकर बाल्टी लगाते हैं और बूंद-बूंद पानी से एक घंटे में बाल्टी भरती है। अगर यह योजना अकेलगढ़ से चालू हो जाती तो उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को पीने का पानी मिल जाता। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी कम्पनी अगर काम नहीं कर रही है तो उसको ब्लैकलिस्टेड करें नहीं तो काम समय पर पूरा करायें ताकि लोगों को पानी मिले।

मैं दूसरा और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा की एक पेयजल योजना है बोरावास से मण्डाना-पदमपुरा जो 77 गांवों की प्यास बुझाने की है। आजादी के बाद चम्बल के किनारे के 77-80 गांव हैं जो टैंकर से पानी पीते हैं। कोटा में चम्बल की नाक के नीचे 70-80 गांव आज भी टैंकर से पानी पीने को मजबूर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने योजना बनाई थी और हम आभारी हैं वसुंधरा जी के कि उन्होंने 130 करोड़ की योजना बनाई थी कि इन गांवों में चम्बल का पानी पहुंचाया जाए। उसका काम शुरु हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज में लेकिन कांग्रेस का राज आते ही वो काम बन्द हो गया और आज भी एनवायर्नमेंट में देहरादून में फाइल पड़ी हुई है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पूरा पक्ष नहीं रखती है, चाहे लखनऊ हो, चाहे देहरादून हो, चाहे दिल्ली हो, अगर सरकार पूरा पक्ष रख दे तो यह योजना मंजूर हो जाए और 80 गांवों को पीने का चम्बल का पानी मिल जाए।

कोटा के इस पेयजल संकट की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यही कहना चाहता हूं कि आप रूचि लेकर ध्यान दें ताकि चम्बल के किनारे चम्बल के बेटे प्यासे नहीं रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से कोटा शहर में बारां व कैथून रोड क्षेत्र में बसी हुई 200 कॉलोनियों में गंभीर पेयजल संकट की एक पर्ची लगाई है।......

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

इसके अलावा इन्होंने दूसरी कम्पनियों के बारे में बोल दिया। इन्होंने बोरावास व मडाना योजना के बारे में बोल दिया। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके कोटा शहर में, बारां कैथून रोड पर मानपुरा, बोरखण्डी, दसलाणा, धाकड़खेड़ी, नया नोहरा, जालीपुरा, कंवरपुरा, सुखपुरा, मण्डाणिया, जगन्नाथपुरा, अर्जुनपुरा और चन्द्रशहर क्षेत्रों में विभाग के द्वारा जल शोधन संयंत्र 130 एमएलडी का सकतपुरा कोटा से पेयजल आपूर्ति नियमित और सुचारू रूप से की जा रही है। इन क्षेत्रों में नया नोहरा स्थित उच्च जलाशय 15 लाख लीटर तथा अर्जुनपुरा स्थित 09 लाख लीटर जलाशय से जलापूर्ति की जा रही है। इन क्षेत्रों में वर्तमान में करीब 15,000 व्यक्ति हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य से निवेदन करूं, जैसाकि इन्होंने 200 कालोनीज के बारे में, उनके आसपास के बारे में जिक्र किया है। कोटा शहर में बारां रोड और कैथून रोड पर प्राइवेट कालोनाइजर के द्वारा कृषि भूमि पर सैकड़ों की संख्या में आवासीय कालोनीज विकसित की जा चुकी हैं। इस कृषि भूमि पर विकसित इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, जल प्रबन्धन प्राइवेट कालोनाइजर के द्वारा या आवासीय विकास समिति के द्वारा ही किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का प्राइवेट कालोनाइजर के द्वारा कृषि भूमि पर विकसित आवासीय कालोनीज में पेयजल तंत्र नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि अगर कृषि भूमि पर विकसित आवासीय कालोनीज में जन सहभागिता से आप कोई एप्लीकेशन देते, चाहे कालोनाइजर द्वारा दो, चाहे आवासीय विकास समिति द्वारा दो, चाहे कोई अन्य एजेंसी के द्वारा दी गई हो, तब तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। परन्तु आज दिन तक कालोनाइजर द्वारा या आवासीय विकास समिति द्वारा, न कोई अन्य एजेंसी के द्वारा कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। जब आप आवेदन कर देंगे और जन सहभागिता में लेकर विभाग द्वारा समय पर उचित निर्णय लेकर इनको लाभान्वित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का एक उदाहरण बता दें माननीय मंत्री महोदय, जहां जन सहभागिता से पानी पिलाया जाता हो। पानी पिलाने का सरकार का कर्त्तव्य है। जयपुर की जितनी भी कालोनीज बनी हैं, सब जगह पाइप लाइन डाली है और पानी पहुंचाया है। यह कहां की बात हो गई कि जन सहभागिता से पानी पिलाओगे ? प्रोजेक्ट बन चुका, प्रपोजल आ चुका और इसलिए इन कालोनीज में जन सहभागिता का कहीं कोई नाम नहीं होना चाहिए। सरकार इन कालोनीज में पाइप लाइन बिछाए और पानी पिलाए।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंहजी।

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/2017-75 दिनांक 11.2.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'हिन्द का नापाक को जवाब-एमएसजी-लॉयन हार्ट-2' को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2016-76 दिनांक 16.2.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(72)वित्त/कर/06-46 दिनांक 12.9.2007 में संशोधन किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/09-77 दिनांक 16.2.2017 जिसके द्वारा जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पाल सिंह।

खान विभाग

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार खान विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) खान विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.14(9)माईन्स/ग्रुप-II/2015-पार्ट-II दिनांक 28.2.2017, जिसके द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री प्रभू लाल जी सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री प्रभु लाल सैनी)

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

I- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

II- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

III- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

IV- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

V- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' (क्रम संख्या 5)

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री गोपाल कृष्ण।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति 'ख', 2016-2017, के प्राक्कलन समिति 'ख', 2015-16 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति के परिपालनात्मक पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिका

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हनुमान बेनीवाल।

खींवसर, जिला-नागौर की ग्राम पंचायत बिरलोका में पीएचसी का भवन निर्माण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर, जिला-नागौर की ग्राम पंचायत बिरलोका में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) का भवन निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

लूणी के सहायक अभियन्ता कार्यालय मण्डोर को संकुल करने बाबत

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं:-

(1) विधान सभा क्षेत्र-लूणी के सहायक अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, मण्डोर को संकुल करने बाबत् एक याचिका।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

भरतपुर की ग्राम पंचायत-मौरोली कलां के राजस्व ग्राम नगला माना में आवागमन सुविधा

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर ग्राम पंचायत-मौरोली कलां के राजस्व ग्राम नगला माना में ग्रामवासियों को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये जाने बाबत् एक याचिका।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017, श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017, श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017, श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित) श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान होम्योपैथिक

(श्री जोगाराम पटेल)

चिकित्सा पद्धति अपने आपमें एक अनूठी, विकसित और प्रसिद्ध पद्धति है। वर्तमान में बढ़ रही बीमारियां, एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स, आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव के साथ ही साथ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति भी अपने आपमें एक अनूठा महत्व रखती है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 2010 में अलग से होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी। आयुक्त बनाया था। मुख्यालय जयपुर में रखा था। सरकार का यह प्रयास है कि राजस्थान सरकार निरन्तर यह प्रयास कर रही है कि राजस्थान में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन पर हर तरह से कंट्रोल किया जाए। कोई बीमारी नहीं हो, इसका भी पक्का इलाज किया जाए, व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाये। इस विभाग की, होम्योपैथी विभाग की अपने आपमें अलग महत्ता होने के कारण ही इसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है और जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी है, जिसके तहत ही यह होम्योपैथिक विभाग संचालित हो रहा है। 246 औषधालय हैं, 6 चिकित्सालय हैं और जिसमें 296 चिकित्सक इसमें कार्यरत हैं। मनुष्य के शरीर में जब कभी भी, जैसी भी बीमारियां-व्याधियां आती हैं, व्यक्ति प्रयास करता है कि भविष्य में ये पुन: नहीं आये और उसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का अपना महत्व है और एलोपैथी का अपना महत्व है लेकिन इतने वर्षों के उपरान्त यह करीब-करीब तय पाया गया है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सबसे उपयुक्त है और मनुष्य को सम्पूर्ण आरोग्य प्राप्त करने में यह पद्धति अत्यधिक सरल और सुलभ है और इसके साइड इफैक्ट बहुत ही कम हैं। डॉ. सेमुअल हेनीमेन ने इसका अविष्कार किया था। राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर के 11 सदस्य हैं और यह इसकी एक व्यवस्था है। मेरा निवेदन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अलग विषय है। प्राइवेट महाविद्यालय उसका अलग विषय है लेकिन जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है उस के साथ राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से इस पद्धति को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। इसमें कार्यरत हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं या हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उनको वो सारा एचिवमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनके पास कोई महाविद्यालय नहीं है। मेरा सबसे पहले आपके मार्फत सरकार और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यदि जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आप जोधपुर में या राजस्थान में कहीं पर भी अगर इसके महाविद्यालय की स्थापना कर दें तो जो ओब्जेक्ट आपका इसकी स्थापना करने के समय था और वर्तमान में जो ओब्जेक्ट आपका है इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया जाकर के

(श्री जोगाराम पटेल)

इसका लाभ प्राप्त किया जाए वो और अधिक लाभ प्राप्त होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में कोई विशेष खर्चे की आवश्यकता नहीं रहेगी। जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमप्लीट है। डाक्टर्स आपके पास हैं सिर्फ इस मैकेनिज्म में जो परिवर्तन करना है उस मैकेनिज्म में आप थोड़ा सा-सुधार करेंगे और एक महाविद्यालय अगर आप स्थापित करेंगे तो इसके सारे जो लाभ हैं वो प्राप्त होंगे।

मैं विशेष रूप से यह भी निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये गये हैं। यह जो एक्ट है वह राजस्थान होम्योपेथिक मेडिसिन एक्ट, 1969 और 1969 से लगा कर 2016 या 2017 के बीच में समय के अंतराल के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण मूल्य सूचकांक बढ़ने के कारण या अन्य कारणों से काफी परिवर्तन हुए हैं और आपने जो मंत्री जी, इसकी धारा- 30, 31 और 35 में जो संशोधन प्रस्तावित किया है वो समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत जरूरी भी है। आपने इन तीनों सैक्शन में उस जमाने में जो फीस हुआ करती थी और उस जमाने में जो रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन हुआ करता था उसको ध्यान में रखते हुए फीस का और ड्यूरेशन का जो राइट सरकार का अपने पास लिया है वो मेरे हिसाब से वाजिब भी है। उस जमाने में 50 रुपये, 20 रुपये या 10 रुपये फीस हुआ करती थी लेकिन अब आपने इसमें प्रेरोगेटिव एक्ट का डिस्क्रिशनरी पॉवर अपने पास लिया है। समय और परिस्थितियों के अनुसार फीस में परिवर्तन का या नवीनीकरण का मेरी समझ के अनुसार बहुत वाजिब भी है। फीस में कब-कब बढ़ोतरी की जाए यह बार-बार एक्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती है यह डिस्क्रिशन सरकार ने अपने पास लिया है। समय और परिस्थिति के अनुसार फीस में बढ़ोतरी की जाएगी और नवीनीकरण का जो समय है वो भी आवश्यक है लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि आपने जो इसमें सैक्शन-50, 51 और 53 में संशोधन किये हैं यह रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर आ जाते हैं, फर्जी डॉक्टर आ जाते हैं, कहीं इलाज कर देते हैं फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आम जनता में तकलीफ होती है। गरीब आदमी पिसता है और उसके संबंध में आपने जो अनऑथोराइज्ड प्रेक्टिस करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने की दृष्टि से आपने जो इसमें प्रोविजन किया है, शास्ति बढ़ाई है कम से कम सज़ा दो साल और उससे अधिक का प्रोविजन किया है।

आपने 500 से बढ़ा कर दस हजार तक की जो पेनल्टी लगाने का जो प्रावधान किया है और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा होम्योपैथिक साइड में कोई प्रेक्टिस नहीं करे इसके संबंध में आपने जो प्रावधान बनाया है सैक्शन-50, 51 और 53 में वो भी मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, पर मेरा निवेदन यह भी

(श्री जोगाराम पटेल)

है कि एक ऐसा मेकेनिज्म तैयार करें कि भविष्य में पुन: अपराध न हो। एक बार इसमें यह भी प्राविजन नहीं बनाये गये हैं कि एक बार पकड़े जाने के बाद भविष्य में वह दुबारा और प्रैक्टिस नहीं करे, दुबारा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसमें और कठोर प्रावधान किया जाए, ताकि भविष्य में वह ऐसी कोई भी अनधिकृत रूप से प्रैक्टिस नहीं करे और जब वो कंपीटेंट ही नहीं है प्रैक्टिस करने की उसके पास वाजिब डिग्री भी नहीं है ऑथोराइज्ड डिग्री भी नहीं है और इस तरह से वो इलाज करता है गरीब लोगों को लूटता है या भोलेभाले लोगों को लूटता है तो आपका जो यह प्रयास है वह सराहनीय है इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को दो-तीन निवेदन और सुझाव भी दूंगा और वे जरूरी भी है कि होम्योपेथिक चिकित्सालय की जब 2010 में इसकी अलग से स्थापना हुई उससे लगा कर के आज दिन तक और जब से ये सेन्ट्रल एक्ट बना 1969 का द राजस्थान होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट, 1969 और तब से लगाकर के जब 2010 में इसकी अलग से स्थापना हुई तब से लगा कर आज दिन तक हमारे होम्योपेथिक साइड के एक भी डॉक्टर का प्रमोशन नहीं हुआ। वो जिस स्टेज का डॉक्टर था उसी स्टेज में रिटायरमेंट की स्थिति में है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आयुर्वेदिक अलग विंग स्थापित हो गयी, एलोपैथिक अलग से विंग स्थापित हो गयी तो हमारी होम्योपैथिक साइड में प्रैक्टिस करने वो होम्योपैथिक चिकित्सक या नर्सिंग स्टाफ है उनका जो भी जिस नाम से भी आप पुकारें उनको भी अलग से वापस उनका प्रमोशन हो। उनका कैडर हो और उनको भी वो पदोन्नति के सभी लाभ मिले जो अन्य विंग यानि एलोपैथी में या आयुर्वेद में मिलते हैं, वो उनका भी मिले। इनकी वरिष्ठता कायम की जाए और जब तक आप इनकी वरिष्ठता कायम नहीं करेंगे तब तक इसका कोई बेनिफिट ये लेने के अधिकारी नहीं रहेंगे। आज दिन तक इनकी वरिष्ठता भी तय नहीं हुई है इसीलिए वो आज भी जिस स्थान पर बैठे हैं चाहे 2010 से हो, चाहे जब से नौकरी लगे हो तब से हो वो उसी स्टेज में जा रहे हैं और अब आयुर्वेद की अलग विंग हो गयी तो उनकी अपनी कैडर तय हो गयी। एलोपैथिक की अलग विंग है तो उनकी कैडर तय हो गयी लेकिन होम्योपैथिक की कोई कैडर ही तय नहीं है और उनका अपना कोई अस्तित्व अलग से नहीं है इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि आप उनकी वरिष्ठता सूची बनायें, उनको अपने अधिकार दें और उसी अनुसार उनको सर्विस के बेनिफिट दें और तीसरा मेरा निवेदन यह है कि ये जितने भी आपके औषधालय हैं, शायद 106 आपके ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 146 आपके शहरी क्षेत्र में हैं। इनमें भी क्रमोन्नत करने का, स्टाफ बढ़ाने का, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, दवाइयां बढ़ाने का किसी तरह का कोई

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रोविजन नहीं किया गया है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान निदेशालय स्तर पर होम्योपेथिक चिकित्सालय 'अ' श्रेणी के जो औषधालय हैं उनको क्रमोन्नत करने, सुविधाएं बढ़ाने और संभाग स्तर पर मेरा विशेष निवेदन है। माननीय कृषि मंत्री जी,....। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मांग वाजिब है। मेरा निवेदन यह है कि संभाग स्तर पर कम से कम सौ बैड का होम्योपैथी का एक अस्पताल हो यह जरूरी है अदरवाइज यह पद्धति आपकी कायम ही नहीं रह पायेगी, क्योंकि वर्तमान में प्रतियोगिता के इस युग में जब एलोपैथी और आयुर्वेदिक इतने जोर से बढ़ रहे हैं लोगों का रुझान बढ़ रहा है तो इसको होम्योपैथी को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि आप संभाग स्तर पर कोई न कोई बहुत बड़ा अस्पताल जहां इनडोर, आउटडोर दोनों की सुविधा हो ऐसा स्थापित करें। बाकी मेरा निवेदन आपसे यह भी है कि जयपुर में भी कोई बड़ा सभागार हो, क्योंकि इनके जो अधिकारी और कर्मचारी आते हैं इनके अधिकारी और कर्मचारी पूरे राजस्थान में हैं, यहां जयपुर में आपका सेन्टर पाइंट है, यदि आते हैं, लेकिन इनको कोई सुविधा जयपुर में उपलब्ध नहीं है। आप बहुत बड़े वरिष्ठ और जैसा आज सुबह बताया गया आप कमिटेड हैं। आप जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं और आपका विजन भी बहुत बड़ा है। आपका संसाधन का जो पहले वक्तव्य था वो इस अष्टम विधान सभा में नहीं आ रहा है कि संसाधन देखते हुए ऐसा वक्तव्य अभी तक नहीं आया है इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यहां इनके अधिकारियों की सुविधा के लिए ऐसा कोई ...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम जैसे वक्तव्य उच्च शिक्षा में दिये थे न वैसा तो मत देना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं देंगे। इस बार दिया ही कहां। संसाधन उपलब्धता के आधार पर विचार करेंगे, यह वक्तव्य आया ही नहीं अभी तक। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आपके संसाधनों का खूब खजाना भरा हुआ है और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आप पूरा खोलेंगे, ऐसा ही मेरा निवेदन है। मैं पुन: आपका आभार व्यक्त करता हूं कि समय की आवश्यकता के अनुसार इस एक्ट में आपने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं वो जरूरी है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर ही मैं मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं लास्ट, माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो सदस्य अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं, मैं उनको अमेंडमेंट को विथड्रा करने की अनुमति

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं दूंगा। मैं सदन से उसको ना पास करुंगा, वरना आपको थर्ड स्टेज पर बोलना है। अगर आप अपने अमेंडमेंट को विथड्रा करने की मानसिकता रखते हैं Then you come on the 3rd stage. If you are coming on the 1st stage then I will get the House to actually do the needful.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब स्वागत करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): उपाध्यक्ष महोदय, होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन किया है, सरकार जो संशोधन लायी है उसके लिये आभार व्यक्त करते हुए मैं इसको विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: You are not allowed, Sir. I will put it before the House.

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होम्योपैथिक बिल पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आज के संशोधन में धारा 62 में सज़ा का प्रावधान दो वर्ष किया है, सज़ा के प्रावधान के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि सज़ा अपराध करने वालों को तो दी जाती है लेकिन अपराध के साथ ही साथ सज़ा उन अधिकारी और कर्मचारी जिनकी आंखों के सामने अपराध होते देखे जा रहे हैं और रोजाना की हर हरकत में वह अपराध दिखते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद उन अधिकारियों व कर्मचारियों की इसमें लायबिलिटी तय नहीं की जाती। इसलिए इस विधान में मैं कहता हूं, इन्होंने कहा धारा 62 में अगर कोई भी रजिस्टर्ड सूची के अलावा प्रेक्टिस करेगा तो उसकी सज़ा दो वर्ष होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी गली में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको तम्बू लगाये हुए लोग भी मिलेंगे जिनमें उन्होंने लिखा है अच्छी तरीके से इन बीमारियों का हम इलाज करने जा रहे हैं। वह खुले आम तहसील हैड क्वार्टर पर, आपके संभाग मुख्यालय पर इस तरीके की व्यवस्था है लेकिन आपके अधिकारी, कर्मचारी उनके साथ तालमेल करके, उनकी अनदेखी करते हुए उनको इसकी अनुमति देते हैं। आपकी दवाइयों की बात करो तो आज सबसे बड़ा व्यापार नकली दवाइयों का हो रहा है। नकली दवाई बेचने वाले लोग आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स के माध्यम से अपनी उस शक्ति का उपयोग करते हैं और जो

(श्री मनोज कुमार)

व्यक्ति बीमार होता है वह व्यक्ति दवाई अपने जीवन को बचाने के लिये लेने जाता है, उनकी हालत यह रहती है कि दवाई बेचने वाले और दवाई लिखने वाले, दोनों व्यक्ति मिलकर नकली दवाई के साथ आदमी के जीवन के साथ खिलवाड किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नकली दवा लिखने वाले, बेचने वाले और जो तम्बू लगाकर आयुर्वेद के नाम से दवाई बेच रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही अगर आपके अधिकारी और कर्मचारी नहीं करते हैं तो आप उनकी लायबिलिटी भी इसमें तय करें कि उनके खिलाफ भी वैसा ही अपराध माना जाये, उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्यवाही की जाये जैसी करने वालों के खिलाफ होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जहां डाक्टर लग जाता है, इनके पास वहां कम्पाउंडर नहीं, वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं। जिन डाक्टर के पास कम्पाउंडर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, उन रिक्त पदों को आप भरें। जहां पद स्वीकृत नहीं है, वहां पद स्वीकृत करके उन लोगों को लाभान्वित करें क्योंकि उनके बिना आपका कोई डाक्टर काम नहीं करता। इसलिए कम्पाउंडर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जितने भी रिक्त पद हैं उनको आप भरे और तहसील हैड क्वार्टर पर आपके जितने भी होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक हास्पिटल हैं उनको अ श्रेणी में क्रमोन्नत करके उनको अ श्रेणी में शामिल करें, जिससे वहां डाक्टर व कम्पाउंडर की संख्या बढ जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां आपने होम्योपैथिक व आयुर्वेद के डाक्टर लगा रखे हैं, मैं कहता हूं कि उनका उपयोग जीरो परसेंट हैं। आप तहसील हैड क्वार्टर पर उन सभी डाक्टरों को लगाकर एक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का बड़ा हास्पिटल बनाये जिससे सभी बडी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं वहां मिल जाये तो इसका बहुत बड़ा फायदा आम जनता को आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक के रूप में मिलेगा। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके डाक्टर सिर्फ जाते हैं और जाने के बाद अपनी हाज़िरी पूर्ति करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, इसके अलावा जनता को सीधा उसका कोई लाभ नहीं है। इस पर भी आप गंभीरता से विचार करें। विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, वहां मात्र एक डाक्टर बैठता है। उसके पास न कम्पाउंडर है, न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और न ही उसको आपने तहसील हैड क्वार्टर पर होते हुए भी अ श्रेणी में क्रमोन्नत किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इन सारी बातों पर गंभीरता से विचार करके राजस्थान की जनता के हित में जो काम हो, उस पर आप निर्णय करे और राजस्थान की जनता को लाभ दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव दिया

(श्री मनोज कुमार)
है उसको मैं दो महीने के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज निश्चित रूप से प्रदेश और देश में होम्योपैथिक पद्धति से उन गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव हुआ, स्वाइन फ्लू में होम्योपैथी की दवाई कारगर साबित हुई, चिकिनगुनिया में कारगर साबित हुई। यह एक बहुत पुरानी पद्धति है लेकिन सरकार के संरक्षण के अभाव में, सरकार की पालिसी जो होम्योपैथी को बढावा देने की नहीं रहती, कई बार सदन में पहले भी चर्चा हुई थी, आज प्रदेश में होम्योपैथी के अस्पताल आपने खोल दिये लेकिन उनमें कहीं डाक्टर नहीं है, कहीं डाक्टर है तो कम्पाउंडर नहीं है, कहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है और प्रदेश में एक छत के नीचे आप जो औषधालय खोलने की बात कर रहे हो तो कहीं एलोपैथी का डाक्टर है वहां होम्योपैथी का डाक्टर नहीं है और अगर होम्योपैथी का है तो आयुर्वेद का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि होम्योपैथी की इस पुरानी पद्धति को सरकार बढावा दे, इसको संरक्षण प्रदान करे ताकि ऐसी गंभीर बीमारियां जिनका एलोपैथी और आयुर्वेद में भी इलाज संभव नहीं है, उसका होम्योपैथी में इलाज संभव है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है, इस पद्धति का आविष्कार जर्मनी के एलोपैथिक डाक्टर हनीमन ने किया और इसका भारत के कई विद्वान महापुरुषों ने, महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ टेगोर ने भी भारतवर्ष के लिये संजीवनी बूटी के समान इसको माना था। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस संशोधन विधेयक के पैरा 7 में जिक्र किया है कि धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है उसे मैं मेरी ओर से सुझाव देता हूं कि इसे बढाकर पांच वर्ष किया जाये और जुर्माना जो दस हजार रखा है गलत काम करने वाले व्यक्ति के लिये, जो गलत तरीके से वहां पकडा जाता है, नीम हकीम, झोलाछाप डाक्टर मिलते हैं, उनके लिये जुर्माना बढाकर दस हजार से कम से कम एक लाख रुपये किया जाये जिससे इस प्रवृति को रोका जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर गौर करें तो राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा के अंतर्गत संशोधन करके फीस में बढोत्तरी की गई है, इससे निश्चित रूप से होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड का राजस्व बढेगा, मगर इसके अलावा इस विधेयक में वह ठोस बात नजर नहीं आई जिससे इस महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति

(श्री हनुमान बेनीवाल)

का उद्धार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड जिसमें केवल रजिस्टर्ड चिकित्सकों का ही नामांकन है, इसके अलावा इस पद्धति चिकित्सा संबंधित किसी भी सूचना संलग्न बोर्ड में नहीं है, जिसे करवाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश में 6 अ श्रेणी के होम्योपैथी के चिकित्सालय है, इसलिए मैं सरकार और चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अ श्रेणी के होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जाये ताकि अधिक से अधिक लोग चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सके। आज आप चिकित्सा व्यवस्थाओं में अग्रणी होने का दावा करते हैं परंतु दुर्भाग्य से हमारे राजस्थान में एक और पूरे प्रदेश में एक सरकारी होम्योपैथिक कालेज नहीं है। 7 प्राइवेट कालेज हैं जिनमें तीन जयपुर, एक अलवर, एक भरतपुर, एक बीकानेर व एक गंगानगर में है जो केवल संस्थागत व्यवस्था है। इसलिए सरकार को शीघ्रता से नागौर, जोधपुर जैसे बडे जिलों में सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में 294 के लगभग राजकीय औषधालय हैं, जिन्हें और बढाने की आवश्यकता है।

ताकि ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को मिल सके। आज भारत के अंदर होम्योपैथिक की ओपीडी लगभग पंद्रह से बीस हजार है। जिनको मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस चिकित्सा पद्धति को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पूरे इण्डिया के अंदर पन्द्रह से बीस हजार की ओपीडी है। आजादी के सत्तर साल बाद अगर इस व्यवस्था को और ठीक करते तो यह ओपीडी बढ़ सकती थी। आज हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो होम्योपैथिक चिकित्सा निदेशालय 2010 में जयपुर के प्रतापनगर में स्थापित हुआ था। स्थापति होने के बाद उसमें आज तक कोई नया विकास नहीं हुआ और न ही सीनियरिटी की कोई लिस्ट बनी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया जैसी गम्भीर बीमारियों में भी इस पद्धति से लोगों का सफल इलाज किया गया। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पी.एच.सी. स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा इससे संबंधित अन्य अनुभागों के नए पद सृजित किए जाएं। जो चिकित्सक बन चुके हैं, उन्हें रोजगार देने की दृष्टि से भर्ती निकाली जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक तहसील स्तर तक सी.एच.सी., पी.एच.सी. तक होम्योपैथिक के डॉक्टर और कम्पाउंडर से अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब आदमी को भी इस पद्धति से इलाज का लाभ मिले। आयुर्वेद पद्धति को भी बढ़ावा मिले। उपाध्यक्ष महोदय, एलोपैथिक से तो दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथिक से साइड इफेक्ट

(श्री हनुमान बेनीवाल)

नहीं होते हैं। यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को इस पद्धति को बढ़ाने का काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मैं मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह (अनुपस्थित)। श्री रमेश ।

श्री रमेश (सपोटरा): राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। होम्योपैथिक एक ऐसी विधि है जो दुनिया भर की सबसे सस्ती और आसान पद्धति है, जिसके द्वारा इलाज से बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो इस पद्धति को बढ़ाने के लिए यदि सरकार जिस प्रकार एलोपैथिक में बहुत सारा भामाशाह योजना द्वारा, नि:शुल्क दवा योजना द्वारा इतना खर्चा वहन किया जा रहा है तो हमारा राजस्थान राज्य एक बहुत बिखरी हुई आबादी में फैला हुआ है और जहां दूरस्थ इलाके हैं, इंटीरियर एरिया है। जिसको हम कहें - टेल, वहां तक डॉक्टर्स नहीं हैं और वहां पर भामाशाह योजना के द्वारा या निशुल्क दवा योजना के माध्यम से दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। वहां पर यदि होम्योपैथिक चिकित्सक नियुक्त कर दें तो लोगों को इलाज आसानी से मिल सके और हजारों प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनको समय पर यदि होम्योपैथिक दवाई मिल जाए जिससे आने वाले समय में, भविष्य में बड़े-बड़े जटिल ऑपरेशन होते हैं, उनसे बचाया जा सकता है और सरकार का खर्चा भी कम होगा। तो सरकार इस विषय में थोड़ा सा गंभीर होकर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इस होम्योपैथिक एज्युकेशन में सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और जिस प्रकार होम्योपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं। तो वहां पर डॉक्टर तो, उसमें दवाई में वो डाला जाता है, एक तरह से इत्र की तरह। उसमें यह पता नहीं रहता कौनसी बीमारी की दवा डाली गई है ? वहां पर जो देने वाला होता है। जिस फार्मासिस्ट हों या अपनी मेडिकल की दुकानों पर है। इसी प्रकार वहां पर अनुभवी व्यक्तियों को लगाया जाए, जिससे उसका लाभ मिल सके। नहीं, तो पता नहीं कौनसी बीमारी की कौनसी गोली है कौनसी चीज है ? किस को दे दी ? क्योंकि वे तो एक तरह से ऐसी दवाइयों होती हैं, जो मीठी जैसी लगती हैं और उसका इलाज नहीं हो पाता। तो मेरा इसमें आप लोगों ने होम्योपैथिक के जो डाक्टर्स हैं, गांव में इंटीरियर एरिए में जगह-जगह फैले हुए हैं और पता नहीं कौन - कौनसी डिग्री लेकर आ रहे हैं, कौन-कौनसी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं। उन पर भी एक नियंत्रण हो। इसके लिए सरकार ने जो प्रावधान किया है कि पांच हजार रूपए का जुर्माना और दो साल की सज़ा। उसके लिए सरकार एक लाख रुपए का जुर्माना और पांच साल की सज़ा रखे तो

(श्री रमेश)

ठीक रहेगा, क्योंकि होम्योपैथिक के इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आम आदमी को एक सुलभ और एक अच्छा इलाज मिल सके। यह विधेयक जो लाये हैं, इसकी तैयारी के लिए आप एक अच्छा वातावरण बनाएं। इसके लिए राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे । धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थर्ड रीडिंग में बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, आप।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार-पांच माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि 1969 में राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत बोर्ड का गठन करके होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने, चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करने, नवीनीकरण करने का कार्य प्रारंभ किया गया। यह जो होम्योपैथिक पद्धति है, इसकी लोकप्रियता और महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने पृथक से होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग स्थापित किया और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि वर्तमान में प्रदेश में 254 होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सा प्रदान की जा रही है और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है। हमारी सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए कृतसंकल्प है और यह इस बात से दृष्टिगोचर होता है कि 2013-14 में इस विभाग को बजट पच्चीस करोड़ चौदह लाख रुपए था और 2016-17 में हमनें इसका बजट बढ़ाकर चौंतीस करोड़ पचपन लाख रुपए किया। यानी 40 परसेंट की अभूतपूर्व वृद्धि हमने होम्योपैथिक बजट में की और पिछली सरकार ने जहां पहले तीन वर्षों में 47 होम्योपैथिक डॉक्टर्स की नियुक्ति की और पांच साल में 80 चिकित्सकों की नियुक्ति की। वह हमने तीन साल में 134 चिकित्सकों की नियुक्ति इसमें की है। यहां भी कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राज्य में आठ होम्योपैथिक निजी महाविद्यालय संचालित हैं और 575 डॉक्टर्स प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री हासिल कर रहे हैं और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता तय करके उनको पदोन्नति दी जाए, यह आपने कहा। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि विभाग द्वारा

(श्री कालीचरण सराफ)

होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों का कैडर रिव्यू कर 122 पद पदोन्नति के लिए स्वीकृत किए हैं, जिससे शीघ्र ही पदोन्नति हो सकेगी।

इसी प्रकार से राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तम्बू लगाए चिकित्सा करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि Drugs and Cosmetic Act, 1940 के प्रावधानों के अनुसार तथा देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 के अनुसार कार्रवाई की जाती है, और सख्त कार्रवाई करेंगे तथा इस कार्य में किसी की लिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। रिक्त पदों का जहां तक सवाल है। मैं बताना चाहूंगा कि विभाग के जो कम्पाउंडर्स के पद रिक्त हैं, उनके लिए भर्ती प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है। जो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से खींवसर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि चिकित्सालय और औषधालय खोले जाएं। हमारी सरकार के द्वारा 27 पी.एस.सी. पर 30 सी.एस.सी. और 5 जिला अस्पतालों में पहली बार होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी लगाए गए हैं।

वर्तमान में, यह कहा कि नया महाविद्यालय खोला जाना चाहिए, मैंने जैसा पहले बताया कि आठ होम्योपैथिक और निजी महाविद्यालय संचालित है, आवश्यकतानुसार इस पर अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

माननीय, मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए आग्रह किया है उसको वह वापिस ले और इस विधेयक को पारित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 9 कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 9 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड़-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड़-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण जी सराफ

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर तृतीय वाचन पर आपने मुझे बोलने का अधिकार दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 1969 का मूल अधिनियम है जिसे राजस्थान के विधान मण्डल ने 26 दिसम्बर,1969 को पारित किया, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम 1969 के नाम से। मेरे बात समझ में नहीं आई कि 1969 के इस अधिनियम में आज अचानक, लगभग 48 साल बाद, यह एक ऐसा संशोधन लेकर आने की जरूरत कहां पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह बात कर रहा हूं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं, इन्होंने संशोधन विधेयक में अधिनियम की धारा 31 संशोधित की है। मुझे आपत्ति नहीं है कि 48 साल बाद जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी, फीस आदि थी उनमें निश्चित बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन मैं इसके आगे जब बात कर रहा हूं धारा 50, धारा 51, धारा 53 का संशोधन। इन संशोधनों में जिस प्रकार सज़ा बढ़ाये जाने का प्रावधान किया, किसमें कितनी सज़ा का प्रावधान किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं इस संशोधन विधेयक को पढ़ने के बाद यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि क्या यह विधेयक सुधारात्मक कदम के लिए हैं, कि लगातार बंगाल से, कलकत्ता से, कहीं से, होम्योपैथी के नाम पर राजस्थान में जो लोग आ रहे हैं, उनकी शिकायतें आ रही है, उन पर रोक लगाने के लिए है या फिर हम इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पद्धति को और सुधारात्मक दिशा में ले जाना चाहते हैं, एक गंभीर सवाल है।

हम इस सदन में जब कोई एक्ट पारित करते हैं तो उसका नजरिया केवल नकारात्मक नहीं होता, उसका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए और इस संशोधन एक्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आप राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से क्या करने वाले हो। केवल इतना कहने मात्र से कि पिछली सरकार में इतना बजट था, हमने इतना बजट दे दिया, पिछली सरकार ने इतने डाक्टर लगाए थे, हमने इतने डॉक्टर लगा दिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं, 1969 का यह एक्ट आपने बनाया इस एक्ट के धारा 4 में बोर्ड के गठन का प्रावधान है और यह जो चेक पाइंट हम इस एक्ट के माध्यम से लगाना चाह रहे हैं, कि कोई फर्जी आदमी व्यवसाय नहीं करें, फर्जी आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं करें, अगर यह छोटे-छोटे काम नियंत्रित करने के लिए इस सदन का इस्तेमाल होने लगा, यह सारी की सारी शक्तियां, यह 1969 का एक्ट बना है इसमें धारा 4 में बोर्ड को डिफाइन किया गया है, जिसमें सरकार का भी सम्पूर्ण रूप से प्रतिनिधि होता है, फिर उस बोर्ड का उपयोग क्या । माननीय मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं इस एक्ट में संशोधन से पहले क्या गंभीरता से आपने विचार किया ? राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में गंभीर सुधार और किसी प्रकार की विकृतियां हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार के द्वारा संवैधानिक रूप से एक्ट के द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के पास है, वह बोर्ड, आज उसकी फंक्शनिग क्या है, क्या है फंक्शनिग ? मुझे याद नहीं, यह तो नहीं कह सकता कि राजस्थान का एक्ट बना उसके बाद बोर्ड बना भी कि नहीं बना लेकिन मेरे पास जिस प्रकार के प्रमाण है, पिछले 25 साल में इस बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार ने किया ही नहीं। आप क्या करना चाहते हैं ? 25 साल से आप बोर्ड नहीं बनाओ, 25 साल से इन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली एजेंसी, जिसको आपने एक्ट में एम्पावर्ड किया है, जिसको आपने एक्ट में पावर दिया है, उस एजेंसी की फ्रेमिंग आप करो नहीं और फिर केवल एक्ट में धाराए लाकर, अच्छी बात है गलत लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के गुण अवगुण के बारे में बात की, सब जानते हैं। मैं उसका बखान नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जर्मनी की जो पद्धति हिन्दुस्तान ने 1940 में अडाप्ट की, जर्मनी की उस पद्धति को हिन्दुस्तान में अडाप्ट करने के बाद राजस्थान में हमने 1960 में अडाप्ट करके 1969 में पारित कर दिया। एक्ट पारित करने के बाद इस पद्धति के जो जन्मदाता थे, एलोपैथी के डॉक्टर थे।

(श्री प्रहलाद गुंजल)
एलोपैथी के डाक्टर होने के बाद उनका एलोपैथी का अनुभव, एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति तात्कालिक उपचार के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चिकित्सा पद्धति हो सकती है लेकिन उसके जो दूरगामी परिणाम हैं, उसके जो रिएक्शन हैं, उन सबसे अगर मानव शरीर को बचाया जाना है तो जो भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति थी, जिसको दुनिया मानती थी उस तर्ज पर यह होम्योपैथिक की चिकित्सा पद्धति जर्मनी में डवलप की गई कि इस पद्धति में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस पद्धति में किसी प्रकार का कोई मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है। जब यह पद्धति रोग को जड़ से खतम करती है, शरीर पर विपरित प्रभाव नहीं डालती तो फिर हम केवल एक्ट बनाकर उसको ठण्ड़े बस्ते में डाल दें और फिर 40 साल के बाद अख़बारों में पढ़े बंगाली डाक्टर की दवा के रिएक्शन से कोई व्यक्ति मर गया या कोई चीज हो गई। हम इस एक्ट को राजस्थान में प्रभावकारी बनाने के लिए बोर्ड और कई प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं की गई है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकार उसमें सदस्य नोमीनेट करेगी और उनके क्या क्या पावर्स होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी लिखा है प्रथम बोर्ड का गठन सरकार करेगी। मुझे पता नहीं, एक्ट बना होगा निश्चित किया होगा। इसमें एक चीज और लिखी हुई है।

लेकिन इसमें एक चीज और लिखी हुई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी तरीके से बोर्ड का विघटन होने के बाद एक साल के अन्दर-अन्दर बोर्ड का पुनर्गठन होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विद्वान हैं। कानून की जानकारी आपको हमसे ज्यादा है। यह सदन, जिसके माननीय सदस्य आप भी हैं, कोई एक्ट बना दे, एक्ट बनाकर सरकार की व्यवस्था को बाउण्ड कर दे कि पहला बोर्ड सरकार गठित करेगी और बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक साल की अवधि के भीतर-भीतर उसका चुनाव होगा। हम यहां नियम बना दें और उसका वायलेशन 25 साल तक लगातार होता रहे तो फिर इस प्रकार के एक्ट्स में संशोधन का क्या महत्व हम इस सदन में निकालना चाहते हैं, यह गम्भीर विषय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

मैं होम्योपैथी के बारे में बात करुंगा। डाक्टर्स नहीं हैं, प्रमोशन नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम जब तक इस पद्धति को पूरे राजस्थान में इसका लाभ दिलाने के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे यहां जोधपुर के विश्वविद्यालय में तीनों पद्धतियां काम कर रही हैं। लेकिन मुझे बताएं। राजस्थान के सम्भाग मुख्यालयों पर क्या कॉलेज हैं ? हम आज इस एक्ट के बनाने के 48 साल बाद इस राजस्थान के जिला स्तर की बात छोड़ दीजिये, आपने कोई डाक्टर भेज दिया, मैं वह नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने

(श्री प्रहलाद गुंजल)
डिवीजनल हैडक्वार्टर पर भी इस शिक्षा पद्धति को पढ़ने-पढ़ाने, प्रशिक्षित डाक्टर तैयार करने के लिये कोई एजुकेशन में समाहित इसको ठीक तरीके से किया हो, ताकि राजस्थान इस पद्धति का लाभ ले सके। फिर मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह जो हम एक्ट ला रहे हैं, यह एक्ट चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये है, या जो विकृतियां हमारे सामने आ गयीं, केवल उनको रोकने के लिये है। बढ़ावा देने के लिये है तो फिर आज चिकित्सा मंत्रीजी यह कहेंगे कि एक साल का जो इसमें बोर्ड के गठन का नियम है, 25 साल से जो नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है, इस सदन में जो नियम बना दिये, उसका वायलेशन 25 सालों से होता रहा, उनके खिलाफ किस प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही आप करेंगे। अगर दण्डात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आज जब सदन में यह पुनर्विचार में मामला है कि एक साल में इसका गठन होना चाहिये, तो क्या आज आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि एक साल के अन्दर-अन्दर इस बोर्ड का गठन हो जायेगा।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा 50, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। धारा 50 में सजाएं बढ़ाई हैं। धारा 51 में भी सज़ा का प्रावधान बढ़ाया है और धारा 53 में भी बढ़ाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा 52 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब धारा 50 में बढ़ा दिया, 51 में बढ़ा दिया, 53 में बढ़ा दिया तो लूणी से आने वाले माननीय सदस्य यह धारा 52 बीच में कहां अटक गया। इस धारा 52 में आपने लिखा है, जो कोई अपने नाम के आगे स्वेच्छा से और मिथ्यारोपण कोई उपाधि अभिकरण करता है, ऐसा वर्णन या कोई परिवर्तन, प्रयोग जिससे विवक्षित होता है, या जो भी है, दोषसिद्ध ठहराया जाने पर इस धारा के अधीन प्रथम अपराध के जुर्माने जो 50 रुपया..., यह क्या बात है, किसी में दस हजार कर रहे हो, दो-तीन साल की सज़ा कर रहे हो और बीच में एक धारा 52 जिंदा है, जिसमें आप 50 रुपये का जुर्माना और दूसरा अपराध करने पर दो सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पता नहीं, कहीं से शिकायतें आ गयीं। बंगाली डाक्टरों का उल्लेख कर राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को दिमाग में सूझ गई, संशोधन कर देते हैं और धारा 52 को पढ़ने से चूक हो गई। एक ड्राफ्ट करके दे दिया और इस सदन से उसको पारित कराना चाहते हैं। कम से कम आप इस बात की प्रताड़ना उन ड्राफ्ट करने वालों को जरूर दें कि आप 50, 51 और 53 में इन प्रोविजंस को सुधारने की बात कर रहे हैं तो फिर धारा 52 में आपने लीनेन्सी क्यों दी। इसके पीछे मंशा क्या है ? इसीलिये इसकी परफेक्ट ड्राफ्टिंग होकर आती तो मैं समझता हूं कि यह सदन बहुत जिम्मेदारीपूर्वक इसको पास करता।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं इस पर इससे ज्यादा और बोलना नहीं चाहता। पता नहीं, क्या मंशा सरकार की रही है। लेकिन मैं समझता हूं इस लाइट में, अगर आपका बोर्ड फोर्म में होता तो आपको कहां जरुरत है। आपके बोर्ड के पास पावर है, एक्टिविटीज हैं, कौन बंगाली रजिस्टर्ड है, कौन मद्रासी रजिस्टर्ड है, कौन राजस्थानी रजिस्टर्ड है, कौन अपंजीकृत व्यक्ति, केन्द्र से कौन-कौन रजिस्टर्ड है। आपका बोर्ड सेण्ट्रल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड रहता। वहां के कौन-कौन लिस्टेड लोग हैं, जिसका आपने 49-क की एक धारा स्थापित करके प्रावधान दिया है और उसको दण्ड से उन्मुक्त रखा है। यह सारा मानिटरिंग करने के लिये आपके पास होम्योपेथी का महकमा है क्या। अभी तक तो आपने कोई एक डाइरेक्टर होम्योपैथी का बनाया हो, जो होम्योपैथी के डाइरेक्टर से रिटायर हो गया हो राजस्थान में। एक आदमी नहीं कि जो होम्योपैथी के डाइरेक्टर से रिटायर हुआ हो। मुझे बता दें आप राजस्थान की सर्विस रिकार्ड में कि निदेशक, होम्योपैथी की सेवा करते-करते एक व्यक्ति रिटायर हो गया, इसी सर्विसेज का व्यक्ति। तो यह जब हमारी मानिटरिंग ही नहीं है तो हम अधिकारियों के कहने से ही एक्ट बनाने लग जाएंगे। यह रोज का विधान सभा का काम हो गया। इसीलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको पारित करने के पक्ष में बात जरूर करुंगा। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अधिकारी ड्राफ्ट कर लाते हैं, त्रुटियां रख देते हैं, धारा 52 भी दण्डात्मक है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य आपने नजर किया होगा उसको। तो फिर आप तीन धाराओं में प्रोविजन सख्त कर रहे हो, एक में छूट दे रहे हो। क्या मतलब है। फिर सरकार मोनिटरिंग कैसे करेगी। उसकी मोनिटरिंग एजेंसी बोर्ड है। बोर्ड के बारे में आपकी चिंता ही नहीं है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस संशोधित एक्ट को पारित करने के साथ-साथ सदन को इस बात का आश्वासन दे कि इस 1969 के एक्ट में माननीय सदस्यों ने, जिन प्रोविजंस को सशक्त रूप से कानून के रूप में राजस्थान में लागू करने के लिये चर्चा के बाद पारित किया है, जिसमें बोर्ड के गठन से लेकर शैक्षिक उन्नयन तक का, उसके लिये सरकार सकारात्मक कदम उठाये। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्दसिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में होम्यापैथिक चिकित्सा हमारे जीवन के लिये बहुत उपयोगी है। जब हम हमारे बुजुर्गों से बात करते हैं तो वे एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेद और होम्योपैथी पर विश्वास करते हैं। यह बात भी सही है कि जो साइड

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इफेक्ट्स हैं वे एलोपैथी में ज्यादा हैं, होम्योपैथिक और आयुर्वेद में बहुत कम हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, चाहे सत्ता में कौन रहा, कितने समय रहा, कैसे भी रहा लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सा को ज्यादा महत्व नहीं मिला, जितना मिलना चाहिये। एलोपैथी बढ़ती जा रही है। आये दिन हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, जैसे खेत में वह भूंगा कहते हैं, वे उगते हैं, वैसे हास्पिटल्स उग रहे हैं। लेकिन होम्योपैथिक के प्रति सरकार का कतई कोई ध्यान नहीं रहता। झोले छाप डाक्टर, चाहे वह होम्योपैथी में काम कर रहे हों, चाहे वह एलोपैथी में काम कर रहे हों उनके ऊपर नियंत्रण जरूरी है। उसके लिये प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। आप जो सज़ा लाये हैं, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ जो माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हम इस एक्ट में जो मौज़ूदा प्रावधान हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दें, क्या होता है 25 करोड़, 34 करोड़ बजट क्या होता है, बताइये आप ? एक हास्पिटल का सौ करोड़ से ऊपर बजट होता है। वहां पर खर्चा होता है तो पूरे प्रदेश में, और आपने बताया कि केवल 254 केन्द्र हैं। 200 तो विधान सभा क्षेत्र हैं। आप समझ सकते हैं कि एक विधान सभा क्षेत्र पर भी एक अगर देखें तो 254 पर्याप्त नहीं हैं। हमें अच्छा लगता कि अगर होम्योपैथिक में आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आते। उसको अनुमति देते। कोई महाविद्यालय सरकारी खोलते। कोई सरकारी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी करतीं तो मैं समझता हूं इस होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती।

हमारे यहां पर जयपुर में ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनको तो पता है कि नहीं पता, पता नहीं। एक मात्र होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर ग्राम शाहीपुरा में है, प्राइवेट विश्वविद्यालय है, उसको सरकार ने टोकन मनी के ऊपर जमीन दी थी। वहां पर सारे संसाधन हैं, बिल्डिंग है, व्याख्याता हैं, डाक्टर हैं, जो भी संसाधन और जो स्टाफ चाहिये, वह वहां पर हैं। लेकिन उसके नीचे, पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के नीचे था डा. एम.पी. खुंटेटा होम्योपैथिक कॉलेज, यह अब उसके अधीन आ गया। इसकी मान्यता में भी देरी हुई। इससे लोगों को 8-10 महीने तक डिग्रियां मिलना दूभर हो गया। अब वहां पर मिलने जा रही हैं। यह जो विश्वविद्यालय है, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय शाहीपुरा में है, इसको, वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह केन्द्र से एफिलिएटेड कराना चाहती है, वहां उनके नियंत्रण में देना चाहती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं, मेरा निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रयास कीजिये। अगर केन्द्र का उस पर एकाधिकार हो गया तो फिर स्टेट का उसके ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसलिए आपको प्रयास करने चाहिए हमारी सरकार को कि उसको जब सरकार ने जमीन दी है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवायी हैं और एक प्राइवेट मैनेजमेंट कमेटी ले जाकर केन्द्र से उसको केन्द्र को दे देगा तो हमारा जब अधिकार खतम हो जाएगा तो हम जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह हम नहीं बढ़ा पाएंगे इसलिए मेहरबानी करके इसके ऊपर भी आप विचार करने का कष्ट करें।

एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो भली-भांति जानते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक में एलर्जी को जड़ से खतम करने की दवा बहुत शानदार है। सबसे शानदार दवा है एलर्जी को तो माननीय मंत्री महोदय, अगर होम्योपैथिक की एलर्जी की दवा थोड़ी- बहुत आप भी लेंगे तो हमारे प्रतिपक्ष के प्रति एलर्जी थोड़ी आपकी खतम हो जाएगी इसलिए होम्योपैथिक का प्रयोग कीजिए, यह फायदे की चीज हैं। नहीं, एलर्जी खतम हो जाएगी, जड़ से खतम हो जाएगी, थोड़ी- बहुत तो कम हुई होगी लेकिन, एक दूसरा इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मुझे एक होम्योपैथिक के डॉक्टर ने बताया था कि जिस किसी का पेट ज्यादा बढ़ता है, कीड़े हो जाते हैं पेट में, उसमें होम्योपैथिक की एक ड्रॉप आती है, वह लेने से, नियमित सेवन करने से ....(व्यवधान).... भाई, बोलने दो न, दवाई की बात है, आप क्या समझो। आप नहीं समझ सकते।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप उत्तेजित मत किया करो, वह दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो बिलकुल स्लिम हो, एकदम फिट हो। तो उससे क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह दवा लेने से पेट के कीड़े मरते हैं और फिर पेट भी ठीक हो जाता है तो आदमी थोड़ा चुस्त-दुरुस्त भी रहता है तो जब इतनी कारगर दवाइयां होम्योपैथिक में है और हमारे पास में विश्वविद्यालय है और वह विश्वविद्यालय जब वहां पर जा रहा है तो मैं समझता हूं कि आपको प्रयास करना चाहिए लेकिन एक निवेदन ....(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गोविंदजी, एक मिनट। यह पेट किसका बढ़ा हुआ है, यह बताओ तो सही। आप कालूलालजी की तरफ इशारा कर रहे हो? नहीं तो और कौन है? अच्छा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं भाई, किसी का भी हो सकता है। मैं किसी की ओर नहीं कर सकता। मैं तो, मंत्री महोदय को अब सोचना है, फैसला करना है, बिल का भी इन्होंने ही किया है तो इन पर ही छोड़ता हूं कि किसको लेनी है, किसको नहीं लेनी और किसका ठीक करना है, मैं इस बात के ऊपर क्यों जाऊं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वास्तव में यह जो झोले-छाप डॉक्टर्स हैं, चाहे बंगाली है, चाहे होम्योपैथिक के हैं, कोई भी है, यह वास्तव में हमारे लिए, मानव जीवन के लिए नासूर बन गये हैं। यह मनमर्जी आए जैसे, अब जैसे पाइल्स में है, इसमें एक वह होम्योपैथिक के हैं मंत्रीजी, वह इंजेक्शन लगाते हैं। कई इतनी पीड़ादायी होती है और कइयों के तो उस इंजेक्शन से कैंसर हो जाता है और उनको इतनी तकलीफ होती है कि मैं समझ सकता हूं कि कोई पीड़ा असहनीय होती है इसलिए निश्चित रूप से इनका रजिस्ट्रेशन भी कीजिए। इनके ऊपर अंकुश भी लगाइये। जो पहले से प्रावधान हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करवाइये लेकिन मेहरबानी करके, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्देश फरमा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारी बात तो आज कल यह कम सुनते हैं कि जैसे उच्च शिक्षा का बंटादार किया वैसे इस होम्योपैथिक का और एलोपैथी चिकित्सा का मत कर देना।

आपने जितनी बातें कहीं, मैं लेकर आया हूं। जब विश्वविद्यालय का, यह जो निर्वाण विश्वविद्यालय का बिल आएगा तब मैं अनुमति लेकर बोलूंगा कि आपने क्या-क्या कहा था और क्या नहीं किया। इसलिए आज आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे जिले के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आपका मैं बहुत बड़ा आदर करता हूं लेकिन यह दो दवाइयों का तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रयोग करें तो भी कोई बुराई नहीं है, अच्छा रहेगा सेहत के लिए बाकी, इस विश्वविद्यालय को जो टोकन रुपये में दिया था हमने, हमारी सरकार ने, इसको केन्द्र में नहीं जाने दें, राज्य सरकार के अधीन लें और महाविद्यालय आप सरकारी भी खोलें। आठ निजी महाविद्यालय है, कोई बात नहीं लेकिन सरकार की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए। इसलिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(14.54 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

आप तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्वस्थ थे, आराम फरमा लेते थोड़ी देर।

श्री अध्यक्ष: आप ज्यादा बोल रहे थे इसलिए मैं आ गया। प्रभारी मंत्री। अच्छा मानिकजी को बोलना है ? हां-हां।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, तीसरे वाचन पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जो जनमत जानने हेतु परिचालित करेंगे तो मैं अनुमति नहीं दूंगा कि वह विद्-ड्रा करे। मैंने उस वक्त उनको निवेदन कर दिया था कि मैं तीसरे वाचन पर बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल पर काफी शानदार चर्चा हुई है। अनेक माननीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)
सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, खास तौर से बोर्ड के गठन पर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात को एम्फेसाइज किया है कि बोर्ड का गठन होना ही चाहिए और अब तक क्यों नहीं हुआ, इसके तथ्यों, कारणों में भी आपको मंत्री महोदय जाने की आवश्यकता है।

आपका डाइरेक्ट्रेट है और डाइरेक्ट्रेट 2010 में ही बन गया और 2010 में डाइरेक्ट्रेट बनने के बाद 2017 तक भी बोर्ड नहीं बना तो 7 साल की जिम्मेदारी तो आपके डाइरेक्ट्रेट पर ही है कि उसने बोर्ड का गठन नहीं किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये कि जो औषधालय आपके जिला हैडक्वार्टर पर हैं उन पर आप डाक्टर्स भी स्थापित करिए। औषधालय में खाली दवा का डिस्पेन्सेशन नहीं, वहां डाक्टर की भी स्थापना हो और कम से कम एक जिले के महत्वपूर्ण पांच छह स्थानों पर होम्योपैथिक का डॉक्टर उपलब्ध हो।

आपने फरमाया कि 37 पी.एच.सीज. में यह व्यवस्था डाक्टर की हमने की है। अब कितने पी.एच.सीज. हैं, यह आपके ध्यान में हैं, मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। इन पी.एच.सीज. की संख्या में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, महत्वपूर्ण वृद्धि की जानी चाहिए।

होम्योपैथिक का जो सिस्टम है, आप गौर फरमाएं कि यूनानी है, आयुर्वेद है और होम्योपैथिक है। एलोपैथी जो है, वह तो खैर, अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है और उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है पर यह जो समानांतर चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तो होम्योपैथिक के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि आप डिविजनल हैडक्वार्टर पर पचास बैड का अस्पताल खोलें। आपने अपने उत्तर में कुछ नहीं कहा, माननीय मंत्री महोदय। डिविजन पर पचास बैड तो मिनिमम है। यह तो शुरूआत है कि इस चिकित्सा पद्धति को आम आदमी, जो बहुत सस्ती पद्धति है उपचार की, उस तक लेकर जाएं। आयुर्वेद भी उससे महंगी है और ऐलोपैथी तो सबसे महंगी है पर ठीक है कि हर व्यक्ति को चुनने का अधिकार है कि वह एलोपैथी से चिकित्सा कराएगा, आयुर्वेद से करवाएगा, होम्योपैथी से करवाएगा पर होम्योपैथी की जो व्यवस्थाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मंत्री महोदय, राजस्थान में अभी बहुत ही रूडिमेंटली स्टेज पर है।

इस बिल के माध्यम से आपने कुछ बात कही कि हमने कम्पाउंडर्स की भर्ती करने का भी कार्यक्रम बनाया है। हमने कुछ वरिष्ठ पद भी डाक्टर्स में बनाये हैं ताकि प्रमोशन हो सकें तो हमारी जो प्रमोशन की मांग थी और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोट होकर कोई आदमी डाइरेक्ट्रेट तक पहुंचे, आप नियमों को देखें कि नियमों में यह

(श्री मानिक चन्द सुराना)
प्रावधान है या नहीं ? अभी तक तो काई डाइरेक्ट्रेट, होम्योपैथी की पद्धति से अभी तक डाइरेक्टर नहीं बना है इसलिए इसको स्ट्रीम-लाइन करने की कृपा करें कि इसमें पदोन्नति हो सकें। डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर पचास बैड का अस्पताल खुल सके। जिला लेवल पर पांच-छह महत्वपूर्ण शहरों में या गांवों में यह चिकित्सा पद्धति उपलब्ध हो। वहां पर डाक्टर उपलब्ध हो चिकित्सा पद्धति का, इस बात को सरकार को इसको एक्सटेंशन की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इस बिल में सरकार की कोई एक्सटेंशन की, इसके विस्तार का कोई इंडिकेशन माननीय मंत्री महोदय, नहीं है।

इस बिल में मात्र तीन धाराएं तो इसकी है कि रजिस्ट्रेशन जो 50 रुपये में होता था, वह अब राज्य सरकार उसके लिए विहित कर देगी। रिन्युअल के लिए राज्य सरकार, पहले तीन साल का समय था, अब पांच साल का कर देगी और उसकी फीस सरकार तय करेगी, यह सब प्रावधान में कोई आपत्ति किसी को नहीं है। आप जो भी फीस लेना चाहें, वह लें। जो रिन्युअल जितने समय में करना हो, वह करें लेकिन आपने जो मुख्य बात है, यह सेक्शन 49, धारा 49 की तरफ मैं माननीय मंत्रीजी का, धारा-5 की तरफ, जिसके द्वारा आपने धारा 49- 'ए' को संशोधित किया है, धारा-49, माननीय मंत्री महोदय, मैं अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा।

(15.00 बजे)

" Sec 49-A. Power of the State Government to permit practice in certain cases." चलिये, मैं इसका हिन्दी अनुवाद ही पढ़ता हू। इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ..(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हिन्दी में मंत्रीजी के लिये इजी रहेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं-नहीं, मंत्रीजी तो अंग्रेजी भी समझते हैं। पर मुझे तत्काल ध्यान आया कि मुझे हिन्दी में ही बोलना चाहिये इसलिये मैंने रिवर्ट कर दिया। इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्षजी तो इस राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्षजी, आप मेरी सुरक्षा करें ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि डोटासरा जी तो लंदन में पढ़कर आये हैं, मैंने तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही एल.एल.बी. की है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इस धारा के द्वारा जो आदमी अधिकृत नहीं है होम्योपैथी की प्रेक्टिस करने के लिये, आपने उसको अधिकृत मान लिया है और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वह सारा काम होम्योपैथिक का, जो सेंट्रल परिषद है, उसके हवाले से किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको देखें कि आखिर कोई डिग्री तो उसके पास होनी चाहिये। यह ब्लैंकेट अधिकार तो नहीं दिया जा सकता कि चाहे जिसको परमिशन दे दी जाये। इसको ही आप देखें क्योंकि इसकी सारी मंशा यह है कि जो आदमी अधिकृत नहीं है, उसको भी परमिशन इस प्रक्रिया के द्वारा दी जा सकती है। मुझे इसमें विशेष आपत्ति है। इस पर्टीकुलर धारा पर पुनर्विचार करने के लिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

जो आपने पेनल्टी में संशोधन किया है माननीय मंत्री महोदय, एक स्थान पर पहले दो सौ ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ तक बढ़ाया जा सकता है। उसको अपन ने सीधा दस हजार रुपये तक का हो सकेगा और दो साल का दण्ड भी हो सकता है। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक लाख की पेनल्टी कर दो। मैं सदन से निवेदन करता हूं एक लाख की पेनल्टी किस-किस पर है ? बात कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि अनधिकृत प्रैक्टिस कर रहा है एक लाख की पेनल्टी कर दो। माननीय मंत्री महोदय, बहुत-से गांव ऐसे हैं जहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, न आयुर्वेद का, न यूनानी का, न होम्योपैथी का। दसों-बीसों गांव में एक डॉक्टर है। मैं यह नहीं कहता कि अनधिकृत प्रेक्टिस को छूट दे दीजिये। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप दो वर्ष का कारावास करते हैं तो सारी पॉवर आप पुलिस के हाथ में देते हैं, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। वह तो वहां एस.एच.ओ. है और वह आदमी है। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह जो आपने दो-दो वर्ष की कारावास की सजाएं इसमें वर्णित की है, इसको आप एक-एक वर्ष करें। पेनल्टी भले ही दस हजार की जगह बीस हजार लगायें, लेकिन पुलिस की पॉवर, पुलिस चाहे जिसको पकड़ते और अंदर रखने की पॉवर, इस पर रोक लगाइये, यह जनतंत्र है, लोकतंत्र है। या तो व्यवस्था करिये कि हर गांव में कोई डॉक्टर उपलब्ध होगा और जो व्यवस्था आप नहीं कर सकते उसके लिये यह कि व्यवस्था भी नहीं करेंगे। आज क्या करे कोई आदमी जो बीमार है। किसी के जाकर पूछे कि क्या दवा लूं ? एक साधारण आदमी राय देता है कि फलां दवा ले लो। क्या इस तरह से बताना कोई जुर्म है। लाखों आदमी, करोड़ों आदमी इस तरह की सलाह अपने पड़ोसियों से लेते हैं, जो थोड़े-से जानकार होते हैं उनसे लेते हैं। इसलिये इस पेनल्टी के प्रोविजन पर माननीय मंत्री महोदय पुनर्विचार करें और मेरा एम्फेसिस होगा इस बात का।

कम से कम राजस्थान में एक गवर्नमेंट कॉलेज, यह जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सात चल रहे हैं इनमें साढ़े छह सौ विद्यार्थी हैं। राजस्थान में आठ हजार होम्योपैथी के

(श्री मानिक चन्द सुराना)
डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं तो कम से कम एक सरकारी कॉलेज, प्रमाणिक कॉलेज, चाहे जोधपुर में खोलिये, जयपुर में खोलिये, बीकानेर में खोलिये, जहां राज्य सरकार की मंशा हो, वहां खोलिये लेकिन एक कॉलेज आप खोलें और जिला हैड क्वार्टर पर और डिविजनल हैड क्वार्टर पर होम्योपैथिक का इन्फ्रास्ट्रक्चर बने, इस बात की व्यवस्था करने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। ठीक है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): थोड़ा-सा, एक ही पाइंट है। अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-सा पाइंट है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो स्वस्थ नजर आ रहे हो, विराजो आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा बोलो दो मिनट।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय आपको कम से कम बड़ा दिल रखना चाहिये। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके पास होम्योपैथी का अनुभव हो तो बताइये।

श्री अध्यक्ष: अब आप एक मिनट में बोल लीजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): राठौड़ जी कह रहे हैं, अनुभव हो तो बोलो। विधान सभा में नियमों का ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया गया है। मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगी कि खासकर मेडिकल में कोई भी विधेयक संशोधित करें। मैं यह नहीं कह रही कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। मेरे से आप सब लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन किसी भी विषय पर उस विषय का संशोधन करें तो उस विषय के विश्लेषक से जरूर जानकारी ले लेनी चाहिये, क्योंकि हर विषय पर हर व्यक्ति जानकार नहीं होता है। मेडिकल में जिन्दगी और मौत का सवाल होता है, इंसान के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): थोड़ा-सा तो बोल लेने दें। मैं डॉक्टर्स की भी मांग रख दूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय मंत्री महोदय। आपने एक मिनट के लिये कहा, मैंने आपको समय दे दिया। बहुत अच्छा सुझाव आया है आपका, अब आप विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने विधेयक के प्रतिवाचन में अपने बड़े सकारात्मक सुझाव दिये और मुझे खुशी है कि सबकी यह भावना है और पूरे सदन की यह भावना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास होना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ाया दिया जाना चाहिये। सरकार की भी यही मंशा है और इसी मंशा के अनुरूप सरकार निरन्तर यह प्रयास कर रही है कि बजट में जितनी वृद्धि हम कर सकते हैं, वह वृद्धि करें। चिकित्सालय और औषधालय में औषधियों की आपूर्ति में वृद्धि की जाये। इसके लिये विभाग निरन्तर प्रयास कर रहा है।

इसके साथ-साथ यह बात भी सही है कि पिछले सालों में जितनी तवज्जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली। अब उसके लिये मैं कहूं कि पिछली सरकार ने नहीं दी और उसके बाद नहीं दी तो यह सब बेकार है। यह वास्तविकता है कि जितनी तवज्जो इस पद्धति को मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। पर मैं पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को निश्चित रूप से हम बढ़ावा देने के लिये कृत-संकल्प है और इसीलिये जहां रिक्त पद होंगे, उनको भरने की व्यवस्था भी करेंगे। जहां पदोन्नति की जानी आवश्यक है, वहां पदोन्नति भी की जाएगी और निश्चित रूप से इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिले, इसका हम प्रयास करेंगे।

कोटा (उत्तर) से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्य और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बोर्ड का गठन नहीं हुआ और 25 सालों से नहीं हुआ, बहुत ही गंभीर बात है। अब मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले छह महीने के अंदर-अंदर हम जो भी आवश्यक बातें हैं, वह पूरी करके बोर्ड का गठन निश्चित रूप से कर देंगे।

इसी प्रकार से डोटासरा जी ने कहा कि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार कहीं टेक-ओवर नहीं कर ले तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं डॉ. वीरेन्द्र पाल जी, उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि हम इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार को समर्पित करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप प्रस्ताव बनाकर भेजिये। परसों इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया है। अब उसका परीक्षण करके विश्वविद्यालय को सरकार अधिगृहित कर ले और एक

(श्री कालीचरण सराफ)

सरकारी विश्वविद्यालय होम्योपैथी का हमारे प्रदेश में हो जाए, इसका पूरा परीक्षण करके हम निश्चित रूप से इसको भी करने का प्रयास करेंगे।

विधेयक में संशोधन हुए हैं। यह बात सही है कि कोई भी बात हम करते हैं तो उसमें कुछ कमी-खामी रह जाती है। अभी तक हमने जो संशोधन किये हैं, वह सब सकारात्मक है और सबने उसका समर्थन किया है। और मान लीजिए कुछ संशोधन छूट गये तो उनको भी आगे आने वाले दिनों में हम करने का प्रयास करेंगे।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु, श्री मानिक चन्द सुराना, बोलेंगे आप इसमें?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल रेन्ट कंट्रोल, किराया नियंत्रण को संशोधन हेतु लाया गया है, इस बिल के द्वारा, नगरीय विकास मंत्री भी अभी दो-तीन महीने से नगरीय विकास मंत्री बने हैं, मेरा निवेदन है कि आप इससे क्या एचिव करना चाहते हैं ? रेन्ट ट्रिब्यूनल अलग है, आप एस.डी.एम. को रेन्ट, वो क्या ...(व्यवधान)... हां, वो बनाना चाहते हैं। यह बाइफरकेशन किराया नियंत्रण ट्रिब्यूनल के साथ नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि पुराने जो रेन्ट कंट्रोल के एक्ट हैं और सबसे पहले जो पहला एक्ट था 1951 का उसमें क्लियर प्रोविजन था कि वाद चलेगा तो उसका किराया कोर्ट में जमा हो सकता है, उसी कोर्ट में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जिसमें वाद चल रहा है। और यह प्रावधान था कि लैंडलोर्ड नोटिस देकर यह बता सकता है कि मेरा अकाउंट नम्बर कौनसा है। कोर्ट किरायेदार की दरख्वास्त पर लैंडलोर्ड को डाइरेक्ट कर सकता है कि तुम्हारा अकाउंट नम्बर इनको डिस्क्लॉज करो, वो उसी शहर में होना चाहिए जिसमें वाद चल रहा है।

मैं निवेदन करता हूं हमें ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे एक ऑथोरिटी तो रेन्ट ट्रिब्युनल है और दूसरी हमने रेन्ट ऑथोरिटी बना दी एस.डी.एम. को। साहब, एस.डी.एम. तो रेन्ट कंट्रोल एक्ट को समझता ही नहीं है, उसका क्या लेना देना रेन्ट कंट्रोल एक्ट से। वो टीनेंसी एक्ट समझता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट समझता है, वो राजस्व से सम्बन्धित एक्ट समझता है।

आप कानून को सिमप्लीफाई करें। यदि राजस्थान हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन में यह कहा है कि कोई प्रावधान नहीं है तो प्रावधान तो बनाइये पर यह जो प्रावधान आप एस.डी.एम. को दे रहे हैं और उसका वो यह बतायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको क्या आवश्यकता है कि आप ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी के एक्ट के मूल प्रावधानों को इग्नोर कर दें ? 11 महीने का यदि कोई किरायेदार है, कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। क्या आप ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट को इग्नोर करना चाहते हैं?

आप कहते हैं हर किरायेदार आपके यहां रजिस्टर कराये, क्यों कराये, यदि 11 महीने का किरायेदार है। आज तक कोई दिक्कत, लाखों लाखों मुकदमे हो चुके रेन्ट कंट्रोल एक्ट में और ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के मूल सिद्धांतों को रेन्ट कंट्रोल तो आपका प्रादेशिक एक्ट है और ट्रांसफर ऑफ एक्ट एक भारत सरकार का एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है। आप क्यों चाहते हैं कि दोनों आपके एस.डी.एम. के यहां रजिस्टर कराएं ? यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहां आवश्यक है ? आज तक बिना एस.डी.एम. के यहां रजिस्ट्रेशन के लाखों मुकदमे डिस्पोज ऑफ हो गये सिविल कोर्ट में।

तो, माननीय मंत्री महोदय, यह जो आपने एस.डी.एम. का प्रोविजन किया है, मैं मूल रूप से आपसे निवेदन करता हूं कि इससे एक तो बेचारे किरायेदार और लैंडलोर्ड के बीच में झगड़ा है और एक अब यह एस.डी.एम. साहब की हाज़िरी और भरो, उनके यहां प्रार्थना पत्र देओ, रजिस्टर कराओ, उनका रजिस्टर होगा। और आप कहते हो कि जो रजिस्टर नहीं करायेगा एक साल के अन्दर-अन्दर, उसके बाद में नहीं हो सकेगा। श्रीमान, मान लीजिए हम एक्ट पास कर रहे हैं, आज तीन तारीख को और एक साल हो जायेगा तीन मार्च, 2018 को, तो क्या उसके बाद नये लैंडलोर्ड और किरायेदार नहीं होंगे? और जो होंगे तो फिर आपकी इस सीमा में कहां आयेंगे कि एक साल के भीतर-भीतर रजिस्टर कराओ ? आप यह तो लिखते न कि यह सीमा फलां तक है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं कहता हूं मूल रूप से ही यह एक्ट बिलकुल कानून की पेचीदगियों को अनावश्यक रूप से बढ़ाने वाला, लिटिगेशन को बढ़ाने वाला, किरायेदार पर अत्यधिक वज़न और लैंडलोर्ड पर भी अनावश्यक वज़न डालने वाला कानून है। मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

पुराने एक्ट में जो प्रावधान हैं, मैं कहता हूं, बहुत सिम्पल हैं। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इकोनोमी के हामी हैं, तो डिजिटल इकोनोमी के हामी हैं तो ठीक है, सीधा प्रोविजन एक ही रखो कि लैंडलोर्ड अपना खाता बतायेगा और उस खाते में किरायेदार पैसा जमा करायेगा। क्या जरूरत है कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दे ? सिम्पल एक्ट में यह लिखिये कि लैंडलोर्ड को खाता बताना पड़ेगा, खाता नहीं है तो खाता खोलना पड़ेगा । और किरायेदार को सीधा यह कि भाई, एक्ट में प्रावधान कर दो कि कोर्ट के अन्दर लैंडलोर्ड जो खाता जिस बैंक में जिस नम्बर का बताता है वहीं पर उसका रुपया जमा हो जाएगा। कोई व्यवस्था को सिम्फलिफाई करिये, व्यवस्था को कॉम्प्लिकेट मत करिये, उसको उलझाइये नहीं।

यह बिल मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट को वापस भेजिये और लॉ डिपार्टमेंट को कहिये कि रेन्ट ट्रिब्युनल के अलावा कहां-कहां यह ऑथोरिटी एस.डी.एम. को बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस मूल सिद्धांत की बात को आपको ध्यान में लाते हुए मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल को राज्य सरकार वापस ले। यह बिल राजस्थान की गरीब जनता पर, किरायेदारों पर अनावश्यक बोझ है और कानून में अनावश्यक पेचीदगी पैदा करने वाला है इसलिए इस बिल को माननीय मंत्री महोदय विधि विभाग से दुबारा राय कर के और जो सिम्फलिफाई, जो रिट पिटिशन में आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, उतनी सी सीमा में किराया कहां जमा होगा, भई, लैंडलोर्ड के यहां होगा, लैंडलोर्ड इन्कार करे, खाता नम्बर बताए, तो कोर्ट में जमा हो जायेगा। इसके अलावा कोई बात आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी बात कह कर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड स्टेज पर बोलने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस संशोधन को विथड्रा की अनुमति चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। आप भी यह ही कह दीजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट, सर।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रेन्ट एक्ट में संशोधन विधेयक, 2017 है, मेरे पूर्व में माननीय सदस्य मानिक चन्द जी ने जो कहा, इसमें थोड़ा सा विभिन्न स्टेट्स के जो रेन्ट एक्ट बने हुए हैं उनको भी कहीं न कहीं विचार में लाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में है, मतलब लैंडलोर्ड का भी अपना एक अधिकार है और किरायेदार का भी अपना एक अधिकार है। दोनों अधिकारों को अपनी-अपनी जगह पर हम संरक्षण दे सकते हैं क्या? मतलब किरायेदार के अधिकार का हनन भी लैंडलोर्ड नहीं कर सकता है, लैंडलोर्ड के अधिकार का हनन किरायेदार नहीं कर सकता। लैंडलोर्ड ने वर्षों से उस जमीन को या उस प्रोपर्टी को संभाल कर रखा है, उसका भी कुछ अधिकार है, ऐसा नहीं है कि किरायेदार अब उस जगह को दबा सकता है। मतलब इसमें कहीं न कहीं कानून के अन्दर जा कर हम जरा और गहराई तक जाएं जिससे आगे आने वाले समय में एक किरायेदार और एक लैंडलोर्ड, यह दो भाग यहां पर झगड़े के अन्दर और और इस झगड़े के निपटारे के अन्दर हमारा समय खराब न हो।

अब रही बात उपखण्ड अधिकारी, इस पर तो विचार करना चाहिए। कोर्ट है, माननीय न्यायालय के अन्दर अगर जाता है, न्यायालय यह कहता है कि, भाई, चलो किराया कोर्ट में जमा करा दीजिए और अगर लैंडलोर्ड कहता है मेरे अकाउंट में, तो कोर्ट आदेश कर देता है। तो इन सारी बातों पर उपखण्ड अधिकारी को बीच में ला कर इस कानून को और पेचीदा बनाना, एक झगड़े का मूल खड़ा करना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि इसको और लचीला बनाएं, इसको और सरल करें।

इसको आप सरल करें। इस सरलीकरण में किरायेदार का भी हक हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वह लैंडलॉर्ड की जगह दबा सके। इन बातों पर भी विचार करें।
अध्यक्ष महोदय, जो मैंने जनमत जानने के लिए निवेदन किया है, उसको मैं वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे मूल बात यह है कि किरायेदार और मकान मालिक का जो भी विवाद होता , वह न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किरायेदार और मकान मालिक के मध्य जो आदेश न्यायिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता था। उसमें जो धारा 19 (क) जोड़ी गई है, उसमें इन्होंने लिखा है, 'भू-स्वामी और किरायेदार की

(श्री मनोज कुमार)
अगर अपील के दौरान, मूल दावे के दौरान, अपने किराये का भुगतान उसी समय करेगा। जो प्राधिकरण के सामने एग्रीमेंट दोनों का होगा'। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह आदेश न्यायिक व्यवस्था में भी होता रहा है। तब आपको एक उपखण्ड अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी को किरायेदार और मालिक के बीच में लाकर, जिस तरीके से आपने जेडीए में आपका थानाधिकारी लगा था बीच में, इस जयपुर में विशेषकर के, उसने सुपरविजन के रूप में बीच में दलाली का काम शुरु किया था। ऐसी ही स्थिति इसमें होगी।

आप एक उपखण्ड अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को कर रहे हैं। यह न्यायिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रेशर लाकर के, वह एक दलाल के रूप में काम करेगा। उनके आपस में विवाद की स्थिति जब आ जाएगी तो वहां वह उनका समझौता कराने वाला, प्रोपर्टी में हिस्सेदारी डालने वाला व्यक्ति हो जायेगा। यह आपको अच्छी तरह से जानकारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आपने जेडीए में जो इंस्पेक्टर राज स्थापित किया था, उसकी आप पहले जांच कर लेना। उस बात को आप अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद ही प्रशासनिक अधिकारी को आप उसमें शामिल करें।

प्रशासनिक अधिकारी के पास वैसे ही हजारों काम हैं। उनके पास राजस्व निर्णय करने का भी समय नहीं है। हजारों लोग किरायेदारी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनके बीच में घूमते रहेंगे। लोग सालों इसके चक्कर लगाते रहेंगे तो भी वहां रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इस पर आप विचार करें। प्रशासनिक अधिकारी को अगर आप इस किराया नियंत्रण अधिनियम में डालना चाहते हैं तो इस पर विचार करें। सरकार इसको वापिस ले और जो न्यायिक व्यवस्था चल रही है, उसी को जारी रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे इस प्रस्ताव के जरिए कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम को जनमत जानने हेतु 3 माह के लिए परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: संशोधन पेश करेंगे क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,

(श्री रमेश)

2017 लेकर आई है। इससे पहले भी हमारे भारत देश में जब आजादी आई थी, उस समय देश के बंटवारे के कारण लोगों का पलायन हुआ। इससे मकानों को किराये पर लेने की लोगों को जरूरत पड़ी। भारत सरकार एक कानून लेकर आई। राज्य सरकारों के अलग-अलग स्वरूप थे। उनका एक मुख्य उद्देश्य था कि जो किरायेदार हैं उनको मकान मालिक परेशान नहीं करे और किरायेदारों का शोषण नहीं हो। लेकिन धीरे-धीरे यह व्यवस्था चेंज होती गई। किरायेदार का शोषण रूका और मकान मालिकों का शोषण होने लगा।

1995 में दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 पास करने के बाद और राष्ट्रपति से उसकी अनुमति मिलने के बाद यह एक्ट लागू हुआ और बरसों बाद इसको वहां की सरकार ने वापिस ले लिया।

इसमें ऐसे बिन्दु भी हैं जो कि घातक पहलू हैं। मकान मालिक और किरायेदार के बीच में विवाद हो गया। वह अदालत में चला गया। उस स्थिति में न तो मकान में किसी तरह की मरम्मत का कार्य हो सकता। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि कोई समझौता नहीं होगा। इस तरह के मकान खंडहर भी होते गए। उनकी स्थिति आज गिरने की भी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय मकान मालिक और किरायेदारों, दोनों के हितों की रक्षा और दोनों का शोषण बचाने के लिए कानून बनाया। वर्ष 2001 में किरायेदारों और मकान मालिकों को आपसी शोषण से बचाने के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 लाया गया। इसमें वह सभी प्रावधान किए गए जो केन्द्र सरकार द्वारा आदर्श किरायेदारी अधिनियम के प्रारूप 2015 में बताये गये।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का कहना है कि केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार मॉडल किराया कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। जबकि राजस्थान 2001 में ही मॉडल किराया कानून लागू कर चुका है। केन्द्र सरकार तो बहुत बाद में इस विषय को लेकर के आई।

राज्य सरकार भी यह संशोधन, कानून इसलिए लाई क्योंकि उच्च न्यायालय ने विवाद की स्थिति में मकान मालिक को होने वाली हानि से बचाने के लिए एक सामान्य संशोधन करने की बात कही। लेकिन सरकार ने इसमें किराया अधिकरण के साथ, किराया प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम को बना दिया। इससे एक नई प्रोब्लम क्रिएट हो गई। एसडीएम के पास कभी विजिट, कभी मीटिंग, कभी सरकार के आदेश, जो उपखंड अधिकारी है उसके पास पहले से ही बहुत सारे काम होते हैं। यदि वह किरायेदार और मकान मालिकों का रजिस्ट्रेशन करेगा, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर देगा

(श्री रमेश)

और उनके विवाद को सुलझाने का उसके पास समय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इससे तो एक तरह से ऐसा हो गया कि इन दोनों में विवाद होगा और एक नया इंस्पेक्टर राज हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सरकारी कर्मचारी हैं या मजदूर हैं, शिक्षक हैं, इनको भी कस्बों में, ग्रामों में जहां नौकरी करते हैं, वहां एग्रीमेंट करेंगे। वहां एक साल के लिए या दो साल के लिए एग्रीमेंट करेंगे। अगर वहां के लोग कह देंगे कि हम एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो फिर उनको यह दिक्कत होगी। उनको जब तक किराये का एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो सरकार से जो सरकारी संरक्षण मिलता है, वह भी नहीं मिल पाएगा।

अध्यक्ष जी, इस तरह का जो कानून लाए हैं, एक बार इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मान लो किरायेदार, मकान मालिक करार नहीं करता है तो उसे मजबूरी में वहां रहना पड़ेगा। राज्य सरकार को केवल न्यायिक प्रक्रिया के समय मकान मालिक को किरायेदार द्वारा किराया नियामक से अदा करने संबंधी संशोधन करना था तो केवल हमारे बनाए हुए कानून को बदलने की मंशा से एसडीएम को किराया प्राधिकारी बनाने एवं समस्त प्राइमरी हियरिंग, डिसीजन, देने का के अधिकार का अव्यावहारिक निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोब्लम आगे आएंगी, कि मकान मालिक अपनी मर्जी से कि मैं एक साल रखूंगा, 6 महीने रखूंगा। जो किरायेदार और मकान मालिक के बीच में करार होगा तो वह उसकी मर्जी के अनुसार होगा। पहले उसमें कम से कम किरायेदार के लिए 3 साल की एक लिमिट तय की थी। अब कोई लिमिट नहीं है। उसकी मर्जी के अनुसार होगा। अगर खाली नहीं करेगा तो 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद वह करार नहीं करेगा तो उसका करार स्वत: ही समाप्त माना जायेगा। इस तरह से किरायेदारों के साथ तो यह शोषण होगा और मकान मालिकों को सपोर्ट मिलेगा। इसमें दोनों के हितों की रक्षा होनी चाहिए थी।

इसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को 3 माह जनमत जानने के लिए परिचालित करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो 2 अथॉरिटी बनाई हैं, एक तो प्रशासनिक है और एक ज्युडिसियरी है। प्रशासनिक और ज्युडिसियरी ऑफिसर्स में सोच का एक बेसिक अंतर होता है। ज्युडिसियरी प्योरली लीगल हिसाब से चलती है और प्रशासनिक अपने प्रशासन के

(श्री गोपाल कृष्ण)

हिसाब से चलती है। इस बात पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, 85 साल के लोगों को, जब किसी भी किरायेदार से झगड़ा होता है तो उसका मामला 8-10 साल तक लंबा चलता है, वह जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके लिए कोई प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि 80-85 साल जिसको हो जाए, 65 साल सीनियर सिटीजन के लिए तो कहा गया है। लेकिन जब 80 साल हो जाए, 85 साल हो जाए और उस पर तब तक कोई फैसला नहीं हो, जैसे बीकानेर के अंदर 1993 या 1994 के केसेज लिए जा रहे हैं तो कब जाकर 2017 के केसेज आएंगे, पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं तो इसका प्रोविजन भी जरूर देखना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा इसके अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 22(बी) है, टीनेंसी एग्रीमेंट, इसमें एग्रीमेंट जोड़ना आवश्यक होता है, जब एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जो नई किरायेदारी है तब तो वह किरायेदारी आपस में मिलकर तय कर सकते हैं लेकिन जो पुरानी किरायेदारी है उसके लिए भी यह नियम बना दिया कि उसके लिए जरूरी है कि यह एग्रीमेंट किया जाए। अगर यह एग्रीमेंट किया जाए लैंड लोर्ड और टीनेंट के अंदर कोई फेल्योर हो तो समझदारी के कारण से या अन्य किसी कारण से अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो आपके रेंट अथोरिटी को दे दे, रेंट अथोरिटी तय करेगी कि इसमें क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह बड़ा मुश्किल है।

इसलिए आपस में तय करना बाद में, जिसकी ऑलरेडी किरायेदारी है उसके लिए कुछ प्रोविजन आपको थोड़े से देखने जरूरी है। इसलिए किरायेदारों को, यह मैं नहीं कहता कि इसमें किरायेदार का लाभ हो या लैंडलोर्ड का लाभ हो, बराबर-बराबर की स्थिति होनी चाहिए लेकिन किरायेदार कभी यह नहीं समझे कि यह जमीन एक दफा अगर किराये पर ले ली तो हमेशा के लिए उसी की हो गई, तो उसके वारिसान होंगे, उसकी होगी, उसके वारिसान होंगे तो उसकी होगी। यह सारी प्रताड़ना लोग कई वर्षों से सहन कर रहे हैं। इस बात के लिए भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी आदमी को जब किराये पर दे दिया तो जरूरत पड़े तो उसको किस ढंग से जल्दी से जल्दी और खास तौर से जो 70 के पार कर गए हैं, 75 के पार कर गए हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को कहता हूं और संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री। उत्तर दीजिए बहस का।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 जिसको

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

पारित करने के लिए आज सदन में रखा गया है। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखें हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को लाने के पीछे जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सस्ता और सुलभ न्याय इस किराया कानून के तहत लोगों को मिले। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जो केन्द्र सरकार द्वारा जो मॉडल किराया नियंत्रण कानून में की गई सिफारिशें हैं उसके अनुरूप किराया नियंत्रण अधिनियम में हम संशोधन कर रहे हैं। इस संशोधन के लागू होने के बाद प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ राज्य के अधिकतम निर्धन लोगों को मिल सकेगा। इन संशोधनों के माध्यम से वर्तमान अधिनियम को अधिक व्यावहारिक, सरलीकृत करते हुए आम जन को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान हो सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री, माननीय वसुन्धराजी ने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। सुलभ न्याय और सस्ता न्याय, इससे लाखों लोगों को राहत मिली थी और यह एक्ट में जो संशोधन हम ला रहे हैं उसमें भी हमारा उद्देश्य यही है कि गांव के लोगों को तो हमने सस्ता न्याय उपलब्ध कराया है और लाखों लोगों को उससे राहत भी मिली है लेकिन शहरों में रहने वाले मकान मालिक और किरायेदार जिनके मध्य में विवाद वर्षों से चल रहा है वे यदि न्यायालय में भटकते रहते हैं, सबको उप खण्ड अधिकारी स्तर पर न्याय मिलेगा तो मैं सोचता हूं कि इससे बढ़िया सोच नहीं हो सकती। इसी सोच के आधार पर हम यह संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्तमान में किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 से नियंत्रित होने वाली सम्पत्तियों की किराये की राशि की सीमा को समाप्त करते हुए सभी शहरी सम्पत्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें न्यूनतम सीमा अवधि रुपए 4000 खंड मुख्यालय के लिए, 2000 रुपए नगर पालिका क्षेत्रों के लिए और जयपुर नगर क्षेत्र के लिए 7000 रुपए निर्धारित थी। हमने इस सीमा में संशोधन करके इसको बिलकुल समाप्त कर दिया है तो इस प्रकार के कई संशोधन हमने किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी काफी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। लेकिन चूंकि माननीय कुछ सदस्यों ने अपने कुछ विचार यहां पर रखें जिनका मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय मानिक चन्द जी सुराना साहब ने मकान खाली करने के बाद जो अन्य व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए रेंट अथोरिटी नाई गई है उसके लिए बात कही। माननीय सुराना साहब, मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे यही निवेदन करूंगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट इससे प्रभावित नहीं होता है जो हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। रेंट एग्रीमेंट किसी भी अवधि का हो सकता है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

आपके मन में जो एक वहम है कि एक बिल एक साल के लिए ही है कि एक साल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, यह रजिस्ट्रेशन कभी भी करवा सकते हैं, ग्यारह महीने का यह जो आवश्यक है, लेकिन इससे ज्यादा लम्बा करेंगे तो यह लीज माना जाएगा। बीस साल का हमको जैसी जानकारी है इसलिए मैं सोचता हूं कि ऐसा आपको लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं इसमें।

माननीय सदस्य, मनोज कुमारजी, इससे पहले शंकर सिंह जी राजपुरोहित ने भी जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल किराया कानून की मंशा के अनुरूप, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है, इसके बारे में इन्होंने अपने विचार रखे। मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार का जो कानून है, राजस्थान की सरकार उसको हूबहू, यहां के कानून को संशोधन करके वैसा ही कर रही है। मैं सोचता हूं कि आपको इससे और खुशी होनी चाहिए।

माननीय सदस्य, रमेशजी, मनोजजी, ने एसडीएम के बारे में जो भी विचार रखे उनको मैंने सुबह आपको विस्तार से बता दिया, प्रत्येक तहसील में उप खण्ड अधिकारी पदस्थापित है, मैं सोचता हूं माननीय सदस्य, रमेशजी इससे निचले स्तर पर न्याय लोगों को हम देना चाह रहे हैं, मकान मालिक और किरायेदार का जो झगड़ा होता रहता है, वर्षों तक चक्कर काटते रहते हैं, उप खंड स्तर पर वह जाएंगे तो उसको सुलभ भी होगा और जल्दी भी न्याय मिलेगा, ऐसा हम इस एक्ट के माध्यम से करना चाह रहे हैं।

माननीय सदस्य, गोपाल कृष्णजी ने लिखित करार होने की बात कही, आपको शायद ध्यान होगा कि जितने भी पुराने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच में विवाद होते हैं अधिकतर विवाद लिखित करार न होने की वजह से होते हैं और हमने इसमें कह दिया कि इसमें लिखित करार बहुत जरूरी है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लिखित करार हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा दोनों पक्षों को मिलेगा, जैसा शंकर सिंहजी भी कह रहे थे कि दोनों के हित की हमको रक्षा करनी है। यदि लिखित करार होगा तो किरायेदार के हित की रक्षा भी होगी और जो मकान मालिक है उसके हित की भी रक्षा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कई बातें और भी इसमें है, मैं सोचता हूं कि यह अच्छा संशोधन है, अच्छा करने के लिए हम कर रहे हैं और सुलभ न्याय दिलाने के लिए हम यह सब कर रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: परिचालित किए जाने का पहले।

प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को

(श्री अध्यक्ष)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार।

खंड 2 से 13 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 13 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खंड 2 से 13 स्वीकार किए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

अब प्रस्ताव कीजिए प्रभारी मंत्रीजी। ...(व्यवधान)... तीसरे वाचन पर आपको इजाजत दूंगा। विचारार्थ तो लें।

विधेयक का पारण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगारामजी पटेल। ...(व्यवधान)... आपको भी अनुमति दूंगा, आपको भी दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शॉर्ट में ही करना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब आप अधिवक्ता थे, उदयपुर में प्रेक्टिस कर रहे थे (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके खिलाफ बोलने का दण्ड पहले तो मिला हुआ है, और ज्यादा खिलाफ बोलोगे तो और दण्ड मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप भी रेंट कंट्रोल और फौजदारी में बहुत प्रेक्टिस करते थे। उस जमाने का रेंट कंट्रोल 1950 का, उसके बाद 2001 का, अब 2013-14 का।

मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय मंत्रीजी का कि आपने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये मॉडल एक्ट के अनुसार इस एक्ट में सबसे पहले संशोधन लाये जैसा अभी आपने कहा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मार्च, 2015 में श्रीमती पुष्पा देवी बिरला व अन्य वाले मामले में यह सुझाव दिया था कि रेंट डिपोजिट के संबंध में इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। उस रिट याचिका के पिटीशनर ने यह कहा था कि ऐसा कोई डाइरेक्शन दें तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि डाइरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेजिस्लेचर अपने आपमें स्वतंत्र है और अगर आपको कोई है तो आप एप्रोच करें और सरकार इस पर अपना निर्णय करेगी। उसको ध्यान में रखते हुए आप यह संशोधन लाये हैं। जैसा आपने एम्स एण्ड ऑब्जेक्टिव में कहा है।

साथ ही साथ जो मॉडल एक्ट आया है, आपने कहा हुबहू हमने इसको स्वीकार किया है। इसमें हुबहू वाले वर्ड में थोड़ा-सा गड़बड़ है।

मैं दूसरा धन्यवाद आपको यह भी दूंगा कि इस एक्ट में कि during the pendency of the appeal or during the pendency of the petition. कोई किराया जमा करने का प्रावधान नहीं है। जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया पुराने वाले एक्ट, 1950 वाला एक्ट था यानी राजस्थान परिसर किराया रूप तथा बेदखली निमंत्रण अधिनियम 1950 की धारा 19(ए) थी, जिसमें किराया जमा कराने के प्रावधान थे, चाहे वह पिटीशन पेंडिंग हो तो भी थे और पिटीशन पेंडिंग नहीं थी तो भी थी। उसमें सेल्फ कंटेंड कोड था। उसके बाद कोई विवाद नहीं होता था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है जिसकी पर्सुएंस में ये लाये हैं तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है वह इतना-सा है “That power therefore cannot be exercised as an implied power. Consequently, I find no illegality in the impugned order dated 28-1-2013 passed by the tribunal. As far as the prayer of the landlord for a direction to the State Government to make certain purportedly necessary amendments to the 2001 Act is concerned, I am of the considered view that power to legislate in terms of the doctrine of

(श्री जोगाराम पटेल)

separation of powers exclusively vested with the State Legislature and consequently no direction as sought by the petitioner landlord can be made by this court. The landlord may however make a representation to the State Government, which will no doubt be considered by the State Legislature in its absolute discretion and there is no reason to hold to the contrary. In the context of increasing cry for responsive governance ...” The matter is left at this and no more.”

इस पर्सुएंस में टोटल डिस्क्रिशन आपके ऊपर छोड़ा था और आप यह एक्ट लाये। इसमें जो-जो संशोधन आप लाये हैं उस संशोधन के संबंध में मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो एक्ट है उसके सैक्शन 2 में आप संशोधन लाये हैं उसमें सिर्फ म्युनिसिपल एक्ट के बदल जाने से, 1959 का जो एक्ट था उसके बाद म्युनिसिपैलिटी एक्ट में अमेण्डमेंट हो गया, 2009 का हो गया, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसके लिए आप वाकई हम आपके आभारी हैं, आपने तुरन्त संशोधन किया जो आवश्यक था। सब क्लॉज 2 में भी, चूंकि आप रेंट अथोरिटी बना रहे हैं, इस रेंट अथोरिटी को आपने डिफाइन किया, उसमें भी कोई प्रोब्लम नहीं है।

तीसरा आपने अभी कहा और आपने अमेण्डमेंट भी किया है कि जो लैण्डलोर्ड के पास एक राइट दिया था ओल्ड वाले एक्ट में नहीं था, न्यू एक्ट में यह राइट दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा ध्यान से सुनें। एक लैण्डलोर्ड द्वारा एक बार परिसर किराया देने के बाद वह कभी भी यह विचार भी नहीं कर सकता कि इसे वापिस पजेशन मिलेगी जब तक कोर्ट उसकी डिक्री नहीं करें। जब 2001 का एक्ट इस पवित्र सदन में आया था इस पर बहुत गंभीरता से विचार हुआ था और यह कहा गया था कि लेंडलोर्ड को भी राइट होना चाहिए। इसीलिए रेजिडेंसियल प्रिमिसेस पर और एक रजिस्टर्ड रेंटडीड पर 7 हजार या उससे ऊपर किराया या 5 हजार से ऊपर किराया, कुछ किराया की राशि तय की गयी थी। ऐसे प्रिमिसेस जो होंगे उस पर यह प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, वह टेण्डर टिनेंट और लेंडलोर्ड का विषय है। इसको विथड्रा किया जा रहा है। अब विथड्रा करें तो यह गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। लैण्डलोर्ड को राइट दें या न दें यह गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, लेकिन इस संबंध में इस प्रोविजन को हाईकोर्ट में चेलेंज किया गया। दो जजमेंट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हुए। एक भागचंद एण्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कोटा हुआ और दूसरा कमल किशोर एण्ड स्टेट ऑफ राजस्थान हुआ। उन प्रोविजंस में इस प्रोविजन को स्पेशली चैलेंज किया

(श्री जोगाराम पटेल)

गया कि लेजिस्लेशन में जो प्रोटेक्शन अवेलेबल था टिनेंट को, जो विथड्रा किया है और एक लेण्डलोर्ड को जो बैनेफिट दिया है वह गलत है। 2007 व 2008 में ये केसेज डिसाइड हुए हैं। गवर्नमेंट का स्टेंड था, स्टेट का यह स्टेंड था कि हमकों लैण्डलोर्ड को भी बैलेंस करना है। हम टिनेंट का प्रोटेक्शन भी करेंगे, लेकिन लैण्डलोर्ड को भी बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके ये रिट अभी डिसाइड हुई हैं और उसके बाद विथड्रा करने का जो आपने मानस बनाया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट में और जो जजमेंट जिसमें आपने स्टेंट लिया है, भागचंद और कमल किशोर में, इन दोनों में जो स्टेंड लिया है उसके विपरीत यह प्रोविजन आप लाये हैं। उसमें आपका स्टेंड है कि हमको बैलेंस करना है लैण्डलोर्ड के बीच में। टिनेंट व लैण्डलोर्ड के बीच में आपको बैलेंस करना है तो फिर ये प्रोविजन आप विड्रा कर लेंगे तो बैलेंस कैसे हो जाएगा?

मेरा निवेदन यह भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से व्यू दिया है "The Rent Control Act is a piece of social legislation and is meant mainly to protect the tenants from frivolous evictions. At the same time, in order to do justice to the landlord and to avoid placing such restrictions on their right to evict the tenant as to destroy their legal right to property certain salutary provisions have been made by the legislature which give relief to the landlord. In the absence of such a legislation a landlord has a tenancy by efflux of time to evict the tenant either on the determination of the tenancy by efflux of time or for default in payment of rent or other grounds after giving notice under the Transfer of Property Act."

मेरा सबमिशन यह है, भागचंद और कमल किशोर के जजमेंट में 20 जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के कंसीडर हुए हैं और यह कहा है कि अब वो जमाना गया कि आप सिर्फ टिनेंट का ही हित देखोगे, आप लैण्डलोर्ड का हित भी देखोगे और इस एक्ट में एकमात्र यह लैण्डलोर्ड का हित था कि उसका प्रिमिसेस इस एक्ट के आने के बाद बाई रजिस्टर्ड रेंटनोट से या एक निश्चित किराया के बाद दिया जाय तो वह कभी यह अपेक्षा कर सकता है कि मैं आज चाहूं, महीने, छह महीने, साल भर बाद में मेरा प्रिमिसेस खाली हो जाय वह राइट आज विथड्रा हो रहा है। आज के बाद जबसे यह एक्ट पारित हो जाएगा उसके बाद किसी राजस्थान के लैण्डलोर्ड, भूस्वामी को, मकान मालिक को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह किसी टिनेंट को जाकर कहे कि आप खाली करो। उसके बाद एक ही दरवाजा, एक ही रास्ता है, वह कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट जब

(श्री जोगाराम पटेल)

संतुष्ट होगी तो डिक्री करेगी या नहीं करेगी।

इसलिए मेरा सबमिशन है माननीय मंत्री महोदय, आप इस पर एक बार पुनर्विचार करें। अगर संभव हो तो मकान मालिक के हितों को भी सुरक्षित करना या नहीं करना या सिर्फ किरायेदारों के हितों को ही सुरक्षित करना है, तो ठीक है। मेरा सिर्फ निवेदन है और निवेदन इस लाइट में है कि आपका खुद का स्टेंड लिया हुआ है इन दोनों रिट याचिकाओं में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5-10 बार कहा है और जो 2001 का एक्ट लाये हैं उसमें यह पहली बार प्रोविजन पहली बार किया गया था। 1950 वाले एक्ट में यह प्रोविजन नहीं था।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, जो आपने संशोधन किये हैं अदर प्रोविजंस में। एक आपने रेंट अथोरिटी बनायी है। रेंट अथोरिटी को आपने एक राइट दिया है। मैं निवेदन करूंगा। चैप्टर 5(ए) बनाया गया है, सैक्शन 5(ए) की धारा 22(ए) का सब सैक्शन 3 बनाया है। थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसका कांसिक्वेंसेज जो होने वाले हैं वे ध्यान से देखें। सेक्शन 22 (ए) में अपाइंटमेंट ऑफ रेंट अथोरिटी है, वह एक सब डिवीजन ऑफिसर रैंक का होगा, उसका अपाइंटमेंट करेंगे। अपाइंटमेंट कहां करेंगे जो रेंट ट्रिब्युनल का ज्युरिस्ड्रिक्शन है वहां-वहां के लिए उसका ज्युरिस्ड्रिक्शन होगा। ओल्ड एक्ट में यह प्रोविजन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इसके एक या दो के ज्युरिस्ड्रिक्शन बदल सकती है, लेकिन उसके अकोर्डिंगली इसमें प्रोविजन नहीं बनाया है। इसमें भी आप बाद में बना देंगे।

लेकिन सब सैक्शन 3 है वह आप ध्यान दें।

"Save as expressly provided under this Act, every order of the Rent Authority, if not reversed, altered or modified by the Rent Tribunal in appeal, shall be final and shall not be called in question in any civil court" रेंट अथोरिटी मीन्स सब डिवीजनल ऑफिसर ने या उसके समकक्ष किसी सब डिवीजनल ऑफिसर ने अगर कोई फैसला कर दिया, क्या? आप ध्यान दें, आप कल्पना करेंगे कि ऐसा कैसे सम्भव हो रहा है।

वो क्या बनाया सैक्शन 22 (D) (4) "In case of conflict, the landlord or tenant may approach the Rent Authority by filing petition before the Rent Authority and the Authority shall try to resolve the conflict and to arrive at amicable settlement between the landlord and tenant and if no such settlement is arrived at between the parties, he may pass appropriate orders on the basis of material brought on record and by

(श्री जोगाराम पटेल)

hearing both the parties.”

अगर यह अपील में एंटर नहीं होता है तो यह आर्डर फाइनल हो गया, कभी भी, किसी भी स्टेज पर आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते चाहे वो किराये की दर है, चाहे रिवीजन ऑफ रेंट है, चाहे एमिनिटीज हैं या किराया जमा कराने या विदड्रा कराने के अधिकार से सम्बन्धित है। क्या कभी भी किसी भी जनरल लॉ में जहां ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट अपने अस्तित्व में है, रेंट ट्रिब्यूनल हाईरार्की का जुरिस्डिक्शन है उसमें यह एक एसडीओ साहब का किया हुआ आर्डर हमेशा-हमेशा के लिए फाइनल हो गया और मैं अपने राइट के लिए, सिविल राइट के लिए, अपने प्रोपर्टी राइट सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकता। यह कैसे डीबार मैं हो जाऊंगा कि सिविल कोर्ट में जाने से भी मुझे डीबार कर दिया गया है। मैं सिविल कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकता कि प्रोपर्टी मेरी है, मैं सिविल कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकता कि मेरा लैण्ड लोर्ड नहीं है, मैं सिविल कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकता कि यह मेरा टीनेंट नहीं है, यह फर्जी टीनेंट बना है, जबरदस्ती टीनेंट बन रहा है, वो नहीं कह सकता कि मैंने दो कमरे दिये थे या एक कमरा दिया था।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि इस पर भी एक बार विचार करें कि क्या एसडीओ का आर्डर फाइनल हो गया और उसी प्रिमिसेज को, उसी रेंट डिसपुट को लेकर अगर टीनेंट या लैण्डलोर्ड ट्रिब्यूनल में जाएगा तो ट्रिब्यूनल कहेगा कि वो तो फाइनल हो गया, आपके ऊपर बाइंडिंग है इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। एक तो यह परिस्थिति है जो गंभीर है और विचार करने योग्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, यह जो रेंट अथोरिटी बनाई गई है इसकी अपील का प्रोविजन दिया है ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल मीन्स सी.जे.एम.। सी.जे.एम. रैंक का जो अधिकारी है उसको ट्रिब्यूनल का बनाया है। पहले मजिस्ट्रेट होता था, अब अमेंडमेंट करके उसे सी.जे.एम. का अधिकारी कर दिया और सब डिवीजन रैंक का रेंट अथोरिटी। एक है रेंट ट्रिब्यूनल और एक है रेंट अथोरिटी। अब जो रेंट अथोरिटी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का एक ऑफिसर है जिसकी रैंक सब डिवीजनल है उसकी अपील ट्रिब्यूनल में होगी और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो ट्रिब्यूनल का है। अगर यह रेंट डिपोजिट के सम्बन्ध में, एमेनिटीज के सम्बन्ध में, रेंट के पीरियड के सम्बन्ध में, रेट और रेंट के सम्बन्ध में, ये सारे के सारे रेंट अथोरिटी तय करेगी और वो ही अथोरिटी है जो अपीलैट अथोरिटी के वापस जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मेरा ऐसा सब-मिशन है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऑफिसर की अपील उसकी हायर अथोरिटी में होती तो समझ में आती है लेकिन उसी के जुडिशियल साइड के

(श्री जोगाराम पटेल)
ऑफिसर के सामने जो हो रही है वो लीगली गलत है, कांस्टीट्यूशनली गलत है। वो उसकी अपीलैट अथोरिटी नहीं हो सकती। उसकी अपीलैट अथोरिटी या तो डिस्ट्रिक्ट के सैशन जज करें, वहां हो सकती है जैसे ओल्ड एक्ट में था, सैक्शन 22 था, सैक्शन 22 में एमेनिटी का जो भी निर्णय होता था उसकी अपील सेशन जज में होती थी।

तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि इसमें टीनेंसी टर्मिनेट का राइट इसको दे दिया है जिसका आप सैक्शन 22 (जी) का 5 लें। एक 22 (जी) है "Depositing of rent with the Rent Authority in certain circumstances.- (1) Where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant in the manner specified in section 5, or refuses to give a receipt, the tenant may deposit the same periodically, in time, with the Rent Authority." अब यह जो रेंट अथोरिटी में रेंट जमा होगा इसकी ऑथेंटिसिटी इसी सैक्शन में खत्म कर दी। सब सैक्शन (5) बना दिया "The receipt by the landlord, of rent deposited under sub-section (1) and sub-section (2), as the case may be, shall not operate as admission to the correctness of rent and other fact stated by the tenant while depositing the same. "कि उसकी कोई करेक्टनैस, कोई एडमिशन नहीं माना जाएगा। उधर इस ऑर्डर को फाइनल कर दिया, इधर इस एक्ट में जमा कराने का राइट दे रहे हैं और यहां आकर राइट वापस कर्टेल कर दिया। तीन इन-कांफ्लिक्ट प्रोविजन्स बना दिये गये। अगर वो आर्डर फाइनल है तो बाइंडिंग होगा और वो फाइनल नहीं है तो डिपोजिट करने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो डिपोजिट करना अगर फाइनल है तो फिर सब-सैक्शन (5) बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो प्रोविजन्स बनाये गये हैं ये प्रोविजन्स डिपोजिट के सम्बन्ध में ऑलरेडी एक्ट में प्रोविजन हैं। कैटेगिरी के लिए प्रोविजन है पहला सैक्शन 5 और फिर सैक्शन 9 (a) का प्रोविजो। सैक्शन 5.....

श्री अध्यक्ष: विस्तार से प्रकाश डाल दिया है आपने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बस दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। यह तो थर्ड स्टेज है बाकी होना था वो तो सब हो गया।

Unless agreed otherwise; every tenants shall pay the rent by the fifteen days or the next following months, for which the rent is payable. Every tenant who makes a payment account of rent shall be entitled to obtain receipt; tenant may make cash. कैश में दे सकता है, बैंक अकाउंट में दे सकता है और थ्रू पोस्टल मनीऑर्डर बनाये हैं। अगर वो नहीं लें तो यह

(श्री जोगाराम पटेल)

स्पेसिफिक प्रोविजन सैक्शन 9 का सब क्लॉज (a) का प्रोविजो बनाया है, "Provided that the ground under this clause shall not be available to the landlord if he has not disclosed to the tenant his bank account number and name of the bank in the same municipal area, in the rent agreement or by a notice sent to him by registered post, acknowledgement due:

Provided further that no petition on the ground under this clause shall be filed unless the landlord has given a notice to the tenant by registered post, acknowledgement due, demanding arrears of rent and the tenant has not made payment of arrears of rent within a period of thirty days from the date of service of notice." बिल्कुल एकदम क्लियरकट प्रोविजन है कि अगर आपको डिफॉल्ट से बचना है तो लैण्डलोर्ड की ड्यूटी है कि वो बैंक अकाउंट नम्बर बता दे और बैंक अकाउंट पहले नहीं बताया तो बाई नोटिस बता दे और फिर टीनेंट की ड्यूटी है कि उसमें जमा करा दे और जमा नहीं कराये तो हो जाएगा। अब उस सारे बिल्कुल साफ-सुथरे प्रोविजन के बाद में अब रेंट अथोरिटी के सारे के करेक्टनैस है, वो है, सब विवाद पैदा होंगे। हजारों विवाद पैदा होंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये, बस बहुत हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ज्यादा नहीं लूंगा, बस दो मिनट और लूंगा।

मेरा सब-मिशन इसमें यह है कि इससे विवाद बढ़ेंगे। एक जो मौजूदा किरायेदार है, राजस्थान में लाखों किरायेदार होंगे, उन सबके लिए मेंडेटरी कर दिया है वो जाकर अपना जोइंट एप्लीकेशन इस अथोरिटी के सामने लगाये और अपना रजिस्ट्रेशन कराये। लाखों लोग होंगे, कितने ही सालों से चल रहे हैं, कितने ही आपस में विवाद होंगे, कितने ही आपस में डिसपुट होंगे।

श्री अध्यक्ष: ये सब बातें आ चुकी हैं, अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट। मेरे दो सुझाव हैं। मेरा इसमें निवेदन यह है कि मौजूदा जो रेंट ट्रिब्यूनल है और जो अपीलैट ट्रिब्यूनल है उसमें मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा है। रेंट ट्रिब्यूनल में 6 महीने में तय करने का इसमें प्रोविजन है और 6 साल में ही तय नहीं हो रहे। इतने अधिक लिटिगेशन हैं, उन लिटिगेशन को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय, ट्रिब्यूनल और बढ़ायें, उनमें स्टाफ और लगायें और एक ही जगह 2-2 या 3-3 ट्रिब्यूनल बनायें और इस रेंट अथोरिटी के प्रोविजन पर पुन: विचार करें। अनेक विवाद होंगे, रोज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइनों में खड़े होंगे।

(श्री जोगाराम पटेल)

एक डिवीजन ऑफिसर के पास खुद के पास ही एडमिनिस्ट्रेटिव इतने काम हैं तो वहां कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, कौन डिसाइड करेगा। इन सारी बातों के आधार पर मैं आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों पर आप विचार करें, प्रोविजन के ऊपर एक बार देखें और उसके बाद जैसा आप ठीक समझें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल। सीमित समय लीजिये प्रहलाद जी, बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है। बोलो-बोलो। समेराइज्ड बोलो कभी-कभी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है और आपने समय दिया, मैं आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी विस्तार से इस पर चर्चा हुई है और माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही और मंत्री महोदय जब इसके जवाब में सदन में अपनी बात रख रहे थे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों का उल्लेख किया है। भारत संघ ने, राष्ट्रीय नगरीय आवासन और आवास नीति, 2007 के अनुसरण में एक आदर्श किराया कानून को लेकर आई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान उस लाइट में पहला किरायादारी कानून संशोधित करने जा रहा है। अच्छी बात है अगर यह आदर्श कानून राजस्थान में बन जाये तो मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

दूसरा विषय 2013 एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 16706 का उल्लेख किया है। किराया वसूली से संबंधित मौजूदा कानून में जमा कराने के सन्दर्भ में कोई प्रोविजन नहीं है और सरकार के सामने जाकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा करने की बजाय इतना कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक धारा (3) में 2003 के राजस्थान अधिनियम संख्या-1 की धारा (3) का मूल अधिनियम धारा (3) में विद्यमान खण्ड-1, 2 एवं 3, इनको समाप्त किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2001 में यह किरायादारी कानून आया तो इस धारा (3) की उपधारा (1) (2) (3) को उल्लेखित किया गया। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, "इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् निर्मित या पूर्ण हुए किसी रजिस्ट्रीकृत विलेख जिसमें पूर्ण होने की तारीख उल्लेखित हो, के जरिये किराये पर दिये गये परिसरों को" आगे उल्लेख किया गया है, "इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान परिसरों को यदि वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत विलेख के जरिये पांच वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए किराये पर दिये गये हों और किरायेदारी उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व भू-स्वामी के विकल्प पर समाप्य नहीं होगी।"

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो उल्लेख किया गया है, जयपुर में 7,000 रुपये किराया, कोटा संभागों में 2,000 और 4,000 रुपये किराया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह सदन किरायेदार और मकान मालिक के बेहतरीन रिश्तों पर कानून बना रहा है और कानून बनाते समय उसका एक बड़ा वर्गीकरण कर रहा है कि राजस्थान की विधान सभा जो कानून बनायेगी, वह कानून केवल राजस्थान के 10 परसेंट लोगों पर लागू होगा, 90 प्रतिशत लोगों पर यह कानून एप्लाई नहीं होगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा विसंगतिपूर्ण कानून इससे बड़ा दूसरा और कोई हो नहीं सकता कि जिसका किराया 5,000 रुपये होगा, जिसका किराया 7,000 रुपये से ज्यादा होगा, वह इसके दायरे में नहीं आएंगे और जिनका 5,000 या 7,000 रुपये से कम होगा, ज्यादा वाले दायरे में नहीं आएंगे, कम वाले दायरे में आएंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रोज यह कानून आया था, सारे राजस्थान में थू-थू हुई थी कि मौजूदा सरकार के स्वायत शासन मंत्रीजी ने जयपुर की बड़ी-बड़ी हवेलियां जो 100-100 साल से 200-200, 400-400 रुपये के किरायेदार रह रहे थे, उन तमाम को खाली करके बड़े भू-पतियों को आब्लाइज करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। यह कानून की मंशा ही गलत है। जिस रोज सदन में यह कानून लाया गया, मुझे आप बता दें, 2007 में इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7,000 रुपये से कम किराये पर कौनसा भूखण्ड उपलब्ध था? कौनसी दुकान और मकान उपलब्ध था, जिसके विवाद को निपटाने के लिए यह कानून लाया गया? यह कानून लाया गया इस राजधानी की ऐतिहासिक, 100-100, 200-200 साल पुरानी विरासत में जो गरीब लोग 200-400-500 रुपये के किराये से रहते थे। 7,000, 2,000 और 4,000 रुपये के दायरे में उनको लेकर बेदखली कैसे की जाये, इस गलत मंशा से लाये और जब इस कानून से वंचित लोग कोर्ट में गये। प्राधिकरण ने सुनने से मना कर दिया एज पर एक्ट लेकिन राजस्थान के हाई कोर्ट में कोटा से अपील हुई, कहीं और जगह से अपील हुई। इस बात को कंसीडर किया गया कि एक स्टेट को दो पार्ट में बांट कर कानून नहीं लाया जा सकता और उसी रोज यह कानून नल एण्ड वोइड हो गया। इसका असर ही नहीं बचा और जिन धाराओं का असर आज से 10 साल पहले खत्म हो गया, यह राजस्थान उन धाराओं को इस कानून में ढो रहा है।

मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस रोज हाई कोर्ट में अपील हुई कि 7,000 रुपये से ऊपर वालों के लिए इसमें कानून लागू नहीं होगा, यह कौनसी किताब में लिखा है ? यह सदन पूरे राजस्थान को डोमिनेट करता है, पूरे राजस्थान को लीड करता है और राजस्थान के सन्दर्भ में कानून बनाते समय यह कह दे कि राजस्थान की 25

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रतिशत जनता पर यह कानून एप्लाई होगा और 75 प्रतिशत जनता पर यह कानून एप्लाई नहीं होगा, उस कानून की प्रासंगिकता को लेकर क्या सवाल खड़े किये जायेंगे ? यह कोर्ट की लाइट में होगा।

मैं एक-एक बिन्दु पर जाऊं अध्यक्ष महोदय, इतनी परमिशन नहीं है। मैं बड़ी तैयारी के साथ आया था। यह बड़ा कानून है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे दिन भर, एक अकेले इस कानून पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आज एक विषय को बहुत गम्भीरता से माननीय अध्यक्ष महोदय, उठाना चाहूंगा। चाहे आपने रिट पिटीशन का हवाला दिया है लेकिन हाई कोर्ट का इस कानून की लीगलटी पर जो सवाल उठा है, उसके बाद हम लोग इस कानून को संशोधित करने के लिए लाए हैं। एक विचारणीय विषय माननीय अध्यक्ष महोदय, छोड़ रहा हूं। यह लेजिस्लेटर कानून बनाता है, यह विधायिका कानून बनाती है। आज हम इतने कमजोर हो गये या फिर हम इतने प्रभावित होकर, कानून बनाने का नजरिया हमारा किसी प्रभाव से ग्रसित रहता है कि हम इस राजस्थान की लोक भावना को समझकर कानून बनायें। हम लोक भावना को समझने में अगर कमजोर पड़ गये तो यह गम्भीर सवाल है। यह विधायिका कानून की विसंगतियों और लोक भावनाओं को समझकर कानून बनाने में अगर कमजोर पड़ गई तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी गम्भीर चुनौतीपूर्ण सवाल हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में एक-एक विषय में। आपने किराया प्राधिकारी बना दिया। तय कर दिया आपने और उसकी शक्तियां डिफाइन कर दीं। अध्याय-5(क) और अध्याय 5(छ) अधिकार, कर्तव्य और शक्तियां, सब आपने दे दी हैं और आपने तय कर दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अब जो किरायेदारी के पुराने विवाद चल रहे हैं, चलते रहेंगे प्राधिकरण में। नया किरायादारी एग्रीमेंट जो होगा, वह प्राधिकारी के सामने होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, क्या राजस्थान सरकार प्रत्येक शहर में एक प्राधिकारी की पोस्ट अलग से इसके लिए लगायेगी? कोटा शहर में दो लाख विद्यार्थी किराये से रहते हैं। कितना बड़ा मजमा चाहिए आपको ? एक-एक किरायेदारी एग्रीमेंट अगर प्राधिकारी के यहां रजिस्टर्ड होगा तो कोटा शहर में केवल और केवल विद्यार्थीयों के दो लाख एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होंगे। क्या आप एक महकमा खोलेंगे ? उसके नीचे कितने कर्मचारी देंगे? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इस राजधानी में राजस्थान के कोने-कोने से और देश से पढ़ने आने वाले विद्यार्थीयों की संख्या किसी भी सूरत में माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यहां रहते हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, दो लाख से कम नहीं है। मैं उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता कि एक गरीब

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आदमी, एक बड़ी मंजिल में 10-10 लोग किराये से रहते हैं मल्टीस्टोरीज में, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। आप कानून में फिर लेकुना रख रहे हैं कि दो लाख विद्यार्थी जो किराये से रहेंगे, वो किराये पर रहने का एग्रीमेंट मकान मालिक के साथ जाकर एसडीएम के यहां करायेगा और जब तक एसडीएम उसको एग्रीमेंट नहीं कर देता, उसकी लीगीलटी नहीं होगी। कौनसा कानून ला रहे हैं ? कानून लाते समय हमें गम्भीरतापूर्वक विचार चाहिए कि मौजूदा सिस्टम में अगर कोई मामूली सी कमी-खामी है तो निश्चित रूप से हमें उसमें गम्भीरतापूर्वक सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा सिस्टम में अगर कोई सवाल कोर्ट ने हमारे ऊपर खड़ा कर दिया और अधिकारियों ने उस पर अपनी अक्ल लगाकर, एक ड्राफ्ट कर दिया और यह सदन उस पर चर्चा करे और पारित कर दे, मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वरिष्ठ हैं। यह हमारा दायित्व इतना सा नहीं है। लोक भावना को समझना, कानून की विसंगति-कमजोरी को समझना और कानून की व्यापकता को समझना, उसको नजर अंदाज किये बगैर, ईमानदारी के साथ इस सदन में चर्चा करके उसको पारित करना हमारा दायित्व है।

अब आपने जुडिशियल पावर्स दे दिये एसडीएम को। एसडीएम को आप जुडिशियल पावर्स दे रहे थे तो मैं यह सवाल आज करना चाहता हूं, क्या यह सदन रोज-रोज अपना मत बदलने का काम करेगा? 1950 की किरायेदारी कानून में भी यह शक्तियां एसडीएम के पास थी और जब 1950 में ये शक्तियां आरएएस अफसर के पास थी और आप जब यह 2001 का कानून लेकर आये तो ये सारी की सारी पावर्स आपने जुडिशियल अधिकारी को दे दी और आज फिर आप जब 2017 में, 16 साल बाद एक नया संशोधन लेकर आ रहे हैं, ये जुडिशियल पावर्स की शक्तियां आप फिर एक आरएएस अफसर को देने चले जा रहे हैं। 50 साल पहले जो कानून आपका था...

इस क्लॉज से हम पचास साल पीछे वहीं जा रहे हैं जहां यह सारी पॉवर्स उसके पास थी। फिर कोई हाइकोर्ट का नया डाइरेक्शन आ जाएगा और इसी कारण से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे कानून की विसंगतियां और अधिकारी जो ड्राफ्ट कर देते हैं, कानून बने ईमानदारी के साथ, विधान सभा में चर्चा होने से पहले उस पर गंभीरतापूर्वक कमेटियों में विचार होना चाहिए। कमेटियों में लेजिस्लेचर विचार करें, कानूनविदों के साथ विचार करें और विचार करने के बाद उस ड्राफ्ट को अप्रूव करे उसके बाद इस सदन में चर्चा के लिए जाए और पारित हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा बचेगी वरना तो रोज-रोज इस सदन के फैसले और बनाये हुए कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर

(श्री प्रहलाद गुंजल)
हाइकोर्ट तक किस प्रकार की टिप्पणियां होती हैं, हम अपने आचरण से विधायिका के काम में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति जो कानून बनायेंगे उस कानून बनाने की जवाबदेही हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं, कानून गलत बनेगा, सही बनेगा उसका विवेचन करने का काम न्यायालय का हो सकता है जवाबदेही हमारी होगी, लेकिन उस जवाबदेही पर उस कानून की विवेचना करते समय हमने सैकड़ों बार विधायिका पर कार्यपालिका पर टिप्पणियां करते हुए देखा है। मैं आज उस पर बहुत लंबा-चौड़ा नहीं जाना चाहता। हमारी कमियों के कारण न्यायपालिका की ऐसी टिप्पणियां आ जाती है जैसे चित्रगुप्त का सारा का सारा परिवार न्यायपालिका में जाकर बैठ गया और विधायिका में तो वंचित और इस प्रकार के लोग फैसला करने के लिए आ जाते हैं ये जो हमारे फैसलों और चर्चा और निर्णयों पर जो गंभीर सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय, उठते हैं उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और ये जो बहुत सारे फैसले, कुछ क्लॉज आपने अच्छे जोड़े हैं। मैं एक-एक क्लॉज पर जाऊंगा तो फिर अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, पर मेरा इतना निवेदन है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप विधायिका के कामों में न बढ़े इसके लिए जब ये कानून ड्राफ्ट हो तो निश्चित रूप से हमारा आचरण इस प्रकार का होना चाहिए कि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें और विचार करने के बाद इसमें कई सारे क्लॉज ठीक दिये हैं कि पहले किरायेदार जो 19 के बीच में जो धारा समाहित की है...।

श्री अध्यक्ष: आ चुके हैं सदन के सामने।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना सा अनुरोध है कि जब भी कानून ड्राफ्ट हो तो विधायकों की समिति में डिस्कस हो। हमारे ब्यूरोक्रेट्स चित्रगुप्त नहीं हैं, उनसे ज्यादा तजुर्बा बयाना से आने वाले बच्चू सिंह रोज हजारों-लाखों लोगों से मिलते हैं। वे सदन की शपथ को ठीक से पढ़ नहीं सकते हों, यह माना जा सकता है लेकिन उनका फील्ड का अनुभव, उनकी सोशल सर्विसेज, उनके सामाजिक सरोकार, उनके गांव के हालात, इस देश के हालात का अनुभव, इसके वैधानिक, अवैधानिक और व्यावहारिक समाज के पक्ष का तजुर्बा मैं कहता हूं चित्रगुप्तों से ज्यादा है और इसीलिए हम चित्रगुप्तों के रहमोकरम पर, उनके लिखे हुए ड्राफ्टों पर कानून बनायेंगे और चर्चा करेंगे तो फिर प्रताड़ना के शिकार होंगे, टिप्पणियां होंगी और इसलिए इन सारे क्लॉजों का मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं इतना अनुरोध करता हूं कि भविष्य में अगर इसकी ड्राफ्टिंग हो, एक-एक क्लॉज पर अध्यक्ष जी जाने नहीं देंगे तो कम से कम विधायिका में आने से पहले कानूनविद् और विधायकों के साथ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यापक डिस्कस हो, उसके तमाम पहलुओं पर डिस्कस हो, राजस्थान के संदर्भ में उसका डिस्कसन हो और उसके व्यापक असर पर...।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं इतना कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2017 का जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं उस पर चर्चा हो रही है इसमें मैंने तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले से ट्रिब्यूनल चल रहा है और बहुत बड़े मामले राजस्थान में नहीं आये। ट्रिब्यूनल के हिसाब से बहुत कम जगहों पर किरायेदार और मकान मालिकों के बीच जो आपसी विवाद चल रहे हैं ज्यादातर किरायेदार मकान मालिकों का किराया समय पर जमा करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब इन्होंने एक बात कही थी कि फालतू के जितने भी कानून बने हैं राजस्थान में जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है उन कानूनों को हम खतम करेंगे नये विधेयक हम कम से कम लायेंगे। अच्छा तो यह होता कि भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए उत्तराखंड की तरह कोई मजबूत लोकायुक्त कैसे बने ऐसा विधेयक ये राजस्थान की विधान सभा में लेकर आते। अब हमारे मंत्री जी क्या है नये-नये बने हैं तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं तो एक नया विधेयक और लेकर आ गये जिसका मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क इस राजस्थान के अन्दर नजर नहीं आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने लूणी से आने वाले हमारे माननीय विधायक, कोटा से आने वाले हमारे माननीय विधायक ने जो बातें बताई थी, निश्चित रूप से इस कानून से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होगी तो राजस्थान का वो छात्र जो राजस्थान के कोने-कोने से आकर जयपुर में पढ़ाई कर रहा है। आज सरकारी कोई कर्मचारी जो गांव या शहर में जा रहा है तो आपसी समझौते के तहत किरायेदार और मकान मालिक के बीच एक विश्वास के साथ समझौता होता है। हर मामला एसडीएम के यहां हो माननीय अध्यक्ष महोदय, एमडीएम को आपने इसमें अधिकारी बना दिया है। एमडीएम को टाइम कितना मिलता है। सात दिन में दो दिन तो आपके प्रभारी मंत्री का दौरा रहता है। मंत्री जाता है इलाकों में दो दिन आवभगत में चले जाते हैं। फिर आप दीनदयाल योजना, कभी कोई योजना, कभी एमएलए बैठक ले

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रहा है तो एसडीएम का एक दिन उसमें चला गया फिर आपकी वीसी होती रहती है। साढ़े तीन साल के अन्दर सरकार की वीसी हो रही है, रोज ही वीसी हो रही है। आप यहां से बैठे-बैठे वीसी में यह हुआ, वीसी में वो हुआ पोर्टल तो उसमें सारे एसडीएम लगे रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग भी होगा न्यायपालिका के अन्दर और एसडीएम में टकराव की स्थिति भी होगी और एसडीएम विधायिकों की डिजायर से लगते हैं तो राठौड़ साहब तो चाहेंगे कि ये तो हनुमान का आदमी है एसडीएम को फोन करके मेरे आदमी का खाली करा देंगे क्योंकि एसडीएम की तो सरकार पोस्टिंग करती है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि अनावश्यक रूप से कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति पैदा होगी। प्रशासनिक सेवाओं में पहले से ही कमी है। आप के राजस्थान में कई जगह एसडीएम के पद खाली हैं। कई जगह आपके मैं तो यह कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी कमी है राजस्थान में प्रशासनिक पदों की और जगह-जगह कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है लाखों की तादाद में पद राजस्थान में खाली हैं। अच्छा तो यह होता कि प्राधिकरण के अन्दर भी अगर आप चाहते तो हमारे बहुत से लोग ग्रेजुएट लड़के, एलएलएम किये हुए लड़के मिल जाएंगे उनकी नियुक्ति आप करते। एसडीएम को आप ताकतवर बना रहे हो। एसडीएम तो पहले से ही कभी तो अतिक्रमण कराने में, कभी कानून व्यवस्था में, कभी आवभगत में रहता है और एसडीएम को जब इतना मजबूत कर दोगे और जब बहुत बड़ी तादाद के अन्दर यह होगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके अन्दर ये जो लेकर आये हैं इसमें 1950 का जो एक्ट था उसको 2001 में उस धारा 19 ए को और इसके अन्दर 2017 में जो कानून आप लेकर आये हो इसमें 19ए धारा को वापस कुछ संशोधनों के साथ जोड़ते, ट्रिब्यूनल को ही पॉवर देते और यह हो जाता कि किरायेदार सीधा मकान मालिक के खाते के अन्दर पैसा जमा कराये, ऐसी व्यवस्था आप राजस्थान में करते तो इस कानून का महत्व था। बिना बात के आपने झगड़ा बढ़ा दिया। हर जगह यह झगड़ा हो जाएगा और एसडीएम का एक ही काम रह जाएगा कि किरायेदार और मकान मालिक के रजिस्ट्रेशन करते रहो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि इस विधेयक पर पूरी चर्चा हो और इसके बाद मंत्री जी आनन-फानन के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अख़बार में आ जाएगा कि श्रीचंद जी कृपलानी ने कानून पास किया क्योंकि मुझे पता आप सबको चुनाव की जल्दी है और अगला ...(व्यवधान)... गोविन्द जी एक मिनट रुको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कानून तो सदन पारित करता है मंत्री थोड़े करते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सुनो एक मिनट। अगला जो सेशन होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, वो तो फोटो सेशन होगा तो इसमें जितना आनन-फानन में लाये और हमें तो बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आप कम से कम लेकर आओगे ये तो रोज 5-5,-7-7 बिल इस तरह पास करा रहे हो जैसे कोई चुनाव दो-चार महीने में ही होने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यूपी के चुनाव के बाद होने वाले है। आप तो ऐसे आनन-फानन के अन्दर बिल ला रहे हो पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले बिल लेकर आ जाओ।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे कालीचरण जी सराफ को बहुत बड़ा शौक था। बहुत बिल लाये और आज भी इनका एक बिल और है। आज नहीं आज तो इनका पड़ोस में हो गया आपका चला गया डिपार्टमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करूंगा कि अगर आपको प्राधिकरण बनाना है और किसी को नियुक्त करना है तो हमारे इस राजस्थान के बेरोजगार जवानों को जिनको पन्द्रह लाख रोजगार देने की बात की थी और नौकरियां आप बीस हजार नहीं लगा पाये साढ़े तीन साल में तो ग्रेजुएट लड़के हमारे छोटे भाई इन पदों पर लगते तो निश्चित रूप से काम होता। अब आप तो एसडीएम को इस काम में बिजी कर दोगे और कानून-व्यवस्था सारी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको करना है तो धारा 19 ए के अन्दर आप संशोधन करके उसी ट्रिब्युनल के अन्दर ये पॉवर रखे और न्यायपालिका और ये कार्यपालिका और ये जो आपस में प्रशासनिक सेवाओं में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हो इसको कम से कम कराने का काम करें और आपस में कम से कम लड़ाने की जो आपकी फितरत है इसको कम करें और तीन महीने के लिए इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर लूणी से और वाले और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। बिल पास करना या न करना लोकतंत्र में संख्या का खेल है। मैं अर्ज करना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहता हूं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय बहुत बड़ा अनर्थ आपके हाथ से आपकी नौकरशाही करवा रही है। यह धारा 3 जो आप लाये हैं अभी विस्तार से प्रहलाद गुंजल जी ने पढ़ी है, आप 7 हजार, 4 हजार, 2 हजार की सीमा को खतम करके, जयपुर में 7 हजार, जोधपुर वगैरह शहरों में 4 हजार और उससे नीचे के म्युनिसिपल एरिया में 2 हजार, एक्ट ने कहा था कि इन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा और आप इस धारा को खत्म कीजिए। जयपुर में जो आदमी 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार के किराये का है और जोधपुर में भी 4 हजार से नीचे के किराये का है, लाखों लाखों लोगों को आप इस किराया नियंत्रण की परिधि में माननीय मंत्री महोदय ला रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं आज लाखों स्टूडेंट न सिर्फ कोटा में, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर शहर में हैं, यह जो पांच सौ, सात सौ, आठ सौ में एक कमरा लेकर अपना अध्ययन कर रहे हैं या मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं और साथ में रिहायश कर रहे हैं, आप क्यों उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं। किस डाक्टर ने आपको यह सलाह दी है। उन्होंने तो कहा था जो प्रावधान नहीं है कि किराया कहां जमा कराये, हाई कोर्ट ने सिर्फ आपको उस किराया जमा कराने की अथोरिटी यानी प्रावधान बनाने को कहा था। प्रहलाद गुंजल जी आप अपनी सीट पर जाये तो माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा ताकि मंत्री महोदय बिना बात किये सुन सके। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं 1950 के एक्ट की धारा 19 (ए) को देखिए वह धारा 2001 के एक्ट में नहीं है। पहला जो रैंट कंट्रोल एक्ट बना, बहुत बुद्धिमानी से बना और उसमें प्रावधान किया गया कि जब विवाद होगा, कोर्ट में जायेगा तो किराया कहां जमा कराया जायेगा। उसमें उस वक्त लिखा गया था कि या तो कोर्ट में जमा करायेगा और यह प्रावधान भी था कि लैंडलोर्ड को कहा जायेगा कि अपना खाता नंबर बताओ और किरायेदार को अधिकार था कि उसके खाते में जमा कराये। यानी जो प्रावधान 19 (ए) में था, आपका 2001 का एक्ट जो वर्तमान में है, 2001 में विधान सभा में पास हुआ और 2003 में लागू हुआ, उस 2003 के एक्ट में जो प्रावधान नहीं है हाई कोर्ट ने मात्र उसके लिये कहा है कि आप उसका प्रावधान बनाये। आपने प्रावधान बनाते बनाते यह जो सैक्शन 3 डाला, लाखों लाखों लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जो छोटा मकान मालिक है, 3-4 हजार रुपये वाला, जो पहले इसकी परिधि में नहीं आ रहा था, उसको भी आपने इसकी परिधि में ले लिया। मैं निवेदन करता हूं कोटा उत्तर के माननीय सदस्य के साथ इस धारा 3 को आप विलोपित करे, इस एक्ट से इसको डिलीट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में 11 महीने के किराये लेने के लिये कोई लिखापढी की जरूरत नहीं है। आपने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कहा, आपके अधिकारियों ने कहा होगा कि नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उस पर आप प्रभाव डाल भी नहीं सकते। आप उसके खिलाफ कानून बना भी नहीं सकते। जो सेंट्रल एक्ट है उसके प्रोविजन को आप ओवर राइट नहीं कर सकते। माननीय मंत्री महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने तो यह एक्ट किरायेदारों को निहाल करने के लिये बनाया है। धारा 22 सी पढिये, किरायेदारी की कालावधि, इसकी धारा 3 पढ रहा हूं मैं सदन इसको सुने, आप कहते हैं कि चार साल की किरायेदारी लिखी है, पांच साल की लिखी है तो वह खत्म होने पर एसडीएम के यहां पर कार्यवाही होगी कि लैंडलोर्ड को कहा जायेगा कि रिन्युअल कर दो। लैंडलोर्ड न रिन्यू करे, लैंडलोर्ड तो रिन्यू करना ही नहीं चाहता तो वह कोर्ट जायेगा, सिविल कोर्ट तय करेगी। आपने तो यह दरवाजा खोल दिया कि उसने कह दिया कि मैं नहीं मानता हूं, तो आपने लिख दिया कि छह महीने तक तो वह जिस टर्म बैठा था, उस टर्म पर बैठा रहेगा और उसके बाद, यदि नियत अवधि की किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उसका नवीकरण नहीं किया गया है या ऐसी किरायेदारी की समाप्ति पर किरायेदार द्वारा परिसर खाली नहीं किया गया है तो, किरायेदरी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो समाप्त हो चुके किरायेदारी करार में थीं, अधिकतम छह मास की कालावधि के लिये मासानुमास आधार पर नवीकृत की गयी समझी जायेगी और तत्पश्चात समाप्त हुई समझी जायेगी, बहुत अच्छा है, आप किरायेदारी समाप्त करने का प्रावधान ला रहे हैं। जो प्रावधान आज तक हिन्दुस्तान के किसी भी रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं है, जो बिलकुल प्रतिगामी प्रावधान है, किरायेदारों के गले पर छुरी लगाने का प्रावधान है, उसको आप ला रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मुझे इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आप जगे और आपका डिपार्टमेंट जगे। ऐसा कानून जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ टाकिंग पाइंट बनेगा कि यह देखो किरायेदारी समाप्त कर दी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं हम आपके हितैषी हैं, हम विधायक दल की मीटिंग में आमंत्रित किये जाते हैं। यह जो प्रावधान आप लाये हैं कि समाप्त किया जाये, क्यों किया जाये समाप्त, ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में मुकदमा करेगा, आपने लैंडलोर्ड की अपनी कोई एजेंसी ली है क्या कि पुराने किरायेदार खत्म हो और नया किरायेदार आये और दो गुणा, तीन गुणा भाव में उस किरायेदार को फायदा हो। आप किरायेदार का दृष्टिकोण न रखें। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में सारा दृष्टिकोण किरायेदार के खिलाफ और मकान मालिक के पक्ष में है। मैं आपसे निवेदन करुंगा इस 22 (घ) को बिलकुल ड्राप कीजिए, विथड्रा कीजिए, डिलीट कीजिए, इसको समाप्त कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप मुझे धमकाओ मत। आप मुझे आदेश दे सकते हो, आप हमारे बुजुर्ग हो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरी आदत धमकाने की नहीं है, मुझे कानून की जो छोटी सी जानकारी है और मेरा अधिकार है कि मैं उससे आपको अवगत करूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 19 (ए) ठीक है। (19) ए का प्रावधान आपने बनाया कि रेंट ट्रिब्यूनल दरख्वास्त देने पर किराया कहां जमा होगा, प्रावधान वह करेगा। वह तो प्राधिकरण है, यह प्राधिकारी किसलिये बनाया, रेंट अथोरिटी क्यों बनाई। माननीय नगरीय विकास मंत्री जी, आरजेएस सर्विस अलग है, आरएएस की सर्विस अलग है। एक आरएएस का आदमी आरजेएस के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जो पावर आरजेएस की है वह आप इस रेंट अथोरिटी के माध्यम से, रेंट प्राधिकारी के माध्यम से जुडिशियल अथोरिटी आप इस एग्जीक्युटिव अथोरिटी को डेलिगेट कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की सेंक्टिटी है, न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग, यह एसडीएम कार्यपालिका का अंग है। यह तो किसी मंत्री के फोन पर कुछ भी कर देगा, क्या हमारे एसडीएम ऐसे हैं, आरएएस का आदमी ऐसा है जिसको आरजेएस में अपाइंट किया जा सकता है। यह किराया निर्धारण की सारी प्रक्रिया और कहां किराया जमा होगा, इसके प्रावधानों में आप संशोधन करें तो राजस्थान की जनता को न्याय मिलेगा।

अपन जो कानून बना रहे हैं, वो बिल्कुल प्रतिगामी, प्रतिक्रिया वादी, मकान मालिकों के पक्ष में और किरायेदारों के खिलाफ है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि धारा 3 खतरनाक है। धारा 22 (सी) खतरनाक है और रेंट ट्रिब्यूनल की पॉवर आपने इसमें किराया प्राधिकारी बनाकर, जिसको अंग्रेजी में Rent Authority कहेंगे, बनाकर जो दी है। वह सारी प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। आपका यह रेंट का रजिस्ट्रेशन रखना बिल्कुल गलत है। आपको क्या आवश्यकता है ? क्या आपको इतनी फुर्सत है ? जो काम आज तक नहीं हुआ कि सारे लोगों के किरायेनामों में कौन मकान मालिक, कौन किरायेदार और कितने पर किरायेदार ? आपको क्या जरूरत है ? सिविल कोर्ट पड़ी है। अपना-अपना हक तय करायेंगे। एस.डी.एम. के यहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है ? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब Transfer of Property Act में 11 महीने के किरायेदार को किरायेदारी लिखना ही जरूरी नहीं है। तो आपने अपने इस एक्ट में लिखा है न कि प्रत्येक किरायेदारी जो इसके बाद होगी वो रजिस्टर्ड होगी। दोनों पक्ष आयेंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर यदि आप प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। संख्या आपके पास है। आप जो कुछ चाहे पास करा लें। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। कैबिनेट के माननीय सदस्य

(श्री मानिक चन्द सुराना)

विराजे हैं। कल तक जो लॉ मिनिस्टर थे, राजेन्द्र राठौड़ जी, वो भी विराजे हैं। मैं निवेदन करुंगा कि मूल रूप से तो जो कोटा, उत्तर के माननीय सदस्य ने कहा कि आप इस सदन की कमेटी बनाइए और कमेटी लेजिसलेसन आने आने से पहले उसको एक्जामिन करे। आखिर उसमें बहुमत आपका होगा, क्या दिक्कत है ? कांग्रेस का जितना रिप्रजेंटेशन है, वो होंगे। जिस पार्टी का रिप्रजेंटेसन है, वो आयेंगे। लेजिसलेसन हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं। लाखों - करोड़ों के लिए बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे भी निवेदन होगा कि लेजिसलेसन आने से पहले आप कोई ऐसी व्यवस्था करे, जिससे कि सदन के माननीय सदस्य। जितने भी हां पक्ष और ना पक्ष, वो आपको ध्यान है कौन कितना है, कौन कितना है ? उस प्रतिनिधित्व में वे उसका एक्जामिन करे और कानून जो जनता के विपरीत है। हमारी मंशा भी नहीं है। भाजपा की मंशा नहीं है कि किरायेदारी खत्म हो जाए। कानून आ रहा है। किरायेदारी खत्म है। तो इस पर विचार करिए। इसको पोस्टपोण्ड करिए। वाकई इस पर विचार करिए। आखिर में तो 18-20 महीने बाद जनता में जाना पड़ेगा। 39 महीने गुजर गए हैं। 21 बाकी हैं, उसमें पांच-छह महीने पहले को सुनेगा नहीं। जो कुछ करना है, 16 महीने का समय है और इसलिए इस कानून को न बनाएं। यह मेरा निवेदन है। बाकी तो आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। समय कम लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल्कुल साहब। जो आदेश माननीय अध्यक्ष जी का। माननीय अध्यक्ष जी, हम आज राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा कर रहे हैं। काफी माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले। काफी अच्छे सुझाव थे। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि बयाना से बच्चू सिंह बंशीवाल जैसे सदस्य आयेंगे तो ऐसे ही कानून बनेगे। मेरा आब्जेक्शन है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ठीक करिए अपने आप को। करेक्ट करिए। मैंने कहा बयाना बच्चू सिंह, चाहे वे शपथ लेने में असमर्थ हो, लेकिन समाज के बड़े तबके में बैठता है। (व्यवधान) उसका तर्जुबा ज्यादा है। उसका ज्ञान ज्यादा है। चित्रगुप्तों का ज्ञान ज्यादा नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ये आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप ऐसी बात मत करिए।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप बहुत ज्यादा विद्वान हैं क्या ?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप अपने आप को इतने विद्वान मत समझिए।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझते हैं। पहले आप कालीचरण जी सराफ के लिए बोल रहे थे कि वो अंग्रेजी नहीं जानते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय डोटासरा जी, इस सदन के सदस्यों की गरिमा को जितना खयाल आपको होगा, उससे कम हमको नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपके बराबर के माननीय सदस्य हैं वो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विराजो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपने उनके लिए कैसे बोला ?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): तथ्यों के बिना जाकर ..।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विराजो जाओ ना ।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): विराज जाए, वो ठीक है, लेकिन आपको क्या यह शोभा देता है ? आप किसी की शिक्षा को लेकर.. । (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मेरे को ज्ञान मत सिखाओ। आप विराज जाओ। आप विराज जाओ।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय डोटासरा जी..। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं माननीय अध्यक्ष के आदेश से खड़ा हुआ हूं। आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय डोटासरा जी, गलत तथ्यों का विवेचन मत करिए, सदन में।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? माननीय सदस्य को जो कि यहां सदन में विराजमान नहीं हैं। अपमानित करने का यह तरीका है क्या ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या बोल दिया मैंने ?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य और सदन की गरिमा के अनुरूप परिभाषा की है। ये शब्द वापिस लें। मैंने कहा हमारा सदस्य अनपढ़ भी है तो उसका ज्ञान चित्रगुप्त के बराबर होगा। अधिकारियों से ज्यादा है। वह समाज में रहता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अपने वाले ही ले लो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने अपने शब्द में उन माननीय सदस्य का उदाहरण क्यों दिया ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उस समय यहां थे या नहीं ? जिस रेफरेंस में उन्होंने कहा है। उस रेफरेंस के उलटा आप बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उलटा नहीं। मैं तो अभी बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: बोल रहे हैं आप। बोलें हैं, तभी तो प्रोटेस्ट हुआ है। उन्होंने जिस भाषा में, जिस मन्तव्य के रूप में कहा, इसका आप उलटा..।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बोला ही नहीं। वो तो नाम लेते ही खड़े हो गए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): शब्द वापस लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे कार्यवाही से डिलीट कराएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप वाली को भी करा दो।

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने उनका उदाहरण ही गलत दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 272 (2) की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि 'बोलते समय पालनीय नियम - बोलते समय कोई सदस्य, किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण की कोई टिप्पणी नहीं करेगा'।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही मैं कह रहा हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी। 'उनको शपथ लेनी नहीं आती' आपको यह शब्द नहीं बोलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट। इसमें यह भी लिखा है कि 'व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करेगा'। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बयाना से आने वाले माननीय सदस्य का नाम लेकर जिस प्रकार की व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है, कार्यवाही से भी निकालें और इन्हें प्रताड़ित भी करें। ये सचेतक हैं। ये प्रतिपक्ष के सचेतक हैं। इनको यह शोभा नहीं देता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको नहीं कहना चाहिए उनका नाम लेकर कि उनको शपथ लेनी नहीं आती। यह नहीं कहना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो उनके पक्ष की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: रिलेवेंट बोलिए। बाकी मुझे बोलना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जी।

श्री अध्यक्ष: पहले तो खुद गलत बोल दिया सारा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बताओ सारे दिन खाते रहते हैं। कहीं पेट पर हाथ फेर रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): यह नियम में नहीं है कि क्या ? खाओ जो मर्जी खा रहे हो।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रमेश आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून आया है। इस कानून में उपखंड अधिकारी को इतने अधिकार दे दिए कि उपखंड अधिकारी के पास में जो रेवन्यू के केसेज हैं। जो उनको टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट का 10 परसेंट भी वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनको बार-बार परिपत्र राजस्व बोर्ड से आते हैं। आप उसको एक चीज और पकड़ा रहे हो कि वह एक तरह से प्रापर्टी डीलर बन जाए। उस सम्पत्ति के बारे में मालिक और किराएदार से वह समझौता कराये और समझौता कैसा करायेगा ? एक बन्दर और बिल्ली का किस्सा है न । आधी इधर से तोड़कर खा ली और आधी इधर से खा ली। उन समझौते कराने वाले को कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा नहीं हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जैसे कि माननीय मानिक चन्द जी सुराना ने कहा । आप इस तरह का कानून ला रहे हो। केवल मात्र राजस्थान के उच्च न्यायालय ने जो बात कही थी। किराया जमा कराने वाली या अपना आदर्श किरायेदारी कानून का मॉडल जो केंद्र से आया है। उसके हिसाब से ही केवल बात होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें उपखंड अधिकारी को इतने असीमित अधिकार आपने दे दिए कि वो ही फैसला करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि हर किरायेदार के किरायेनामे का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस पर शुल्क भी लगेगा। मैं समझता हूं गरीब जनता के ऊपर और ज्यादा भार पड़ेगा, निश्चित रूप से।

खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आखिरी के एक क्षण में जैसे ताबड़तोड़ में आदमी सब कुछ भूल जाता है, उस तरीके से यह कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको सोच-समझकर लाने की आवश्यकता थी। आप अलग से बनाते। उपखंड अधिकारी तो वैसे ही, कभी पशु गिन रहा है, कभी आदमी गिन रहा है, कभी टीके लगा रहा है, कभी पोलियो का कर रहा है, कभी आंगनबाड़ी का निरीक्षण कर रहा है, कभी केसेज की बात कर रहा है। कभी किसी ने आत्महत्या कर ली, तो उसमें जा रहा है। बयान देने के लिए जा रहा है। मर गए, एफ.आई.आर. हो गई। जो है, उसकी जांच कर रहा है। बताइये आप उपखंड अधिकारी को क्या देना चाहते हैं ?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
उपखंड अधिकारी शब्द लिखा है। कहीं उपखंड अधिकारी नहीं भी हैं तो फिर क्या करोगे ? दूसरे उपखंड अधिकारी के यहां जायेगा। तो निश्चित रूप से यह जो नेग्लीजेंसी है, वो नेग्लीजेंसी इस कानून में इनकी लगती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 है उसकी धारा-3 के क्लाज 8 में यह प्रावधान है कि अगर कोई वक्फ सम्पत्ति है और वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी वक्फ की सम्पत्ति पर ये किरायेदारी कानून लागू नहीं होंगे। जबकि जो देवस्थान विभाग के अधीन राज्य सरकार की जो भी सम्पत्तियां हैं या शैक्षिक ट्रस्ट हैं, उनके ऊपर जब तक गजट नोटिफिकेशन सरकार नहीं करेगी, तब तक यह लागू नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनो कान्ट्राडिक्ट्री है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हिन्दु, मुसलिम, सिक्ख, ईसाई, सब भाई-भाई तो आप का यह दोहरा प्रावधान है, कान्ट्राडिक्ट्री है अपने आप में, तो क्यों नहीं इसमें संशोधन करके, धार्मिक संस्थाओं, जो देवस्थान के अधीन आती है, जो हिन्दु, सिक्ख, ईसाई, जैन धर्म के अनुयायी द्वारा ट्रस्ट आदि जितने भी है, इसमें यह प्रावधान क्यों नहीं कर देते, आपको अलग से उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों करना पड़े। जिस प्रकार से वक्फ अधिनियम 1995 के तहत उनको इस किरायेदारी अधिनियम से छूट प्राप्त है, उसी तरह से इनको भी छूट दे दी जानी चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए था।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलकर केवल इतना आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि जो कानून लाया गया है वह बहुत ही ताबड़तोड़ में, बिना पढ़े, बिना देखे, ऐसे लग रहा है जैसे कोई नगरपालिका में या नगर परिषद में या यूआईटी में चैयरमेन रहकर, आदमी ड्राफ्ट कराओ और फिर यहां लाकर पेश कर दें, इस तरह का यह अधिनियम बनाया गया है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। आप निर्देशित करें कि मंत्री जी आप प्रदेश के हित में इस कानून को छह महीने के लिए, जनमत के लिए परिचालित करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मैं मंत्री जी को निर्देशित कर रहा हूं कि अपना जवाब दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसके बाद इसमें दुबारा सबकी राय लेकर, कानून में जो कमियां रह गई है उसको ठीक करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दीजिए, मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं। इन्होंने कहा है निर्देशित करो। बहस का जवाब दीजिए आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 के संबंध में अपने विचार रखे। मैं समझता हूं कि...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, समय बढ़ा देने दीजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

...(व्यवधान)... बैठो-बैठो, समय बढ़ाना था, बढ़ा दिया ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको कौन-कौन समझाए, कितनी बातें समझाऊंगा मैं । समझाते-समझाते थक गया मैं तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपको कुछ ज्यादा ही अक्ल होने का अजीर्ण हो गया है।

विधेयक का पारण

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय लूणी से आने वाले, आदणीय जोगाराम पटेल साहब ने कई शंकाएं की। मैंने अभी जितने भी माननीय सदस्यों को सुना है, सबने शंकाएं व्यक्त की है। जबकि मैंने प्रारम्भ में भी यही बात कही थी कि यह संशोधन किया जा रहा है यह लोगों को सस्ता न्याय मिले, हमारी मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, जिस तरह उन्होंने राजस्थान में गांव-गांव में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर सस्ता न्याय, सुलभ न्याय, गांवों में उन्होंने लाखों लोगों को उपलब्ध कराया, उसी के तहत ही यह संशोधन किया जा रहा है। ताकि शहर में रहने वाला हमारा किरायेदार है, मकान मालिक है, दोनो के हितों को ध्यान में रखते हुए, किस तरह उनको सुलभ न्याय मिले उसकी व्यवस्था इसमें की गई। लेकिन फिर भी उसमें कुछ शंकाएं हैं उनको दूर करने का मैं अपनी ओर से प्रयास करुंगा।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

आदरणीय जोगाराम जी ने धारा 22 (घ) में जो अपील, पीटिशन लंबित रहते हुए किराया जमा कराने का प्रावधान, संशोधन के माध्यम से किया गया है, रेंट अथोरिटी के यहां किराया जमा होगा, यह शायद आपकी जानकारी में होगा। इस संशोधन द्वारा मकान मालिक व किरायेदार दोनों के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है। सभी संशोधित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की मंशा के अनुरूप ही किए गए हैं। मकान मालिक के कोई भी राइट विथड्रा इसमें नहीं किए जा रहे हैं। अपितु सभी प्रकार की सम्पत्तियों को संशोधन के माध्यम से अधिनियम के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको इस बात की सुविधा मिल सके।

संशोधन लागू होने से पूर्व अलिखित किरायेदारी है तो वह भी इसमें प्रभावी होगी।जोगाराम जी ने कई बातें और कहीं है, रेंट अथोरिटी एसडीओ का फैसला अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील किया जा सकेगा। लोगों में शायद यह भ्रम है कि जो एसडीओ को हमने यह अधिकार दिए, आदरणीय सुराना साहब ने भी यह बात कही, लेकिन आप इसको आगे अपील कर सकते हो इसमें, इसमें ऐसा प्रावधान है। इसलिए चाहे मकान मालिक हो चाहे वह किरायेदार हो, उसके अधिकारों का हनन हम नहीं कर रहे हैं।

आज भी धारा 145 सीआरपीसी की शक्तियां, जो उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट के पास है उसका रिविजन अपील सैशन जज करते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल डीजे रैंक का है ना कि सीजीएम रैंक का। आदरणीय जोगाराम जी के बारे में ...(व्यवधान)... है ऐसा।

श्री अध्यक्ष: आप अपना जवाब दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से अपेक्षा की है कि किरायेदारी के मामलों को क्वासी जुडीशियल प्रक्रिया से निपटारा किया जाए। उसी के तहत एसडीओ को रेंट अथोरिटी बनाया गया है। केन्द्र सरकार की जो भावना है उसके अनुसार कुछ संशोधन करके, उनकी भावना के अनुरूप ही इस कानून को बनाया गया है। अभी प्रहलाद जी गुंजल ने एक बात कही थी, माननीय सदस्य जो कोटा उत्तर से आते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी शंका जाहिर की जो आदरणीय मानिकचंद जी सुराना साहब ने कहा, कि दो लाख बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों को एसडीओ के यहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपने अभी बीकानेर, जयपुर के बारे में कहा। जबकि मैं यह कह सकता हूं कि इसमें ऐसी कोई भावना नहीं है। आप आन लाइन भी, सिर्फ सूचना एसडीओ के यहां देनी है। बच्चों को हास्टल का मालिक है या जो मकान मालिक है उसके वहां पर जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जाना। इसकी आन लाइन व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। वहां बैठे-बैठे भी, आन लाइन व्यवस्था उसके लिए है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि 2001 के बाद 16 साल हो गए और 16 साल में भी जब यह आवश्यकता नहीं पड़ी और जो प्रतिबंध उस एक्ट में लगे थे वह सबको मान्य थे तो आप उन प्रतिबंधों को खतम करके, कि जयपुर में 7 हजार से नीचे पर लागू नहीं था। जोधपुर, अजमेर वगैरह में 4 हजार से नीचे पर लागू नहीं था, अन्य नगरपालिकों में 2 हजार से नीचे पर लागू नहीं था, मंत्री महोदय जब आप इस प्रावधान को खतम कर रहे हैं तो सभी रेंट कंट्रोल की परिधि में आ गए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सुराना साहब, मैं आपको एक बात निवेदन करूं, आप कह रहे हैं कि पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। फार्म डी, आपको ध्यान होगा फार्म डी उसमें सिर्फ सूचना भेजनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, लाखों बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे जयपुर में पढ़ रहे है, लाखों बच्चे बीकानेर में पढ़ रहे हैं, उनकी जानकारी भी प्रशासन को होनी चाहिए। मैं तो यह मानता हूं कि एक अच्छा कानून है। वह बच्चा किस होस्टल में, रह रहा है, किस मौहल्ले में रह रहा है, कितनी घटनाएं आपने देखी होगी। कोटा में व अन्य क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। इससे वह बच्चा सुरक्षित भी होगा। मकान मालिक और किरायेदार के माध्यम से यह कानून, उसमें बच्चा सुरक्षित भी हो रहा है।

हनुमान जी बेनीवाल यहां नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी कि इन कानूनी सुधारों से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बौखलाए हुए हैं। हालांकि मैं यह मानता हूं कि हम यह कानून ला रहे हैं, कोई व्यक्तिगत, कोई राजनीतिक पार्टी के माध्यम से, कोई लाभ लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी मंशा एक ही है कि वर्षों से किरायेदार और मकान मालिक आपस में उलझते आ रहे हैं, कोर्ट में उनके मामले चल रहे हैं उनके लिए इस तरह की सुलभ व्यवस्था हो जाए कि उपखण्ड स्तर पर जाकर उसका निपटारा हो जाए। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इसका फायदा उनको मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डोटासरा जी ने बार-बार एक शंका जाहिर की है कि एसडीओ को अधिकार दिए गए और एसडीओ को अधिकार देने की वजह से राजनीतिक प्रभाव से या पैसों के माध्यम से लोग इसका फायदा उठाएंगे, जबकि मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अधिकार पूर्व में भी एसडीओ को, हमने कई अधिकार दिए हुए हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि प्रपत्र डी में जो सूचना का अधिकार है, जो आन लाइन भी हम दे सकते हैं, डाक के माध्यम से भी दे सकते हैं। भारत सरकार की जो मंशा है कि राज्य स्तर पर सभी राज्यों की परिस्थितियों का अध्ययन करके, निर्देश देकर, उन राज्यों की परिस्थिति के अनुसार इसमें लागू किया जाए, उसी के अनुसार इसको लागू किया है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं, कुछ आपके सुझाव है, भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि इनको लागू करें। लेकिन आज जो हमने संशोधन दिए उन संशोधनों को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पारित करने का आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017....

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकिण्ड अध्यक्ष जी.

श्री अध्यक्ष: मानिक जी, आ चुका है, और व्यक्तिगत लिखकर दे दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप धारा 22 (ग)....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

सभापति तालिका

जोगाराम पटेल, श्री, का सभापति तालिका के लिए मनोनयन

अगला विषय लेने के पहले मैं एक घोषणा कर रहा हूं, सभापति तालिका की। मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत मैं श्री जोगाराम पटेल (67), सदस्य, विधान सभा को सभापति तालिका के लिये मनोनीत करता हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो मैंने अपने संशोधन दिये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, यह जो बिल आप लाये हैं, निश्चित रूप से ज्ञान और शिक्षा का विकास होना चाहिये और युवाओं के अन्दर शिक्षा का बराबर विकास होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से, एक इतना निवेदन मंत्री महोदय से है कि हमारा इन विश्वविद्यालयों पर अंकुश पूरा बना हुआ रहे। इन मापदण्डों का ध्यान रखना चाहिये और हमारी जो वास्तविक संस्कृति और सभ्यता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अगर हकीकत में कहें, और आप भी उन बातों को पूरा समझते हैं कि एक जमाना था, देश में तक्षशिला और नालन्दा, जैसे विश्वविद्यालय ने संस्कृति और सभ्यता को पूरे विश्व के अन्दर फैलाया था। उसके बाद अंग्रेजों के लार्ड मैकाले ने खाली इस देश की नस को पकड़ा कि यहां पर ज्ञान के माध्यम से जो संस्कृति, सभ्यता है उसको कैसे तोड़ना है, और एक नौकरशाही शिक्षा का यहां एक बीज बोया, जिसके आज हम सभी शिकार हैं। तो यह अपन जब नये-नये एक्सपरीमेंट करते हैं, या नये-नये विश्वविद्यालयों को जब अनुमति देते हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश में गुरु वशिष्ठ जैसे भी हुए, वेद व्यास जैसे भी हुए, महर्षि अरविन्द जैसे भी हुए, दयानन्द सरस्वती जैसे भी हुए, जिनके व्यवहार में और उनके चलने-करने में शिक्षा की एक रीति-नीति दिखती थी। अब इन बातों का हमें, कम से कम सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा कभी और कोई विश्वविद्यालय में, जे.एन.यू. जैसी घटना, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ हो, ऐसा वातावरण किसी विश्वविद्यालय में निर्माण नहीं होना चाहिये, जो वास्तव में इस राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा है। तो इन बातों को कहीं न कहीं चिह्नित करते हुए, और आप विश्वविद्यालय की सारी जो भी नियमावली देखें, सारी शिक्षा-दीक्षा उसमें है, हमारी वैदिक गणित उसमें है और योग शिक्षा भी उसमें ली है। उसके लिये भी धन्यवाद। लेकिन इसके साथ में हमारा अंकुश पूरा बना हुआ रहे। जो आपने इनकी कमेटी बनाई है, उसमें सरकार का भी कोई न कोई एक ऐसा जन-प्रतिनिधि रहना चाहिये, जिससे उनका नियंत्रण बना रहे, सरकार का नियंत्रण बना रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो यह बिल लाया है, जो मैंने जनमत जानने के लिये प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाण विश्वविद्यालय हो या राजस्थान में अन्य कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों को हमारे राजस्थान के इस विधान सभा सदन में रखकर हमारा आज का एक दिन जो हम सिर्फ इस बिल को पास कर सकते हैं, इस बिल के पास करने के बाद, हमारी सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं रहती, जो इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण कर सकें। इसलिये मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार इन विश्वविद्यालयों को अनुमति देती है, इनको रियायती भूमि देती है। सरकार उसके बाद ऐसी अनियंत्रित शक्ति, जो विश्वविद्यालयों के पास चली जाती है, उन विश्वविद्यालयों के द्वारा हमारे इस देश के नौजवानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जाता है, उसकी कहीं भी सुनवाई करने वाली कोई शक्ति, कोई बोर्ड, कोई आयोग कहीं भी स्थापित नहीं है। इसलिये सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के नियंत्रण लिये कोई आयोग गठित किया जाये, या विनियोग कोई बनाया जाये, कोई ऐसी आथोरिटी हो, जो इनकी जांच कर सके।

अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी डिग्रियां बांटने का काम करते हैं। मनमर्जी से फीस वसूलते हैं। पेपर में जान बूझकर फेल कर देते हैं। उनकी शिकायत करने के लिये दूसरी जगह कोई नहीं है। क्योंकि फेल करने के बाद वह दूसरी बार उसमें एडमिशन लेता है और उसी की मनमर्जी से फिर फीस वसूलते हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार तक जाना चाहता है या सरकार तक शिकायत करने की बात करता है तो उनको अनुपस्थित दिखा दिया जाता है, उन छात्रों के एब्सेंट लगा कर उनको उस पेपर से वंचित कर दिया जाता है। इस तरीके के विश्वविद्यालयों की जहां तक सरकार के द्वारा निर्धारित सीटें हैं कि इस सब्जेक्ट में, इस विषय पर आपके पास इतनी सीटें हैं, उन सीटों के अलावा सौ सीटों की जगह एक-एक हजार लोगों को एडमिशन देते हैं। एडमिशन पर नियंत्रण, कोई निर्धारित समय नहीं है कि इनको प्रवेश कब तक दिया जायेगा और प्रवेश देने के बाद वह सूचना सरकार तक कब भेजेंगे कि इतनी सीटें हमारे पास थीं, इतने छात्रों को हमने प्रवेश दे दिया है और एक निर्धारित सीमा के बाद कोई प्रवेश न हो, और उसकी सूचना भी ऑन लाइन सरकार करे कि कोई भी छात्र कहीं से भी देख ले कि उसकी इतनी सीटें हैं, इतने एडमिशन हो चुके हैं। इसलिये वह एडमिशन की सीटें सौ हैं, हजारों छात्रों को एडमिशन देते हैं, उनसे फीस वसूल कर फर्जी मार्कशीट, जिस तरीके से जोधपुर विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट बांटी गई, उसी तरीके से हर विश्वविद्यालय में ऐसा

(श्री मनोज कुमार)

हो रहा है। कई गुणा एडमिशन देने के बाद प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय में, जहां इन छात्रों के साथ अन्याय होता है, जब भी छात्र जाते हैं उनको यह छूट दी जाती है कि आप विश्वविद्यालय में न आएंगे तो आपकी फीस, जो 20 हजार रुपये ली जा रही है, उसके अलावा 20 हजार रुपये, इसी तरीके से आपके बी.एड. कॉलेजों में भी जाती है, आपके नर्सिंग कॉलेजों में भी ली जाती है। इस तरीके से छात्रों के साथ डबल फीस लेने का जो प्रावधान इन विश्वविद्यालयों में जो किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाये। अगर इस तरीके से मनमर्जी से प्राइवेट विश्वविद्यालयों को हम अनुमति देते रहेंगे और वह छात्रों के साथ इस तरीके से अन्याय करते रहेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत गम्भीर विषय है, इस पर नियंत्रण किया जाये।

एक और इसमें गम्भीर विषय है कि सरकार के पास, छात्रवृत्ति जो विषय है, अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति की जिन-जिन लोगों की प्रवेश रसीद काटी जाती है, एडमिशन का और कोई विवरण नहीं होता। एक रसीद काटने के बाद उसका फॉर्म सब्मिट किया जाता है और छात्रवृत्ति का करोड़ों का गबन आपके प्राइवेट विश्वविद्यालयों में हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं आप पूरे राजस्थान में इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अकेले छात्रवृत्ति की जांच करवा लेना, आपको करोड़ों का गबन मिलेगा। ये विश्वविद्यालय लूट की दुकान के अलावा दूसरा कोई हित नहीं है। जिस तरीके से शंकरसिंहजी कह रहे थे कि शिक्षा का तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, शिक्षा देने के लिये आप काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं यह लूट की दुकान के अलावा दूसरा इस प्रदेश के लिये, इस देश के लिये नहीं।

एक और गम्भीर विषय है। इनके विश्वविद्यालयों को जब भी कोई छात्र देखना चाहता है कि क्या मान्यता प्राप्त हैं। उस लिस्ट में, उस रिकार्ड में यह मान्यता प्राप्त बोलते हैं। मान्यता प्राप्त बोलने के कारण छात्र सिर्फ एडमिशन लेने आता है, उसको सीट का पता नहीं होता। इसलिये आज, इस पर गम्भीरता से लें। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आप नोट कर लें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी खुली हुई है, जिसकी राजस्थान की पूरी सरकार को पिछले तीन वर्षों में चार बार लिखित में शिकायत कर चुका हूं, आपकी मुख्य मंत्री महोदय को, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को और इस सदन में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री महोदय कालीचरणजी सराफ ने मुझे आश्वासन यह दिया था कि मैं कमेटी गठित करके जांच कराऊंगा। लेकिन आज दिन तक उसकी जांच नहीं हुई। क्योंकि आपके अधिकारी, कर्मचारी यहां जयपुर में जो बैठे हैं, करोड़ों की मिलीभगत में वे शामिल हैं। इस कारण से वे जांच नहीं करना चाहते। तीन साल में एक सरकार विधान सभा में आश्वासन देने के बाद अगर जांच

(श्री मनोज कुमार)

नहीं करा पाई, इससे गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता। इसलिये इस सदन में या तो बोलें क्यों, इस सदन में रखें क्यों कोई बात। अगर इस सदन में आने के बाद भी अगर इस प्रदेश में कोई जांच नहीं हो, इससे गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता है। इस ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी, आज तक तीन साल में एक कलेक्टर का आदेश होने के बाद एक तहसीलदार ने जो 15 मीटर के दायरे में किसी भी सड़क से उसका निर्माण नहीं हो सकता, जिसने मात्र 03 फुट सड़क के ऊपर निर्माण कर रखा है।

लेकिन उस निर्माण को भी हटाने की आज तक किसी ने कोई हिम्मत नहीं की क्योंकि वह करोड़ों लेते हैं तो करोडों की कहीं न कहीं राशि पहुंचने का इस सरकार के पास भी काम करते हैं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत बड़े दल के साथ यहां पर बैठी है और जिस भारतीय जनता पार्टी को इस राजस्थान में स्थापित किया स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने जो जनता पार्टी के रूप से यहां पर आए थे, सरकार से मैं यह मांग करना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह शेखावत इस देश के उप-राष्ट्रपति के स्थान तक गये तो किसी न किसी विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह शेखावत के नाम से रखा जाए। आज आपके पास शक्ति है आपने खूब नाम विश्वविद्यालयों के रखे हैं। जिस तरीके से जय नारायणजी व्यास विश्वविद्यालय, नरेन्द्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, उसी तरीके से स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी के नाम से या तो राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम भैरोंसिंह विश्वविद्यालय किया जाए या किसी अन्य सरकारी विश्वविद्यालय में भैरोंसिंहजी का नाम स्थापित किया जाए।

आपको वह भैरोंसिंहजी ने, यह जो आज मैनडेट लेकर बैठे हो, यह उनकी ही देन है और उनके बिना इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का स्थान नहीं था इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर महोदय, आप सामने बैठे हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप यह निर्णय जल्द से जल्द करें। थोड़ा सा समय बचा है आपके पास, सिर्फ 20 महीने का। इन 20 महीने में कर लेंगे तो कर लेंगे नहीं तो फिर दुबारा फिर नम्बर आने की संभावना शायद कम है राजस्थान की जनता के बीच में।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, जल्द जल्दी से कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखें और स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह शेखावत का नाम कहीं न कहीं इस राजस्थान के पन्नों में आप और कहीं लिख दो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप यह प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाएं लेकिन आप इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण का कोई न कोई स्थान स्थापित जरूर करें। अगर आप उन

(श्री मनोज कुमार)

पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे तो यह लूट की दुकान चलती रहेगी। हम उनका मुंह देखते रहेंगे। आज के दिन के बाद, आज यह बिल पास हो जाएगा, उसके बाद, माननीय मंत्री महोदय, आपके पास कोई नियंत्रण नहीं बचेगा, न माननीय मुख्य मंत्री महोदया के पास कोई नियंत्रण बचेगा इसलिए पहले नियंत्रण की व्यवस्था करें और यह मेरी ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी की, मैं विश्वास लेना चाहता हूं, आज आप भी इस सदन में कहें कि इसकी जांच हम एक महीने में करवा देंगे और इसने जो-जो गलत काम कर रखे हैं, उनकी रिपोर्ट इस आने वाले सत्र में, दुबारा जब भी आए, उस सत्र में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो मेरा प्रस्ताव है, उसको जनमत जानने हेतु भेजा जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, विधेयक, 2017 जो सरकार लेकर आ रही है, उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में- 'ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है।'

उक्त कथन में सरकार किस प्रकार संसाधनों के अनुभव को प्रमाणित कर रही है? जबकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, उसको भी इसी उद्देश्य से इसी सदन ने पारित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने 20 हजार से ज्यादा फर्जी डिग्रियां राजस्थान के अंदर बांट दी। उसकी जांच सरकार करवा रही है लेकिन वह फर्जी डिग्रियों की पूरी जांच माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुई। कई लोगों ने बाहर जाकर उन फर्जी डिग्रियों से नौकरियां ले ली कई लोग किसी प्रदेश के अंदर चले गये और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जब भी आप कोई नया विश्वविद्यालय या नया जो भी आप देते हो, प्राइवेट स्कूल आपने जगह-जगह पर राजस्थान के अंदर खोल दिये और उन स्कूलों से जो स्कूल दस साल पहले बंद हो गये, लोगों ने डिग्रियां दे दीं और लोग सरपंच, प्रधान और प्रमुख बन गये। सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर यह हुआ कि चुने हुए जन-प्रतिनिधि इस बार फर्जी तरीके से पंचायतों के अंदर आ गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बार-बार इस सदन के अंदर बात उठी थी और चूंकि, मैं कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से राजस्थान की विधान सभा में आया हूं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हमारे यहां भी सामने कालीचरणजी, राठौड़ साहब, करीबन एक दर्जन से ज्यादा छात्र नेता, छात्र संघों के माध्यम से राजस्थान की विधान सभा में आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जो घोटाला और सबसे ज्यादा जो बेईमानी होती है वह यह प्राइवेट विश्वविद्यालय जो लेकर आते हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम अगर पूरा विश्वविद्यालय खुले तो एक हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है लेकिन यह पांच करोड़ रुपये का दिखा देते हैं। बीस बीघा जमीन दिखा दी। सरकार से कम दर पर जमीन ले ली और यह इतने बड़े दादा बन जाते हैं कि बाद में शिक्षा मंत्री का टेलीफोन तक नहीं उठाते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर हुईं। निम्स विश्वविद्यालय जो मेडिकल हैल्थ का विश्वविद्यालय था ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौनसे शिक्षा मंत्री का नहीं उठाया ?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, रुको तो सही। निम्स विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर की और निम्स का निदेशक कई मामलों में पकड़ा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो जेल से बाहर ही नहीं आता, एक मामला आता है और एक में चला जाता है। एक में आता है और एक में चला जाता है। उसको भी सरकार ने बहुत बड़ा संरक्षण दिया। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। लम्बे टाइम से संरक्षण चल रहा है। ऐसे मामलों के अंदर मैं सरकार से एक ही आग्रह करूंगा कि विश्वविद्यालय जिनके माध्यम से हम राजस्थान को एक दिशा देते हैं और उन प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अंदर से जो बालक-बालिकाएं निकल कर डिग्री लेकर वह निश्चित रूप से प्रशासनिक पदों पर भी जाते हैं, वह आगे नेता भी बनते हैं और देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं अगर उनकी नींव ही भ्रष्टाचार से और बेइमानी से भरी हो तो कैसे इस प्रदेश का भला हो सकता है ?

चाहिए तो आपको यह था कि राजस्थान के अंदर हम रोजगार की बात करते हैं। आप एक लाख डिग्री देते हो सौ नौकरी निकालते हो। इस प्रदेश के अंदर साढ़े तीन साल के अंदर और पिछले पन्द्रह साल का इतिहास देखें तो आज तक अगर सरकार, पी.ए.सी. के अंदर एक पैरा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो वर्ल्ड बैंक, का दिल्ली का पैसा आता है वह पैसा मानिटरिंग के अभाव के अंदर लैप्स हो जाता है और उस पैसे से पूरी नौकरी अगर दी जाए तो चार से पांच लाख अतिरिक्त जवानों को रोजगार दिया जा सकता है। 2002 से लेकर 2017 तक अगर सरकार चाहती तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता था और करीब हर साल चार लाख के हिसाब से आपके चालीस-पचास लाख नए जवानों को रोजगार मिल सकता था।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाने की चर्चा भी यहां पर हुई और बारबार यह मामला जोरदार ढंग से उठा और विश्वविद्यालय नियामक आयोग शायद आपने बना दिया लेकिन उसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को आपने रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर जन-प्रतिनिधि भी होना चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव जीत कर आते हैं। चाहे संबंधित विधायक हो, चाहे सांसद हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता हुआ कोई भी प्रतिनिधि उसके अंदर हो, ताकि सरकार का नियंत्रण उसके अंदर रहे। आप तो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय नियामक आयोग बना रहे हो और वह सरकारी हाथों के अंदर दे रहे हो, अधिकारियों के हाथों के अंदर दे रहे हो। अधिकारी अगर उस प्राइवेट विश्वविद्यालय के मालिक से मिल जाएगा तो वह भी लिप्त हो जाएगा और गुंडागर्दी उसकी चलती रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का प्रतिनिधि उसके अंदर हो तब जाकर भला होगा और एक आर्मी का अधिकारी भी क्योंकि आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं इसमें राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत शिक्षा होनी बहुत आवश्यक है। खाली डिग्रियां बांटने से सब कुछ नहीं हो जाता। आप डिग्री लेने के बाद भी देख रहे हो कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पढ़े-लिखे जवान रोजगार के अभाव के अंदर हाथ में बंदूक उठाकर वह किसी गैंग के सदस्य बन रहे हैं, अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं तो खाली डिग्रियां बांटना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमने इतने विश्वविद्यालय खोल दिये, इतने कानून कालीचरणजी लेकर आ गये, इतने हमने कर दिये वाहवाही लूट ली, अख़बार में छप गये, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य यह होना चाहिए कि राजस्थान को एक नई दिशा मिले। बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान हो और हम डिग्री, इस तरह के लोगों को विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दें जो वास्तव में शिक्षा का महत्व समझते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंदर चाहे जो पद नाम रख लेते हैं। चेयर-पर्सन, यह चेयर-पर्सन बताओ मनमर्जी होती है, उनका खुद का संविधान होता है। वह चेयर-पर्सन बन जाते हैं, खुद ही मालिक बन जाते हैं। लाल-बत्ती लगाकर घूमते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट विश्वविद्यालय वालें। वैसे हमारे विधायक तो लाल-बत्ती लगाकर घूमते थे राठौड़ साहब वगैरह पिछली बार जब थे, हम पांच-सात लोग लगाते थे, लाल-बत्ती लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जाम के अंदर यह प्राइवेट विश्वविद्यालय वाले क्या करते हैं, साहब, पांच मिनट बोल लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है न? अगर आप कहें तो पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: दिक्कत तो यही है कि शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट करो जल्दी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): शॉर्ट ही कर रहा हूं। मैं दिक्कत पैदा नहीं करूंगा, साहब, सीधा-सीधा इस पर ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट में खतम कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या करते हैं साहब, कि इनका खुद का सिस्टम होता है पूरा, संविधान होता है, खुद ही एग्जाम करवाते हैं और खुद ही सेंटर तय करते हैं और अपने हिसाब से परसेंटेज तय कर देते हैं कि आपको हम गोल्ड मेडल दिलवा देंगे, तू फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, यह आ जाएगा, वह आ जाएगा, यह सारी व्यवस्था खुद करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं इन पर लगाम लगनी चाहिए नहीं तो यह शिक्षा बहुत गलत दिशा के अंदर चली जाएगी। आज पान की दुकान की तरह, अभी हमारे राजगढ़ से आने वाले हमारे भाई ने बताई कि यह लूट की दुकान हो गयी। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह गली-मोहल्ले, थड़ी के अंदर पान की दुकानें खोलते हो, उस तरह पान की दुकान की तरह हर कोई आया और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल लिया और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलकर एक डिग्री बांटने का धंधा उन्होंने कर लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी यूनिवर्सिटी को इतनी खुली छूट अगर अपन इस तरह लाकर, सस्ती दरों पर जमीन, जो करोड़ों-अरबों रुपये की जमीन है, अपन इनको दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा शिक्षण की गुणवत्ता पर जो नियामक आयोग बने उसकी मंशा एक बार स्पष्ट होनी चाहिए। आज सदन में सरकार फिर एक बार यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आई है और वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा के स्तर की बात करें तो क्या मिलेगा ? इस पर गौर करने की आवश्यकता है।

हालात बहुत खराब हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जो हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है अध्यक्ष महोदय, आज यूजीसी की ग्रांट नहीं मिल रही है, प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, राजस्थान के अंदर लेक्चरर, प्रोफेसरों के पद खाली हैं। जो लेक्चरर्स हैं, वह प्रोफेसर बनने के इंतजार में रिटायर होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक गुण्डागर्दी का उदाहरण दूंगा कि जयपुर के अंदर एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी रही। इनकी भी और पहले की सरकारों की भी रही और बहुत बड़ी जमीन उसको दी और उस निजी विश्वविद्यालय के मालिक का दिमाग इतना खराब है कि तीन लड़के उसके फार्म हाउस के बाहर गये और उन्होंने फार्म हाऊस पर सेल्फी ली। तब गार्ड ने टेलीफोन किया कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कुछ लड़के इस तरह से सेल्फी ले रहे हैं तो निजी विश्वविद्यालय जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है +++ उसने कहा कि आप तो इनको गोली मार दो। आनन-फानन में उस गार्ड ने तीन फायर किये। उससे एक लड़के की मौके पर मौत हो गयी, दूसरे की आँख चली गयी और तीसरा भी गंभीर घायल हो गया था। तीनों किसान के बेटे थे और उस निजी विश्वविद्यालय के मालिक की इतनी पहुंच है कि आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। आन्दोलन भी हुआ, ज्ञापन भी दिये। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह तो बहुत बड़े हो गये, यह तो हम सबसे ही बड़े हो गये, सदन से बड़े हो गये कि इनको चाहे जैसी सरकार मदद दे रही है। इस तरह हमारे ग्रामीण छात्रों पर गोलियां बरसा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप नये-नये प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल रहे हो और दूसरी ओर विश्वविद्यालय बंद कर रहे हो। तकनीकी विश्वविद्यालय आपने बंद कर दिया। पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपने बंद कर दिया। जे.एन.यू.फर्जी भर्ती घोटाले की गूंज पूरे देश के अंदर रही । यह तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने जो जे.एन.यू. शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, इसमें एक्शन लेने की बात कर दी, नहीं तो मिला-जुली का खेल हो गया था। हो ही गया था, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गये और आप इसके अंदर वाहवाही लूट रहे हो कि हमने यह कर दिया। आपने नहीं किया यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जे.एन.यू. का जो फर्जी घोटाला था, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही मांग करता हूं कि इस तरह से आनन-फानन के अंदर बार इस प्राइवेट विश्वविद्यालय के बिल को पारित करने से पहले आपको विचार करना चाहिये। आपको एक बार पुन: सोचना चाहिये और इसे तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक (संशोधन) 2017 पर आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये आपका आभार। वर्तमान में देश की स्थिति यह है कि कोई भी विश्वविद्यालय शीर्ष विश्व के 200 में से नहीं है। आजादी के समय देश में 27 विश्वविद्यालय थे, आज उनकी संख्या 750 से बढ़कर अधिक हो गयी है। आज हम पूरी दुनिया में देखें तो जर्मनी, आयरलैण्ड, स्कॉटलैण्ड ऐसे कई अलग अलग देश हैं जिनमें उच्च शिक्षा की डिग्री अपने नागरिकों को फ्री में दी जाती है। एक रिसर्च से यह भी पता लगा है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष औसत एनरोलमेंट केवल 600 से 700 के बीच में हैं, जबकि अमरीका, यूरोप में यह

(श्री रमेश)

स्थिति तीन हजार से चार हजार तक है और चीन में आठ से नौ हजार है। हमारे जो भारत देश के विद्यार्थी हैं लंदन यूनिवर्सिटी में हर साल एक लाख 80 हजार स्टूडेंट जाते हैं। वहां गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलती है इसलिये हमारे देश में, हमारे राज्य में यदि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले तो हमारे लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े। उच्च शिक्षा का भार धीरे-धीरे सरकारों ने अभिभावकों पर डाल दिया है। निजी क्षेत्र के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल दिये हैं लेकिन उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय फीस, फैकल्टी, सुविधा, शोध आदि को लेकर ऐसे मानदण्ड स्थापित करें और उनकी कड़ाई से पालना करावें। लेकिन वास्तव में राज्य में निजी क्षेत्र में भी अभी गुणवत्ता की समस्या है। कहीं लाइब्रेरी, खेल मैदान, कहीं बिल्डिंग अधूरी हैं, कहीं मानदण्ड के अनुसार लैब नहीं है। अधिकांश यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भी उतनी अधिक अनुभवी और ट्रैण्ड नहीं हैं जितनी होनी चाहिये। निजी विश्वविद्यालय फैकल्टी पर अधिक पैसा खर्च नहीं करते। छोटी-छोटी सुविधाओं में भी वित्तीय लाभ-हानि को अधिक तरजीह देते हैं। यह छोटी कमियां, उनका परिणाम बहुत बड़ा और शिक्षा की भावना के विपरीत जा रहा है। शोध की बात करें तो शोध का काम बहुत धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। छात्र केवल डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं। उनका शोध का अनुभव शून्य होता जा रहा है। आज अधिकांश निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वसूल की जाने वाली फीस सामान्य राजस्थानी परिवार की औसत वार्षिक आय से कहीं अधिक है। गरीब आदमी का बच्चा कर्ज लेकर पढ़ सकता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे प्रावधान करें कि विश्वविद्यालय में राज्य का सामान्य परिवार का छात्र भी बिना कर्जे के पढ़ सके। आज भी स्थिति है कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में तेजी से निजीकरण हो रहा है। आज मेडिकल में एम.बी.बी.एस. की बात करें कि हमारा लड़का एम.बी.बी.एस. डॉक्टर बने तो उसके लिये आम विद्यार्थी एक गरीब के लिये चिकित्सक बनने के लिये एक करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तो गरीब आदमी एक करोड़ रुपया कहां से लायेगा तो एक तरह से तो यह हो गया कि अमीर आदमी होगा, वही डॉक्टर बन पायेगा और हमारी सरकार की जो भावना है कि हम जो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं उसमें राज्य सरकार का भी दायित्व है कि इसमें सबको सामूहिक मौका मिले और उस संस्था का लाभ चुनिन्दा लोगों को न मिलकर सभी को मिले। यदि सरकार जान-बूझकर इस मैटर में चुप रहती है तो साफ है कि या तो इस सरकार का नैतिक पतन हो चुका है या वह उसे जनहित से कोई सरोकार नहीं है। सैंकड़ों बीघा भूमि बहुत कम दरों पर आवंटित करा ली जाती है। हॉस्टल और मैस जैसी व्यावसायिक गतिविधियां चलायी जाती हैं। भारी भरकम फीस वसूली जाती है जबकि भूमि रियायती दर पर

(श्री रमेश)

मिली होती है। विश्वविद्यालय संचालन के लिये बुनियादी ढांचा, फैकल्टी, पाठ्यक्रम और प्रायोजन से जुड़े कुछ मानदण्डों को तय करने की भी जरूरत है। आज सभी बड़े निजी संस्थानों में एक प्रकार से छद्म संगठन बन गये और इन सभी में हर साल फीस बढ़ा दी जाती है और उसका कोई औचित्यपूर्ण तर्क नहीं दिया जाता है। फैकल्टी के मानदण्डों का कठोरता से पालन नहीं होता। यह एक विशुद्ध व्यावसायिक कार्य हो गया है। राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के कानून में केवल औपचारिकताएं पूरी ना करें बल्कि ऐसे प्रावधान करें जिससे उसका लाभ राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी को मिल सकें और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पाया जा सके।

यहां पर जैसा बताया मेरे पूर्व वक्ताओं ने कि बड़ी संख्या में फैक कॉलेज, फैक यूनिवर्सिटी और कुछ रियल यूनिवर्सिटीज हैं तो उनकी फैकल्टी भी हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इसको जनमत जानने के लिये तीन महीने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 45वें निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2017 की स्थापना के संबंध में जो यहां पर प्रस्तुत हुआ, उस संबंध में हमारे माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही सार्थक सुझाव दिये हैं। इसके लिये मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं और यह विश्वास दिलाती हूं कि सरकार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना में कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगी। यह कहते हुए कि आज उच्च शिक्षा की जिस तरीके की स्थिति है, वास्तव में यह स्थिति चिन्ताजनक है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बड़ी संख्या में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय की स्थापना केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा की गयी है। किन्तु राजकीय संसाधनों से ही उच्च शिक्षा के अवसर सभी भारतीयों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसलिये राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

और इसलिए वर्ष 2004 में राज्य को उच्च शिक्षा में हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो जो 6.04 था जबकि देश का सकल नामांकन अनुपात 9.97 था।

आज इस ओर भी हमें अपना ध्यान आकर्षित करना होगा कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उन्होंने देश में 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रेखांकित की थी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
जबकि 2004 में देश के अन्दर मात्र 394 ही विश्वविद्यालय थे।

इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासन काल में 2003 से 2008 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु "The Guidelines for the Establishment of Private Universities by Separate Act." दिनांक 26.07.2007 को जारी किया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहभागिता को हमारी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया और 2007 में बनाये गये दिशा-निर्देशों के तहत प्रारम्भ में ही भा.ज.पा. सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में 13 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की और इन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत अब राज्य में 44 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह है कि राज्य का सकल नामांकन अनुपात अब 21.9 हो गया है जबकि राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात अभी भी 25.3 है। किन्तु अभी भी यह अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कुछ कम होने की वजह से हम लोग राष्ट्रीय औसत की बराबरी करने हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विस्तार किये जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं। और आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी 15 नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एल.ओ.आई. जारी हो गये हैं और 17 ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, जो पाइप लाइन में चल रहे हैं, जिनकी एल.ओ.आई. जारी करने की प्रक्रिया में वह चल रहे हैं।

निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक इस दिशा में उठाया गया नवीनतम कदम है। यह विश्वविद्यालय जिला जयपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो जयपुर सहित समीपवर्ती जिले दौसा, करौली, भरतपुर और सवाईमाधोपुर सहित पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थीयों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अवसर प्रदान करेगा।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रत्यक्ष रूप से एक हजार व्यक्तियों को तथा अप्रत्यक्ष रूप से आठ से दस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और अगले पांच वर्षों में ट्रस्ट के द्वारा, आगामी पांच वर्षों में डेढ़ सौ से चार सौ करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करना प्रस्तावित है।

विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलोजी, कॉमर्स, बेसिक एवं एप्लॉयड साइसेंज, आर्ट्स, यूनीमैटिज्म एवं सोशल साइसेंज, लॉ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कम्प्यूटर साइंस, एप्लिकेशंस एवं इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी, एग्रीकल्चर एवं होर्टिकल्चर, डेयरी, हॉस्पिटैलिटी, ट्यूरिज्म, जरनैलिज्म, फाइन आर्ट्स, योगा, फैशन टैक्नोलोजी, इन्टरनेशनल बिजनस, होम साइंस, बायोइन्फोमैटिक्स, नैनो साइंस इत्यादि पाठ्यक्रम में अध्यापन एवं अनुसंधान

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

का कार्य सम्बन्धित विनियामक निकायों के नियम अनुसार किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय की प्रायोजक निकाय द्वारा अनाथों, बी.पी.एल., शहीद आश्रितों एवं विधवा, परित्यक्ताओं के कल्याण हेतु भामाशाह कार्ड धारकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, परामर्श आदि प्रदान करने का भी यह संकल्प व्यक्त किया गया है।

आज हमारे माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात यहां पर कही, जिसमें जोगाराम जी पटेल साहब ने जो कहा, इसके अलावा आहौर से आने वाले माननीय सदस्य, शंकरसिंह जी राजपुरोहित जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ कहा कि कुछ इस तरीके का भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है तो उन नियंत्रणों के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि जो अधिनियम की धारा 41 और 44 है, इसमें सीधा-सीधा है कि संस्थाओं के विरुद्ध अगर किसी भी तरीके का गुणवत्ता के साथ में अगर कहीं भी खिलवाड़ किया जायेगा तो इन धाराओं से हम लोग कठोर से कठोर कदम उठा सकते हैं।

जो शंका व्यक्त की गयी, जो हमारे राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मनोज कुमार जी हैं, एडमिशंस के संदर्भ में, सीट एवेलेबल करने के बारे में जो कहा कि ऑन लाइन होना चाहिए, छात्रों की फीस के संदर्भ में कहा, छात्रवृत्ति के संदर्भ में कहा, यह सारी चीजों का ध्यान रखा जायेगा लेकिन खास तौर से उन्होंने जो अपनी यूनिवर्सिटी, ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी की जांच कराने के संदर्भ में कहा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उन्हें यह विश्वास दिलाती हूं कि निश्चित रूप से अगर किसी भी तरीके की कोई शिकायत जो उनके द्वारा यहां हाउस में दर्ज की गयी, अगर वो मुझे लिखित में देते तो तुरन्त करा देते, आज उन्होंने यह शंका व्यक्त की, हम इसकी जांच करायेंगे और जो भी जांच के बाद में अगर कहीं पर भी गलत पाया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी।

यह उदाहरण हैं हमारे सामने कि जो जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय है, उसके अन्दर भी जिस तरीके की शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् जो कठोर कदम उठाया गया वह आप सब के सामने है। यह सारी चीजें हम लोग सब जानते हैं, काफी बार डिस्कस हो चुका है कि वहां पर प्रशासक की नियुक्ति हो गयी है और वहां जो प्रशासक की देखरेख में जो अंतिम छात्र का अध्यापन पूर्ण होने को सुनिश्चित करते हुए इस विश्वविद्यालय को विधिवत विघटन कर दिया जायेगा।

यह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है इसलिए जो मन में एक शंका है कि इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है अगर हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को पास करते हैं और फिर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे तरीके से कंट्रोल करने का भी उसके साथ-साथ प्रावधान है और वो कंट्रोल किया जाता है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आज इस अवसर पर हमारे और माननीय सदस्य हैं, हनुमान बेनीवाल जी हैं जो खींवसर से आते हैं, रमेश मीणा जी सपोटरा से आते हैं, गुणवत्ता की शिक्षा के बारे में उन्होंने जोर दिया तो हम लोगों का पूरा इस ओर और शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने तथा इसका प्रभावी नियंत्रण हो, इस हेतु राज्य सरकार राजस्थान उच्च शिक्षण संस्था विनियामक आयोग के गठन हेतु भी प्रयासरत है और आप जानते हैं कि इसका पूरा प्रपोजल बन चुका है और अब हम लोग बहुत ही शीघ्र, इसका सारा जो हमें वैबसाइट पर अपलोड करना था वो भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है तो जो भी पब्लिक डोमेन पर डाल कर जो शंकाएं थीं वो सारी आमंत्रित कर ली गयी और अब इसके बाद में जो आगे की कार्यवाही करनी है उसके लिए हम लोग बराबर से प्रयासरत हैं और तुरन्त इस पर कार्यवाही भी होगी।

इन सारी चर्चा के क्योंकि सभी के जो सुझाव हैं उन सुझावों को अंकित किया और यथा योग्य जो भी इसके अन्दर जो कार्यवाही करनी होगी वो कार्यवाही हम लोग करेंगे।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ाने की जो पक्षधर है और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए भी राज्य सरकार का जो दायित्व है उसे हम बराबर से निभा रहे हैं और आगे भी निभायेंगे। कहीं पर भी कमी आयेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर ध्यान देंगे और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसकी वृद्धि हो और महिला नामांकन दर और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का कार्य तेजी से आगे बढ़े महिला नामांकन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश शिखर पर पहुंचे। हम चाहेंगे, हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री महिला हैं, इस नाते हम लोग हमेशा इस ओर प्रयासरत हैं कि महिला शिक्षा के ऊपर हम विशेष ध्यान दें और सरकार इस हेतु प्रतिबद्ध है तथा इस दायित्व को वो सजगता से निर्वहन कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी।

सरकार का यह भी प्रयास है कि प्रदेश के अन्दर सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं शिक्षा के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में हम विकसित करें और हमारा राजस्थान प्रदेश देश के अन्दर नॉलेज हब के रूप में पहचाना जाए। हम सब की ऐसी सोच है और हमारा यह प्रयास चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए जो आग्रह किया है वो उसे वापस लें और इस विधेयक को पारित करावें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 47 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं ?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: बोलेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हो गया, हो गया।

श्री अध्यक्ष: इतना विचार आ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विश्वविद्यालय का पहला बिल आया है इस सत्र में। अभी साढ़े 5 बजे हैं। 10 मिनट बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: बहुत विचार आ चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हायर एजुकेशन पर ही नहीं बोलूं तो किस पर बोलूं ?

श्री अध्यक्ष: बार-बार रिपीट करने से क्या होगा ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं करेंगे रिपीट। एक भी शब्द, एक भी बात रिपीट नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: सब रिपीट करते हो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी नहीं करूँगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा बोलिए, 5 मिनट, 5 मिनट।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी विद्वता के तो सब कायल हैं। हो गया, बस बहुत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नींद लो, नींद लो।

श्री अध्यक्ष: 5 मिनट, 5 मिनट। सदन का मूड है कि जल्दी ही 5 मिनट में आप खत्म कर दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 10 मिनट में।

श्री अध्यक्ष: नहीं 5 मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी सदन में जब-जब भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल आए हैं, चर्चाएं हुई हैं, सुझाव आए हैं, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। वह के वह बिल, वह के वह भाषण हैं। जो प्रतिपक्ष में होता है वह बुराइयां कर देता है कि इनमें गुणवत्ता नहीं होती है, इसमें यह नहीं होता है।

जब वहां होते हो, पहले कालीचरण जी सराफ थे, मैं अच्छी तरह से पूरी प्रोसीडिंग लेकर के आया हूं कि इन्होंने क्या-क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, 9 अप्रैल, 2015 को माननीय कालीचरण जी सराफ ने कहा था कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि यह गड़बड़ नहीं करें, अनियमितता नहीं करें, 'मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग ने नियामक आयोग का विधेयक बना लिया है। वह अभी विधि विभाग में परीक्षण के लिए गया हुआ है। जैसे ही विधि विभाग उस विधेयक को हमें वापिस देगा, ओ.के. करके देगा, उसके बाद हम अध्यादेश के जरिए नियामक आयोग का गठन शीघ्र कर देंगे'। कर दिया क्या ? अप्रैल से लेकर के दूसरी अप्रैल आने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, यह आज तक नहीं कर पाए। करें भी कैसे ? अगर नियामक आयोग गठित कर देंगे तो फिर उनसे कोई संबंध करने वाली सी बात रहेगी नहीं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता का कितना ध्यान रखते हैं ? मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग्स योजना, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, केन्द्र द्वारा स्वीकृत की। आज तक उस पर काम हुआ नहीं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान था। आज की तारीख तक उस बजट को इन्होंने उपयोग में लिया नहीं। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोध कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, उषा, में महाविद्यालयों के लिए प्रावधान था। शोध को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र से सहायता लेनी थी। वह इन्होंने ली नहीं। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों में वर्चुअल लैब बनाई जानी थी, वह इन्होंने काम में लिया नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई, ठप्पा लगाया, कैबिनेट ने मंजूर किया और वह चला गया।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप गुणवत्ता नहीं सुधारोगे, यह प्रावेट यूनिवर्सिटी शोध के लिए होती हैं। जब सरकारी विश्वविद्यालय में शोध कराते हैं तो 100-200 रुपये लगते हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय शोध करता है तो 2-2 लाख रुपये तक उस विद्यार्थी पर खर्चा हो जाता है। यह शोध के माध्यम से लूटने का अड्डा बना हुआ है। इसको रोकने के लिए आपको नियामक आयोग बनाना था। साढ़े 3 साल आपकी सरकार ने लगा दिए। नियामक आयोग बना रहे हैं, बना रहे हैं।

पिछले सत्र में जब बात चली थी तो माननीय कालीचरण जी सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने कहा था कि 8 विश्वविद्यालयों की शिकायतें आई हैं। मैं जांच करके सदन में बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, किन-किन प्राइवेट विश्वविद्यालयों की क्या-क्या जांच हुई और आपने क्या एक्शन लिया? उनकी क्या अनियमितताएं थी और क्या पेनल्टी दी? सैक्शन 40 का कहीं प्रयोग करोगे? जब सैक्शन 40 ही था तो नियामक आयोग क्यों बना रहे हो? जब नियामक आयोग का आपने कह दिया तो आपका डेढ़ साल बचा हुआ है, इसमें ठीक कर लीजिए।

आपने पहले पानी वाला डिपार्टमेंट तो जचा ही दिया। अब उच्च शिक्षा को मंत्री महोदय मेहरबानी करके बचाने का काम करें। बच्चों का भविष्य अगर हम सुधारेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तभी बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तभी हमारा प्रदेश और देश तरक्की करेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करके एक मिनट में मैं बैठना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने कोई रिलेवेंट कही हो तो बता दें। एक बात भी कही हो तो।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में खतम कर रहे हैं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, आपने 5 मिनट का समय दिया था और यह विषय से भटक गए। कोई मतलब नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना। संसदीय सचिव से ज्यादा कुछ नहीं मिलना।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, मेरी गारंटी है नहीं बनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात आई उच्च शिक्षा में, कि कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती हो रही है। आरपीएससी ने एग्जाम करा दिया। नेट, स्लेट सब हो गया। अब एक विज्ञापन में शर्त डाल दी कि गुड एकेडेमिक रिकार्ड होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गुड एकेडेमिक रिकार्ड यह है कि, आप तो उस वर्ग से भी आते हैं, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लोग जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वह दसवीं, बारहवीं में, बी.ए. तक सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके नंबर थोड़े कम आते हैं। लेकिन जो योग्यता कॉलेज व्याख्याता के लिए होती है, 55 परसेंट कि वह फिलअप करते हैं। लेकिन इस गुड एकेडेमिक रिकार्ड के आधार पर ही, इस शब्द के आधार पर गांव के बच्चों को, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के बच्चों को बाहर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिसके लिए बोलना जरूरी हो गया था। वरना तो मैं आपका आदेश कभी टालता ही नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा सा और था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि आप हायर एजुकेशन मंत्री जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। मैंने कहा कि मैं खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सुझाव तो दे ही सकता हूं। अब ठीक है, इनकी बात भी रखनी पड़ती है तो ज्यादा खिलाफ भी नहीं बोला। लेकिन यह बात वास्तव में है कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., गांव के बच्चे हैं, उनको बाहर करने के लिए आरपीएससी द्वारा गुड एकेडेमिक रिकार्ड जो कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती है, उसमें किया जा रहा है। यह घोर अन्याय है हमारे गांव के बच्चों के लिए। आप तो वहां से आते हैं, गरीब का दर्द जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए। हो गया है एक मिनट। श्रीमती किरण माहेश्वरी। बस हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सुझाव दिए हैं, उनको करें। जो नियामक आयोग, आपकी सरकार जो घालमेल कर रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उसको बंद करो।

श्री अध्यक्ष: सुन लिया अब। बोल लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह बंद तभी होगा जब नियामक आयोग आएगा। नियामक आयोग इसलिए नहीं बना रहे हैं कि यह घालमेल चलती रहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से।

श्री अध्यक्ष: कह चुके आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा आरोप है यह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश मान रहा हूं। आपका आदेश मानकर बैठ रहा हूं। आगे ध्यान रखना।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। क्या है, हो गया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, उनकी भी सुन लो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो तकनीकी यूनिवर्सिटीज है, वह सरकार खोल रही है। यह अच्छा है। इसमें पैसे सरकार के पास जमा होते हैं। जमीनें आवंटित की जाती हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जिनको सरकारी यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता है। बजट घोषणा, 2016 में बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की माननीय मुख्यमंत्रीजी के श्रीमुख से घोषणा की गई थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहस चल रही है निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर और यह तकनीकी विश्वविद्यालय पर चले गए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि यह विधेयक है निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, 2017 का विधेयक संख्या 4 ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। बहुत चर्चा हो गई।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पूरे राजस्थान में एकमात्र कोटा में ही ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): विधेयक पर बोलने के लिए परमिशन दें। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि यह तो भाषण दे रहे हैं सब लोग खड़े होकर के।

श्री अध्यक्ष: बहुत चर्चा हो गई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप संसदीय कार्य मंत्री से आगे नहीं बढ़ सकते।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि सरकार ने बजट घोषणा ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप भी कितना ही बोलो, आपको नेता, प्रतिपक्ष नहीं बनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं मंत्री महोदय का सिर्फ ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की आपने बजट में घोषणा तो कर दी। पिछ्ले सत्र में भी नहीं खोला। क्या इस सत्र में भी खोलेंगे या नहीं खोलेंगे ? सिर्फ इतना मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): इन्हें यही पता नहीं कि विधेयक पर क्या बोलना है ...(व्यवधान)... आप उनको अनुमति दे रहे हैं बोलने की।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, बड़े विद्वान सदस्य गोविन्द सिंह जी डोटासरा जी, जिन्होंने कहा कि सैक्शन 40 के तहत कार्यवाही करनी है, मैं आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करना चाहती हूं कि 40 नहीं, 41 और 44 हैं, जिसके तहत हम कार्यवाही कर सकते हैं। जो पावर्स अपने पास में हैं, निजी विश्वविद्यालय अगर उनके जो नियम हैं, उन नियमों से अगर जरा भी अलग चलते हैं तो हम उन पर कार्यवाही कर सकते हैं। जो कार्यवाही हमने जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के तहत की है। वह उसी का एक अंग है।

इसके अलावा आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी और भी हैं, जहां पर जांच कहां-कहां चल रही है? यह आपने पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ऐसे निजी विश्वविद्यालय जिनकी हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर हमने कमेटी का गठन किया है, वह हैं सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत, अलवर, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडैला, झुंझुनूं, श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगौदना, झुंझुनूं, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, झुंझुनूं, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विश्वविद्यालय, उदयपुर।

भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर एवं ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही द्वारा फर्जी डिग्रियां जारी करने की जो शिकायतें मिली थीं, उनकी जांच हेतु हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया, आप कहें तो कमेटी के मेम्बर्स का नाम भी आपके सामने रख दें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्हीं विश्वविद्यालयों के खिलाफ कालीचरणजी ने यही कमेटी बताई थी, इन्हीं के खिलाफ जांच बताई थी, आज बारह महीने से उनके खिलाफ हुआ क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, आप बहुत विद्वान हैं लेकिन आप पूरी बात तो सुन लें। अभी आपने कमेटी का नाम ही नहीं सुना और कह दिया कि यही कमेटी बनाई गई थी। मैंने कहा कि कमेटी का गठन किया गया है। ...(व्यवधान)... और यह कमेटी का जो गठन किया है उस कमेटी को एक महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यह कमेटी जो बनी है वह अभी तीन दिन पहले ही कमेटी का गठन हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही जवाब था, आप निकाल लें, आप कालीचरणजी सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री का वर्बेटम निकाल लें कि क्या कहा था, यही कहा था कि इनकी जांच करवा रहे हैं, हमने कमेटी गठित कर दी है और आज बारह महीने बाद भी आप कह रहे हैं कि अब हमने कमेटी बैठाई है तो इसमें दाल में कुछ काला है माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जिस कमेटी का गठन किया है उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। इसके अलावा आपने एक और चीज के बारे में कहा था ई-क्लास रूम्स, आपकी जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो 207 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनमें से 36 कॉलेजेज के अंदर ई-क्लास रूम्स बन गए हैं। रेस्ट ऑफ द कॉलेजेज के अंदर प्रायोरिटी हमने दी है कि हमें ई-क्लास रूम्स बनाने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने 100 कॉलेजेज को 2 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज को दिया है, जहां पर वह नया कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, ई-क्लास रूम्स बना सकते हैं, जहां कुछ रिनोवेशन करवाना है तो वह रिनोवेशन करवा सकते हैं, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस ने कभी हमारे कॉलेजेज के सुधार के लिए एक पैसा नहीं दिया। पहली बार 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसमें हर कॉलेज को 2 करोड़ रुपए दिए हैं।

इस तरह के नियामक आयोग के संदर्भ में जो बात कहीं गई है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस नियामक आयोग की कम्पलीट फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, बीच में हम लोगों ने जो बात कही थी कि हम लोग करने जा रहे हैं लेकिन उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं नियामक आयोग को कोर्ट के अंदर स्टे मिला था, उसके बाद में कुछ प्रोब्लम्स क्रिएट हुई थी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इसीलिए वेबसाइट के ऊपर इसे अपलोड किया ताकि सारा किसी के पास कोई सजेशंस हैं तो वह लेकर विधिवत तरीके से हम इसको करना चाहते हैं ताकि कोई भी किसी भी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
तरीके की प्रोब्लम क्रिएट नहीं हो तो अब इसको कम्पलीट इसका प्रोसेस पूरा कर लिया है और अब बहुत जल्दी ही नियामक आयोग को हम लोग लागू करवा देंगे इसलिए यह सारी चीजें कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो हमारे माननीय सदस्य, भँवर सिंहजी ने कहा, बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने के संदर्भ में, मैं यहां पर चूंकि सदन का समय बहुत ज्यादा इसमें नहीं लेना चाहती पर इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है तथ्यात्मक कि इस बारे में हम लोगों की क्या-क्या कार्यवाही चल रही है वह सारा मैं आपको अलग से दे सकती हूं, मैं दे दूंगी, पूरी तरीके से सरकार की जो घोषणा है, उस घोषणा को पूरी करने के लिए हम तत्पर हैं और बहुत शीघ्र ही तकनीकी विश्वविद्यालय कार्यवाही में आ जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगी कि जो हमारा यह प्रस्ताव है उसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 6 मार्च 2017 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.44 बजे सोमवार, दिनांक 06 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रदेश में सोलर कम्पनियों में नियोजित श्रमिकों को देय सुविधाएँ

117. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा सोलर कम्पनियों में नियोजित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र फलौदी के भडला एवं उसके आस-पास क्षेत्र में स्थापित सोलर प्लान्टों में नियोजित श्रमिकों को सोलर कम्पनियों के द्वारा मूलभूत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाऐं उपलब्ध करवाई गई हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार की व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 20 या 20 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले सोलर पावर प्लान्ट पर कारखाना अधिनियम, 1948 व राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रावधान लागू होते हैं। मानदण्डों की प्रति **परिशिष्ट 'अ'** पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के भडला एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में 7 सोलर पावर प्लान्ट कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कवर है एवं कार्यरत है।

जी हां। विभाग के उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्, जोधपुर द्वारा दिनांक 23.02.2017 को क्षेत्र का निरीक्षण किया एवं पाया कि श्रमिकों को कार्य के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी लेडर, हेलमेट, दस्ताने, गम बूट आदि पहन कर कार्य करने एवं स्वच्छता हेतु श्रमिकों के लिए शौचालय एवं पीने के पानी की व्यवस्था कारखाना प्रबन्धकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है एवं विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराई जाती है। रिपोर्ट **परिशिष्ट 'ब'** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की योजना

118. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ललित कुमार)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 2 वर्ष पूर्व प्रदेश में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 14वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र के दौरान माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में जनजाति उपयोजना प्रणाली के अध्ययन हेतु कमेटी गठन की घोषणा की गई। उक्त घोषणा के क्रम में गठित कमेटी द्वारा 17 जून से 23 जून 2015 तक गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में जनजाति उपयोजना प्रणाली का अध्ययन कर अध्ययन की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदया को प्रस्तुत की जा चुकी है।

(2) माननीय मुख्यमंत्री महोदया को गुजरात महाराष्ट्र की जनजाति उपयोजना कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

सवाई माधोपुर जिले में स्टेट होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना

119. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में बजट घोषणा के तहत स्टेट होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब व उक्त का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सवाईमाधोपुर जिले में माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के तहत स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट स्वीकृत किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट सवाईमाधोपुर हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 18.11.2016 को प्राप्त हो गई है।

पर्यटन मंत्रालय से इसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है। इसके प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा और निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंह नगर में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

120. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंह नगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार रायसिंहनगर मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने, ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू करने व सोनोग्राफी की व्यवस्था का बेहतर क्रियान्वयन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्र में ब्लड स्टोरेज यूनिट व सोनोग्राफी पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ	05	02	03
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	01	00	01
चिकित्सा अधिकारी	06	02	04
चिकित्सा अधिकारी (दंत)	01	01	00
योग	13	05	08

पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा संभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 684 चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) पर ब्लड स्टोरेज केन्द्र संचालन हेतु ब्लड स्टोरेज केबिनेट को सही करवा लिया गया व डीजी सैट इन्सटॉल करवा लिया गया है। कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। लाईसेंस

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है। लाईसेंस नवीनीकरण उपरान्त बीएसयू क्रियाशील कर दिया जावेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर पर सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है। सोनोग्राफी करने हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक नही होने के कारण वर्तमान में उक्त मशीन से सोनोग्राफी का कार्य नहीं किया जा रहा है। सोनोग्राफी करने हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक शीघ्र उपलब्ध करवाकर सोनोग्राफी की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर में ब्लड स्टोरेज यूनिट पर मदवार किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

1. डीजी सैट की लागत रु. 296995/-
2. ब्लड स्टोरेज केबिनेट, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माइक्रोस्कोप, इन्सुलेटेड कैरियर बॉक्स पिपेट आदि उपकरणों की खरीद पर रु. 4.00 लाख।
3. संचालन पर व्यय राशि रु. 88495/-

इस प्रकार कुल व्यय रु. 785490 किया जा चुका है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर में सोनोग्राफी पर मदवार किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

1. मशीन की लागत रु. 550013/-
2. संचालन व्यय रु. 325233/-

इस प्रकार कुल व्यय रु. 875246/- किया जा चुका है।

जयपुर में बहुमंजिला इमारतों में अवैध पैंट हाउसों के निर्माण पर कार्यवाही

121. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजधानी जयपुर में बहुमंजिला सैकड़ों इमारतों में अनुमोदित नक्शे के विपरीत अवैध पैंट हाऊस निर्माण कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो निगम व जेडीए के जोनवार उक्त इमारतों की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पेंट हाऊस के अवैध निर्माण को छिपाने या इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर जेडीए व निगम के प्रवर्तन अधिकारियों को चिन्हित कर व दोषी पाये जाने पर उन्हें नोटिस भी जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन को व उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बहुमंजिला इमारतों में अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित 15मी. ऊंचाई से ऊपर कुल 78 पेन्ट हाउस अवैध निर्माण पाये गये। सूची **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) जी हां। चार मंजिला अपार्टमेंट में पांचवीं मंजिल पर अवैध निर्माण/पेंट हाउस के अवैध निर्माण को छिपाने या इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर निम्न दोषी पाये गये प्रवर्तन अधिकारियों को चिन्हित कर (संलग्न परिशिष्ट-ब) नोटिस जारी किये गये :-

(1) श्री नन्दलाल सैनी, प्रवर्तन अधिकारी जोन-1 व 8

(2) श्री गिरधारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी जोन-2

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रवर्तन अधिकारी जोन-5

(4) श्री शैलेन्द्र सिंह, प्रवर्तन अधिकारी जोन-6

(5) श्री मेघचन्द मीणा, प्रवर्तन अधिकारी जोन-7 व 9

(6) श्री उज्जवल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय के आदेश क्रमांक प-13(130)जविप्रा/आर.एम.एण्ड सी/लोआस/2014/डी-545 दिनांक 29.01.15 के द्वारा गठित समिति के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 05.02.15, 26.02.15, 30.03.15 (संलग्न परिशिष्ट-स) में जविप्रा के जोन-1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 व 14 में चार मंजिला अपार्टमेंट में पांचवीं मंजिल पर अवैध निर्माण/पेंट हाऊस निर्मित होने के तथ्य स्पष्ट होने पर तत्समय उक्त जोन कार्यालयों में पदस्थापित उक्त प्रवर्तन अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर, स्पष्टीकरण प्राप्त कर एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात श्री उज्जवल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी जोन-14 का नोटिस व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् ड्रोप किया गया एवं सर्व श्री नन्दलाल सैनी, गिरधारी लाल शर्मा, शैलेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह एवं मेघचन्द मीणा तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी (पुलिस निरीक्षक) के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प-3(1)जविप्रा/जांच/2017/127 दिनांक 16.01.17 (संलग्न परिशिष्ट-द) द्वारा प्रारूप ज्ञापन, आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, प्रपत्र अ, ब, स एवं अभिलेख सूची मय आरोपों को सिद्ध करने वाले अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रेषित किये जा चुके है। उक्त प्रवर्तन अधिकारी (पुलिस निरीक्षक) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के स्तर पर विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा नियामक आयोग का गठन

122. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों का बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने का अनुपात क्या है ? गत आठ वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में पढ़ाई बीच में छोड़ देने का अनुपात घटाने के लिये सरकार ने गत तीन वर्षों में क्या कदम उठाये तथा इस हेतु कितना बजट व्यय किया व इसके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दसवीं कक्षा के परिणाम के साथ जाति प्रमाण पत्र देती है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने जाति प्रमाण पत्र दिये गये व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से गुणात्मक शिक्षा नियामक आयोग/प्राधिकरण का गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता व विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों का बीच में पढाई छोड देने का ड्राप आऊट संबंधी गत 8 वर्षो का विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	सत्र	प्राथमिक (%)	उच्च प्राथमिक (%)
1	2009-10	8.29	6.62
2	2010-11	10.47	5.41
3	2011-12	5.04	1.40
4	2012-13	4.72	2.01
5	2013-14	8.21	7.20
6	2014-15	8.40	6.05
7	2015-16	5.08	4.00
8	2016-17	7.09	4.88

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत गत आठ वर्षों में (कक्षा 9 से 12) विद्यार्थियों का बीच में पढाई छोडने का प्रतिशत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	सत्र	प्राथमिक (%)
1	2009-10	6.95
2	2010-11	8.09
3	2011-12	8.09
4	2012-13	8.09
5	2013-14	13.65
6	2014-15	12.16
7	2015-16	3.28
8	2016-17	2.16

2- प्रदेश में पढाई बीच में छोड़ देने का अनुपात घटाने के लिये तथा नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने संबंधी सरकारी योजनाओं एवं प्रयासों यथा नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें,पोषाहार, एसएमसी,पीटीए का गठन एवं बैठकों का प्रभावी आयोजन,बालिका विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण, विद्यालयों में भौतिक सुविधाऐं यथा टायलेट, पेयजल, भवन व खेलकूद के मैदान आदि की व्यवस्थाऐं की गई। घुमन्तु परिवारों के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए राज्य में सीजनल (माईग्रेटरी) छात्रावास तथा नि:शुल्क शिक्षा,दोपहर का भोजन,विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, छात्राओं के लिए साईकिल वितरण, लैपटॉप वितरण, बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा पुरस्कार, कस्तूरबा एस.टी.डी.आर योजना, ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना, इन्सपायर्ड अवार्ड, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, देवनारायण कोचिंग योजना, आदि योजनाऐं संचालित की जा रही हैं।

परिशिष्ट "क" के अनुसार किये गये व्यय के परिणामस्वरूप काफी संख्या में छात्रों का पढाई बीच में छोडकर जाना कम हुआ है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से गुणात्मक शिक्षा नियामक आयोग/प्राधिकरण गठन करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(5) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा स्कूलों को 1,2 एवं 3 ग्रेडिंग दी जानी है। लेकिन राज्य सरकार ग्रेडिंग के स्थान पर स्टार प्रणाली पर कार्य कर रही है और विद्यालयों को स्टारों के आधार पर संकलित किया जायेगा।

प्रदेश में सरकारी स्कूलों एवं बच्चों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली के द्वारा विकसित "राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम" (शाला-सिद्धि) के अन्तर्गत राज्य के समस्त आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालयों, 60 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक एवं 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय संचालन, भौतिक विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता आदि मानकों के आधार पर विद्यालय स्तर स्व-मूल्यांकन कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से प्रारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम अभी अपनी प्रारम्भिक स्थिति मे है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों का निर्धारित 07 आयामों एवं 46 मानकों के आधार पर स्तर निर्धारित (ग्रेडिंग) किया जायेगा। शाला निधि के दिशा-निर्देश परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों की गुणवत्ता व विद्यार्थीयों के शैक्षिक स्तर की गुणवत्ता के आधार पर स्कूलों को रैकिंग देने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 22.02.2017 के द्वारा संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गौ-पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया (जयपुर) में हो रही गायों की मृत्यु की जांच

123. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नगर निगम जयपुर द्वारा संचालित गौ-पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया एवं उक्त केन्द्र में संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में गत कई वर्षों से गायों की मृत्यु हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गौ-पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में आने वाला गौ-वंश बीमार, कुपोषित, दुर्घटनाग्रस्त वृद्ध अथवा मरणासन्न अवस्था में आता है। हालांकि केन्द्र में संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में उनका इलाज भी किया जाता है, परन्तु इन कारणों से गौ-वंश की मृत्यु होती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से भी गौ-वंश की मृत्यु होती है।

प्रदेश के किशोर सुधार गृहों से बाल अपचारियों के भागने की घटनाएँ

124. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्थित किशोर सुधार गृहों से गत तीन वर्षों में कितने बाल अपचारियों के भागने की घटनाएं हुई व उनमें से कितने बाल अपचारी पकडे गये व कितने वर्तमान में फरार हैं ?

(2) प्रदेश में कुल कितने किशोर सुधार गृह हैं तथा उनमें वर्तमान में किस-किस श्रेणी के बाल अपचारी कब से रह रहे हैं ? इनमें से कितने सजायाफ्ता व कितने अण्डरट्रायल हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 की अनुपालना में स्थापित सम्प्रेक्षण गृहों से गत तीन वर्षो (2014-15, 2015-16 व 2016-17) के दौरान विधि से संघर्षरत बालकों के सम्प्रेक्षण गृहों से भागने की घटनाओं, पकड़े गये बालकों तथा वर्तमान में फरार बालकों का विवरण **परिशिष्ट 1** पर सलंग्न है।

(2) प्रदेश में कुल 40 किशोर सुधार गृह (सम्प्रेक्षण गृह) व उनमें आवासित विधि से संघर्षरत बालकों की श्रेणीवार जानकारी तथा सजायाफ्ता व अण्डरट्रायल संबधी विवरण **परिशिष्ट 2** पर सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भणियाणा उपखण्ड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

125. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के राजकीय महाविद्यालय पोकरण में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या नियम निर्धारित हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पोकरण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय से वंचित उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र पोकरण के राजकीय महाविद्यालय, पोकरण में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण **परिशिष्ट- 1** पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

जी हां। व्याख्याताओं के 1339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई थी, जिसके क्रम में आयोग द्वारा 1248 रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर प्रदेश के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को नियमानुसार भरा जा सकेगा। इस के अतिरिक्त 194 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु नवीन अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को नवम्बर, 2016 में प्रेषित की गई है।

(2) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने संबंधी मानदण्डों की प्रति **परिशिष्ट- 2** पर संलग्न है।

(3) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर पोकरण विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा पर राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेतड़ी में श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

126. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्तमान में क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खेतडी़ में निर्माण श्रमिकों की विभिन्न योजनाओं यथा विवाह सहायता, मृत्यु हितलाभ, शुभशक्ति व शिक्षा आदि में वर्ष 2016-17 में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितनों को स्वीकृति जारी की गई ? शेष को स्वीकृति जारी नहीं करने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष रहे आवेदकों को कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) विधानसभावार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली पंचायत समिति खेतड़ी में वर्ष 2016-17 में दिनांक 27.2.2017 तक मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा विवाह सहायता, मृत्यु

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

हितलाभ, शुभशक्ति, शिक्षा आदि में कुल 1620 आवेदन प्राप्त हुए तथा 419 आवेदनों में स्वीकृतियां जारी की गई एवं 399 आवेदन अस्वीकृत हुए हैं तथा शेष 802 आवेदन विचाराधीन हैं। जिनका विवरण **परिशिष्ट- 2** पर संलग्न है।

आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी होने तथा श्रम विभाग में अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण सभी स्वीकृतियां जारी नहीं की जा सकीं।

(3) उक्त शेष रहे आवेदकों के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही कर यथा शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति विकास हेतु जिलों में व्यय राशि

127. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत चार वर्षों में जनजाति विकास हेतु कितनी राशि किन-किन जिलों में किस-किस मद में व्यय की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि मे उक्त जिलों में क्या-क्या कार्य करवाये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा गत चार वर्षों में जनजाति विकास हेतु राशि 1544.32 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्षवार व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	व्यय राशि (राशि लाखों में)
2012-13	23105.30
2013-14	41240.41
2014-15	40812.74
2015-16	49273.77
योग	154432.22

जिला एवं मदवार व्यय का विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है ।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक चार वर्षों में सामुदायिक भवन, पम्प व टैंक योजनाएं महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय,

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

सडकों के निर्माण, एनीकट निर्माण, हैण्डपम्पों की स्थापना आदि निर्माण कार्य करवाये गये। गत वर्षों में करवाये गये कार्यों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट- ब** पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुजानगंगा नहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

128. श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर की सुजानगंगा नहर जीर्ण-शीर्ण व दूषित हो चुकी है?

(2) क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से उक्त नहर को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विभाग द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में बजट घोषणा के तहत सुजानगंगा नहर, भरतपुर के संरक्षण एवं विकास कार्यो हेतु एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था तथा इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बनाया गया था। इस संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दुर्ग के विकास हेतु उनके अपने मद से 11 कार्य कराये जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त राशि का उपयोग उनके स्तर पर किया जाना संभव नहीं है।

सुजानगंगा नहर के कार्यों के संबंध में माननीया पर्यटन राज्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में भरतपुर में मौके पर सभी संबंधित एजेन्सीज की हुई बैठक दिनांक 21.04.2016 में लिये गये निर्णयानुसार सुजानगंगा नहर की मोटवाल व फोर्टवाल जिन स्थानों से खंडित है, उन्हें ठीक कराने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों तथा पूरे प्रोजेक्ट की मॉनेटरिंग जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा की जा रही है।

राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में चिकित्सकों का पदस्थापन

129. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकर सिंह रावत)

(1) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में कार्मिकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मरीजों की अधिकता को देखते हुए और चिकित्सकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का मय रिक्ति दिनांक सहित विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की मय रिक्ति दिनांक सहित विवरण **परिशिष्ट-ब** पर संलग्न है।

(2) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा संभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 684 चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा विकसित कॉलोनियां

130. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में प्रभावी नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगम तथा नगर विकास न्यास व प्राधिकरण की संख्या एवं उनके बाबत जारी नोटिफिकेशन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर विकास न्यास, सीकर की स्थापना से 31-01-2017 तक की गई भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही, जारी पट्टे, निर्माण स्वीकृति एवं किये गये विकास कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगर विकास न्यास द्वारा अब तक कौन-कौनसी आवासीय कॉलोनी विकसित करने की कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त न्यास में पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में नगरीय विकास विभाग के अधीन 15 नगर विकास न्यास एवं 03 प्राधिकरण आते हैं एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीन 150 नगर पालिकाएं, 34 नगर परिषद एवं 07 नगर निगम हैं। जिनकी उपलब्ध अधिसूचनाएँ **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) न्यास के गठन उपरान्त से लेकर 31.01.2017 तक कुल 40 आवेदनों में भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की गई। न्यास के गठन उपरान्त से अभी तक कुल 331 आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं।

न्यास के गठन उपरान्त से अभी तक कुल 8 भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। विकास कार्यों के तहत केवल गोविन्द नगर आवासीय योजना में पीलर लगाने एवं समतलीकरण करने में 9.60 लाख व्यय किये गये।

(3) न्यास द्वारा अभी तक 3 आवासीय योजना विकसित करने की कार्यवाही की गई है :-

1. गोविन्द नगर आवासीय योजना:- योजना के आवेदन प्राप्त किये गये थे। परन्तु भूमि की किस्म चारागाह होने के कारण अभी तक लॉटरी नहीं निकाली जा सकी। भूमि न्यायिक विवाद में है, महाधिवक्ता महोदय की राय ली जा रही है।
2. चन्दपुरा एवं जगमालपुरा में आवासीय योजनाओं की भूमि की किस्म भी चरागाह होने के कारण ले-आउट प्लान अनुमोदित नहीं हुआ है।

(4) नगर सुधार न्यास, सीकर में पूर्ण कालिक सचिव की नियुक्ति कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/क-4/2017 जयपुर दिनांक 04.02.2017 द्वारा की गई है, जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। लेकिन नव पदस्थापित अधिकारी ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विद्यालय खोलने की योजना

131. डॉ. फूल चन्द भिन्डा (विराटनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1990-1998 की तुलना में 1999-2003, 2004-2008 तथा 2009-2013 एवं 2014 से 2016 की अवधि में कम बालिका विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो 1993-1998, 1999-2003, 2004-2008, 2009-2013 तथा 2014 से 2016 की अवधि में कितने-कितने बालिका उच्च

(डॉ. फूल चन्द भिन्डा)

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993 से 1998 की तुलना में आगे की अवधि में कम बालिका विद्यालय क्रमोन्न्त करने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) **माध्यमिक शिक्षा**

जी नहीं। वर्ष 1990-98, 1999-2003, 2004-2008, 2009-2013, तथा 2014 से 2016 की अवधि में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र/छात्राओं के क्रमोन्नत विद्यालयों की स्थिति निम्न से है :-

क्र.सं	वर्ष	राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नत वि.		रामावि से राउमावि में क्रमोन्नत वि.	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	1990-98	918	143	461	166
2	1999-03	903	93	664	103
3	2004-08	3849	176	904	155
4	2009-13	3643	234	1206	117
5	2014-16	245	0	4984	16
	कुल	9558	646	8219	557

वर्षवार विवरण **परिशिष्ट- क** पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा

जी नहीं। वर्ष 1990-1998 की तुलना में वर्ष 1999-2003, 2004-2008 तथा 2009-2013 एवं 2014 से 2016 की अवधि में नवीन बालिका विद्यालय खोले गये एवं राबाप्रावि से राबाउप्रावि में क्रमोन्नत किए गए की संख्या निम्न से है :-

क्र.सं	नवीन राबाप्रावि		राबाप्रावि से राबाउप्रावि में क्रमोन्नत	
	वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या
1	1990-98	409	1993-98	227
2	1999-03	164	1999-03	220

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

3	2004-08	697	2004-08	1435
4	2009-13	144	2009-13	80
5	2014-16	0	2014-16	0
	कुल	1414		1962

प्रदेश में सभी जगह बालिकाओं के अध्ययन हेतु सह-शिक्षा के विद्यालय संचालित है। वर्षवार विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

(2) **माध्यमिक शिक्षा**

जी नहीं। बल्कि विभाग का मुख्य उद्वेश्य प्रदेश के अधिकतम बालिकाओं व बालकों तक शिक्षा मुहैया करना रहा है इसी दिशा में विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं, जिसमें छात्राऐं भी सह शिक्षा के विद्यालयों में अध्ययनरत है। वर्ष 2014-15 में 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया तथा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 में राज्य में 240 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, जिसकी जिलेवार सूची **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा

वर्ष 1993 से 1998 की तुलना में आगे की अवधि में अधिक बालिका विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जसमूल डेयरी रानीवाडा में चोरी की घटनाओं पर कार्यवाही

132. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जसमूल डेयरी रानीवाड़ा में वर्ष 2011 में डेयरी से घी के टीन व कार्टून चोरी हुये थे ? यदि हां, तो चोरी की वारदात कब हुई एवं इस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चोरी का कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया था ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण की विभागीय जांच भी की गई थी ? यदि हां, तो विभागीय जांच के आदेश किसके द्वारा किये गये और किसके द्वारा जांच की गई ? क्या जांच रिपोर्ट सही थी ? जांच पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जसमूल डेयरी, रानीवाडा में वर्ष 2011 में डेयरी से घी के टिन व कार्टून चोरी का कोई प्रकरण विभाग के रिकार्ड में नहीं है।

(2) जी नहीं। इस सम्बंध में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। जसमूल डेयरी, रानीवाडा में वर्ष 2011 में डेयरी से घी के टीन व कार्टून चोरी का कोई प्रकरण नहीं होने के कारण विभागीय जांच नहीं की गई।

प्रदेश में संचालित मदरसे

133. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने मदरसे संचालित हैं ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कुल कितने मदरसों में वर्तमान में पैराटीचर लगे हुए हैं व उनको कितना मानदेय दिया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंशिक मानदेय पर कार्यरत मदरसा पैराटीचर को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड से कुल 3202 मदरसे पंजीकृत एवं संचालित हैं। जिलेवार सूची **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। गैरपंजीकृत मदरसों की सूचना मदरसा बोर्ड द्वारा संधारित नहीं कि जाती है।

(2) प्रदेश के कुल 2475 मदरसों में पैराटीचर लगे हुए हैं। इनको न्यूनतम 5300/- एवं अधिकतम 7500/- रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। विवरण **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, क्योंकि मदरसा पैराटीचर का राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में शिक्षण कार्य हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर लगाया जाता है। अत: मदरसा पैराटीचर को नियमित किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्लकालय में रखा गया)

उपखण्ड मुख्यालय कोलायत में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

134. श्री भँवरसिंह (कोलायत): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में सरकार द्वारा कोलायत में राजकीय

(श्री भँवरसिंह)

महाविद्यालय खोलने के आदेश जारी किए गए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कोलायत में स्वीकृत किए गए राजकीय महाविद्यालय को समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो समीक्षा समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बीकानेर जिले के उपखण्ड मुख्यालय कोलायत में जून, 2017 से शुरू होने वाले सत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोलायत के राजकीय महाविद्यालय को आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णयानुसार कोलायत के राजकीय महाविद्यालय को आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अलवर में बाल श्रमिकों का सर्वे

135. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिलें में अंतिम बार बाल श्रमिकों का सर्वे कब करवाया गया ? तहसीलवार बाल श्रमिकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रदेश में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? गत तीन वर्षों में किस-किस योजना में किस-किस स्थान पर किस-किस बाल श्रमिक को लाभान्वित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में पूर्व में बाल श्रमिकों की शिक्षा हेतु किस-किस संस्था द्वारा कब-कब विद्यालय संचालित किये गये थे ? उक्त विद्यालयों एवं बाल श्रमिकों को दी जाने वाली कितनी-कितनी राशि का भुगतान कितनी-कितनी अवधि से किन-किन कारणों से किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(5) क्या वर्तमान में बाल श्रमिक कल्याण हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में अन्तिम बार, बाल श्रमिकों का सर्वे मई, 2016 में करवाया गया। जिसमें पूरे जिले में कुल 802 बाल श्रमिक चिन्हित किए गए। चिन्हित बाल श्रमिकों का तहसीलवार विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के माध्यम से शिक्षा की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में बाल श्रमिक को कक्षा 5 तक की शिक्षा 3 वर्ष में दी जाकर कक्षा 6 में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। इस अवधि में बाल श्रमिक को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, मिड-डे मील तथा 150/- रुपये प्रतिमाह स्टाईफण्ड दिया जाता है। अलवर जिले में गत 3 वर्षों में बाल श्रमिक परियोजना संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों में कुल 439 बाल श्रमिकों को कक्षा 5 तक की शिक्षा दी गयी जिनका विवरण **परिशिष्ट- "ब"** पर (पृष्ठ 1 से 7) संलग्न है।

(3) अलवर जिले में वर्ष 2001 में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना प्रररम्भ की गयी थी। वर्ष 2001 से बाल श्रमिकों की शिक्षा हेतु संचालित किए गए विद्यालय एवं उनके संचालनकर्ता स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम **परिशिष्ट-"स"** पर (पृष्ठ-1 से 5) संलग्न है।

विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को दी जाने वाली स्टाईफण्ड की राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

विशेष विद्यालयों के संचालनकर्ता एन.जी.ओ. को 5 माह (फरवरी, 2009 से जून, 2009) का भुगतान बकाया है (विवरण **परिशिष्ट- "द"** पर (पृष्ठ-1 से 2) संलग्न है)। भुगतान नहीं होने का कारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से उक्त अवधि का बजट प्राप्त नहीं होना है।

वर्ष 2012-13 से अप्रैल, 2015 तक बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन स्वयं बाल श्रमिक परियोजना संस्था द्वारा किया गया था जिसका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

(4) जी हां। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्त पोषित केन्द्रीय परियोजना है जिसके तहत बजट सीधे जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, बाल श्रमिक परियोजना को प्राप्त होता है। फरवरी, 2009 से जून, 2009 की अवधि का बजट प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010 से निरन्तर प्रयास

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

किए जा रहे हैं जिसका विवरण **परिशिष्ट- "य"** पर (पृष्ठ 1 से 8) संलग्न है। बजट प्राप्त होने पर संस्थाओं को नियमानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।

(5) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संचालित है। यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार से वित्त पोषित है। योजना के अंतर्गत चिन्हित बाल श्रमिकों को 3 वर्ष की अवधि में कक्षा 5 तक की शिक्षा, आयु के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण, नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, मिड-डे मील तथा उसके खाते में 150/- रुपये प्रतिमाह स्टाईफण्ड दिया जाता है। स्टाईफण्ड का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) द्वारा केन्द्र सरकार से किया जाता है। 3 वर्ष के पश्चात् बच्चे को कक्षा 6 में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण के ग्राम बारां में सिंचाई एवं पेयजल योजना

136. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति गिर्वा की ग्राम पंचायत बारां में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.6(1) टीएडी निर्माण/2014-15/6384 दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार वर्ष 1984-85 में 0.86 लाख की लागत से कोई योजना बनाई गई थी तथा उक्त योजना से 12 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता व 48 काश्तकार लाभान्वित हो सकते थे ?

(2) क्या सरपंच एवं ग्राम सेवक के अनुसार उक्त योजना के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो उक्त रिकार्ड के नहीं मिलने पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना 10 वर्षों से बन्द होने के कारण 48 परिवारों को पीने के पानी एवं खेती की सिंचाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना/नवीन योजना को चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्रांक एफ 6 ( ) टीएडी/निर्माण/2014-15/6384/ दिनांक 19.3.2015 के

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अनुसार वर्ष 1984-85 ग्राम पंचायत बारां पंचायत समिति गिर्वा में सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना स्वीकृत थी । योजना की कुल लागत 1.84 लाख थी जिसमें से टीएडी का अंशदान 0.86 लाख था । इस योजना से तत्समय 12 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती थी एवं 48 काश्तकार लाभान्वित होते थे।

(2) जी हां। सरपंच एवं ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बारां द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जलोत्थान सिंचाई योजना लगभग 10 वर्षों से बंद है तथा योजना का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है क्योंकि योजना का संचालन लाभान्वितों द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाता था। चूंकि योजना का संचालन लाभान्वितों द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाता था अत: ग्राम पंचायत में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के संबंध में इस विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

तत्समय सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से करवाया जाता था । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने पर टीएडी द्वारा आंशिक अंशदान दिया जाता था।

योजना की कुल लागत	1.84 लाख रु.
टीएडी का अंशदान	0.86 लाख रु.
शेष राशि	0.98 लाख रु.

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर द्वारा अन्य मद से

एवं

10 प्रतिशत सहयोग राशि लाभान्वित कृषकों से ।

(3) सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत बारां से प्राप्त सूचना अनुसार योजना लगभग 10 वर्षों से बंद होने से 48 परिवारों को खेती हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।

सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

सचिव ग्राम पंचायत बारां से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में येाजना मौके पर किसी तरह की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। विद्युत कनेक्शन कटा हुआ है। कुऐं में मलबा दबा हुआ है एवं पाईप लाइन खुर्द-बुर्द हो चुकी है ।

योजना पुन: प्रारम्भ करने / नवीन योजना का निर्माण करने के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने यथा पानी की उपलब्धता, लाभान्वितों द्वारा 10 प्रतिशत सहयोग राशि जमा कराने एवं निर्माण पश्चात् संचालन करने की सहमति प्राप्त होने

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

पर राशि की उपलब्धता अनुसार योजना पुनर्निर्माण/नवीन योजना निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सकेगी ।

नगर के निहाम ग्राम में शिल्प ग्राम बनाने की योजना

137. श्रीमती अनीता (नगर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नगर विधान सभा क्षेत्र के निहाम गांव में शिल्प ग्राम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने निहाम गांव में शिल्प ग्राम के लिये जमीन अधिसूचित व रिजर्व कर दी है ? यदि हां, तो कब कितनी व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मार्बल आर्ट कलस्टर सीकरी हेतु डाग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट कम डीपीआर तैयार कराई जा रही है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही शिल्पग्राम बनाने के बाबत उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

(2) जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश क्रमांक 99 दिनांक 20-08-2014 के द्‌वारा तहसील नगर के ग्राम उदयपुर निहाम में 4.50 हैक्टर भूमि मार्बल कलस्टर एवं शिल्पग्राम विकास हेतु आरक्षित (सेटएपार्ट) की जा चुकी है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिकराय में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

119. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र, सिकराय में मांडा योजनान्तर्गत कितने गांव आते हैं ? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य करवाए जाते हैं एवं उनके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, सिकराय में मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक कितने कार्य कहां-कहां करवाये गये एवं कितनी राशि व्यय की गई। कार्य के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, सिकराय में माडा योजनान्तर्गत 83 गांव आते हैं। ग्राम पंचायत वार विवरण **परिशिष्ट- "अ"** पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा माडा क्षेत्र में संचालित की जा रही योजनाओं का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- "ब"** पर संलग्न है। उक्त क्षेत्र में संचालित की जा रही योजनाओं के संबंध में निर्धारित मानदण्ड का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- "स"** पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, सिकराय में मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक निम्नांकित पांच कार्य करवाये गये -

राशि लाखों में

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत	राशि
1	सी.सी सम्पर्क सड़क निर्माण स्कूल से बीचला ढाणी की ओर मालावास ग्राम पंचायत शेखपुरा	5.00	2.50
2	सी. सी. सम्पर्क सड़क निर्माण मालावास रोड से आमरेडा सीमा की ओर मालावास ग्राम पंचायत शेखपुरा	5.00	2.50
3	सी. सी. सम्पर्क सड़क निर्माण बडी हवेली से शिवराम मीणा के नोहरे तक सिकराय	2.00	1.00

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

4	राजकीय आश्रम छात्रावास घूमणा में आधारभूत सुविधायें एवं मरम्मत कार्य	3.7499	3.7499
5	राजकीय आश्रम छात्रावास नांदरी में आधारभूत सुविधायें एवं मरम्मत कार्य	7.89	7.89

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल पंचायत समिति में वॉटर शेड का निर्माण

120. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रदेश में एनिकट निर्माण व वॉटर शेड बनाये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2014 से 2016 तक कौन-कौन से जिलों में एनिकट व वॉटर शेड निर्माण कराये गये हैं ? जिला व पंचायत समितिवार एनिकट व वॉटर शेड्स की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति घाटोल में एनिकट व वॉटर शेड्स का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कराने वाली एजेंसी व ठेकेदारों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत मियासा में वॉटर शेड निर्माण कराये गये हैं ? यदि हां, तो वर्षा के समय भरने वाले पानी का ठहराव नहीं होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में एनिकट निर्माण व वाटर शेड बनाये जाने का प्रावधान है।

परन्तु वर्ष 2014 से 2016 तक भारत सरकार से उक्त कार्य हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं होने के कारण एनिकट निर्माण व वाटर शैड हेतु राज्य में कोई कार्य/राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाडा के पंचायत समिति घाटोल में वर्ष 2014 से 2016 तक एनिकट व वाटर शैड का निर्माण नहीं करवाया गया।

(3) जी नहीं । जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा के ग्राम पंचायत मियासा में वाटर शैड का निर्माण नहीं करवाया गया ।

प्रदेश के मातृ एवं शिशु चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञों के रिक्त पद

121. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने महिला चिकित्सालय व मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र संचालित हैं ? जिलेवार, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में कितने स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं ? तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित महिला चिकित्सालय, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों का जिलेवार, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रवार विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रवार संख्या विवरण **परिशिष्ट-ब** पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार संख्या विवरण **परिशिष्ट-स** पर संलग्न है।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों के पदस्थापन अथवा गायनी में सर्टिफिकेट फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने अथवा स्थानान्तरण के समय अथवा नई भर्ती से उपलब्ध होने वाले स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों से भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

122. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र धरियावद में कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं ? वर्षवार, नामवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोतमलाल)

(2) गत तीन वर्षों में उक्त क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किये गये हैं ? वर्षवार, नामवार व केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक) में विधानसभा क्षेत्र धरियावद के अन्तर्गत 2 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं एवं 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत किये गये नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामों के नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया।
2013-2014	मानागांव	मुंगाना
	केसरीयाबाद	

(2) गत 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक) में विधानसभा क्षेत्र धरियावद के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुंगाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है।

राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कार्मिकों का राजकीय सेवा में समायोजन

123. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी दवा कम्पनी राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को सरकार बंद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से तथा कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दवा कम्पनी राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में कुल कितने कार्मिक किन-किन पदों पर कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त कार्मिकों का समायोजन राजकीय सेवा में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दवा कम्पनी का चल व अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य कितना है एवं उक्त सम्पत्ति कहा-कहां पर अवस्थित है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार के मंत्रिमण्डल के निर्णय दिनांक 28.12.2016 के अनुसार, राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बन्द किया जाना है। इकाई को बन्द करने का निर्णय इसमें निरन्तर घाटे एवं रुग्णता के दृष्टिगत किया गया है।

(2) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिकों का पदवार संख्या विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार के इकाई को बन्द करने संबंधित दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सभी कार्मिकों को वी.आर.एस. पैकेज योजना का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

(4) कम्पनी की चल एवं अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य 108.83 करोड़ रुपये है। इकाई की सम्पत्ति जयपुर (राज.) के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में रोड नं.12 पर स्थित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय व निजी चिकित्सालयों की केन्टीन में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य पदार्थों की जाँच

124. श्री रमेश (सपोटरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों की केन्टीन में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में संचालित केन्टीनों में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच कराई गई? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक किस-किस चिकित्सालय के विरुद्ध खराब खाद्य पदार्थ देने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, नियम और विनियम 2011 के अनुसार सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। उन्हीं मापदण्डों के अनुसार निजी अथवा राजकीय चिकित्सालयों की केन्टीन में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच नियमानुसार

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

की जाती है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, नियम और विनियम 2011 में खाद्य पदार्थों के मानकों का विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) जी हां। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के अनुसार खाद्य पदार्थों की जांच नियमित रूप से की जाती है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में स्थित केन्टीन में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच की गई जिसका विवरण **परिशिष्ट-ब** पर संलग्न है।

(3) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक चिकित्सालयों की केन्टीन में उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य पदार्थ जांच अनुसार मानक स्तर के पाये गये। जिसकी सूचना **परिशिष्ट-ब** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के चिकित्सालयों में पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पद

125. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सह सही है कि बारां जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों, मेल नर्स व ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे चिकित्सालयों में कितने-कितने पद ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जिले में स्थित चिकित्सालयों में रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

चिकित्सालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या		
	चिकित्सक	मेल नर्स	एएनएम
जिला चिकित्सालय	32	0	0
सामुदायिक स्सास्थ्य केन्द्र	61	35	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	9	14	12

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सूची **परिशिष्ट-अ एवं ब** पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु नियमित भर्ती से चयनित 684 चिकित्सकों का पदस्थापन प्रक्रियाधीन है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा संभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम का पद पदोन्नति का पद है, जिसे विभागीय स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति के समय तथा नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद सीधी भर्ती के हैं, जिन्हें विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुजानगढ़ उपखण्ड मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

126. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय, बिदासा (चूरू) पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय सुजानगढ़ पर कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में उपखण्ड मुख्यालय बिदासर (चूरू) में निजी क्षेत्र में 01 महाविद्यालय संचालित है, जिसकी सूची **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर उपखण्ड मुख्यालय बिदासर (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) वर्तमान में उपखण्ड मुख्यालय सुजानगढ (चूरू) में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय तथा निजी क्षेत्र में 09 महाविद्यालय संचालित है, जिसकी सूची **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर उपखण्ड मुख्यालय सुजानगढ (चूरू) में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपति की नियुक्ति

127. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कितने विश्वविद्यालय व कितने महाविद्यालय संचालित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सभी विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों में कब से कुलपति के पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सभी विश्वविद्यालयों में योग्य स्थाई कुलपति समय पर नियुक्त करने की स्थाई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, किस तरह व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 24 विश्वविद्यालय व 297 महाविद्यालय संचालित हैं।

(2) जी हां।

- राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय झुंझुनूं में 24.11.16 से कुलपति का पद रिक्त है।
- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में 14.10.15 से कुलपति का पद रिक्त है।
- राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में 08.01.17 से कुलपति का पद रिक्त है।
- गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा में 10.8.16 से कुलपति का पद रिक्त है।

(3) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल महोदय (कुलाधिपति) द्वारा की जाती है।

प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्रनिधि कोष का उपयोग

128. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रनिधि कोष के उपयोग के क्या प्रावधान निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2016 तक प्रदेश के प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रनिधि कोष के क्या उपयोग किये गये ?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

प्रत्येक सत्रवार एकत्रित हुये कुल छात्रनिधि कोष एवं उसके उपयोग का महाविद्यालय विश्वविद्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से लिया जाने वाला विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय विकास शुल्क प्रत्येक विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के खाते में 1 जनवरी, 2017 को कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) 1 जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय द्वारा कब-कब कितनी कितनी राशि के कौन-कौनसे निर्माण/विकास कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में छात्रनिधि कोष के उपयोग के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों के प्रावधान **परिशिष्ट -1** पर एवं महाविद्यालयों के प्रावधान **परिशिष्ट -2** पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सूचना **परिशिष्ट -3** पर संलग्न है ।

तकनीकी शिक्षा के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सूचना **परिशिष्ट - 4** पर संलग्न है ।

गृह विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय की सूचना **परिशिष्ट - 5** पर संलग्न है ।

पशुपालन विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की सूचना **परिशिष्ट - 6** पर संलग्न है ।

आयुर्वेद विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सूचना **परिशिष्ट - 7** पर संलग्न है ।

संस्कृत शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की सूचना **परिशिष्ट - 8** पर संलग्न है ।

कृषि विश्वविद्यालयों की सूचना **परिशिष्ट - 9** पर संलग्न है ।

युवा मामले एवं खेल विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय की सूचना शून्य है ।

(2) उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर 2016 तक छात्रनिधि कोष के सत्रवार इकट्ठा हुये कुल छात्रनिधि कोष एवं उसके उपयोग का विवरण **परिशिष्ट - 10** पर संलग्न है एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय

(उच्च शिक्षा मंत्री)

के अधीन महाविद्यालयों का विवरण **परिशिष्ट -11** पर संलग्न है ।

अन्य प्रशासनिक विभागों के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों का विवरण **परिशिष्ट - 3 से 9** में समाहित है ।

(3) उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों के खाते में 1 जनवरी, 2017 को विकास शुल्क के शेष की सूचना **परिशिष्ट -12** पर संलग्न है ।

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीन महाविद्यालयों के विकास शुल्क के शेष की सूचना **परिशिष्ट -11** में समाहित है ।

अन्य प्रशासनिक विभागों के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों का विवरण **परिशिष्ट - 3 से 9** में समाहित है ।

(4) 1 जनवरी, 2014 से जनवरी 2017 तक कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीन महाविद्यालयों द्वारा निर्माण / विकास कार्य का विवरण **परिशिष्ट - 11** में समाहित है ।

अन्य प्रशासनिक विभागों के अधीन संचालित महाविद्यालयों का विवरण **परिशिष्ट -3 से 9** में समाहित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद के संस्कृत शिक्षा विद्यालयों के भवनों का निर्माण

129. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2016 सरकार द्वारा विद्यालयों में कराये गये निर्माण कार्यों एवं भवनों के जीर्णोद्धार पर कितनी राशि व्यय की गई ? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने संस्कृत विद्यालय स्वीकृत हैं, उनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, कितने-कतने कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? विद्यालयवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सांगोद विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में भी संस्कृत विद्यालय भवनहीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? क्या सरकार उनके भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन विधानसभा क्षेत्र सांगोद में संचालित विद्यालयों में दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2016 तक संस्कृत शिक्षा विभाग के बजट मद द्वारा निर्माण कार्यों एवं भवनों के जीर्णोद्धार पर कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) विधानसभा क्षेत्र सांगोद में संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का नामवार विवरण एवं रिक्त पदों का विवरण **परिशिष्ट 'क'** संलग्न है।

(3) सांगोद विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सांगोद एवं बपावर में स्वयं का भूमि एवं भवन नहीं है। विद्यालयों के लिये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाखर (महवा) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के व्यवस्थापक के विरुद्ध अनियमितता की जांच

130. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की पंचायत समिति महवा की ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पाखर (प्रथम) के व्यवस्थापक के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें एम.डी, सी.सी.बी. दौसा को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्थापक को ग्राम सेवा सहकारी समिति केशरा (महवा) का अतिरिक्त चार्ज दिया था ? यदि हां, तो कब व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्थापक के विरुद्ध एफ.आई.आर. नम्बर 109/2012 व 170/09 थाना मण्डावर में आई. पी.सी. की धारा 420, 467, 468 एवं 406 के तहत चालान पेश किया गया है ? यदि हां, तो एफ.आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्थापक को अनियमितता के गंभीर आरोपों में निलंबित कर दिया गया तथा गंभीर अपराध में चालान हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भ्रष्ट कर्मचारी को पद से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पाखर ग्राम सेवा सहकारी समिति के विभाजन के फलस्वरूप गठित नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., केशरा की आम सभा दिनांक 30.12.2011 में पारित निर्णय में उक्त समिति के लिए लेखा प्रविष्टियों एवं अन्य रेकार्ड संधारण के

(सहकारिता मंत्री)

लिये व्यवस्थापक पाखर श्री रामनिवास गुर्जर को अधिकृत किया गया तदानुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., केशरा का चार्ज उक्त व्यवस्थापक को प्राप्त हुआ।

(3) जी हां। एफ.आई.आर. की प्रति **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(4) जी हां। व्यवस्थापक श्री रामनिवास गुर्जर को जरिये केन्द्रीय सहकारी बैंक, दौसा के आदेशों से ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., पाखर तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., केशरा से निलम्बित किया जा चुका है। केन्द्रीय सहकारी बैंक, दौसा द्वारा व्यवस्थापक को आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसकी सुनवाई संयोजक एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं जांच समिति के समक्ष जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण

131. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जैसलमेर जिले में वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कितने कृषकों को ब्याज मुक्त सहकारी ऋण उपलब्ध करवाया गया ? तहसीलवार राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जैसलमेर जिले में वर्ष 2014 से 31 जनवरी 2017 तक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध करवाए गए ब्याज मुक्त सहकारी ऋण की तहसीलवार सूचना **परिशिष्ट-1** पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में सम्बल ग्राम विकास योजना के तहत कराये गये कार्य

132. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु सम्बल ग्राम विकास योजना का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? योजना के प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त योजना के तहत किन-किन गांवों में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत अब तक कितने गांवों को लाभान्वित किया गया तथा कितने गांवों के विकास कार्यों के प्रस्ताव वर्तमान में लंबित हैं ? सरकार द्वारा उक्त विकास कार्यों की स्वीकृति कब जारी कर दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु सम्बल ग्राम विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 1996-97 से लगातार चल रही है। योजना के प्रावधानों की प्रति **परिशिष्ट-1** पर उपलब्ध है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ में उक्त योजना के तहत ग्रामवार जो कार्य किये गये हैं तथा जितनी राशि के कार्य किये गये है, उनकी सूची **परिशिष्ट-2** पर उपलब्ध है।

(3) उक्त योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ में 6 गांवों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के कोई प्रस्ताव लम्बित नही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में देवनारायण योजनान्तर्गत स्कूटी का वितरण

133. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में देवनारायण योजनान्तर्गत अब तक कितनी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं तथा योजनाओं में अब तक कोटा जिले में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) देवनारायण योजनान्तर्गत स्कूटी वितरण योजना में कोटा जिलें में विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा सहित अब तक 338 छात्राओं को स्कूटियों का वितरण किया गया है जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	वितरित की गई स्कूटियों की संख्या
1	2011-12	46
2	2012-13	84

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

3	2013-14	49
4	2014-15	58
5	2015-16	45
6	2016-17	56

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की पृथक् से सूचना नही है।

(2) देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं में कोटा जिलें में अब तक योजनावार लाभान्वितों की संख्या निम्न प्रकार है:

योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या
विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	8400
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना	338
प्रोत्साहन राशि योजना	152
विशेष पिछडा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	16546
देवनारायण गुरुकुल योजना	366
साईकिल वितरण योजना	206
छात्रावास सुविधा	346
विशेष पिछडा वर्ग अनुप्रति योजना	14
योग	26368

पालनहार योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित राशि

134. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पालनहार योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2010 से 31 जनवरी, 2016 तक क्या-क्या नये दिशा निर्देश जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त योजनान्तर्गत कितनी राशि आवंटित की गई व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में पालनहार योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पालनहार योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2010 से 31 जनवरी, 2016 तक जारी किये गये दिशा-निर्देशों का विवरण **परिशिष्ट अ** पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में योजनान्तर्गत आवंटित राशि एवं व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में पालनहार योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:

01.04.2010 से 11.10.2012 तक योजना में जिला स्तर पर ऑफलाईन आवेदन भरे जाते थे। वर्ष 2012-13 में दिनांक 11.10.2012 के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र की स्वीकृति विकास अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर पालनहारों को चैक के माध्यम से भुगतान किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2013 में सभी पालनहारों के बैंक खाते खुलवाकर बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करना प्रारम्भ किया गया।

अप्रैल 2010 से मई, 13 तक योजनान्तर्गत जोड़ी गई नवीन श्रेणियों में आवेदन भरवाना एवं आवेदकों को लाभान्वित किया जाना शुरू किया गया।

01.04.2014 से पालनहार योजना में स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) के माध्यम से आनॅलाईन आवेदन प्राप्त करना प्रारम्भ किया गया।

सितम्बर 2015 से अक्टूबर 2015 तक अभियान संचालित कर एस.एस.डी.जी पोर्टल एवं पंचायत समिति कार्यालय में प्राप्त आवेदन को जिला कार्यालय में मंगवाकर सान्याअवि द्वारा तैयार कर एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर अद्यतन करवाये गये।

(4) उक्त अवधि में योजनान्तर्गत लाभान्वित पालनहारों के बच्चों का जिलेवार संख्या विवरण **परिशिष्ट ब** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाएँ

135. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्य मंत्री जन आवास योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन वार कौन- कौनसी योजनाओं को मंजूरी दी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) जिन योजनाओं को मंजूरी दी गयी है, उनको कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा तय की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिन योजनाओं को मंजूरी नहीं मिली है, क्या उनके द्वारा बुकिंग प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाओं द्वारा बुकिंग प्रारम्भ की गयी ? क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत जविप्रा द्वारा जोनवार जिन योजनाओं (फ्लैट्स) को मंजूरी दी गई है एवं जिन योजनाओं (फ्लैट्स) के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उनकी सूची **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) खसरा नम्बर 78/2111, 79, 79/1, 80, 81, 82/2112, 83, 87, 164/2117, 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1 ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जयपुर (अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग मुख्यमंत्री जन आवास योजना) के भवन मानचित्र दिनांक 24.01.2017 को 15 मीटर ऊंचाई के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये गये, जिसमें 400 EWS 120 LIG फ्लैट्स स्वीकृत किये गये थे। आवेदक द्वारा दिनांक 30.01.2017 को संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये। प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 189वीं बैठक दिनांक 16.02.2017 में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक को दिनांक 28.02.2017 को मांग पत्र जारी किया गया, जिसमें आवेदक को मांग राशि जमा करवाने एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् भवन मानचित्र जारी किये जायेंगे। भवन निर्माण की अवधि मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सामान्य शर्त संख्या-4(I) के अनुसार जारी मानचित्र की दिनांक से 48 माह अनुज्ञेय है।

अन्य प्रकरणों में संलग्न सूची **परिशिष्ट-1** के अनुसार भवन निर्माण अवधि अनुज्ञेय की गई है।

(3) अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-प्रथम जयपुर के पत्र क्रमांक सं./अ./शाखा/16/215 दिनांक 06.10.2016 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकासकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत सबके लिए आवास शीर्षक से प्रकाशित करवाये कुल 12 विज्ञापनों द्वारा बुकिंग करने वालों की जांच प्राधिकरण में प्राप्त हुई है। जिनका विवरण **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है। इसी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रकार प्राधिकरण के जोन-12 में ऐ.के.जी. अफोर्डेबल हाउसिंग एवं चौपड़ा कॉलोनाईजर्स द्वारा पम्प्लेट प्रिन्ट करा बुकिंग किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। दोनों कम्पनियों को नोटिस जारी करने पर चौपड़ा कॉलोनाईजर्स द्वारा कोई भी बुकिंग हेतु पम्प्लेट प्रिन्ट कराने एवं बुकिंग कराने से इंकार किया गया। जबकि ऐ.के.जी. अफोर्डेबल का आवेदन खारिज किया जा चुका है। प्राधिकरण के जोन-13 में बृजसा ग्रुप को सौम्या वैली कानोता में 1 बी.एच.के. एवं 2 बी.एच.के. के आवास एवं बृज आनन्दा ग्राम लुनियावास, तहसील आमेर में ट्रांसपोर्ट नगर के पास सीकर रोड पर 1 बी.एच.के. एवं 2 बी.एच.के. के आवास उपलब्ध कराने के क्रम में नोटिस जारी किये गये। प्राधिकरण के जोन-14 के क्षेत्र में श्री गोविन्द राज कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. प्रकरण में दिनांक 07.11.2016 को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.12.2016 को पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि आर्थिक पेरशानी से विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण मानचित्र अनुमोदन नहीं कराया गया। भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही कर बुकिंग की जावेगी एवं बिना अनुमति विज्ञापन जारी नहीं किया जावेगा। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त चिन्हित किये गये समस्त प्रकरणों में विकासकर्ताओं के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु विधिक परीक्षण करवाया जाकर प्रस्तावित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा समूह आवास योजना धावास में बढ़ी हुई भूमि की दर का निर्धारण

136. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना मैन एवं विस्तार, धावास में अब तक किन-किन भूखण्डों व कॉर्नर भूखण्डों के पास बढी हुई भूमि आवंटित की जा चुकी है और उक्त आवंटन किस दर पर किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-7 स्तर से बढी हुई भूमि के आवंटन पर वसूल किये जाने वाली राशि की दर निर्धारण हेतु सरकार से समय-समय पर मार्गदर्शन लिया गया है ? यदि हां, तो उस मार्गदर्शन में सरकार द्वारा कितनी राशि किस दर से वसूलने का निर्णय किया ? भेजे गए पत्र व प्राप्त उत्तर की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(3) क्या सरकार विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना धावास में आवंटित आवासीय भूखण्डों के पास बढी हुई भूमि जो कि उसी खसरा नं. पर है, का आवंटन पूर्व निर्धारित दर पर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा सचिवालय समूह आवास योजना मैन एवं विस्तार धावास में अभी किसी भी भूखण्डधारी को बढ़ी हुई भूमि आवंटित नहीं की है।

(2) जी नहीं। बढी हुई भूमि के लिए राज्य सरकार से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया गया है।

(3) विधानसभा सचिवालय समूह आवास योजना धावास में आवंटित आवासीय भूखण्डों के पास बढ़ी हुई भूमि जो कि उसी खसरा नं. पर है, के आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर में विभागीय समिति की बैठक का विवरण

137. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में कार्यरत श्री बृजमोहन गुप्ता की नियुक्ति किस तिथि व वर्ष में किस पद पर की गई थी ? श्री गुप्ता से नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं नियुक्ति प्रक्रिया एवं नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) श्री बृज मोहन गुप्ता की पदोन्नति किस-किस वर्ष में किस- किस पद पर की गई ? विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा की प्रति एवं पदोन्नति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री गुप्ता को राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा निलम्बित भी किया गया था ? यदि हां, तो कब कब ? निलम्बित आदेश व निलम्बन बहाली आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) श्री गुप्ता के सेवाभिलेख (Service Book) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) श्री गुप्ता अप्रैल, 2006 से जून, 2006 की अवधि में किस-किस तिथि को अवकाश पर रहे ? अवकाश आवेदन पत्रों की प्रति सहित 1 अप्रैल, 2006 से 30 जून, 2006 की उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में कार्यरत श्री बृजमोहन गुप्ता की नियुक्ति दिनांक 03.08.1984 में हैल्पर के पद पर की गई। नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, नियुक्ति प्रक्रिया एवं नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) श्री बृजमोहन गुप्ता की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.08.2004 के द्वारा एक बार वर्ष 2004 में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की गई। अनुशंषा की प्रति एवं पदोन्नति आदेश की प्रति संलग्न है। (आदेश क्रमांक 1355/04.08.2014) **(परिशिष्ट-ब)**

(3) श्री गुप्ता को राजस्थान आवासन मण्डल के आदेश क्रमांक 2680 दिनांक 23.01.1989 द्वारा निलम्बित किया गया था तथा आदेश क्रमांक 2752 दिनांक 03.05.1989 द्वारा बहाल किया गया (आदेश की प्रति संलग्न है) **(परिशिष्ट-स)**

(4) श्री गुप्ता के सेवाभिलेख (Service Book) की छाया प्रति संलग्न है। **(परिशिष्ट-द)**

(5) श्री गुप्ता अप्रैल, 2006 से जून, 2006 की अवधि में दिनांक 24.04.2006 से 26.04.2006 (03 दिवस), दिनांक 13.06.2006 से 14.06.2006 (02 दिवस) तथा 20.06.2006 से 22.06.2006 (03 दिवस) = कुल (08 दिवस) के उपार्जित अवकाश पर रहे हैं। आवेदन पत्र एवं आदेशों की प्रति **(परिशिष्ट-य)** संलग्न है। 01 अप्रैल 2006 से 30 जून, 2006 की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोहा मण्डी माचेड़ा (जयपुर) के नक्शे का अनुमोदन

138. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के जोन 6 में स्थित लोहा मण्डी माचेडा योजना का नक्शा अनुमोदित कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनुमोदित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना पर न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण आवंटियों को पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो स्थगन आदेश से योजना के कौन-कौन से खसरे एवं कितने भू-खण्ड प्रभावित हैं ? खसरा नं. एवं भू-खण्ड नं. सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना पर स्थगन के उपरान्त भी गत 5 वर्ष में पट्टे जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों व जिन भू-खण्डों के पट्टे जारी किए गए हैं, उनके पट्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(4) क्या यह भी सही है कि कई भू-खण्डधारियों ने पट्‌टे जारी किए जाने हेतु आवेदन किया है ? यदि हां, तो उनको पट्‌टे कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। लोहामण्डी माचेडा की योजना का नक्शा अनुमोदित नहीं है।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण आवंटियों को आवंटन पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। जो खसरे नम्बर स्थगन आदेश से प्रभावित हैं, उनकी सूची **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। उक्त खसरा नम्बरान में आने वाले समस्त भूखण्ड प्रभावित है। नक्शा अनुमोदित नहीं होने के कारण भूखण्डों की संख्या एवं नम्बर दिया जाना संभव नहीं है। लम्बित कोर्ट केसेज का विवरण **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विगत 5 वर्षों में कोई भी आवंटन पत्र जोन द्‌वारा जारी नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं। स्थगन आदेश हटने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान से वंचित कॉलोनियाँ

139. श्री हीरालाल निवाई (निवाई): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2013 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जयपुर विकास प्राधिकरण द्‌वारा जयपुर शहर में किन-किन योजनाओं का कब-कब नियमन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में विभिन्न योजनाओं के नियमन से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? कॉलोनीवार प्राप्त राजस्व की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान में नियमन हेतु किन-किन कॉलोनियों की नियमन सूचना एवं सदस्यों की सूची कब-कब समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और उन पर कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अभियान में ऐसी कौन-कौनसी कॉलोनियां किस कारण से नियमन से वंचित रखी गई, जिनके नियमन की सूचना अथवा सदस्यों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल निवाई)

(5) उक्त अभियान में सेक्टर रोड से प्रभावित होने वाली कौन-कौनसी कॉलानियों का नियमन नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2013 में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन की गई योजनाओं का तिथिवार विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) उक्त अभियान में विभिन्न योजनाओं के नियमन से सरकार/जयपुर विकास प्राधिकरण को योजनावार प्राप्त राजस्व की राशि का विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(3) उक्त अभियान में नियमन हेतु कॉलोनियों की नियमन हेतु सूचना प्रकाशन मय व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

सदस्यों की सूची कॉलोनीवार एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-स** पर संलग्न है।

(4) उक्त अभियान में नियमन से वंचित रही ऐसी कॉलोनियां जिनके नियमन की सूचना अथवा सदस्यों के सूची का समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, का विवरण **परिशिष्ट-द** पर संलग्न है।

(5) उक्त अभियान में सेक्टर रोड से प्रभावित योजनाऐं जिनका नियमन नहीं किया गया है, का विवरण **परिशिष्ट-य** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

140. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के क्या नियम हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कहां-कहां पर नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना प्रस्तावित है ?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति, गोगुन्दा में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस हेतु पृथक् से कोई नियम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं हो

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हो चुकी है।

(2) वित्तीय वर्ष 2012-13 में गोगुन्दा पंचायत समिति के **चित्रावास** में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत की गई है, जिसके भवन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उदयपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चित्रावास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए मेकेनिक डीजल व्यवसाय के 01 यूनिट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार गोगुन्दा पंचायत समिति के चित्रावास में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत की जा चुकी है।

झुंझुनूं जिले में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु देय अनुदान

141. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक जिलेवार सह-निर्माण श्रमिक पंजीयन कितना-कितना हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु झुंझुनूं जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनी स्वीकृतियां जारी की गई तथा अन्य क्या-क्या लाभ दिए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त जिले में वर्तमान में विवाह सहायता के कितने आवेदन कब से लंबित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रेल, 2014 से जनवरी, 2017 तक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा जिलेवार निर्माण श्रमिकों के पंजीयन का विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा दिनांक 1.1.2016 से लागू की गई "शुभशक्ति योजना" के अन्तर्गत 18 वर्ष पूर्ण करने वाली अविवाहित महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की अविवाहित बेटियों जिन्होंने न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, को उद्यमिता सशक्त व उद्यमी बनाने हेतु रुपये 55000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस राशि का प्रयोग वह अपने विवेकानुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

उद्योग प्रारम्भ करने, कौशल विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु कर सकती है।

इससे पूर्व मण्डल द्वारा "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" लागू थी, जिसे समाप्त कर शुभशक्ति योजना 01.01.2016 से लागू की गई। "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के अन्तर्गत 51000/- रुपये सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान था।

'शुभशक्ति योजना' जो कि 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई है, के बिन्दु संख्या-8 के अनुसार 'हिताधिकारी/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना' 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी नहीं रहेगी परन्तु इस योजना के अंतर्गत लम्बित एवं प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण 'हिताधिकारी/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना' के अनुसार किये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2014 से 31.12.2015 तक मण्डल की "हिताधिकारी/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के अंतर्गत झुन्झुनूं जिले में कुल 2548 आवेदन प्राप्त हुए तथा वर्ष 2014 से जनवरी,2017 की अवधि में इस योजना के 1779 आवेदनों में स्वीकृति जारी की गई । सभी स्वीकृत एवं पात्र हिताधिकारियों को योजना के प्रावधानानुसार हितलाभ राशि दी गई।

(3) उक्त जिले में वर्तमान में विवाह सहायता के आवेदन निम्नानुसार लम्बित हैं :-

वर्ष	**लम्बित आवेदन**
2011-12	1
2012-13	11
2013-14	63
2014-15	152
2015-16	47
कुल	**274**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन

142. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में देय छात्रवृत्ति के कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं ? उक्त आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के अंतर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों के पुत्र एवं पुत्रियों को शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत 9.1.2017 को लम्बित 87246 आवेदनों में से दिनांक 9.1.2017 से 20.2.2017 की अवधि में 33783 आवेदनों का निस्तारण किया गया। दिनांक 20.2.2017 को 53463 आवेदन विचाराधीन हैं। इन विचाराधीन आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु दिनांक 9.1.2017 को विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई तथा दिनांक 22.1.2017 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से पुन: समीक्षा की जाकर सभी संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्राथमिकता से निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त उल्लेखित अवधि 9.1.2017 से 20.2.2017 की निस्तारण की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यथासम्भव लम्बित आवेदन शीघ्र निस्तारित हो जायेंगे।

प्रदेश के सरकारी होटलों/मिडवे के विक्रय की कार्यवाही

143. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरकारी होटलों व मिडवे को विक्रय करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में राजस्थान पर्यटन विकास निगम व होटल कारपोरेशन के कितने होटल तथा मिडवे कहां-कहां पर संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त में से कौन-कौनसे होटल और मिडवे कब से एवं कितनी राशि के घाटे में चल रहे हैं ? इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारी निजी कम्पनियों से सांठगांठ कर जानबूझ कर प्रदेश की सम्पत्तियों को निजी हाथों में देना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम को घाटे से उबारने/आर्थिक दृष्टि से सुदृढ किये जाने हेतु निगम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों का श्रेणीवार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है और इस हेतु वर्तमान में इनका श्रेणीकरण व मूल्यांकन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान राज्य होटल निगम ने निगम की अंसतोषजनक वित्तीय स्थित पर विचार-विमर्श कर उसके होटलों के संबंध में उपयुक्त पीपीपी मॉडल सुझाने हेतु एक ट्रांजेक्शन एडवाईजर नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसकी नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किये जा रहे होटलों व मिडवे की सूची **परिशिष्ट "अ"** पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य होटल निगम के दो होटल, होटल खासाकोठी, जयपुर व होटल आनन्द भवन, उदयपुर संचालित हैं।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों एवं मिडवे में से घाटे में चल रहे होटल और मिडवे की गत पांच वर्षो की स्थिति **परिशिष्ट "ब"** पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य होटल निगम के घाटे में चल रहे होटल खासाकोठी, जयपुर एवं होटल आनन्द भवन, उदयपुर के घाटे का गत पांच वर्षो का विवरण **परिशिष्ट "स"** पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा इकाईयों के विक्रय/लीज़ पर देने की कार्यवाही विद्यमान नियमों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता रखते हुये सम्पन्न की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में हवाई पट्टी के विस्तार में आ रही बाधाओं को दूर करने की कार्यवाही

144. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या नागरिक उडड्यन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला मुख्यालय नागौर में हवाई पट्टी के विस्तार हेतु जिला प्रशासन द्वारा भूमि अवाप्ति के लिए कब-कब, क्या प्रस्ताव सरकार को भिजवाए गये व सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा नागौर हवाई पट्टी के सामने निर्मित बहुमंजिला व्यवसायिक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बिल्डिंग के कारण हवाई जहाज व चार्टर प्लेन को उतरने में आ रही बाधा को दूर करने के लिए बिल्डिंग हटाने के विरुद्ध बिल्डिंग मालिक द्वारा न्यायालय में दायर याचिकाओं में सरकार द्वारा कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अध्यादेश लाकर नागौर हवाई पट्टी के सामने नियम विरुद्ध बनाई गई व्यवसायिक बहुमंजिला बिल्डिंग को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षो में नागौर की हवाई पट्टी के रखरखाब पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय नागौर में हवाई पट्टी के विस्तार हेतु जिला प्रशासन द्वारा 90-36 बीघा भूमि अतिरिक्त अवाप्ति सहित 1802-28 लाख रुपये के कार्य के प्रस्ताव दिनांक 16-2-2017 को भिजवाये गये है इसका राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया गया है

(2) राज्य सरकार द्वारा नागौर हवाई पट्टी के सामने निर्मित बहुमंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग की वजह से हवाई जहाज व चार्टर प्लेन में उतरने में आ रही बाधा को दूर करने के लिए बिल्डिंग हटाने के विरुद्ध बिल्डिंग मालिक द्वारा न्यायालय में दायर याचिकाओ की प्रतिरक्षा में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। जिस पर सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायिक निर्णय आने पर तदनुसार वांछित कार्यवाही प्रकरण में की जा सकेगी।

(4) विगत पांच वर्षों मे नागौर की हवाई पट्टी के रखरखाव मे 151-00 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

मालपुरा के मर्ज किये गये विद्यालयों के भवनों का उपयोग

145. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कम नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज किया है ? यदि हां, तो मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यालयों को मर्ज किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मर्ज किये विद्यालयों के भवनों को सरकार किस उपयोग में लेगी व इन भवनों की उपयोगिता के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के समन्वित किये गये विद्यालयों का संख्या विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 एवं कक्षा 1 से 12 की शिक्षण सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ न्यून नामांकन वाले विद्यालयों को समन्वित किया गया है।

(2) जी हां। शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालय समन्वयन के कारण रिक्त हुए विद्यालय भवनों को अन्य विभागों को किराये पर अथवा नि:शुल्क आवंटित करने हेतु आदेश दिनांक 28.12.2016 के द्वारा से संबंधित जिले के जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया हैं। अत: जिला कलक्टर द्वारा रिक्त विद्यालय भवन आवश्यकता/उपलब्धतानुसार अन्य विभागों को किराये/नि:शुल्क आवंटित किये जा सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के स्कूलों में ग्रीन बोर्ड, दर्पण व स्टॉफ विवरण योजना

146. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्रीन बोर्ड, दर्पण व स्टॉफ विवरण योजना क्या है ? प्रदेश में यह योजना कब लागू की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लिये सरकार की ओर से प्रत्येक स्कूल को कितना बजट दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना का कार्य अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण करवाया जाना था लेकिन जनवरी, 2017 तक भी पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के कार्य पूर्ण नहीं होने पर क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों में ग्रीन बोर्ड, दर्पण व स्टॉफ विवरण लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका व कितने स्कूल इससे वंचित हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने हेतु किये जा रहे नवाचारों के सम्बन्ध में 05 सितम्बर, 2016 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा विद्यालयों के सुद्धढीकरण एवं विकास हेतु समस्त राजकीय विद्यार्थीयों के उपयोग हेतु विद्यालय भवन के प्रवेश कोरिडोर मे उपयुक्त स्थान पर दर्पण लगाने, विद्यालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर कार्यरत संस्था प्रधान एवं अन्य कार्मिकों के शैक्षणिक एवं संस्थापन विवरण सहित फोटो लगवाने तथा राजकीय विद्यालयों की सभी विद्यालयों में ग्रीन बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये।

(2) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उक्त कार्य के लिये व्यय विद्यालय छात्रकोष/विद्यालय कोष/जनसहयोग से किये जाने के निर्देश हैं। पृथक् से कोई बजट आवंटन नही किया गया है।

(3) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उक्त कार्य की निरन्तर मोनिटरिंग के लिये विभागीय पोर्टल शालादर्पण की बेसिक प्रोफाईल में सम्मिलित किया गया है। शाला दर्पण पोर्टल निरन्तर अपडेट किये जाने के निर्देश हैं जिन संस्था प्रधानों द्वारा इसे अपडेट नहीं किया गया है उक्त पत्र दिनांक 21.02.2017 के द्वारा पुन: निर्देशित किया गया है तथा सम्बन्धित उपनिदेशकों को पत्र दिनांक 23.02.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(4) प्रश्नोतर के भाग 03 के अनुसार ।

(5) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में ग्रीन बोर्ड,दर्पण व फोटोयुक्त संस्थापन विवरण लगाने/नहीं लगाने का जिलेवार संख्या विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में विद्युत/पेयजल से वंचित विद्यालय

147. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने विद्यालय वर्तमान में विद्युत व्यवस्था एवं पेयजल के अभाव में संचालित किये जा रहे हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यू-डाईस 2016 के अनुसार प्रदेश के 33430 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था का अभाव है तथा स्थाई 1270 पेयजल की सुविधा का अभाव है। विद्युत व्यवस्था विहीन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जिलेवार संख्या विवरण **परिशिष्ट "क"** पर तथा स्थाई पेयजल सुविधा विहीन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जिलेवार संख्या विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न हैं।

प्रदेश में अद्यतन सभी 107 विद्युत विहीन राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। सूची **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न हैं। यू-डाईस डाटा के अनुसार राज्य के 622 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु स्थाई व्यवस्था का अभाव है। सूची **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है। परन्तु सभी विद्यालयों में अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था की जा रही है।

(2) जी हां। ऐसे विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है। लेकिन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता निर्धारित की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2016-17 में राज्य के 628 विद्युतविहीन विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिनमें अब तक 521 विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था का कार्य हो चुका हैं। शेष 107 में प्रक्रियाधीन है जिसे 31 मार्च,2017 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था के लिए पृथक् से कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अधिक आयु के कारण नियुक्ति से वंचित प्रबोधक

148. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रबोधकों के चयन में अधिक आयु वाले कुछ प्रबोधक चयन से वंचित हैं तथा जो अधिक आयु वाले प्रबोधक चयनित हो गये हैं, वे न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त वंचित प्रबोधकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक, प्रशैक्षिक तथा अनुभव अर्हताधारी एवं नियम-13 में निर्धारित आयु वर्ग का कोई भी पात्र अभ्यर्थी प्रबोधक पद पर चयन से वंचित नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में अधिक आयु वर्ग के चयनित हुए 17 अभ्यर्थी (जिला टौंक के 02 तथा उदयपुर जिले के 15) जिनको प्रबोधक पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी, उन्हें विभाग द्वारा प्रबोधक पद से हटाया गया परन्तु वर्तमान में उक्त 17 अभ्यर्थी माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के कारण प्रबोधक पद पर कार्य कर रहे हैं।

राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में अधिक आयु वर्ग के आशार्थी अपात्र होने के कारण इनको सरकारी सेवा में लेने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पोकरण के जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत

149. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अन्तर्गत आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाचना में विश्व खाद्य संगठन द्वारा निर्मित स्कूल भवन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) क्या उक्त विद्यालय में वर्तमान में बच्चे अध्ययनरत हैं ? यदि हां, तो कितनी संख्या में ?

(3) क्या उक्त भवन वर्तमान में जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने हेतु सरकार उक्त भवन की मरम्मत अथवा पुन:निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के जर्जर विद्यालय भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उक्त जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अन्तर्गत आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाचना में विश्व खाद्य संगठन द्वारा 16 कमरे एवं 2 बरामदें निर्मित करवाये गये थे, जिनमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड नाचना, प्रथम के सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार 2 हॉल (बडे कमरे), गेलरी, 1 शौचालय एवं पानी की प्याउ को

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

असुरक्षित माना है। कुछ जगह पर दीवार में दरारे हैं एवं प्लास्टर भी गिर गया है। भवन की एक साइड की दीवार भी गिर चुकी है। रिपोर्ट **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में इस विद्यालय में कुल 396 बच्चे अध्ययनरत हैं।

(3) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2 हॉल, 1 शौचालय एवं पानी की प्याउ को असुरक्षित माना है। भवन के जर्जर भाग में कक्षा-कक्षों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा विद्यालय परिसरों में जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त भवनों/ढांचों को गिराने के संबंध में परिपत्र दिनांक 16.04.2015 जारी किया हुआ है। परिपत्र की प्रति **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

इस विद्यालय भवन के जर्जर कक्षा-कक्षों का पुनर्निमाण आवश्यकता होने पर एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर, प्रस्ताव के गुणावगुण पर समग्र विचार कर किया जायेगा।

(4) विधानसभा क्षेत्र पोकरण के निम्न उच्च माध्यमिक विद्यालय मरम्मत योग्य हैं :-

1. राउमावि, बलाडा
2. राउमावि, अजासर
3. राउमावि, बोडाना
4. राउमावि, गोमट
5. राउमावि, नाचना

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पोकरण में कोई भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में नहीं है।

(5) जी हां। जर्जर विद्यालय भवनों का बजट प्रावधानान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के गुणावगुण पर समग्र विचार कर जर्जर भवनों की मरम्मत/पुनर्निमाण का कार्य किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)